

30

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय

प्रारूप संविधान : भाग II (खंड-7) (17.9.1949 से 16.11.1949)



# बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर

सम्पूर्ण वाङ्मय

खंड-30



प्रारूप संविधान : भाग II (खंड-7)  
(17.9.1949 से 16.11.1949)





**बाबासाहेब डॉ. बी. आर. अम्बेडकर**

जन्म : 14 अप्रैल, 1891

परिनिर्वाण 6 दिसंबर, 1956



बाबासाहेब  
डॉ. अम्बेडकर

सम्पूर्ण वाङ्मय

खंड 30

डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय

खंड : 30

प्रारूप संविधान : भाग II (खंड-7) (17.9.1949 से 16.11.1949)

पहला संस्करण : 2019 (जून)

दूसरा संस्करण : 2020 (अगस्त)

**ISBN : 978-93-5109-138-7**

© सर्वाधिकार सुरक्षित

आवरण परिकल्पना : डॉ. देबेन्द्र प्रसाद माझी, पी.एच.डी.

पुस्तक के आवरण पर उपयोग किया गया मोनोग्राम बाबासाहेब डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के लेटरहेड से साभार

**ISBN (सेट) : 978-93-5109-129-5**

रियायत के अनुसार सामान्य (पेपरबैक) 1 सेट (खंड 1-40) का मूल्य : रू 1073/-  
रियायत नीति (Discount Policy) संलग्न है,

**प्रकाशक:**

**डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान**

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,  
भारत सरकार

15 जनपथ, नई दिल्ली – 110 001

फोन : 011-23320571

जनसंपर्क अधिकारी फोन : 011-23320588

वेबसाइट : <http://drambedkarwritings.gov.in>

Email-Id : [cwbadaf17@gmail.com](mailto:cwbadaf17@gmail.com)

**मुद्रक** : अरावली प्रिंटरस एंड पब्लिशर्स प्रा.लि., W-30 ओखला, फेज-2, नई दिल्ली-110020

## परामर्श सहयोग

### डॉ. थावरचन्द गेहलोत

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार  
एवं

अध्यक्ष, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

### श्री रामदास अठावले

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

### श्री कृष्णपाल गुर्जर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

### श्री रतनलाल कटारिया

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

### श्री आर. सुब्रह्मण्यम

सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार

### सुश्री उपमा श्रीवास्तव

अतिरिक्त सचिव एवं सदस्य सचिव, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

### डॉ. देबेन्द्र प्रसाद माझी, पी.एच.डी.

निदेशक

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

### डॉ. बृजेश कुमार

संयोजक, सी.डब्ल्यू.बी.ए.

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

सकलन (अंग्रेजी)

श्री वसंत मून





**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री  
भारत सरकार**

MINISTER OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT  
GOVERNMENT OF INDIA

तथा  
**अध्यक्ष, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान**  
CHAIRPERSON, DR. AMBEDKAR FOUNDATION

**संदेश**

स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माता डॉ. अम्बेडकर, बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। डॉ. अम्बेडकर एक उत्कृष्ट बुद्धिजीवी, प्रकाण्ड विद्वान, सफल राजनीतिज्ञ, कानूनविद्, अर्थशास्त्री और जनप्रिय नायक थे। वे शोषितों, महिलाओं और गरीबों के मुक्तिदाता थे। डॉ. अम्बेडकर सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष के प्रतीक हैं। डॉ. अम्बेडकर ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में लोकतंत्र की वकालत की। एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में डॉ. अम्बेडकर का योगदान अतुलनीय है।

डॉ. अम्बेडकर के लेख एवं भाषण क्रांतिकारी वैचारिकता एवं नैतिकता के दर्शन-सूत्र हैं। भारतीय समाज के साथ-साथ संपूर्ण विश्व में जहाँ कहीं भी विषमतावादी भेदभाव या छुआछूत मौजूद है, ऐसे समस्त समाज को दमन, शोषण तथा अन्याय से मुक्त करने के लिए डॉ. अम्बेडकर का दृष्टिकोण और जीवन-संघर्ष एक उज्ज्वल पथ प्रशस्त करता है। समतामूलक, स्वतंत्रता की गरिमा से पूर्ण, बंधुता वाले एक समाज के निर्माण के लिए डॉ. अम्बेडकर ने देश की जनता का आह्वान किया था।

डॉ. अम्बेडकर ने शोषितों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं को जो महत्त्वपूर्ण संदेश दिए, वे एक प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण के लिए अनिवार्य दस्तावेज हैं। तत्कालीन विभिन्न विषयों पर डॉ. अम्बेडकर का चिंतन-मनन और निष्कर्ष जितना उस समय महत्त्वपूर्ण था, उससे कहीं अधिक आज प्रासंगिक हो गया है। बाबासाहेब की महत्तर मेधा के आलोक में हम अपने जीवन, समाज राष्ट्र और विश्व को प्रगति की राह पर आगे बढ़ा सकते हैं। समता, बंधुता और न्याय पर आधारित डॉ. अम्बेडकर के स्वप्न का समाज-“सबका साथ सबका विकास” की अवधारणा को स्वीकार करके ही प्राप्त किया जा सकता है।


मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का स्वायत्तशासी संस्थान, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, “बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर : संपूर्ण वांग्मय” के अन्य अप्रकाशित खण्ड 22 से 40 तक की पुस्तकों को, बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के अनुयायियों और देश के आम जन-मानस की मांग को देखते हुए मुद्रित किया जा रहा है।

विद्वान, पाठकगण इन खंडों के बारे में हमें अपने अमूल्य सुझाव से अवगत कराएंगे तो हिंदी में अनुदित इन खंडों के आगामी संस्करणों को और बेहतर बनाने में सहयोग प्राप्त हो सकेगा।

(डॉ. थावरचंद गेहलोत)



## बाबासाहेब अम्बेडकर के सम्पूर्ण वाङ्मय (Complete CWBA Vols.) का विमोचन



हिंदी और अंग्रेजी में CWBA / सम्पूर्ण वाङ्मय, (Complete Volumes) बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के संग्रहित कार्यों के सम्पूर्ण खण्ड, डॉ. थावरचंद गेहलोत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, और अध्यक्ष, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी किया गया है। साथ ही डॉ. देबेन्द्र प्रसाद माझी, निदेशक, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान और श्री सुरेन्द्र सिंह, सदस्य सचिव भी इस अवसर पर उपस्थित थे। हिंदी के खंड 22 से खंड 40 तक 2019 में पहली बार प्रकाशित हुए हैं।

उपमा श्रीवास्तव, आई.ए.एस.

अपर सचिव

UPMA SRIVASTAVA, IAS

Additional Secretary



भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

Government of India

Ministry of Social Justice & Empowerment

Shastri Bhawan, New Delhi-110001

Tel. : 011-23383077 Fax : 011-23383956

E-mail : as-sje@nic.in



## प्राक्कथन

भारतरत्न डॉ. बी.आर. अम्बेडकर भारतीय सामाजिक-राजनीतिक आंदोलन के ऐसे पुरोधा रहे हैं, जिन्होंने जीवनपर्यंत समाज के आखिरी पायदान पर संघर्षरत व्यक्तियों की बेहतरी के लिए कार्य किया। डॉ. अम्बेडकर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे इसलिए उनके लेखों में विषय की दार्शनिक मीमांसा प्रस्फुटित होती है। बाबासाहेब का चिंतन एवं कार्य समाज को बौद्धिक, आर्थिक एवं राजनैतिक समृद्धि की ओर ले जाने वाला तो है ही, साथ ही मनुष्य को जागरूक मानवीय गरिमा की आध्यात्मिकता से सुसंस्कृत भी करता है।

बाबासाहेब का संपूर्ण जीवन दमन, शोषण और अन्याय के विरुद्ध अनवरत क्रांति की शौर्य-गाथा है। वे एक ऐसा समाज चाहते थे जिसमें वर्ण और जाति का आधार नहीं बल्कि समता व मानवीय गरिमा सर्वोपरि हो और समाज में जन्म, वंश और लिंग के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव की कोई गुंजाइश न हो। समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के प्रति कृतसंकल्प बाबासाहेब का लेखन प्रबुद्ध मेधा का प्रामाणिक दस्तावेज है।

भारतीय समाज में व्याप्त विषमतावादी वर्णव्यवस्था से डॉ. अम्बेडकर कई बार टकराए। इस टकराहट से डॉ. अम्बेडकर में ऐसा जज़्बा पैदा हुआ, जिसके कारण उन्होंने समतावादी समाज की संरचना को अपने जीवन का मिशन बना लिया।

समतावादी समाज के निर्माण की प्रतिबद्धता के कारण डॉ. अम्बेडकर ने विभिन्न धर्मों की सामाजिक, धार्मिक व्यवस्था का अध्ययन व तुलनात्मक चिंतन-मनन किया।

मैं प्रतिष्ठान की ओर से माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार का आभार व्यक्त करती हूँ जिनके सद्परामर्श एवं प्रेरणा से प्रतिष्ठान के कार्यों में अपूर्व प्रगति आई है।

उपमा श्रीवास्तव

(उपमा श्रीवास्तव)

अतिरिक्त सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,

भारत सरकार, एवं

सदस्य सचिव



## प्रस्तावना

बाबासाहेब डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर एक प्रखर व्यक्तित्व, ज्ञान के प्रतीक और भारत के सुपुत्र थे। वह एक सार्वजनिक बौद्धिक, सामाजिक क्रांतिकारी और एक विशाल क्षमता संपन्न विचारक थे। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों के व्यावहारिक विश्लेषण के साथ-साथ अंतःविषयक दृष्टिकोणों को अपने लेखन और भाषणों के माध्य से प्रभावित किया जो बौद्धिक विषयों और भावनाओं को अभिव्यक्त एवं आंदोलित किया। उनके लेखन में वंचित वर्ग के लोगों के लिए प्रकट न्याय और मुक्ति की गहरी भावना है। उन्होंने न केवल समाज के वंचित वर्गों की स्थितियों को सुधारने के लिए अपना जीवन समर्पित किया, बल्कि समन्वय और 'सामाजिक समरसता' पर उनके विचार राष्ट्रीय प्रयास को प्रेरित करते रहे। उम्मीद है कि ये खंड उनके विचारों को समकालीन प्रासंगिकता प्रदान कर सकते हैं और वर्तमान समय के संदर्भ में डॉ. अम्बेडकर के पुनःपाठ की संभावनाओं को उपस्थित कर सकते हैं।

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, भारत के साथ-साथ विदेशों में भी जनता के बीच बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर की विचारधारा और संदेश के प्रचार-प्रसार हेतु स्थापित किया गया है। यह बहुत खुशी की बात है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के नेतृत्व में प्रतिष्ठान के शासी निकाय के एक निर्णय के परिणामस्वरूप, तथा पाठकों की लोकप्रिय माँग पर डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, बाबासाहेब अम्बेडकर के हिंदी में संपूर्ण वांग्मय (Complete CWBA Volumes) का दूसरा संस्करण पुनर्मुद्रित कर रहा है।

मैं संयोजक, अनुवादकों, पुनरीक्षकों, आदि सभी सहयोगियों, एवं डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान में अपनी सहायक, कुमारी रेनू और लेखापाल, श्री नन्दू शॉ के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, जिनकी निष्ठा एवं सतत् प्रयत्न से यह कार्य संपन्न किया जा सका है।

विद्वान एवं पाठकगण इन खंडों के बारे में सुझाव से डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान को उसकी वैधानिक ई-मेल आई.डी. [cwbadaf17@gmail.com](mailto:cwbadaf17@gmail.com) पर अवगत कराएं ताकि, अनुदित इन खंडों के आगामी संस्करणों को और बेहतर बनाने में सहयोग प्राप्त हो सकेगा।

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान हमेशा पाठकों को रियायती कीमत पर खंड उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करता रहा है, तदनुसार आगामी संस्करण का भी रियायत नीति (Discount Policy) के साथ बिक्री जारी रखने का निर्णय लिया गया है। अतः प्रत्येक खंड के साथ प्रतिष्ठान की छूट नीति को संलग्न कर दिया गया है। आशा है कि ये खंड पाठकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे।

(डॉ. देबेन्द्र प्रसाद माझी)

15, जनपथ,  
नई दिल्ली

निदेशक, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार,

जिस समाज में कुछ वर्गों के लोग जो कुछ चाहें वह सब कुछ कर सकें और बाकी वह सब भी न कर सकें जो उन्हें करना चाहिए, उस समाज के अपने गुण होते होंगे, लेकिन इनमें स्वतंत्रता शामिल नहीं होगी। अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है, उसे विशेषाधिकार कहना अधिक उचित होगा।

—डॉ. भीमराव अम्बेडकर

## विषय सूची

1. संदेश	v
2. प्राक्कथन	vii
3. प्रस्तावना	viii
4. अस्वीकरण	ix
प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार विधेयक को समाप्त किया जाना	2
खंड 2	5
खंड 3	6
खंड 4	7
खंड 5	9
खंड 7	10
खंड 8	10
खंड 9	10
खंड 11	12
खंड 1	13
अनुच्छेद 303 (क्रमागत)	14
नया अनुच्छेद 300क और 300ख	17

## आठवीं अनुसूची

अनुच्छेद 303 (क्रमशः)	19
अनुच्छेद 304	23
अनुच्छेद 99	32
अनुच्छेद 1	34
अनुच्छेद 306	38
अनुच्छेद 309	41
अनुच्छेद 390—क और 310—ख	41
अनुच्छेद 311—क	43
अनुच्छेद 311—ख	45
अनुच्छेद 312	48
अनुच्छेद 313	53
अनुच्छेद 308	56

अनुच्छेद 310	59
अनुच्छेद 311	61
अनुच्छेद 312—ड	64

## दूसरी अनुसूची

भाग I	68
भाग II	68
भाग III	69
भाग IV	69
भाग V	72
अनुच्छेद 3 (फिर से लिया गया)	90
अनुच्छेद 296 (फिर से लिया गया)	90
अनुच्छेद 299	91
अनुच्छेद 48	92
अनुच्छेद 303	96

## पहली अनुसूची

(अनुच्छेद 1 और 4) राज्य और भारत के संघ राज्य क्षेत्र	97
भाग I	97
भाग II	98
भाग III	99
भाग IV	100
अनुच्छेद 264क	101
अनुच्छेद 274 घघ	108
अनुच्छेद 280क	109
नए अनुच्छेद 302 क क क	121
अनुच्छेदों का संशोधन	131

## भाग III

17 नवंबर, 1949 से 26 नवंबर, 1949	151
खंड आठ प्रारूप विधान का तीसरा पठन	152
भारत सरकार अधिनियम (संशोधन) विधेयक	149
खंड 3	200
संविधान को अंगीकार किया जाना	221

## रियायत नीति (Discount Policy)

- विवरण:** (1) उपखंड (क) इस खंड के एक बिक्री या खरीद माल वास्तव में खपत के उद्देश्य के लिए इस तरह की बिक्री या खरीद का एक परिणाम के रूप में दिया गया था, जिससे राज्य में खपत हो, इस तथ्य के बावजूद किसी अन्य राज्य में पारित माल की खरीद-बिक्री से सामान्य कानून के तहत माल की खरीद बिक्री शामिल नहीं है।
- (2) संसद द्वारा कानून के तहत दिए प्रावधानों को छोड़कर राज्य का कोई भी कानून किसी भी माल घर की खरीद या बिक्री पर कोई भी कर लागू या लागू करने को अधिकृत नहीं होगा, जो कि अंतरराज्यीय खरीद बिक्री (व्यापार) में आता हो।

राष्ट्रपति यह आदेश (निर्देश) जारी कर सकता है कि माल की खरीद बिक्री पर कोई भी कर जो कि किसी भी राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता था संविधान के लागू होने से पहले, लेकिन अब संविधान के लागू होने के बाद यह इन प्रावधानों के विपरीत है, लेकिन यह 31 मार्च, 1951 तक इसी तरह वसूले जाएंगे।

- (3) राज्य विधायिका द्वारा बनाया गया कोई भी कानून किसी भी कर के लागू या लागू करने को अधिकृत है। माल के खरीद-बिक्री पर वे संसद द्वारा घोषित किए गए हैं जो कि व्यापार समुदाय के जीवन के लिए जरूरी है उनका प्रभाव तब तक रहेगा जब तक यह राष्ट्रपति द्वारा विचार के लिए आरक्षित हो और उनकी स्वीकृति पा ली हो।

उस अनुच्छेद 280 के बाद निम्नलिखित अनुच्छेद डाला गया है

- (280-A(1) : यदि राष्ट्रपति सहमत हो कि एक ऐसी स्थिति आ गई है जिसमें किसी भी भू-भाग में उठी वित्तीय स्थिरता या भारत की स्थिति किसी भू-भाग में खतरे में हो, तो वह इस संबंध में घोषणा जारी कर सकता है :

(1) अधिनियम (2) के प्रावधान जो संविधान के अनुच्छेद 275 इस संबंध में अधिनियम (1) में लागू है जो कि इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं जैसा कि अनुच्छेद 275 के अधिनियम (1) में कहा गया है।



## प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार विधेयक को समाप्त किया जाना

**श्री सभापति :** आज पहले कार्य विधेयक को लिया जाना है। डा. अम्बेडकर।

**माननीय डा. बी.बार. अम्बेडकर ( बंबई - जनरल ) :** सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ।

“कि 14 सितम्बर, 1949 को भारतीय अपीलों और याचिकाओं के संबंध में परिषद में पुनः स्थापित महामहिम के क्षेत्राधिकार को समाप्त किए जाने वाले विधेयक पर सभा द्वारा विचार किया जाए।”

मैं कुछेक शब्द ही कहना चाहूँगा और सदन को यह बताना चाहूँगा कि यह विधेयक जरूरी क्यों हो गया और विधेयक में क्या किए जाने का प्रस्ताव है। दो परिस्थितियों के कारण विधेयक लाए जाने की आवश्यकता पड़ी। एक तो प्रस्तावित अनुच्छेद 308 के खंड (3) में अंतर्विष्ट उपबंध का होना है। यह अनुच्छेद 308 परवर्ती उपबंधों में मौजूद है। अनुच्छेद 308 के खण्ड (3) में यह उपबंध किया गया है कि :

“इस संविधान के प्रारंभ से पहले ही अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट किसी राज्य में प्रिवी काउंसिल के रूप में कार्यरत प्राधिकारी की उस राज्य के भीतर किसी न्याय के किसी निर्णय, छिद्री या आदेश की या उसके संबंध में अपीलों और याचिकाओं को ग्रहण करने या निपटाने की अधिकारिता समाप्त हो जाएगी और उक्त प्राधिकारी के समक्ष ऐसे प्रारंभ पर लंबित सभी अपीलों और अन्य कार्यवाहियाँ उच्चतम न्यायालय को अंतरित कर दी जाएँगी और उसके द्वारा निपटाई जाएँगी जिसका अर्थ है कि तिथि को संविधान प्रभावी होगा, उस तिथि से प्रिवी काउंसिल का क्षेत्राधिकार पूरी तरह समाप्त हो जायेगा।”

दूसरी परिस्थिति जिसके कारण यह विधेयक लाना जरूरी हो गया है, यह है कि यह प्रस्ताव किया गया है कि यह संविधान 26 जनवरी, 1950 के आस-पास लागू होना चाहिए। इन दो परिस्थितियों का प्रभाव यह है कि 26 जनवरी, 1950 को संविधान के लागू होने की तिथि मान लिए जाने के बाद प्रिवी काउंसिल को कोई अपील या

\* सी.ए.डी खंड 9, 17 सितंबर, 1945 पृष्ठ 1589-1590

याचिका स्वीकार करने का क्षेत्राधिकार नहीं रह जाएगा। लेकिन, जो अधिक महत्वपूर्ण बात है, वह यह है कि प्रिवी काउंसिल को 26 जनवरी, 1950 की स्थिति के अनुसार उसके समक्ष लंबित पड़ी अपीलों और याचिकाओं को निपटाने का भी क्षेत्राधिकार नहीं होगा। अब 26 जनवरी, 1950 को जो स्थिति होगी वह इस प्रकार की होगी। वर्तमान में प्रिवी काउंसिल के समक्ष 70 सिविल अपील और 10 आपराधिक अपील लंबित हैं। प्रिवी काउंसिल की अगली बैठक के लिए मुकदमों का जो कैलेंडर तैयार किया गया है, उसमें 20 अपीलों की सुनवाई और निपटान किया जाना निर्धारित है। यह भी एक तथ्य है कि संविधान के लागू होने की तिथि से पूर्व संभवतः भारतीय अपीलों को निपटाने के उद्देश्य से प्रिवी काउंसिल की यही एकमात्र बैठक होगी।

हमारे पास जो सूचना उपलब्ध है उसके अनुसार, प्रिवी काउंसिल के अगले सत्र में सुनवाई के लिए तैयार की गई मुकदमों की सूची में लगभग 20 अपीलें अंतर्विष्ट हैं, जिसका अर्थ यह है कि 26 जनवरी, 1950 को 60 अपीलें लंबित रह जाएँगी जिनका निपटान नहीं हो सकेगा और हमारे सामने जो वास्तविक प्रश्न विचार के लिए है, वह यह है कि 26 जनवरी, 1950 को प्रिवी काउंसिल के समक्ष संभावित रूप से लंबित रहने वाली इन 60 अपीलों के संबंध में क्या किया जाना चाहिए?

निःसंदेह इस मामले को निपटाने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो प्रिवी काउंसिल के क्षेत्राधिकार को जारी रखा जाना और उसके समक्ष लंबित पड़ी सभी अपीलों को निपटाया जाना है। इस प्रक्रिया को आयरलैंड के संविधान में अनुच्छेद 37 के माध्यम से अपनाया गया था, जिसमें यह कहा गया है कि उनके संविधान में किए गए कोई भी उपबंध संविधान के लागू होने की तिथि से पूर्व प्रिवी काउंसिल के समक्ष लंबित पड़े मामलों को निपटाने के उसके क्षेत्राधिकार को प्रभावित नहीं करेंगे। लेकिन, जैसा कि मैं प्रस्तावित अनुच्छेद 308, खंड (3) में बता चुका हूँ कि हमने प्रिवी काउंसिल के क्षेत्राधिकार को बनाए रखने का कोई प्रस्ताव नहीं किया है। हम 26 जनवरी, 1950 को प्रिवी काउंसिल के क्षेत्राधिकार को समाप्त करने का प्रस्ताव करते हैं। इसलिए एकमात्र 2 फेडरल न्यायालय में विहित कर दिया जाएगा और वे 10 मुकदमों जिनके बारे में, मैं फेडरल न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में पहले ही उल्लेख कर चुका हूँ, को छोड़कर 10 अक्टूबर को उनके समक्ष पड़े सभी मुकदमे स्थानान्तरित कर दिए जाएँगे। इस विधयेक में यही किया गया है।

अब, महोदय, विधेयक के विशिष्ट उपबंधों पर आते हुए यह देखना होगा कि खंड 2 भारत के संपूर्ण क्षेत्र में न्यायालयों पर प्रिवी काउंसिल के क्षेत्राधिकार को समाप्त करें। खंड 3 फेडरल न्यायालय पर प्रिवी काउंसिल के क्षेत्राधिकार को समाप्त करता है और खंड 5, खंड 2 और 3 के विपरीत है क्योंकि इसमें प्रिवी काउंसिल को फेडरल न्यायालय पर क्षेत्राधिकार प्रदान किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। खंड 4 प्रिवी काउंसिल के समक्ष लंबित पड़े मामलों से संबंधित है। यद्यपि खंड 5 फेडरल न्यायालय पर प्रिवी काउंसिल के क्षेत्राधिकार प्रदान करता है फिर भी खंड 4 एक अपवाद खंड है और उसमें प्रिवी काउंसिल के क्षेत्राधिकार के समक्ष लंबित पड़ी कतिपय अपीलों और याचिकाओं के मामले में उसे क्षेत्राधिकार अपवाद स्वरूप प्रदान किया गया है। उन्हें चार मद्दों के अधीन वर्गीकृत किया जा सकता है : (1) ऐसी अपीलों और याचिकाएँ जिनमें निर्णय तो दे दिया गया है लेकिन, 10 अक्टूबर से पहले काउंसिल में आदेश पारित नहीं किया गया है, (2) त्रैमासिक कर वसूली (माइकलमैस) जिसकी बैठक 12 अक्टूबर को शुरू होती है, की सूची में प्रविष्ट अपीलों, (3) दर्ज कराई जा चुकी याचिकाएँ और 10 अक्टूबर से पूर्व दर्ज कराए जाने वाली याचिकाएँ और (4) वे अपीलों तथा याचिकाएँ जिन पर प्रिवी काउंसिल द्वारा निर्णय सुरक्षित रखा जा चुका है, यद्यपि सुनवाई हो चुकी है। खंड 6 में से सभी मामले जो खंड 4 के अंतर्गत नहीं आते फेडरल न्यायालय में स्वतः ही स्थानान्तरित हो जाएँगे। यद्यपि वे मामले प्रिवी काउंसिल में लंबित पड़े हो सकते हैं। खंड 7 और 8 केवल संरचना संबंधी मामले हैं।

प्रिवी काउंसिल के क्षेत्राधिकार में कटौती करते समय यह महसूस किया गया कि भारत सरकार अधिनियम, 1935 की कतिपय धाराओं को निरस्त करना और

संशोधित करना वांछनीय है, जोकि इस मामले के परिणामस्वरूप जरूरी है तथा फेडरल न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों से संबंधित भारत सरकार अधिनियम में व्याप्त कुछ विसंगतियों को दूर करने के लिए जरूरी है। जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि खंड 3 भारत सरकार अधिनियम की धाराएँ 208 और 218 जोकि प्रिवी काउंसिल और फेडरल न्यायालय से आने वाली अपीलों तथा भारत के बाहर के न्यायालयों से आने वाली अपीलों से संबंधित हैं, को समाप्त करता है। ये दोनों ही परिवर्तन परिणामी हैं।

धारा 205, जो कि फेडरल न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है और धारा 214 जो भारत के बाहर न्यायालयों पर फेडरल न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित है, में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

इसलिए, इन परिणामी तथा अन्य आवश्यक संशोधनों के माध्यम से फेडरल न्यायालय के क्षेत्राधिकार को पूर्ण तथा स्वतंत्र बनाए जाने का प्रस्ताव किया गया है। निस्संदेह यह उपाय एक अंतरिम उपाय ही है क्योंकि ये शक्तियाँ केवल 26 जनवरी, 1950 जब संविधान लागू हो जाएगा, तक की बनी रहेंगी। 26 जनवरी, 1950 को फेडरल न्यायालय की शक्तियाँ संविधान में निर्धारित उपबंधों के अनुरूप तय होंगी।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ।

\* \* \* \* \*

## खंड 2

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** महोदय, खंड 3 में यह अंतर्विष्ट है, यदि मेरे मित्र इसे पढ़ें। खंड 3 के उपखंड (2) के लिए फेडरल न्यायालय का उपबंध किया गया है। इसलिए खंड 2 में “(फेडरल न्यायालय के अलावा)” शब्द मौजूद हैं।

**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** इस सूची में यह खंड 2 में है और मेरा संशोधन केवल इस पर ही लागू होता है।

**श्री सभापति :** वर्तमान में आप इसे छोड़ सकते हैं।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** मैं संशोधन को स्वीकार नहीं करता हूँ। यह बिल्कुल अनावश्यक है।

**श्री बी. दास (उड़ीसा : जनरल) :** मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“खंड 2 के उपखंड (1) में ‘या अन्यथा’ शब्दों का लोप किया जाए।”

महोदय यह मुझे ही अपमानजनक लगता है ...

\* **माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर** : महोदय, मैं नहीं समझता कि यह संशोधन बहुत जरूरी है क्योंकि प्रिवी काउंसिल का क्षेत्राधिकार नियम संहिता द्वारा प्रदान किए गए विशेषाधिकार से भी प्रदान किया जा सकता है। इसलिए, 'या अन्यथा' शब्द बिल्कुल अनावश्यक है। हम केवल विशेषाधिकार से उत्पन्न क्षेत्राधिकार को ही नहीं बल्कि अन्य स्रोतों से उत्पन्न क्षेत्राधिकार को भी पूरी तरह से समाप्त करना चाहते हैं।

**श्री सभापति** : अब मैं संशोधनों पर मत लूँगा।

{सभी संशोधन अस्वीकृत हुए, खंड 2 विधेयक में जोड़ा गया}

### खंड 3

\* **श्री टी.टी. कृष्णामचारी ( मद्रास : जनरल )** : मेरे मित्र की टिप्पणियाँ कम पढ़ सकती हैं यदि मैं यह बताऊँ कि फेडरल न्यायालय से वास्तव में कोई भी अपील प्रिवी काउंसिल में लंबित नहीं है।

---

\* सी.ए.डी. खंड 9, 17 सितंबर, 1949, पृष्ठ 1597

\* वही, पृष्ठ 1598

**माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर :** कोई अपील लंबित नहीं है।

**पंडित ठाकुर दास भार्गव:** मैंने डॉ. अम्बेडकर और डा. बख्शी टेकचन्द से यह सुना है कि कोई भी अपील लंबित नहीं है। लेकिन, अन्य प्रकार की कार्यवाहियाँ हो सकती हैं। मेरा यह कहना है कि यदि कोई कार्यवाही लंबित हो जिसके माध्यम से संबंधित व्यक्तियों को राहत दिया जाना संभव हो, तो उसे महज इस कारण से कि हम प्रिवी काउंसिल का क्षेत्राधिकार समाप्त कर रहे हैं, उनके अधिकारों से उन्हें वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

\* \* \* \* \*

**\*माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर :** मैं नहीं समझता कि मेरे मित्र, पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा प्रस्तुत संशोधन को स्वीकार करना आवश्यक है। जैसा कि मेरे मित्र श्री कृष्णमाचारी बता चुके हैं कि फेडरल न्यायालय से कोई भी अपील प्रिवी काउंसिल में लंबित नहीं है और परिणामतः किसी प्रकार के अपवाद का उपबंध करना, जैसा कि मेरे मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्ताव किया है, बिल्कुल अनावश्यक है क्योंकि कोई मामला लंबित नहीं होने के कारण वास्तव में किसी पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है।

मेरे मित्र, श्री नजीरुद्दीन द्वारा प्रस्तुत संशोधन का संबंध है, मैं यह समझा नहीं पा रहा हूँ कि हमें निर्धारित सिद्धांत कि प्रिवी काउंसिल के समक्ष दर्ज किसी आपराधिक मामले को स्वीकार करने के उद्देश्यों के प्रयोजनार्थ निर्धारित तिथि से पूर्व सुना जा सकता है, लेकिन उसे अंतिम रूप से निपटाने के लिए फेडरल न्यायालय को वापस कर दिया जाएगा, से अलग क्यों हटना चाहिए। वह इससे अलग हटना चाहते हैं लेकिन, उन्होंने जो तर्क दिए हैं उसमें मुझे कुछ भी जरूरी बातें नहीं दिख रही हैं।

{पंडित ठाकुर दास भार्गव संशोधन अस्वीकृत हुआ और नजीरुद्दीन का संशोधन वापस लिया गया। खंड 3 विधेयक में जोड़ा गया।}

\* \* \* \* \*

## खंड 4

**\*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** खंड 4 के उपखंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किए जाएँ :-

\* सी.ए.डी खंड 9, 17 सितंबर, 1949 पृष्ठ 1599

\* वही पृष्ठ 1599-1600

(ख) कोई भी भारतीय अपील या याचिका जिस पर न्यायिक समिति ने पक्षकारों को सुनने के बाद निर्णय आदेश सुरक्षित रखा हो, अथवा

(ग) कोई भी भारतीय अपील जिसकी प्रविष्टि 1949 की त्रैमासिक बैठकों (माइकल मारन) के लिए न्यायिक समिति की कार्यावलि में नियत तिथि से पूर्व हो चुकी हो तथा उस तिथि के बाद न्यायिक समिति के प्राधिकार के द्वारा या कोई निर्देश नहीं दिया गया हो; अथवा;

और उपखंड (ग) को उपखंड (घ) के रूप में लिखा जाए।”

संभवतः उपखंड (ग) के मामले में कुछ स्पष्टीकरण दिया जाना जरूरी है। यद्यपि हमने मुख्य खंड में कहा है कि त्रैमासिक कर वसूली के कैलेंडर में प्रविष्ट कोई कार्य या मामले को निपटाने के लिए प्रिवी काउंसिल पर छोड़ा जा सकता है, फिर भी यह बिल्कुल निश्चित नहीं है कि उनमें से कितने मामले बिना निपटाये लंबित रहेंगे। इसलिए हम प्रारंभ में ही प्रिवी काउंसिल को इस बात की अनुमति देने का प्रस्ताव करते हैं कि यद्यपि कोई मामला या मुकदमा त्रैमासिक कर वसूली की सूची में प्रविष्ट हो तो प्रिवी काउंसिल कुछ मामलों की सुनवाई करने में समर्थ नहीं हो सकता है। अतः लंबित मामले बचे नहीं रहे। ऐसी स्थिति में जिन मामलों के बारे में प्रिवी काउंसिल निर्देश दें कि वह उनकी सुनवाई नहीं कर पाएगा, वे स्वतः ही फेडरल न्यायालय में स्थानांतरित हो जाएंगे। उस प्रकार की आकस्मिकता के लिए यह उपबंध किया गया है कि मैं संशोधन के मामले में यह उपखंड (ग) जोड़ रहा हूँ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

खंड 4 का उपखंड (ग) लोप किया जाए।

.... माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन को स्वीकार नहीं करता हूँ।

{पंडित ठाकुर दास भार्गव संशोधन अस्वीकृत हुए। डॉ. अम्बेडकर का संशोधन स्वीकृत हुआ। खंड 4 विधेयक में जोड़ा गया।}

\* \* \* \* \*

## खंड 5

\* \* \* \* \*

\*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

“कि खंड 5 के उपखंड (3) में कोष्ठकों, अक्षरों और शब्द (ख) या (ग) के स्थान पर कोष्ठक, अक्षर और शब्द (ख) या (ग) या (घ)” प्रतिस्थापित किए जाएँ।

यह पूरी तरह से परिणामी है।

{संशोधन स्वीकृत हुआ और खंड 5 विधेयक में जोड़ा गया।}

\* \* \* \* \*



## खंड 7

\*श्री नजरुद्दीन अहमद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :-

“खंड 7 में ‘प्रभाव’ शब्द के बाद ‘आए’, का लोप किया जाए” ....

श्री सभापति : मैं नहीं समझता कि इस अर्धविराम के प्रश्न पर मत लिया जाना जरूरी है।

माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर : इसे देखा जाएगा। इस पर मत लेने की जरूरत नहीं है।

{खंड 7 विधेयक में जोड़ा गया।}

## खंड 8

\* \* \* \* \*

\*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं संशोधन को स्वीकार नहीं करता:-

{श्री बी. दास का संशोधन अस्वीकृत हुआ। खंड 8 विधेयक में जोड़ा गया।}

## खंड 9

\* \* \* \* \*

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : महोदय, आपकी अनुमति से मैं जो संशोधन पेश करने की अनुमति चाहता हूँ उसे कतिपय अलग रूप से तैयार किया गया है क्योंकि मेरा यह मानना है कि सभापटल पर रखे गए संशोधनों से एक दुविधा चाहूँगा। इसमें कोई व्यापक परिवर्तन बिल्कुल नहीं है। यह तो बस संरचना का मामला है और मेरे विचार से हम जो खंड 9 में विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसको यह सभा बेहतर ढंग से समझ पाने की स्थिति में होगी।

\* सी.ए.डी खंड 9, 17 सितंबर, 1945 पृष्ठ 1602

\* वही पृष्ठ 1604

\* वही पृष्ठ 1605-5

श्री सभापति : हाँ,

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ

खंड 9 के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाए :-

भारत सरकार अधिनियम 1939 (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की धारा 2005 में उपखंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् :-

(2) जहाँ ऐसा प्रमाणपत्र दिया गया हो किसी भी मामले में कोई भी पक्षकार फेडरल न्यायालय की अनुमति से इस आधार पर कि उपर्युक्त में किसी प्रश्न का गलत निर्णय हुआ है; और किसी अन्य आधार पर संघ न्यायालय में अपील कर सकता है।

“(1) फेडरल न्यायालय अपनी अपीली अधिकारिता का प्रयोग करते हुए खर्च की अदायगी का आदेश सहित ऐसा डिक्री या आदेश पारित कर सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या मामले में पूर्ण न्याय प्रदान करने की दृष्टि से आवश्यक हो और इस प्रकार से पारित डिक्री या दिया गया आदेश भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र में प्रवर्तनीय होगा।”

मैं एक या दो शब्द जो छूट गए हैं, को बीच में जोड़ना चाहूँगा :

“सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में उसकी ओर से इस तरीके से उपबंधित या ऐसे किसी तरीके से जो अधिराज्य विधानमंडल की किसी विधि द्वारा या अधीन विहित किया जाए या किसी ऐसी विधि के उपबंधों के विषयाधीन, फेडरल न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के द्वारा निर्धारित तरीके से”

“(3) उक्त अधिनियम की धारा 210 की उप-धारा (3) के खंड (क) में कोष्ठकों और संख्या “उपधारा (1)” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँगे।”

“(4) उक्त अधिनियम की धारा 214 में, उपधारा (1) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

मैं प्रारंभ में कुछ शब्द जोड़ना चाहूँगा :

\*सी.ए.डी. खंड 9, 17 सितंबर, 1949, पृष्ठ 1602

\*वही, पृष्ठ 1604

\*वही, पृष्ठ 1605-06

“1(क) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या अधिराज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के विषयाधीन, संघ न्यायालय 1980 का अधिनियम V समय पर गवर्नर जनरल के अनुमोदन से उस तरीके को अपीली अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उसके द्वारा पारित डिक्री या दिए गए आदेश को लागू किया जा सके।”

खंड 9 को उद्देश्य फेडरल न्यायालय को एक पूर्ण और स्वतंत्र न्यायालय बनाना है। विद्यमान भारत सरकार अधिनियम, 1995 जो फेडरल न्यायालय को अपनी डिक्रिया वापस लेने से रोकता था, के अधीन कतिपय सीमाएँ व्याप्त थीं। इसे उस मामले को विचारण न्यायालय में भेजना पड़ता था। इन सभी सीमाओं को वापस लिया जाना जरूरी है, क्योंकि फेडरल न्यायालय प्रिवी काउंसिल का स्थान लेने जा रहा है।

\* \* \* \* \*

**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** यह क्षेत्राधिकार के स्थानांतरण का ही प्रश्न नहीं है। मैं तो केवल संशोधन 5 में अंतर्विष्ट चीजों के बारे में बता रहा हूँ और यह परिभाषित कर रहा हूँ। क्या क्षेत्राधिकार प्रदान किया जाएगा, इस बात को जाँचने की संभावना नहीं छोड़ रहा हूँ कि महामहिम के क्या विशेषाधिकार थे, मैं तो केवल इन शक्तियों को ठोस रूप प्रदान कर रहा हूँ जोकि अभी अभूर्त के रूप में ही मौजूद हैं...

**माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** इस विधेयक में फेडरल न्यायालय को इस आशय का कोई निदेश देने का प्रस्ताव नहीं किया गया है, कि वर्तमान विधेयक में विहित क्षेत्राधिकार का किस तरीके से उपयोग किया जाएगा।

\* \* \* \* \*

## खंड 11

**1 माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** महोदय मैं उस संशोधन को स्वीकार नहीं करता हूँ क्योंकि वह अनावश्यक है।

{श्री नजीरुद्दीन का संशोधन अस्वीकृत हुआ।}

\* \* \* \* \*

\* सी.ए.डी खंड 9, 17 सितंबर, 1949 पृष्ठ 1605-06

\* वही पृष्ठ 1612

\* वही पृष्ठ 161

## खंड 1

**1 श्री सभापति :** क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं?

**माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** प्रिवी काउंसिल के क्षेत्राधिकार को समाप्त किए जाने पर जोर दिया गया है और यह स्पष्ट है कि इसे पूरा नहीं किया जा सकेगा यदि “क्षेत्राधिकार को समाप्त किया जाना” शब्दों को कोष्ठकों में रखा जाएगा।

**श्री सभापति :** क्या आप सातवें संशोधन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे?

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** महोदय, विलय होने वाले राज्य काउंसिल के क्षेत्राधिकार के विषय कभी नहीं रहे। लेकिन, एक अति सावधानी भरे उपाय के तौर पर, यह देखा जा सकता है कि उपखंड 2 में “भारत के क्षेत्र के अधीन” शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसलिए, विलय होने वाले राज्यों के बारे में कोई उल्लेख करना अनावश्यक है।

**श्री सभापति :** मैं अब संशोधनों पर मत लूँगा।

{सभी संशोधन अस्वीकृत हुए। खंड 1 विधयेक में जोड़ा गया।}

\* \* \* \* \*

**\*माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:-

“कि विधेयक यथा संशोधित रूप में पारित किया जाए।”

{प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।}

## अनुच्छेद 303 ( क्रमागत )

1 माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि अनुच्छेद 303 के खंड (1) के उपखंड (1) के बाद निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएँ, अर्थात् :-

II. “उच्च न्यायालय” से अभिप्राय ऐसे न्यायालय से है जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए किसी राज्य के लिए उच्च न्यायालय समझा जाता है और इसके अंतर्गत-

- (i) भारत के राज्यक्षेत्र में इस संविधान के अधीन उच्च न्यायालय के रूप में गठित या पुनर्गठित कोई न्यायालय है, और
- (ii) भारत के राज्यक्षेत्र में संसद द्वारा विधि इस संविधान के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय के रूप में घोषित कोई अन्य न्यायालय है;

III. “देशी राज्य” से ऐसा राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है -

- (i) जिसे इस संविधान के शुरू होने से पूर्व की अवधि से पहले भारत भारतीय नियंत्रण सरकार से ऐसे राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त थी की और
- (ii) जिसे इस संविधान के शुरू होने के बाद की अवधि के बाद भारतीय नियंत्रण की सरकार से ऐसे राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त थी जो भारत के राज्यक्षेत्र का भाग नहीं था।

**श्री सभापति :** इसमें कोई भी संशोधन नहीं है। चूँकि कोई बोलने का इच्छुक नहीं है इसलिए मैं इस पर मत लूँगा।

{प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।}

\* \* \* \* \*

**1 माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि अनुच्छेद 303 के खंड (1) के उपखंड (ढ) के बाद निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किए जाए अर्थात् :-

(<<) “शासक से ऐसा राजा, प्रमुख या अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे संविधान (छब्बीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1971 के प्रारंभ से पहले किसी समय, राष्ट्रपति से किसी देशी राज्य के शासक के रूप में मान्यता प्राप्त थी या ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे ऐसे प्रारंभ से पहले किसी समय, राष्ट्रपति से ऐसे शासक के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता प्राप्त थी;

\* \* \* \* \*

**श्री सभापति :** इसमें कोई संशोधन नहीं है। मैं इस पर मत लूँगा।

{संशोधन स्वीकृत हुआ।}

**2 माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ;

“कि सूची IV (आठवें सप्ताह) के संशोधन संख्या 147 का संदर्भ लेते हुए अनुच्छेद 300क के खंड (1) के उपखंड (ब) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड प्रतिस्थापित किए जाएँ:

(<) “अनुसूचित जातियों” से आशय ऐसी जातियाँ, नस्ल या जनजातियाँ अथवा ऐसी जातियों, नस्लों या जनजातियों के भाग या उनके समूह से है, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 300क के अधीन अनुसूचित जातियाँ समझा जाता है;

एक ही परिवर्तन यह है कि ‘विनिर्दिष्ट’ को बदलकर ‘प्रतीत होता है’ शब्द डाल दिया गया है।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

1 सी.ए.डी खंड 9, 17 सितंबर, 1949 पृष्ठ 1633

2 वही, 1636-37

(<) “कि सूची IV (आठवां सप्ताह) के संशोधन संख्या 148 का संदर्भ लेते हुए अनुच्छेद 300ख के खंड (1) के उपखंड (भ) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड प्रतिस्थापित किए जाएँ।

(10) “अनुसूचित जनजातियों” से ऐसी जातियाँ या जनजाति समुदायों के भाग या उनके समूह से अभिप्राय है जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 303ख के अधीन अनुसूचित जातियाँ समझा जाता है;

मैं अन्य प्रस्तुत संशोधन को भी शामिल कर रहा हूँ। क्या हम एक ही समय में दो अलग-अलग अनुच्छेदों को एक साथ ले सकते हैं।

**श्री सभापति :** हाँ।

## नया अनुच्छेद ३००क और ३००ख

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“कि अनुच्छेद 300 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद शामिल किए जाएँ :

300क (1) राष्ट्रपति [किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र] के संबंध में जहाँ वह राज्य है वहाँ उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा उन जातियों, नस्लों या जनजातियों अथवा जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भागों या उनमें के समूहों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए [यथास्थिति] उस [राज्य या संघ राज्यक्षेत्र] के संबंध में अनुसूचित जातियाँ समझा जाएगा।

(2) संसद, विधि द्वारा किसी जाति नस्ल या जनजाति को अथवा जाति, नस्ल या जनजाति के भाग या उसके समूह को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से निकाल कर सकेगी, किंतु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी बाद की अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

300ख (1) राष्ट्रपति [किसी राज्य] या संघ राज्यक्षेत्र] के संबंध में और जहाँ वह राज्य है वहाँ उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा उन जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के समूहों अनुसूचित जनजातियाँ को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, [यथास्थिति] उस राज्य [या संघ राज्यक्षेत्र] के संबंध में अनुसूचित जनजातियाँ समझा जाएगा।

(2) संसद, विधि द्वारा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय को अथवा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसके समूह को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से निकाल सकेगी, किंतु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी बाद की अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।



इन दो अनुच्छेदों का उद्देश्य जैसा कि मैं बता चुका हूँ, संविधान को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची के बोझ से बचाना है। अब यह प्रस्ताव किया गया है कि राष्ट्रपति को राज्यपाल या राज्य के साथ परामर्श करके राजपत्र में सामान्य अधिसूचना जारी करने की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए जिसमें उन सभी जातियों और जनजातियों या समूहों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाए, जिनके लिए संविधान में विशेषाधिकार दिए जाने का प्रयोजन परिभाषित किया गया है। इसमें एकमात्र सीमा यह लगाई गई है : एक बार राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना कर दिए जाने के बाद निस्संदेह वह इसे प्रत्येक राज्य की सरकार के साथ परामर्श करके और उनकी सलाह पर जारी करेगा और उसके बाद यदि अधिसूचित सूची से किसी को निकाला जाना हो या उसमें कोई नाम जोड़ा जाना हो तो वह कार्य संसद द्वारा किया जाना चाहिए न कि राष्ट्रपति द्वारा इसका उद्देश्य राष्ट्रपति द्वारा प्रकाशित की गई अनुसूची में बाधा खड़ी किए जाने के मामले में किसी प्रकार के राजनैतिक कारकों की विद्यमानता को समाप्त करना है।

\* \* \* \* \*

**श्री सभापति :** क्या कोई और बोलना चाहता है? डॉ. अम्बेडकर क्या आप कहना चाहते हैं।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव का संशोधन स्वीकार नहीं करता हूँ।

**श्री सभापति :** तो फिर मैं संशोधनों पर मत लूँगा।

{डॉ. अम्बेडकर के दोनों संशोधन स्वीकृत हुए। पंडित भार्गव के निम्नलिखित संशोधन अस्वीकृत हुए।}

\* \* \* \* \*

“कि सूची 5 (आठवां सप्ताह) के संशोधन संख्या 201 में प्रस्तावित अनुच्छेद 300क खंड (2) के अंत में निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएँ :

‘इस संविधान के लागू होने के दस वर्षों के बाद की अवधि के लिए’

\* \* \* \* \*

**श्री सभापति :** अब मैं श्री कृष्णमाचारी के संशोधन, जिसे वास्तव में डॉ. अम्बेडकर द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, पर मत लूँगा - 218क।

प्रस्ताव है :

<sup>1</sup> सी.ए.डी. खंड 9, 17 सितंबर, 1949, पृष्ठ 1639

<sup>2</sup> वही, पृष्ठ 1640

“ कि सूची 5 (आठवाँ सप्ताह) के संशोधन संख्या 201 में प्रस्तावित अनुच्छेद 300ख में -

(क) खंड (1) में ‘समुदायों’ शब्द जो दो स्थानों पर आए हैं, के स्थान पर ‘जनजाति समुदाय’ शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँ :

(ख) खंड (2) में ‘समुदायों’ शब्द जो दो स्थानों पर आए हैं, के स्थान पर ‘जनजाति समुदाय’ शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँ।

(संशोधन स्वीकृत हुआ।)

**श्री सभापति :** फिर मैं डॉ. अम्बेडकर द्वारा यथा प्रस्तावित अनुच्छेद 300ख पर मत लूँगा।

(अनुच्छेद 300ख स्वीकृत हुआ और संविधान में जोड़ा गया।)

\* \* \* \* \*

## आठवीं अनुसूची

**माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि आठवीं अनुसूची का लोप किया जाए।”

**श्री सभापति :** आठवीं अनुसूची में कतिपय संशोधन है। अब उनकी जरूरत नहीं है।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** नहीं, महोदय, उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी।

(संविधान से आठवीं अनुसूची हटा दी गई।)

## अनुच्छेद 303 ( क्रमशः )

\* \* \* \* \*

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

<sup>1</sup> सी.ए.डी. खंड 9, 17 सितंबर, 1949, पृष्ठ 1640

<sup>2</sup> वही, पृष्ठ 1641

“कि अनुच्छेद के खंड (2) के अंत में निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएँ:

“जैसा कि यह भारत अधिराज्य के विधानमंडल के किसी अधिनियम की व्याख्या के लिए लागू हो।”

यह सामान्य प्रयोजन अधिनियम के संदर्भ में है।

**श्री जसवन्त राय कपूर** : मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसा करने की वास्वत में जरूरत भी है। यदि यह जरूरी भी हो, तो मैं नहीं समझता कि आप के द्वारा इस रूप में ‘जैसा कि यह भारत अधिराज्य के विधानमंडल के किसी अधिनियम की व्याख्या के लिए लागू हो’ लिखा जाना कहाँ तक सही है। चूंकि इसके बाद जब संविधान प्रभावी हो जाएगा तो कोई भी ऐसा कानून नहीं होगा जिसे ‘भारत अधिराज्य के विधानमंडल द्वारा पारित किया गया हो। भारत का अधिराज्य समाप्त हो जाएगा और भारत अधिराज्य के भीतर प्रभावी सभी अधिनियम भी स्वतः ही संघ के अधिनियम हो जाएँगे।

**माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** मुद्दा यह है कि सामान्य प्रयोजन अधिनियम सभी अधिनियमों, विनियमों और अध्यादेशों पर लागू होता है। इसलिए यह कहना जरूरी है कि इन कानूनों में से कौन सा समूह इस पर लागू होगा। इसी कारण से इस संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

\* \* \* \* \*

**श्री जसवंत राय कपूर :** मैं यह कहना चाहता हूँ कि संविधान के प्रभावी हो जाने के बाद कोई ऐसा कानून विद्यमान नहीं होगा जिसे “भारत के अधिराज्य” का कानून कहा जा सकता हो। इसलिए, मेरे विचार में यदि हम यह कहें ‘जैसा कि यह भारत अधिराज्य के विधानमंडल के किसी अधिनियम की व्याख्या के लिए लागू हों तो इसके लिए प्रयोजन पूरी तरह से सिद्ध हो जाएगा।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** यदि मैं गलत नहीं हूँ तो आपने सामान्य प्रयोजन अधिनियम की जाँच नहीं की है।

**श्री जसवन्त राय कपूर :** इसकी सावधानीपूर्वक जाँच किए बिना किसी उपबंध को शुरू करने का कोई उपयोग नहीं है।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** इस कार्य को देखना कि क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है, प्रारूपकारों पर छोड़ दिया जाना बेहतर होगा।

**श्री जसवंत राय कपूर :** मैं सहमत हूँ कि कोई भी आवश्यक त्रुटियाँ दूर करने का कार्य प्रारूप समिति पर छोड़ दिया जाना चाहिए। लेकिन, किसी गलती के बारे में बताने में कुछ भी नुकसान नहीं है।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** मैं इसे गलत मानने से इंकार करता हूँ।

**श्री जसवंत राय कपूर :** मुझे पता है कि आपको समझाना आसान नहीं है।

\* \* \* \* \*

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** महोदय, मुझे जो कुछ कहना था वह मैं कह चुका हूँ और सामान्य प्रयोजन को यहाँ पर देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, वह एक जरूरी संशोधन है।

**श्री सभापति :** प्रस्ताव है :-

“कि अनुच्छेद के खंड (2) के अंत में निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएँ :

‘जैसा कि यह भारत अधिराज्य के विधानमंडल के किसी अधिनियम की व्याख्या के लिए लागू हो।’

(संशोधन स्वीकृत हुआ।)

**श्री सभापति :** फिर खंड (3)। संशोधन संख्या 156 ।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि अनुच्छेद 303 के खंड (3) में-

- (i) ‘भाग 1’ शब्द और संख्या के बाद ‘या भाग 3 शब्द और संख्या अंतःस्थापित किए जाएँ।
- (ii) ‘राज्यपाल द्वारा अध्यादेश के मामले में जो भी स्थिति हो’ शब्दों के स्थान पर ‘राज्यपाल या शासक द्वारा दिया गया अध्यादेश के मामले में जो भी स्थिति हो’ शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँ।”

यह पूरी तरह से परिणामी संशोधन है।

संशोधन स्वीकृत हुआ।

[अनुच्छेद 303 यथा संशोधित रूप में संविधान में जोड़ा गया।]

\* \* \* \* \*

## अनुच्छेद 304

**माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर** : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि अनुच्छेद 304 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएँ :-

304, इस संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनःस्थापित करके ही किया जा सकेगा और जब वह विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है तब [वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो विधेयक को अपनी अनुमति देगा और तब] संविधान उस विधेयक की शर्तों के अनुसार संशोधित हो जाएगा :

परंतु यदि ऐसा संशोधन :-

- (क) सातवीं अनुसूची की किसी सूची में, या
- (ख) संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में, या
- (ग) भाग 5 के अध्याय 4, भाग 6 के अध्याय 7 और इस संविधान का अनुच्छेद 213क ।

कोई परिवर्तन करने के लिए है तो ऐसे संशोधन के लिए उपबंध करने वाला विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले उस संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पारित इस आशय के संकल्पों द्वारा उन विधान-मंडलों का अनुसमर्थन भी अपेक्षित होगा।

परंतु यदि ऐसा संशोधन :-

- (क) अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 1142, अनुच्छेद 213क में या
- (ख) भाग 5 के अध्याय 4, भाग 6 के अध्याय 7 या भाग 9 के अध्याय 1 में, या
- (ग) सातवीं अनुसूची की किसी सूची में, या
- (घ) संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में, या

(ड.) इस अनुच्छेद के उपबंधों में

राष्ट्रपति के समक्ष ऐसे संशोधन प्रस्तुत करने हेतु विधेयक पारित करने के उपबंध बनाए जाने से पूर्व पहली अनुसूची के भाग 1 और III में वर्तमान में विनिर्दिष्ट किए जा रहे राज्यों में से कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा उन विधानमंडलों द्वारा पारित इस आशय के संकल्पों के माध्यम से संशोधन की पुष्टि करने की भी जरूरत पड़ेगी।

महोदय, इस चरण में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं पूर्वानुमान कर रहा हूँ कि इस अनुच्छेद पर काफी बहस होगी और मैं अंत में अपनी टिप्पणी दूँगा ताकि मैं संशोधन के विरुद्ध उठाए जा सकने वाले बिंदुओं का स्पष्टीकरण दे सकूँ।

**श्री नजरुद्दीन अहमद :** अनावश्यक बहस को टालने के लिए अग्रिम में बता देना कहीं अधिक बेहतर है।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** यदि मेरे मित्र मुझे गारंटी दें, कि वह समय नहीं लेंगे, तो मैं वैसा ही करूँगा लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे मित्र चित भी मेरी पठ भी मेरी चाहते हैं।

**श्री नजरुद्दीन अहमद :** महोदय, डा. अम्बेडकर शुरुआत में कोई तर्क नहीं देंगे, वह कह रहे हैं कि वह दूसरे के तर्कों की प्रतीक्षा करेंगे और उत्तर देंगे। लेकिन अंत में तर्क सुनने के बाद इतना ही कहेंगे, “मैं संशोधन का विरोध करता हूँ और तर्क को अस्वीकार करता हूँ।

**श्री सभापति :** हम लोग अब संशोधनों को लेंगे। संशोधन संख्या 119

**श्री टी.टी. कृष्णामाचारी :** महोदय, मैं संशोधन संख्या 119 को प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यह डॉ. अम्बेडकर के संशोधन में शामिल है। यह संशोधन संख्या 207 में शामिल है।

\* \* \* \* \*

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** सभापति महोदय, प्रस्तुत किए गए बहुत सारे संशोधनों पर भाषण दिए गए हैं, मेरे लिए प्रत्येक संशोधन और प्रत्येक वक्ता के बारे में उत्तर देना संभव नहीं है। लेकिन मैं विभिन्न वक्ताओं द्वारा दिए गए इस सुझाव कि हमारे संविधान को भावी संसद द्वारा संशोधन के लिए साधारण बहुमत का खुला विकल्प रखा जाए या फिर कोई दूसरा तरीका अपनाया जाए जो अनुच्छेद 304 में शामिल अंतर्विष्ट तरीकों की तुलना में अधिक लचीला हो, को सामान्य विकल्प के तौर पर स्वीकार करने जा रहा हूँ।

महोदय, मैं अनुच्छेद 304 में अंतर्विष्ट उपबंधों के बारे में व्याख्या करूँ, उससे पहले मैं सभा को संविधान संशोधन के मामले में दूसरे संविधानों के उपबंधों के बारे में बताना चाहूँगा। मैं शुरुआत कनाडा के संविधान से करता हूँ। इसमें संशोधन का कोई उपबंध ही नहीं है। यद्यपि कनाडा आज डोमिनियम राज्य है। संप्रभुता की सारी विशेषताओं के साथ वह एक संप्रभु राज्य है और उसे संविधान बदलने की शक्ति है, कनाडावासियों ने संसद में संविधान संशोधन करने की अनुमति देने वाला खंड अंतःस्थापित करना सही नहीं समझा और वर्तमान में भी ऐसा नहीं किया गया है। यह भी याद रखा जाना चाहिए कि कनाडा का संविधान 1867 में ही तैयार हो चुका था और किसी भी व्यक्ति जिसने कनाडा के संविधान से संबंधित, विभिन्न पुस्तकें पढ़ी हैं, के मन में इस बारे में कोई संशय नहीं होना चाहिए कि उस संविधान में दिए गए विभिन्न खंडों तथा उसके उपबंधों की प्रिवी काउंसिल द्वारा की गई व्याख्या के बारे में काफी असंतोष रहा है, फिर भी कनाडावासियों ने संविधान के संशोधन से संबंधित अंतःस्थापित करने की अपनी शक्तियों का उपयोग करना उपयुक्त नहीं समझा है।

मैं आयरलैंड संविधान पर आता हूँ। आयरलैंड संविधान में एक उपबंध है कि दोनों ही सभाओं द्वारा साधारण बहुमत द्वारा आयरिश संविधान को बदला जा सकता है या किसी भाग का निरसन किया जा सकता है बशर्ते संविधान को संशोधित करने, निरस्त करने या बदलने के सभाओं के निर्णय जनमत संग्रह में लोगों के सामने रखे जाएँ और लोग बहुमत द्वारा उसका अनुमोदन करें।

फिर हम स्विस संविधान का उदाहरण लें। इस संविधान में भी यह व्याख्या है कि विधानमंडल संशोधन करने वाला विधेयक पारित कर सकता है लेकिन संशोधन तब तक लागू नहीं होगा जब तक दो शर्तें पूरी नहीं हो जाती। एक तो यह कि कैंटनों के बहुमत को संशोधन स्वीकार हो और दूसरे जनमत संग्रह भी हो- जिससे लोगों के बहुमत को संशोधन स्वीकार्य हो। संविधान को जहाँ तक बदलने का संबंध है स्वित्जरलैंड में विधानमंडल द्वारा विधेयक पारित कर दिए जाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

अब मुझे आस्ट्रेलिया के संविधान का उदाहरण देने दीजिए। उस संविधान में यह उपबंध है: संशोधन आस्ट्रेलिया संसद के पूर्ण बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए। फिर, इसके पारित हो जाने के बाद इसे उन लोगों के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिन्हें आस्ट्रेलिया संसद के लोअर हाउस के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने का अधिकार है। फिर इसे लोगों या मतदाताओं के जनमत के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। अगली शर्त यह है : इसे राज्यों के बहुमत स्वीकार करें तथा मतदाताओं के बहुमत को भी यह स्वीकार्य रहे।



अमेरिका के संविधान में यह उपबंध है कि संशोधन दोनों सभाओं के दो-तिहाई बहुमत से स्वीकार किया जाना चाहिए और यह इस तथ्य के विषयाधीन है कि दोनों सभाओं में दो-तिहाई बहुमत से लिए गए इस निर्णय की पुष्टि राज्यों के दो-तिहाई बहुमत से होनी चाहिए। मैंने इन तथ्यों का उल्लेख यह बताने के लिए किया है कि किसी भी संविधान को साधारण बहुमत से संशोधित करने का प्रावधान नहीं किया गया है।

अब मैं अपने संविधान के उपबंध पर आता हूँ। अपने संविधान में संशोधन के मामले में हम क्या प्रावधान रखना चाहते हैं? हमने संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को तीन श्रेणियों में विभाजित करने का प्रस्ताव किया है। एक श्रेणी में हमने कतिपय अनुच्छेदों को रखा है जिन्हें संसद के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। दुर्भाग्यवश उस तथ्य की ओर ध्यान इस कारण से नहीं गया है क्योंकि अनुच्छेद 304 में इस मामले का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि संविधान के अन्य अनुच्छेदों में ऐसा किया गया है। मैं उनमें से कुछ का उल्लेख करता हूँ। अनुच्छेद 2 और 3 का उदाहरण लीजिए जो राज्यों से संबंधित हैं। जहाँ तक नए राज्यों के निर्माण या विद्यमान राज्यों के पुनर्गठन का संबंध है। इसे संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। उसी प्रकार से अनुच्छेद 148-क का उदाहरण लें, जो प्रांतों के ऊपरी सदन को समाप्त कर सकती है अथवा जिस प्रांत में दूसरा सदन नहीं है, उसमें नए सदन का सृजन कर सकती है। अब अनुच्छेद 213 को लीजिए जो भाग II में उल्लिखित राज्यों से संबंधित है। राज्यों के गठन करने तथा उनमें संशोधन करने का निर्णय संसद द्वारा साधारण बहुमत से किए जाने की बात कही गई है।

फिर अनुसूची V और VI को लें। उन्हें भी संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित करने के लिए छोड़ दिया गया है। मैं संविधान में कई अनुच्छेद गिना सकता हूँ जैसे अनुच्छेद 25 जो अनुदानों और वित्तीय उपबंधों से संबंधित है, उन्हें संसद द्वारा बनाए जाने वाले कानून के विषयाधीन छोड़ दिया गया है। अतः बहुत से मामलों में मुझे पूरे संविधान की जाँच करने का समय नहीं मिल पाया और इसलिए मैं केवल यह बता रहा हूँ— हमने अपने संविधान में कुछ चीजें छोड़ दी हैं जिन्हें साधारण बहुमत से संशोधित किए जाने का तरीका है। मेरे उन मित्रों जो इस बात की निरंतर आलोचना करते रहे हैं कि संसद को संविधान में साधारण बहुमत द्वारा संशोधन करने या उन्हें बदलने की व्यापक शक्ति विद्यमान रहनी चाहिए थी, ने यदि मुझे कोई ठोस मामला सुझाया होता या कोई निश्चित अनुच्छेद का उल्लेख किया हो ताकि उसे भी उस श्रेणी में रखा जाए, तो प्रारूप समिति उस पर विचार कर सकती थी। उसके स्थान पर यह कहना कि पूरे संविधान को संसद के साधारण बहुमत से संशोधन करने का उपबंध होना चाहिए,

मेरी राय में अति फिजूल और बड़ी मांग है जिसे उन लोगों द्वारा स्वीकार किया जाना कठिन है, जिन्हें संविधान प्रारूपित करने की जिम्मेदारी दी गई है।

इसलिए मैं पहली बात जिस पर जोर देना चाहता था वह यह है कि यह कहना पूरी तरह से मिथ्या धारणा है कि संविधान में कोई भी ऐसा अनुच्छेद नहीं है जिसे साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, हमारे संविधान में कई अनुच्छेद हैं जिन्हें संसद साधारण बहुमत द्वारा संशोधित कर सकती है।

अब, हमने इसमें क्या किया है? हमने संविधान को तीन श्रेणियों में बांट दिया है। पहली श्रेणी तो उन अनुच्छेदों का है, जिन्हें संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। दूसरे अनुच्छेदों की ऐसी श्रेणी है, जिनके संशोधन के लिए दो-तिहाई बहुमत की जरूरत है। यदि भावी संसद किसी अनुच्छेद जो भाग III या 304 में उल्लिखित नहीं है, का संशोधन करना चाहे, तो उसके लिए केवल संशोधन किया जा सकता है।

**श्री सभापति :** उपस्थित सदस्यों का बहुमत।

**माननीय डा. बी. आर. अम्बेडकर :** जी हाँ, निःसंदेह हमने कतिपय अनुच्छेदों को तीसरी श्रेणी में रख दिया है जिनमें संशोधन का तरीका कुछ अलग है या बल्कि प्रक्रिया दोहरी है। इसमें दो-तिहाई बहुमत के साथ राज्यों द्वारा पुष्टि किया जाना आवश्यक है। मैं यह बताता हूँ कि हमने कतिपय अनुच्छेदों के मामले में इस प्रक्रिया को अपना बांछनीय क्यों माना। यदि सभा के सदस्य इस पर तुक के अंतर्गत रखे गए अनुच्छेदों की जाँच करने के इच्छुक हों, तो वे यह पाएँगे कि इसमें केवल केंद्र के बारे में ही जिक्र नहीं है, बल्कि केंद्र और प्रांतों के बीच संबंधों का भी जिक्र है। हम इस तथ्य को भूल नहीं सकते कि जहाँ बहुत सारे मामले हैं। जिनमें हमने प्रांतीय में हस्तक्षेप किए हैं, पर अभी भी मंशा रखते हैं तथा इस तथ्य का ध्यान भी रखा है कि संविधान की केन्द्रियता की मौलिक संरचना नहीं बदली जाए। हमने कानून बनाकर कुछ अधिकार प्रांतों को दिए हैं, तो कुछ अधिकार केंद्र के लिए आरक्षित रखे हैं। हमने विधायी प्राधिकार वितरित किए हैं। हमने कार्यपालक प्राधिकार वितरित किए हैं और हमने प्रशासनिक प्राधिकार वितरित किए हैं। स्पष्ट रूप से कहें तो प्रशासनिक विधायी, वित्तीय और अन्य शक्तियों से संबंधित संविधान के उन अनुच्छेदों जैसे कि प्रांतों की कार्यपालक शक्तियों को केंद्रीय संसद द्वारा दो-तिहाई बहुमत से परिवर्तन किए जाने के लिए छोड़ दिया जाए और उन मामलों में प्रांतों अथवा राज्यों की सुनी नहीं जाए, तो मेरे हिसाब से यह संविधान की मौलिकता का हनन करने जैसा होगा। यदि मेरे माननीय मित्रगण इस प्रतिबंध में शामिल

अनुच्छेदों को देखें तो वे यह अनुच्छेद 44 राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके से संबंधित है। प्रारूप समिति का यह विचार चुनाव और चुनाव के तरीके के बारे में केंद्र से कम रुचि नहीं है। परिणामतः हमने यह सोचा कि इन मामलों को उन अनुच्छेदों की श्रेणी में रखने के लिए उपयुक्त है, जिसमें प्रांतों से पुष्टि कराने की जरूरत कम होती है।

अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 142 को लें। अनुच्छेद केंद्र की कार्यपालक शक्ति से संबंधित है और अनुच्छेद 142 राज्य के कार्यपालक प्राधिकार से संबंधित है। हमने अपने संविधान में यह मौलिक प्रतिपादन निर्धारित कर रखा है कि विधायी प्राधिकार के साथ कार्यपालक प्राधिकार का सह-अस्तित्व बना रहेगा। उदाहरण के लिए मान लें कि संसद को अनुच्छेद 60 में अंतर्विष्ट उपबंधों या सीमा के आगे जाकर कार्यपालक प्राधिकरण घटेगा या समिति होगा, और इसलिए हमने इसे मूलभूत मामला मानते हुए उसमें राज्यों द्वारा पुष्टि किया जाना आवश्यक बनाया है।

अध्याय IV भाग V उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि उच्चतम न्यायालय एक ऐसा न्यायालय है जिसमें केंद्र तथा राज्यों या इकाइयों और इस देश के प्रत्येक नागरिक का हित जुड़ा हुआ है और इसलिए, इस मामले को केवल दो-तिहाई बहुत से निर्णय के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। भाग VI के अध्याय VII में उल्लिखित उच्च न्यायालयों के बारे में भी यही स्थिति है।

भाग IX का अध्याय I तीसरी श्रेणी में शामिल किया गया, जो विधायी शक्ति के वितरण से संबंधित है और (क) सातवीं अनुसूची की सूचियों से संबंधित है। कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता कि राज्यों का इस मामले में मौलिक हित जुड़ा हुआ है और उनकी सहमति के बिना इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। उसी प्रकार से राज्यों के परिषद में राज्यों का प्रतिनिधित्व का मामला भी अनुच्छेद 67 से संबंधित है।

मैं समझता हूँ कि सदस्यगण यह देखेंगे कि प्रारूप समिति द्वारा अपनाए गए सिद्धांतों पर उन लोगों को छोड़कर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता जो यह चाहते हैं कि पूरे संविधान में या उसके प्रत्येक अनुच्छेद में साधारण बहुमत से ही बदलाव किए जाने का उपबंध किया जाना चाहिए। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि मैं उस स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। संविधान एक मौलिक दस्तावेज होता है। यह एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें राज्य के तीन अंगों - परिभाषित किया जाता है, जैसा कि हमने मूलाधिकारों से संबंधित अपने अध्याय में किया है या फिर वस्तुतः संविधान का उद्देश्य राज्य का अंग ही सृजित करना नहीं होता है बल्कि उसके प्राधिकार को भी समिति करना होता है क्योंकि यदि राज्य के अंगों के प्राधिकार पर सीमा नहीं लगाए

जाएँगे, तो फिर पूरी तरह से निरंकुश और अत्याचार का शासन हो जाएगा। विधानमंडल कोई भी कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हो सकता है। कार्यपालिका कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो सकती है और उच्चतम न्यायालय कानून की कोई भी व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप पूरी तरह से अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। महोदय यह जो कहा जाता है कि संविधान को साधारण बहुमत से ही संशोधन किए जाने का खुला विकल्प होना चाहिए। मैं इसका कारण समझने में असमर्थ हूँ और जब मैं इस माँग के पीछे की भावना समझने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे तीन ही कारण समझ में आते हैं। एक तो यह कि प्रारूप समिति ने जो प्रारूप तैयार किया है वह प्रारूपण की दृष्टि से बहुत खराब है। मैं उस स्थिति को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। यदि ऐसा है .....

**श्री महावीर त्यागी :** ऐसा नहीं है।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** हो सकता है कि ऐसा नहीं हो। मैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में और स्वयं के आधार पर मैं समझता हूँ कि प्रारूप समिति के मेरे अन्य सहयोगियों को भी इस बात पर कोई आपत्ति नहीं होगी यदि यह संविधान सभा दूसरी प्रारूप समिति नियुक्त करे या फिर किसी संसदीय प्रारूपकार को मंगाकर उससे इसका प्रारूप तैयार करने को कहे तथा उसे इनमें मौजूद दोषों का पता लगाने और सुझाव देने के लिए भी कहे। वह एक ईमानदार प्रक्रिया होगी और मुझे इस पर कोई आपत्ति भी नहीं है।

यदि इस तर्क का यह आधार नहीं है तो फिर दूसरा आधार यह है कि संविधान कुछ गलत सिद्धांतों पर आगे बढ़ रहा है। महोदय, जहाँ तक इस मामले का संबंध है मुझे यह लगता है कि कोई भी आधुनिक सिद्धांत केवल दो ही आधारों पर आगे बढ़ सकता है : एक आधार तो सरकार की संसदीय प्रणाली का होना है। दूसरा आधार सर्व सत्तात्मक या तानाशाही सरकार का होना है। यदि हम इस बात पर सहमत हों कि हमारा संविधान तानाशाही व्यवस्था पर आधारित नहीं होना चाहिए बल्कि यह एक ऐसा संविधान होना चाहिए जिसमें संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था हो और जहाँ सरकार हमेशा ही परीक्षण के दौर से गुजरती रहती हो और वह लोगों के प्रति जवाबदेह रहे, वह न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह रहे, तो फिर मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि इस सिद्धांत में अंतर्निहित सिद्धांत किसी अन्य संसदीय संविधान में अंतर्निहित सिद्धांतों से बेहतर नहीं तो कम से कम उनके बराबर तो है ही।

अन्य तर्क जो संभवतः दिए गए होंगे - मैं बोलने वाले प्रत्येक सदस्य की बात नहीं सुन पाया हूँ - वह यह है कि इस सभा का स्वरूप प्रतिनिधिमूलक नहीं है

क्योंकि इसका निर्वाचन व्यस्क मताधिकार के आधार पर ही हुआ है तथा यह कि लोगों के बड़े जनसमूह को इस संविधान में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। परिणामतः इस सभा को संविधान बनाते समय यह कहने का अधिकार नहीं है कि अनुच्छेद 304 का जो प्रस्ताव है वह अंतिम है। महोदय, यह सही हो सकता है कि यह सभा इस अर्थ में प्रतिनिधिमूलक सभा नहीं है कि इस सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए हैं। मैं उस तर्क को स्वीकार करने को तैयार हूँ, लेकिन फिर यदि उसका आगे जो यह निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि यदि सभा वयस्क मताधिकार पर चुनी गई होती तो उसके पास कहीं अधिक बुद्धिमानी और राजनीतिक ज्ञान से भरे सदस्य होते, तो मैं इस निष्कर्ष को पूरी तरह से खारिज करता हूँ।

**श्री नजरुद्दीन अहमद :** यह और भी खराब होता!

**माननीय डारु. बी.आर. अम्बेडकर :** मेरे मित्र श्री नजीरुद्दीन अहमद का यह कहना है कि यह और भी खराब होता तो मैं उनकी बात से सहमत हूँ। शक्ति ज्ञान का एक साथ समावेश नहीं होता। अक्सर वे अलग-अलग होते हैं और मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह कहता हूँ कि यह सभा जिस भी रूप में यह वर्तमान में है, के पास भावी संसद की तुलना में संभवतः कहीं अधिक मात्रा में ज्ञान और सूचना उपलब्ध है। महोदय, इसलिए मेरा यह कहना है कि प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तावित अनुच्छेद वर्तमान परिस्थितियों में सर्वोत्तम है।

**श्री सभापति :** अब मैं संशोधनों पर मत लूँगा।

*[संशोधन अस्वीकृत हुए तथा पूर्व में उल्लिखित डा. अम्बेडकर के संशोधन स्वीकृत हुए। अनुच्छेद 304, यथासंशोधित रूप में संविधान में जोड़ा गया]*

\* \* \* \* \*

**श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :** महोदय, अब सात बच चुके हैं।

**सेठ गोविंद दास :** अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है और मैं नहीं समझता हूँ कि हम इसे समाप्त कर पाएँगे। अतः मेरा प्रस्ताव यह है कि हम आज रात्रि नौ बजे फिर बैठे और बारह बजे रात्रि तक कार्य करें या फिर हम कल सवेरे बैठक करें।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** हमारे पास केवल तीन अनुच्छेद हैं।

**श्री टी. टी. कृष्णामाचारी :** हमारे पास केवल तीन अनुच्छेद हैं, जिनमें से

<sup>1</sup> डाट्स व्यवधान को दर्शाता है।

दो का स्वरूप औपचारिक है।

**श्री सभापति :** मैं समझता हूँ अभी सभा को स्थगित करके फिर सभा में वापस आना असुविधाजनक होगा। अतः हम कार्य समाप्त होने तक बैठे या फिर कल बैठक करें।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** हमारे पास दो या तीन अनुच्छेद ही हैं और मुझे विश्वास है कि उन पर ज्यादा विवाद नहीं होगा और इसमें आधा घंटा समय भी नहीं लगेगा।

**सेठ गोविंद दास :** मैं नहीं समझता कि हम इसे एक घंटे में भी समाप्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 1 देश का नाम रखे जाने से संबंधित प्रश्न को निपटाता है। मुझे नहीं लगता कि हम इस सभी कार्यों को निपटा पाएँगे।

**श्री सभापति :** सभा का बहुमत इस पक्ष में है कि हमें बैठक जारी रखनी चाहिए क्या मैं सही हूँ?

**कई माननीय सदस्य :** जी हाँ, महोदय।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** हम इस कार्य को समाप्त कर सकते हैं।

**श्री नजरूद्दीन अहमद :** इसे निपटाया जा सकता है। अनुच्छेद 1 को निपटाया जाना है और जब तक डॉ. अम्बेडकर मिठाइयों की व्यवस्था नहीं करते। नामकरण संस्कार आज नहीं हो सकता।

## अनुच्छेद 99

**श्री सभापति :** तो फिर हम लोग अनुच्छेद 99 और 184 लेंगे।

**माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

कि अनुच्छेद 99 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाए

:-

99 (1) भाग 14क में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 301एफ के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा;

परंतु, यथास्थिति, राज्य सभा का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृ-भाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(2) जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करें तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो “या अंग्रेजी में” शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो।

क्या मैं दूसरा संशोधन भी प्रस्तुत कर सकता हूँ। यह एक जैसा है।

**श्री सभापति :** मैं समझता हूँ कि दोनों के बारे में एक जैसी ही बहस होगी।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** उन दोनों में बहुत अधिक समानता है।

**श्री सभापति :** मैं उन पर अलग-अलग मत लूँगा।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** चर्चा हम एक ही बार कर सकते हैं। जहाँ तक चर्चा का संबंध है, तर्क मिला-जुलाकर समान ही होंगे।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

कि अनुच्छेद 184 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाए:-

184 (1) भाग 14 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 301एफ

<sup>1</sup> सी.ए.डी खंड 9, 17 सितंबर, 1949 पृष्ठ 1666

के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विधान-मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा राज्य के विधान-मंडल में कार्य राज्य की राजभाषाओं या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा :

परंतु, यथास्थिति, विधानसभा का अध्यक्ष या विधान सभा का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो पूर्वोक्त भाषाओं में किसी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृ-भाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(2) जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो “या अंग्रेजी में” शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो।

महोदय, मेरे विचार से किसी टिप्पणी की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद अपने-आप में काफी स्पष्ट है।

\* \* \* \* \*

**श्री नजरुद्दीन अहमद :** यदि आप क्षेत्रीय भाषा को विकसित नहीं होने देंगे, तो राजभाषा के विकास में उनका योगदान काफी कम रहेगा।

**श्री सभापति :** क्या अभी प्रस्तावित संशोधनों में इसका उल्लेख नहीं है?

**श्री नजरुद्दीन अहमद :** मैं प्रारूप समिति से उस पर विचार करने का अनुरोध करूँगा। यह महज एक सुझाव है; इसे उपयुक्त स्थान दिया जाना चाहिए। मैं यह जानता हूँ कि यह केवल मेरी एक भावना बनकर रह जाएगी क्योंकि यह स्वीकृत नहीं होने जा रहा है।

**पंडित लक्ष्मीकांत मैत्रा :** क्या आप भाषा के प्रश्न पर चर्चा की अनुमति दे रहे हैं? भाषा का पूरा प्रश्न सभा के समक्ष उठ रहा है।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** नहीं, नहीं, पूरे प्रश्न पर चर्चा की जा चुकी है तथा उस पर निर्णय लिया जा चुका है।

{डा. अम्बेडकर के उपर्युक्त संशोधन स्वीकृत हुए। अनुच्छेद 99 और 184 यथासंशोधित रूप में संविधान में जोड़े गए।}



## अनुच्छेद 1

**श्री सभापति** : एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1

**माननीय डा. बी. आर. अम्बेडकर** : महोदय, मैं संशोधन संख्या 130 प्रस्तुत करने तथा इसमें संशोधन संख्या 197 को सम्मिलित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसके कारण उपखंड (2) थोड़ा शाब्दिक परिवर्तन होगा।

महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि अनुच्छेद 1 के खंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएँ :

- (1) भारत, अर्थात्, इंडिया, राज्यों का संघ होगा।
- (2) राज्य और उनके राज्यक्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची के भाग I, II और III में विनिर्दिष्ट है।

\* \* \* \* \*

**श्री सभापति** : यदि मैं स्थगित करता हूँ तो यह अगले सत्र तक के लिए होगा। इसे अगले सत्र तक के लिए स्थगित रखना सर्वोत्तम रहेगा।

<sup>1</sup>सी.ए.डी. खंड 9, 17 सितंबर, 1949, पृष्ठ 1667

<sup>2</sup>सी.ए.डी. खंड 9, 17 सितंबर, 1949, पृष्ठ 1669

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** इसे बहुत कम समय में समाप्त किया जा सकता है।

**श्री सभापति :** हम क्या कर सकते हैं? किसी भी सदस्य के लिए बाधा डालने का खुला विकल्प है। छियासी सदस्य उपस्थित हैं और हमारे नियमों के अधीन कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों से कोरम पूरा होता है और यह करीब 97 होता है। अतः अभी कोरम पूरा नहीं है। मुझे सभा को स्थगित करना पड़ेगा। और कोई रास्ता नहीं है।

**एक माननीय सदस्य :** इस अनुच्छेद को अगले सत्र में लिया जाए।

**दूसरा माननीय सदस्य :** हम कल बैठक कर सकते हैं।

**दूसरा माननीय सदस्य :** कल भी कोरम पूरे होने की गारंटी नहीं है।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** हम कुछ सदस्यों को जो बाहर हो सकते हैं, ला सकते हैं। घंटी बजाई जाए।

\* \* \* \* \*

**\*श्री एच. वी. कामथ :** कुछ लोग आपत्ति कर सकते हैं कि इसे (भारत का नाम) दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र जिसे “सर्वदमन” या सभी को पराजित करने वाले के रूप में जाना जाता है, जिसने इस प्राचीन भूमि में अपनी राज्यसत्ता और आधिपत्य स्थापित किया था। उनके नाम पर इस इस भूमि को भारत के नाम से जाना जाता है। दूसरे शोध विद्वानों का यह मानना है कि भारत नाम वैदिक युग के समय से यही रहा।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (बंबई जनरल) :** क्या इस सबके बारे में पता करना जरूरी है। मैं इसका प्रयोजन नहीं समझ पा रहा हूँ। किन्हीं अन्य स्थानों पर और भी रोचक वर्णन हो। मेरे मित्र ने ‘भारत’ शब्द स्वीकार किया है। बात केवल इतनी सी है कि उन्हें एक विकल्प मिला है। मुझे बड़ा खेद है लेकिन सभा के समक्ष सीमित समय को देखते हुए समय के अनुपात का ध्यान रखना चाहिए।

**श्री एच.वी. कामथ :** मैं आशा करता हूँ कि सभा के कार्य को विनियंत्रित करना डा. अम्बेडकर का का नहीं है।

**श्री सभापति :** आप क्या संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

\* \* \* \* \*

**श्री सभापति :** आप एक संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दी थी लेकिन मैं पाता हूँ कि दोनों ही संशोधन एक दूसरे के विरोधी हैं।

**श्री एच. वी. कामथ :** क्या वे अंतर्विरोधी हैं, महोदय? यदि आप कहते हैं कि वे अंतर्विरोधी हैं, मुझे कुछ नहीं कहना है

**श्री सभापति :** हाँ, यदि एक स्वीकृत हो जाता है तो दूसरा खारिज हो जाएगा।

**श्री एच. वी. कामथ :** मेरा उद्देश्य तो यह है बल्कि यदि एक स्वीकृत न हो, दूसरे को स्वीकार किया जाए।

**माननीय डा. बी. आर. अम्बेडकर :** इस पर इतनी बहस क्यों हो रही है?

**श्री शंकरराव देव ( बंबई : जनरल ) :** सभापीठ के साथ कोई बहस नहीं होनी चाहिए।

**श्री एच. वी. कामथ :** श्री शंकरराव देव, मुझे नियमों की जानकारी है।

**श्री सभापति :** आप एक प्रस्तुत कर सकते हैं।

\* \* \* \* \*

**माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** प्रांतों और राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित अनुच्छेद 3 के खंड को बदलने का प्रस्ताव है। भाग I और भाग III में शामिल सभी राज्यों को समान स्तर पर ले आया जाएगा। अनुच्छेद में एक संशोधन है और उस अंतर को खत्म कर लिया जाएगा और यह हटा जाएगा।

**श्री बी. एम. गुप्ते :** वह तो ठीक है किंतु मैं यह कह रहा हूँ कि मैं केंद्र को मजबूत बनाए जाने के विरोध में नहीं हूँ। लेकिन साथ ही हमने इकाइयों को भी गौरवपूर्ण स्थान दिया है। हम राज्यों की शक्ति वापस ले रहे हैं और उन्हें केंद्रीय या समवर्ती सूची में डाल रहे हैं हमने इकाई के लिए राज्य शब्द का प्रयोग किया है।

\* \* \* \* \*

<sup>1</sup> सी.ए.डी. खंड 9, 18 सितंबर, 1949, पृष्ठ 1674

<sup>2</sup> वही, पृष्ठ 1685

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** महोदय, इस मामले पर पिछली बार विस्तार से बहस हुई थी। जब यह अनुच्छेद सभा के समक्ष आया तो इसे व्यवहारिक तौर पर बड़ी लंबी बहस के अंत में रखा गया क्योंकि उस समय इस निर्णय पर पहुँचना संभव नहीं था कि इंडिया या किसी और शब्द के बाद “भारत” शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए या नहीं, लेकिन यदि मैं सही याद कर रहा हूँ तो ‘संघ’ शब्द सहित पूरे अनुच्छेद पर विस्तृत बहस हुई थी। हम लोग अब इस पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या “भारत” शब्द “इंडिया” के बाद आना चाहिए। अनुच्छेद के शेष मुख्य भाग पर विस्तार से बहस हो चुकी है।

**श्री एम.बी. गुप्ते :** मैं यह नहीं कहता कि हम जो कुछ कर चुके हैं, वही फिर से करें। मैं तो केवल इस सबके निहितार्थ और परिणाम के बारे में बता रहा हूँ...

**श्री कमलापति त्रिपाठी :** जब हम इस शब्द (भारत) का उच्चारण करते हैं, तो हमें शंकराचार्य का स्मरण हो जाता है, जिन्होंने विश्व को एक नई अंतर्दृष्टि दी। जब हम इस शब्द का उच्चारण करते हैं, तो हमें भगवान राम का स्मरण हो आता है जिन्होंने अपनी शक्तिशाली भुजाओं से अपने धनुष की डोर खींची तो उसकी गूँज हिमालय, इस भूमि के पास अवस्थित सागरों तथा स्वर्ग तक सुनाई पड़ी थी। जब हम इस शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमें भगवान कृष्ण के चक्र का स्मरण हो आता है जिसने भारत से क्षत्रियों के भयानक साम्राज्य को समाप्त करके इस भूमि को इस बोझ से मुक्त कराया।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** महोदय, क्या यह सब बोलना आवश्यक है?

**श्री कमलापति त्रिपाठी :** महोदय, मैं आपको केवल तर्कसंगत बातें सुना रहा हूँ।

**माननीय डा. बी. आर. अम्बेडकर :** बहुत सारे कार्य बाकी हैं।

**श्री कमलापति त्रिपाठी :** जब हम इस शब्द का उच्चारण करते हैं, तो हमें बापू का स्मरण हो आता है, जिन्होंने मानवता को एक नया संदेश दिया।

हमें यह देखकर खुशी हुई है कि इस शब्द का प्रयोग किया गया है और हम डा. अम्बेडकर को बधाई देते हैं। यदि उन्होंने श्री कामथ द्वारा प्रस्तुत इस संशोधन को स्वीकार कर लिया होता जिसमें कहा गया है “भारत को अंग्रेजी भाषा ‘इंडिया’ के रूप में जाना जाता है”

<sup>1</sup> सी.ए.डी. खंड 9, 18 सितंबर, 1949, पृष्ठ 1689

<sup>2</sup>वही, पृष्ठ 1685

## अनुच्छेद 306

<sup>1</sup>श्री सभापति : अब हम लोग अस्थायी उपबंधों से संबंधित अनुच्छेदों पर विचार करेंगे। अनुच्छेद 306

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ( बंबई : जनरल ) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि अनुच्छेद 306 के खंड (क) (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएँ :-

(क) सूती और ऊनी वस्त्रों, कच्ची कपास (जिसके अंतर्गत ओटी हुई रूई और बिना ओटी रूई या कपास है), बिनौले, कागज (जिसके अंतर्गत अखबारी कागज है) खाद्य पदार्थ (जिसके अंतर्गत खाद्य तिलहन और तेल है), पशुओं के चारे (जिसके अंतर्गत खली और अन्य चारे हैं) कोयले (जिसके अंतर्गत कोक और कोयले के व्युत्पाद है), लोहे, इस्पात और अवरख का किसी राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य तथा उनका उत्पादन, आपूर्ति और वितरण :

(ख) खंड (क) में वर्णित विषयों में से किसी विषय से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध उन विषयों में से किसी के संबंध में उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियाँ, तथा उन विषयों में से किसी के संबंध में फीस किंतु इसके अंतर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस नहीं है।

मूल अनुच्छेद 306 में इस संशोधन के माध्यम से जो परिवर्तन किए जाने की बात कही गई है, वह यह है कि उपखंड (क) में अब पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों तथा यांत्रिक रूप से चालू वाहनों को हटाने का प्रस्ताव इसलिए किया गया है, क्योंकि इन वस्तुओं को अब सातवीं अनुसूची की सूची-1 में शामिल कर लिया गया है। यांत्रिक रूप से चालू वाहनों और पेट्रोलियम उत्पादों को इसलिए हटा दिया गया है, क्योंकि वर्तमान में ये नियंत्रण के अधीन नहीं आते हैं और उन्हें समवर्ती सूची में रख दिया गया है। यदि केंद्र चाहे तो इस बारे में कानून बना सकता है। मूल अनुच्छेद का उपखंड (ख), विस्थापित व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास संबंधी उपबंध अब आवश्यक नहीं है क्योंकि इन्हें भी जाँच और आंकड़े को भी समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया है। उपखंड (ग) का जहाँ तक संबंध है इसमें मूल अनुच्छेद 306 में संशोधन के माध्यम से परिवर्तन किए जाने की बात कही गई है।

<sup>1</sup> सी.ए.डी. खंड 10, 7 अक्टूबर, 1949, पृष्ठ 3-4

**श्री सभापति :** क्या मैं डा. अम्बेडकर से कुछ पूछ सकता हूँ? मेरी धारणा यह है कि तेल की खली और अन्य पदार्थों सहित पशुओं के चारे उन मर्दों में शामिल रहे हैं जिन पर एक समय पर्याप्त रूप से नियंत्रण करना आवश्यक समझा गया। भारत सरकार अधिनियम में संशोधन किए जाने की माँग की गई। लेकिन उस समय इसमें संशोधन नहीं किया जा सका और उस समय काफी कठिनाई महसूस की जा रही थी। मैं नहीं जानता कि क्या आपने उस पहलू पर विचार किया है या नहीं।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** इस अनुच्छेद को उद्योग और आपूर्ति विभाग के परामर्श से फिर से प्रारूपित किया गया है। हमने इन सभी मामलों को इसमें डाल दिया है जिनके बारे में उन लोगों का यह मानना था कि पाँच वर्षों की अवधि के लिए केंद्र द्वारा इन्हें नियंत्रित किया जाना जरूरी है। यदि सभा का यह विचार हो कि उपखंड (ग) में शामिल किए गए मर्दों में किसी वस्तु विशेष को शामिल किया जाना चाहिए, तो निश्चय ही मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है।

**श्री सभापति :** मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ कि अब यह बात पुरानी हो गयी है।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** मेरे विचार से उस मद को शामिल करना बल्कि वांछनीय है।

**डा. पी. एस. देखमुख :** ( सी.पी. और बरार : जनरल ) : वह कृषि विभाग के परामर्श से किया जा सकता है।

**श्री सभापति :** मेरा सुझाव यही है।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** मैं समझता हूँ कि हम लोग उसे जोड़ सकते हैं। मैं इसमें पशुओं के चारे सहित खाद्य पदार्थ भी रख सकता हूँ।

**श्री सभापति :** तेल की खली और अन्य ठोस पदार्थों सहित पशुओं के चारे।

\* \* \* \* \*

**श्री सभापति :** क्या कोई और बोलने के इच्छुक है? डा. बी. आर. अम्बेडकर?

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** महोदय, मुझे बस इतना ही कहना था। मैं श्री बृजेश्वर प्रसाद द्वारा प्रस्तुत संशोधन को स्वीकार करने में समर्थ नहीं हूँ। आपके द्वारा तथा मेरे मित्र डा. कुंजरू द्वारा सुझाए गए अन्य संशोधनों का जहाँ तक संबंध

<sup>1</sup> सी.ए.डी. खंड 10, 7 अक्टूबर, 1949, पृष्ठ 6

है, मैं यह कह सकता हूँ कि उनके बारे में खुले विचार हैं और मैं उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय से परामर्श करने के बाद आवश्यक संशोधन पुनःस्थापित करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए, अभी मेरे संशोधन को स्वीकार कर लिया जाए।

**श्री सभापति :** और कृषि मंत्रालय भी। आप उस मंत्रालय से भी परामर्श करें।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** जी हाँ महोदय। मैं संबंधित मंत्रालयों से परामर्श करूँगा।

**श्री सभापति :** डॉ. अम्बेडकर ने जो कुछ कहा है, उसके विषयाधीन मैं अनुच्छेद पर मत लूँगा। मैं पहले संशोधन संख्या 1 लेता हूँ। डा. देशमुख का संशोधन संख्या 2 का स्वरूप कुल मिलाकर शाब्दिक है और वह इसे प्रारूप समिति पर छोड़ सकते हैं और संशोधन संख्या 3 की भी यही स्थिति है। संशोधन संख्या 4 के बारे में क्या कहना है।

**डॉ. पी.एस. देखमुख :** मैं इसे प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ।

\* \* \* \* \*

{डॉ. अम्बेडकर का संशोधन स्वीकृत}

## अनुच्छेद 309

<sup>1</sup>श्री सभापति : फिर हम अनुच्छेद 309 को लेंगे।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : श्री बृजेश्वर प्रसाद द्वारा एक नया अनुच्छेद 307क को जोड़े जाने वाला एक संशोधन है।

श्री सभापति : क्या इसे हम अभी लेंगे?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : इसे बाद में लिया जा सकता है।

\* \* \* \* \*

{अनुच्छेद 309 स्वीकृत हुआ और संविधान में जोड़ा गया।}

## अनुच्छेद 390-क और 310-ख

<sup>2</sup>श्री टी. टी कृष्णामाचारी : अगला अनुच्छेद अर्थात् 310 अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है। इन दोनों पर एक साथ विचार किया जा सकता है।

श्री सभापति : अनुच्छेद 310 पर विचार किया जाना स्थगित किया जाता है। फिर सभा अगले अनुच्छेद 310-क और 310-ख पर विचार शुरू करेगी।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, आपकी अनुमति से मैं संशोधन संख्या 12 थोड़े संशोधित रूप में इस प्रकार प्रस्तुत करता हूँ :-

“कि अनुच्छेद 310 के बाद निम्नलिखित नए अनुच्छेद अंतःस्थापित किए जाएँ:-

इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले पद धारण करने वाला भारत का माहलेखपरीक्षक, यदि वह अन्यथा निर्वाचन न कर चुका हो तो, ऐसे प्रारंभ पर भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक हो जाएगा और तब ऐसे वेतनों तथा अनुपस्थिति, छुट्टी और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के बारे में उपबंध का हकदार होगा जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक पदावधि की समाप्ति तक पद धारण का हकदार होगा जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले उसे लागू होने वाले उपबंधों के अधीन अवधारित की जाए।

<sup>1</sup> सी.ए.डी. खंड 10, 7 अक्टूबर, 1949, पृष्ठ 6

<sup>2</sup> वही, पृष्ठ 8



310-ख (1) इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत डोमिनियन के लोक सेवा आयोग के पद धारण करने वाले सदस्य, यदि वे अन्यथा निर्वाचन न कर चुके हों तो ऐसे प्रारंभ पर लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध संघ के लोक सेवा आयोग के सदस्य हो जाएँगे और अनुच्छेद 285 के खंड (1) और खंड (2) में किसी बात के होते हुए भी, किंतु उस अनुच्छेद के खंड (2) के परंतुक के अधीन रहते हुए, अपनी उस पदावधि की समाप्ति तक पद धारण करते रहेंगे जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले ऐसे सदस्यों को लागू नियमों के अधीन अवधारित है।

(2) इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किसी प्रांत के लोक सेवा आयोग के प्रांतों के समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले किसी लोक सेवा आयोग के पद धारण करने वाले सदस्य, यदि वे अन्यथा निर्वाचन न कर चुके हों, तो ऐसे प्रारंभ पर, यथास्थिति, तत्स्थानीय राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्य या तत्स्थानीय राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हो जाएँगे और अनुच्छेद 316 के खंड (1) और खंड (2) में किसी बात के होते हुए भी, किंतु उस अनुच्छेद के खंड (2) के परंतुक के अधीन रहते हुए, अपनी उस पदावधि की समाप्ति तक पद धारण करते रहेंगे जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले ऐसे सदस्यों को लागू नियमों के अधीन अवधारित है।”

महोदय, ये अनुच्छेद महज कतिपयपदों, जो संविधान द्वारा विनियमित होते हैं, जैसे कि लोक सेवा आयोग के सदस्य और महालेखापरीक्षक, पर आसीन व्यक्तियों को अपने पद पर बने रहने का उपबंध करते हैं इन अनुच्छेदों में कोई भी सिद्धांत का मुद्दा शामिल नहीं है।

\* \* \* \* \*

**\*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** मैं डॉ. देशमुख के संशोधन को स्वीकार नहीं करता। यह अनावश्यक है।

**श्री सभापति :** मैं पहले डा. देशमुख के संशोधन पर मत लूँगा।

प्रस्ताव है :

“कि सूची 1 (पहले सप्ताह) के संशोधन संख्या 12 में, प्रस्तावित नए अनुच्छेद 310-ख में, इस संविधान के प्रारंभ से’ शब्दों के बाद जहाँ कहीं भी वे आएँ हों, ‘जिनकी सेवाएँ किसी भी कारण से समाप्त कर दी गई हों’, शब्द अंतःस्थापित किए जाएँ।”

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

<sup>1</sup> सी.ए.डी. खंड 10, 7 अक्टूबर, 1949, पृष्ठ 8

**श्री सभापति :** मैं अब डॉ. अम्बेडकर के संशोधन में अंतर्विष्ट अनुच्छेदों पर एक-एक कर मत लूँगा।

{डॉ. अम्बेडकर के सभी संशोधन स्वीकृत हुए। अनुच्छेद 310-क और 310-ख संविधान में जोड़े गए}

## अनुच्छेद 311-क

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

311क (1) भारत डोमिनियन की संविधान सभा की ओर से निर्वाचित सभापति भारत का अनंतिम राष्ट्रपति तब तक के लिए होगा, जब तक इस संविधान के भाग ८ के अध्याय ८ में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन न हो जाए तथा वह अपना पदभार न संभाल ले।

(2) अनंतिम राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में इस संविधान के अनुच्छेद 311 के अधीन कार्यरत अनंतिम संसद द्वारा इस संबंध में निर्वाचित व्यक्ति इस रिक्ति को भरेगा और जब तक उसका निर्वाचन नहीं हो जाता, भारत का मुख्य न्यायाधीश अनंतिम राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा।”

**श्री सभापति :** इसमें दो संशोधन हैं। एक तो ‘राष्ट्रपति’ शब्द के पहले ‘अनंतिम’ शब्द हटाने के लिए है।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“सूची II के संशोधन संख्या 28 (पहले सप्ताह) में, प्रस्तावित अनुच्छेद 311क के खंड (1) में ‘अनंतिम’ शब्द हटा दिया जाए।

“कि सूची II के संशोधन संख्या 28 (पहले सप्ताह) में, प्रस्तावित अनुच्छेद 311क के खंड (2) में, पहले स्थान पर आए ‘अनंतिम राष्ट्रपति’ शब्दों के स्थान पर ‘भारतीय डोमिनियन की संविधान सभा द्वारा यथानिर्वाचित राष्ट्रपति’ शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँ।”

“कि सूची II के संशोधन संख्या 28 (पहले सप्ताह) में, प्रस्तावित अनुच्छेद 311क के खंड (2) में, दूसरे स्थान पर आए ‘अनंतिम राष्ट्रपति’ शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँ।”

<sup>1</sup> सी.ए.डी. खंड 10, 7 अक्टूबर, 1949, पृष्ठ 9

**डा. पी. एस. देशमुख :** चूंकि मेरे संशोधन के पीछे अंतर्निहित को सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया है, इसलिए मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करना जरूरी नहीं समझता।

**श्री सभापति :** अनुच्छेद और संशोधन पर अब खुली चर्चा की जा सकती है।

\* \* \* \* \*

**प्रो. शिब्वन लाल सक्सेना :** सभापति महोदय, मैं आशा करता हूँ कि डॉ. अम्बेडकर इस सुझाव के औचित्य पर गौर करेंगे और “संसद” शब्द के पहले आए “अनंतिम” शब्द को लोप कर देंगे जैसा कि उन्होंने राष्ट्रपति के मामले में किया है।

**डॉ. माननीय बी.आर. अम्बेडकर :** मुझे नहीं लगता कि “अनंतिम संसद” शब्दों को बनाए रखने के मामले में कोई बहुत अधिक आपत्ति हो सकती है। मैं उसमें कोई बदलाव करने का प्रस्ताव नहीं करता। इसे “अनंतिम संसद” नहीं कहा जाएगा लेकिन इस अनुच्छेद की भाषा के प्रयोजनार्थ मैं समझता हूँ यह कहना जरूरी है कि वह अनंतिम संसद है।

**श्री आर.के. सिधवा :** लेकिन मैंने तो यह सोचा था कि डा. अम्बेडकर अनंतिम शब्द को हटाने पर सहमत हो गए हैं।

**श्री सभापति :** नहीं, यह संसद के संदर्भ में है। श्री शिब्वन लाल सक्सेना यह चाहते थे कि “संसद” शब्द से पहले आए “अनंतिम” शब्द को हटा दिया जाए।

**डॉ. पी.एस. देशमुख :** यदि ऐसा है, तो मैं अन्य स्थानों पर भी “अनंतिम” शब्द का लोप किए जाने हेतु अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

**श्री सभापति :** क्या आपका संशोधन संसद के भी संदर्भ में है?

**डॉ. पी.एस. देशमुख :** जी हाँ, महोदय!

**श्री सभापति :** श्री शिब्वन लाल सक्सेना ने इसे प्रस्तुत किया है। उस पर मत लिया जाएगा। अब मैं विभिन्न संशोधनों पर मत लूँगा।

प्रस्ताव है :

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

“सूची II (पहले सप्ताह) के संशोधन संख्या 28, प्रस्तावित अनुच्छेद 311-क के खंड (2) में पहले स्थान पर जहाँ ‘अनंतिम राष्ट्रपति’ शब्द आए हों, के स्थान पर ‘भारत अधिराज्य की संविधान सभा द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति’ शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**श्री सभापति :** फिर मैं वह संशोधन लूँगा जिसे डा. देशमुख द्वारा प्रस्तुत किए जाने की बात की गई थी लेकिन वास्तव में श्री शिब्वन लाल सक्सेना द्वारा उसे प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

(अनुच्छेद 311-क यथासंशोधित रूप में संविधान में जोड़ा गया।)

## अनुच्छेद 311-ख

**माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“311ख (1) जिन व्यक्तियों को अनंतिम राष्ट्रपति जिन व्यक्तियों को इस बारे में नियुक्त करेगा, वे व्यक्ति इस संविधान के अधीन अनंतिम राष्ट्रपति की मंत्री परिषद के सदस्य हो जाएँगे और जब तक ये नियुक्तियाँ नहीं की जाती, संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले वाले सभी व्यक्ति संविधान के अधीन अनंतिम राष्ट्रपति की मंत्री परिषद के सदस्य हो जाएँगे और इन पदों पर कार्य करते रहेंगे।”

**डॉ. पी.एस. देशमुख :** महोदय, मैं अपने इस संशोधन प्रस्तुत को करने का जो यह अवसर आपने दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रस्ताव करता हूँ।

“कि उपर्युक्त संशोधन संख्या 13 में, प्रस्तावित नए अनुच्छेद 311-ख में ‘अनंतिम’ शब्द जहाँ कहीं आया हो, उसे हटा दिया जाए।”

मैं यह बताना चाहता हूँ कि डा. अम्बेडकर ने इस संशोधन को लाए जाने के पीछे के अर्थ को स्वीकार कर लिया है। इसलिए मैं सभा का और समय नहीं लेना चाहता। यह कुल मिलाकर एक परिणामी संशोधन है।

<sup>1</sup> सी.ए.डी. खंड 10, 7 अक्टूबर, 1949, पृष्ठ 12

(संशोधन संख्या 15 प्रस्तुत नहीं किया गया।)

**श्री सभापति :** मैं समझता हूँ कि डॉ. अम्बेडकर ने संशोधन को स्वीकार कर लिया है।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** जी, हाँ महोदय, मैं स्वीकार करता हूँ।

\* \* \* \* \*

**\*माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** सभापति महोदय, यह अनुच्छेद 311ख महज एक औपचारिक अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति को इस संविधान के आरंभ होने से तत्काल पूर्व विद्यमान मंत्रालय को आगे बनाये रखने की अनुमति प्रदान की गई है। यह अनुच्छेद लोक सेवा आयोग और लेखा महापरीक्षक के सदस्यों से संबंधित अन्य अनुच्छेदों जिसे हम पारित कर चुके हैं, के समान ही है। परिणामतः उन अनुच्छेदों और इस अनुच्छेद के बीच वास्तव में कोई मौलिक अंतर नहीं है। यदि इस अनुच्छेद 311ख के उपबंधों पर टिप्पणी करने वाले लोग यह तर्क देते हैं कि 26 जनवरी, 1950 के समारोह के अवसर पर किसी भी मंत्रालय का गठन नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उस मंत्रालय को संसद का विश्वास प्राप्त नहीं हो, तो मैं उस तर्क को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन, मैं यह बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ कि यह अनुच्छेद किस प्रकार से संसद या मंत्रालय के लिए विश्वासमत हासिल करने को असंभव बनाता है। यदि संसद सदस्य ऐसा नहीं मानते हों कि विद्यमान मंत्रालय उन कार्यों का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं है जिसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर है, तो यह इस सभा के लिए 26 जनवरी से पूर्व मंत्रालय के प्रति अविश्वास मत पारित करने और मंत्रालय को बर्खास्त करने का विकल्प खुला हुआ है। साथ ही प्रधानमंत्री के लिए अनंतिम राष्ट्रपति के समक्ष कैबिनेट के सदस्यों के नाम प्रस्तुत करने से पूर्व स्वयं अपने तथा अपने मंत्रालय के लिए सभा से सकारात्मक मत हासिल करने का भी विकल्प होगा। यदि प्रधानमंत्री या सभा 26 जनवरी, 1950 - जो कि इस संविधान के प्रभावी होने की संभावित तिथि है, से पूर्व अविश्वास या विश्वास का परीक्षण कराने की इच्छुक नहीं है तो यह अनुच्छेद 311ख 26 जनवरी के बाद अविश्वास प्रस्ताव करने और मंत्रालय को बर्खास्त करने की शक्ति सभा से नहीं छिन जाता।

इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अनुच्छेद 311ख के उपबंधों के बारे में जिन लोगों ने टिप्पणी की है वे लोग संभवतः ऐसा मानते हैं कि विद्यमान मंत्रालय स्वयं को नए संविधान के अधीन बनाए रखने के लिए कृत्सित प्रयास कर रहा है। वर्तमान में दरवाजे

पूरी तरह से खुले हुए हैं और 26 जनवरी के बाद भी सभा इस प्रकार की कार्रवाई कर सकता है क्योंकि सभा यदि मंत्रालय को पसंद नहीं करेगी तो वह उसे बर्खास्त करने को प्राथमिकता देगी। इसलिए, यह अनुच्छेद महज एक औपचारिक अनुच्छेद है जो कि विद्यमान मंत्रालय को नए संविधान के अंतर्गत बने रहने की अनुमति प्रदान करता है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ।

**श्री एच.वी. कामथ :** माननीय डा. अम्बेडकर ने मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों का उत्तर नहीं दिया है। मैंने जो शपथ लेने के बारे में उल्लेख किया है, उसके बारे में क्या हुआ।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** निःसंदेह उसे लिया जाएगा। “नियुक्ति” का अर्थ है कार्यभार की शपथ लेना। अन्यथा ऐसा माना जाएगा कि कोई नियुक्ति नहीं हुई।

**श्री एच.वी. कामथ :** क्या उसी दिन?

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** हाँ, निश्चय ही। उसी दिन “नियुक्ति” में शपथ लेना शामिल है।

**श्री सभापति :** मैं डा. देशमुख के संशोधन पर मत लूँगा - मैं समझता हूँ कि इसे प्रस्तुतकर्ता द्वारा स्वीकार किया जा चुका है।

*{संशोधन स्वीकृत हुआ। अनुच्छेद 311ख यथा संशोधित रूप में संविधान में जोड़ा गया।}*

## अनुच्छेद 312

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि अनुच्छेद 312 के स्थान पर, निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित  
रखा।

“312 (1) पहली अनुसूची के भाग में वर्तमान में विनिर्दिष्ट किए जा रहे राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों का जब तक सम्यक रूप से गठन न हो चुका हो और इस संविधान के उपबंधों के अधीन पहले सत्र के अधिवेशन के लिए आहूत नहीं किया गया हो इस संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले कार्यरत तत्स्थानी प्रांत के विधानमंडल के सदन या सदनों द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा और उन कर्तव्यों का निर्वहन किया जाएगा जो इस संविधान के उपबंधों के माध्यम से ऐसे राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को प्रदान किए गए हों।

(2) इस अनुच्छेद के खंड (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के रहते हुए भी जहाँ इस संविधान के प्रारंभ के पूर्व किसी प्रांत की विधानसभा को पुनर्गठित करने हेतु आम चुनाव कराने का आदेश दिया जा चुका हो, संविधान के इस प्रकार से प्रारंभ के पश्चात चुनाव पूरा कराया जा सकता है जैसे कि यह संविधान प्रभावी नहीं हुआ हो इस प्रकार से पुनर्गठित सभा को उस खंड के प्रयोजनार्थ उस प्रांत की विधान सभा माना जाएगा।

(3) इस संविधान के प्रारंभ के ठीक किसी प्रांत की विधानसभा के अध्यक्ष या विधान परिषद के सभापति का पद धारण करने वाला व्यक्ति संविधान के प्रारंभ के पश्चात् विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति बना रहेगा जैसी की पहली अनुसूची के भाग 1 में वर्तमान में अंतर्विष्ट किए जा रहे तत्स्थानी राज्य की स्थिति हो जबकि ऐसी सभा या परिषद इस अनुच्छेद के खंड (1) के अधीन कार्यरत रहती है जहाँ इस संविधान के प्रारंभ से पूर्व किसी प्रांत की विधानसभा का पुनर्गठन करने हेतु आम चुनाव कराने का आदेश दिया जा चुका हो और संविधान के प्रारंभ होने के पश्चात इस प्रकार से पुनर्गठित की जा चुकी सभा की पहली बैठक हो चुकी हो, इस खंड के उपबंधा लागू नहीं होंगे और पुनर्गठित की गई सभा अपने किसी सदस्य का अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करेगी। उपबंध बिल्कुल स्पष्ट है और मैं नहीं समझता कि उसके बारे में कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत है।

**श्री सभापति:** क्या इसमें कोई संशोधन है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई संशोधन हैं।

**श्री एम. अनंतशयनम आंगर:** यह सभी इस बात पर निर्भर करता है कि अग्रिम अवधि कब तक जारी रहती है। यदि यह अवधि छोटी सी हो तो फिर उसे विघटित करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन यदि वैसा नहीं हो तो क्या होगा? हम जानते हैं कि प्रत्येक वर्तमान सदस्य अपना कार्यकाल जारी रखना चाहेगा और वे सभी व्यक्ति जिन्हें सदस्य बनने का मौका नहीं मिला है वे चाहेंगे कि सभा भंग की जाए। मैं किसी सदस्य विशेष पर आक्षेप नहीं कर रहा हूँ मैं तो केवल उन परिस्थितियों के बारे में बता रहा हूँ जिनका मैंने उल्लेख किया है। कुछ उपबंध होने चाहिए जहाँ भी जरूरी हो सभा में परिवर्तन लाने और मतदाता के पास जाने का अवसर होना चाहिए।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** महोदय जो भी आपके द्वारा यह सब कह देने के बाद मैं नहीं समझता हूँ कि मुझे किसी भी मामले को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। जहाँ तक संशोधित अनुच्छेद का संबंध है, मैं नहीं समझता कि उनके बारे में जो कुछ कहा गया है, उसके बारे में कोई उत्तर देने की जरूरत है।

**श्री एच. वी. कामथ:** अध्यक्ष से संबंधित खंड के बारे में क्या कहना है।

**माननीय डा. बी. आर. अम्बेडकर:** वह मूल प्रारूप में था।

**श्री सभापति:** मैं अनुच्छेद 312 पर मत लूँगा।

प्रस्ताव है:

“कि प्रस्तावित अनुच्छेद 312 संविधान का भाग है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुच्छेद 312 संविधान में जोड़ा गया]

**अनुच्छेद 312 क से 312 ड. और 312 च**

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“अनुच्छेद 312 के बाद निम्नलिखित नये अनुच्छेद अंतः स्थानित किये

जाएँ:-

312क. इस संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले किसी प्रांत में राज्यपाल का पद धारण करने वाला व्यक्ति इसके प्रारंभ के पश्चात् प्रथम अनुसूची के

<sup>1</sup> सी.ए.डी. खंड 10, 7 अक्टूबर, 1949, पृष्ठ 23

\* वही, पृष्ठ 23-24



भाग 1 में वर्तमान में विनिर्दिष्ट किए जा रहे तत्स्थानीय राज्य का अनंतिम राज्यपाल तब तक के लिए हो जाएगा जब तक इस संविधान के भाग VI के अध्याय II के उपबंधों के अनुरूप नया राज्यपाल नियुक्त नहीं हो जाएँ और वह पदधारण न कर ले।

312 ख. किसी राज्य के अनंतिम राज्यपाल जिन व्यक्तियों को इस बारे में नियुक्त करेगा, वे व्यक्ति इस संविधान के अधीन अनंतिम राज्यपाल की मंत्री परिषद के सदस्य हो जाएँगे और जब तक ये नियुक्तियाँ नहीं की जातीं, संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले तत्स्थानीय राज्य के मंत्री का पद धारण करने वाले सभी व्यक्ति संविधान के राज्य के अनंतिम राज्यपाल की मंत्री परिषद के सदस्य हो जाएँगे और इस पद पर बने रहेंगे।

312ग, पहली अनुसूची के भाग III में वर्तमान में विनिर्दिष्ट किए जा रहे किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों का जब तक सम्यक रूप से गठन न हो चुका हो और इस संविधान के उपबंधों के अधीन पहले सत्र के अधिशवेन के तत्स्थानीय भारतीय राज्य के विधानमंडल के रूप में कार्यरत निकाय या प्राधिकरण द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा और उन कर्तव्यों का निर्वहन किया जाएगा जो इस संविधान के उपबंधों के माध्यम से इस प्रकार विनिर्दिष्ट राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को प्रदान किए गए हों।

312घ. पहली अनुसूची के भाग III में वर्तमान में विनिर्दिष्ट किए जा रहे किसी राज्य के राजप्रमुख की मंत्री परिषद के सदस्य हो जाएँगे और जब तक ये नियुक्तियाँ नहीं की जाती, संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले तत्स्थानीय भारतीय राज्य में मंत्री पद धारण करने वाले सभी व्यक्ति संविधान के अधीन राजप्रमुख की मंत्री परिषद के सदस्य हो जाएँगे और इन पदों पर कार्य करते रहेंगे।

312ड. के लिए संशोधन संख्या 21 का प्रस्ताव करता हूँ :

‘उपर्युक्त संख्या 16 में, प्रस्तावित नए अनुच्छेद 312ड के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :-

“312ड इस संविधान के प्रारंभ से तीन वर्षों की अवधि के दौरान इस संविधान के किन्हीं उपबंधों के अधीन चुनाव कराने के प्रयोजनार्थ, इस संविधान में अंतर्विष्ट किसी बात के रहते हुए भी, भारत या उसके किसी भाग की जनसंख्या का अवधारण इस तरीके से किया जाए, जैसा कि राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा निदेश करें।”

312च इस संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले भारत डोमिनियन के विधानमंडल या भारतीय प्रांत या भारतीय राज्य के विधानमंडल में लंबित कोई विधेयक, इस संविधान के अधीन संसद या तत्स्थानी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियमों में शामिल किसी उपबंध के विषयाधीन रहते हुए भी संसद या तत्स्थानी राज्य के विधानमंडल जो भी स्थिति हो, में इस प्रकार से बना रहेगा जैसे कि डोमिनियन विधानमंडल या प्रांतीय विधानमंडल या भारतीय राज्य के विधान मंडल में विधेयक के संदर्भ में की गई कार्यवाहियाँ संसद या तत्स्थानी राज्य के विधानमंडल में हुई हों।

भारत या किसी राज्य की समेकित निधि में से धनराशि के विनियोग से संबंधित इस संविधान के उपबंध इस संविधान के प्रारंभ और इकतीस मार्च, 1950 के बीच की अवधि जिसमें दोनों दिन शामिल हैं, के दौरान भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा प्राप्त की गई या वसूली गई या खर्च की गई धनराशि के संबंध में लागू नहीं होंगे और उस अवधि के दौरान हुए व्यय के सम्यक रूप से प्राधिकृत माना जाएगा, यदि भारत डोमिनियन का गवर्नर जनरल या तत्स्थानी प्रांत के गवर्नर द्वारा भारत सरकार अधिनियम, 1935 के उपबंधों के अनुरूप या राज्य के राजप्रमुख द्वारा ऐसे नियमों, जो संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले तत्स्थानी भारतीय राज्य के राजस्व से व्यय के प्राधिकृत करने के मामले में लागू हों, के अनुरूप उसे प्राधिकृत किया गया हो।”

मुझे नहीं लगता कि इन अनुच्छेदों के स्पष्टीकरण के तौर पर कुछ भी कहना आवश्यक है।

नोटिस पेपर पर दो संशोधनों, जिनकी संख्या 18 और 19 है, के बारे में सूचना दी गई है जिनमें अनुच्छेद 312क और 312ख में आए ‘अन्तिम’ शब्द का लोप करने का प्रस्ताव किया गया है।

मैं इन संशोधनों को स्वीकार करने का प्रस्ताव करता हूँ और इसके बारे में हम पहले ही सहमत हो चुके हैं।

**डॉ. पी.एस. देशमुख :** सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि उपर्युक्त संशोधन संख्या 16 में, प्रस्तावित नए अनुच्छेद 312ख में जहाँ कहीं ‘अन्तिम’ शब्द आया हो, को हटा दिया जाए।”

“कि उपर्युक्त संशोधन संख्या 16 में, प्रस्तावित नए अनुच्छेद 312क जहाँ कहीं ‘अन्तिम’ शब्द आया हो, उसे हटा दिया जाए।

मुझे खुशी है कि ये संशोधन डा. अम्बेडकर को स्वीकार्य है। मेरा यह कहना है

कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को 'अनंतिम' कहकर सम्बोधित करना उनकी गरिमा के प्रतिकूल है। मैं सभा द्वारा संशोधनों को स्वीकार किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ।

\* \* \* \* \*

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** मैं संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे मित्र श्री कामथ और प्रो. सक्सेना ने इस अनुच्छेद 312ड को काफी व्यापक अनुच्छेद मान लिया है। तथ्य तो यह है कि अनुच्छेद का बहुत सीमित महत्व है और इस अनुच्छेद से किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या निर्धारण का प्रश्न जुड़ा हुआ है। मेरे मित्र बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अनुच्छेद जिसे हम पारित कर चुके हैं, के अनुसार चुनाव के प्रयोजनार्थ जनसंख्या का निर्धारण गत जनगणना के आधार पर किया जाना है। यह भी स्वीकार किया गया है कि भारत के विभागन को देखते हुए 1941 की जनसंख्या के आंकड़े को सही नहीं माना जा सकता और परिणामतः निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और सीटों का निर्धारण विभाजित प्रांतों जिनके जनसांख्यिकीय आंकड़े पूरी तरह गड़बड़ा चुके हैं, के आधार पर नहीं हो सकता। इसलिए, किसी ने किसी को यह प्राधिकार देना पड़ेगा कि वह यह निर्धारित करे कि किस जनसंख्या को स्वीकार किया जाए और क्या जनगणना में विनिर्दिष्ट जनसंख्या को आधार माना जाए या SèkC 37 जैसा कि कह चुका हूँ कि मतदाताओं की संख्या के आधार पर ही जनसंख्या का निर्धारण कर लिया जाए। ये सारे मामले राष्ट्रपति पर छोड़ दिए गए हैं और मुझे इस प्रकार के मामले में संसद का अनुमोदन जरूरी नहीं लग रहा है। यह पूरी तरह से प्रशासनिक मामला है जो इस मामले की विशेष परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुआ है कि मेरे विचार से यदि हम वास्तव में यह चाहते हैं कि चुनाव जल्दी हो तो इस मामले को राष्ट्रपति पर छोड़ना कहीं अधिक वांछनीय है। इसलिए मैं अपने मित्र श्री कामथ द्वारा प्रस्तुत संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ।

**श्री एच.वी. कामथ :** क्या डॉ. अम्बेडकर को मेरे संशोधन के सिद्धांत के बारे में कोई आपत्ति है?

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूँ। इस अनुच्छेद का उद्देश्य बड़ा ही सीमित है। यह जनसंख्या का निर्धारण है, न कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन संविधान के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

[डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित तथा डा. पी.एस. देशमुख द्वारा यथा संशोधित अनुच्छेद 312क से 312ड. और 312न स्वीकृत हुए तथा संविधान में जोड़े गए।]

<sup>1</sup> सी.ए.डी. खंड 10, 7 अक्टूबर, 1949, पृष्ठ 26-27

## अनुच्छेद 313

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि अनुच्छेद 313 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएँ:-

(1) राष्ट्रपति किन्हीं ऐसी कठिनाइयों को जो विशिष्टतया भारत शासन अधिनियम, 1935 के उपबंधों से इस संविधान के उपबंधों के संक्रमण के संबंध में हों, दूर करने के प्रयोजन के लिए आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि यह संविधान SèkC 38 उस आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान रूपांतरण, परिवर्धन या लोप के रूप में ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा जो वह आवश्यक या समीचीन समझे:

परंतु ऐसा कोई आदेश भाग 5 के अध्याय 2 के अधीन सम्यक रूप से गठित संसद के प्रथम अधिवेशन के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) खंड (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश संसद के समक्ष रखा जाएगा।

“यह भारत सरकार अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंध की नकल है, जोकि संक्रमणकालीन अवधि के लिए जरूरी है।”

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** महोदय, अनुच्छेद 313 में अंतर्विष्ट उपबंधों की आवश्यकता के संबंध में काफी गलत आशंका मौजूद लगती है। मेरे मित्र श्री देशमुख, जिन्होंने अपना संशोधन प्रस्तुत किया है, बहुत ही अनुग्रहपूर्वक बता चुके हैं कि यदि मैं अनुच्छेद 313 में अंतर्विष्ट उपबंधों के बारे में संतोषजनक स्पष्टीकरण दे दूँ, तो वह अपने संशोधन को स्वीकृत किए जाने पर जोर नहीं देंगे। अनुच्छेद 319 के संबंध में मेरे विचार से कतिपय तथ्यों को स्वीकार करना होगा। पहला तथ्य जो सभी को स्वीकार्य होगा, मैं यह उम्मीद करता हूँ, वह इस प्रकार है। संक्रमणकाल के दौरान कतिपय कठिनाइयाँ उत्पन्न होना लाजिमी है, जिसके बारे में प्रारूप समिति इस सभा के किसी सदस्य के लिए अभी से अनुमान लगा पाना तथा कोई उपबंध कर पाना संभव नहीं है। इसलिए, यह जरूरी है कि इन अदृश्य कठिनाइयों को सुलझाने के लिए कहीं न कहीं कुछ शक्ति विद्यमान रहनी चाहिए।

<sup>1</sup> सी.ए.डी. खंड 10, 77 अक्टूबर, 1949, पृष्ठ 27-28

<sup>2</sup> वही, पृष्ठ 30-31

इसलिए प्रश्न यह है कि उस प्राधिकारी विशेष में कितनी और कितने समय के लिए शक्तियाँ बनी रहनी चाहिए। मेरे मित्र डा. देशमुख ने कहा कि भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 310 के अधीन वह शक्ति 6 महीने की अवधि के लिए थी। मैं समझता हूँ कि वह गलत कह रहे हैं। भाग III के प्रचालन में आने के बाद से वह शक्ति 6 महीने तक के लिए प्रदान की गई थी। हमारा एक बड़ा ही सीमित उपबंध है। अनुच्छेद 313 द्वारा निहित कठिनाइयों को सुलझाने की शक्ति उसी दिन स्वतः ही समाप्त हो जाएगी जिस दिन नए उपबंधों के अधीन नई संसद अस्तित्व में आ जाती है। इसलिए, हमने इस अनुच्छेद के अधीन राष्ट्रपति को अनुच्छेद 313 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग संशोधन करने के हकदार समुचित प्राधिकार के अस्तित्व में आ जाने के एक दिन बाद भी नहीं कर सकेगा। इस अनुच्छेद 313 की एक विशेषता तो यह है।

इस तथ्य को स्वीकार करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी और उन्हें सुलझाया जाना चाहिए और यह शक्ति किसी में निहित होनी चाहिए, यह प्रश्न वास्तव में विचार किए जाने के योग्य है : क्या यह शक्ति राष्ट्रपति में निहित होनी चाहिए या फिर यह अर्न्तम संसद में निहित होनी चाहिए। कोई और अन्य विकल्प नहीं हो सकता। प्रारूप समिति ने इस कारण अनुच्छेद 313 में अंतर्विष्ट उपबंधों को स्वीकार करना तथा राष्ट्रपति में शक्ति निहित करना वांछनीय माना है, क्योंकि संक्रमणकालीन संसद की अवधि बहुत कम है तथा वह संसदीय विधायन के अन्य जरूरी मामले के कारण संक्रमणकाल के दौरान उस मामले पर विचार कर पाना संभव नहीं हो पाएगा, जिसका शीघ्र समाधान होना चाहिए।

मैं एक या दो कठिनाइयाँ जो उत्पन्न हो सकती हैं, के बारे में बताना चाहता हूँ। अपने संविधान के माध्यम से हमने राज्यों तथा केंद्र की कराधान शक्तियों में काफी परिवर्तन किए हैं। आगामी 26 जनवरी को जब संविधान लागू हो जाएगा, तब भारत सरकार अधिनियम के अधीन भारतीय रियासतों द्वारा कराधान की शक्ति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इससे संकट पैदा हो जाएगा और इसलिए इस मामले का नियमितीकरण होना चाहिए। यदि हम इसका नियमितीकरण अर्न्तम संसद के माध्यम से करें तो मैं समझता हूँ कि मेरे मित्र इस बात को महसूस करेंगे कि इसमें काफी समय लगेगा और यह संकट बना रहेगा। इसलिए साधारण संसदीय प्रक्रिया जिसमें किसी विधेयक का तीन बार पठन करना, प्रवर समिति के पास भेजना और उसे परिचालित करना अनिवार्य होता है, का अपनाने के बजाय संविधान को इन कठिनाइयों से बचाने के प्रयोजनार्थ यह शक्ति राष्ट्रपति में निहित होनी चाहिए, ताकि वह जल्दी कार्रवाई कर सके। इसलिए, मैं यह बता चुका हूँ कि यह उपबंध जरूरी है। धारा 310 में अंतर्विष्ट उपबंधों की तुला में हमारा प्रस्ताव बड़ा ही सीमित है तथा मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन परिस्थितियों को देखते हुए सभा को अनुच्छेद 313 को स्वीकार करने में कोई गंभीर या मूलभूत आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

मैं अपने मित्र श्री कामथ द्वारा उठाए गए मुद्दे के संबंध में समझता हूँ कि वह इस बात को महसूस करेंगे कि भारत सरकार अधिनियम, 1935 का मूल कानून तथा अंगीकृत किए गए कानून के बीच कोई अंतर किए बगैर उल्लेख करने में प्रारूप समिति की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वह पाएँगे कि अंगीकृत कानून में ही यह उपबंध किया गया है कि इसका लघु शीर्षक “भारत सरकार अधिनियम, 1935” होगा और मुझे कोई शंका नहीं है कि इस अनुच्छेद का निर्वाचन करते समय उसी अर्थों में इसे समझा जाएगा।

**डॉ. पी.एस. देशमुख :** क्या मैं एक प्रश्न कर सकता हूँ? यदि राष्ट्रपति द्वारा पारित आदेश का अनुमोदन संसद से करने के लिए कहा जाए, तो क्या कोई नुकसान होगा?

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** लेकिन “अनुमोदन” का अर्थ क्या है? यह राष्ट्रपति द्वारा की गई कार्रवाई को रद्द कर सकती है और उपबंध का उद्देश्य प्रभावी उपचार का उपबंध करना है। उस तरीके से उसे शीघ्रता से लागू नहीं किया जा सकता जबकि हम चाहते हैं कि इसे तुरंत लागू किया जाए।

**श्री सभापति :** मैं अब संशोधनों को लूँगा। डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 97

“कि सूची I (पहले सप्ताह) के संशोधन संख्या 203 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 313 के खंड (2) में ‘प्रत्येक सभा’ शब्दों का लोप किया जाए।”

**डॉ. पी.एस. देशमुख :** महोदय, मैं अपने संशोधन संख्या 30, 31 और 32 वापस लेना चाहता हूँ लेकिन संशोधन संख्या 33 वापस नहीं लेना चाहता हूँ।

सभा की अनुमति से संशोधन संख्या 30, 31 और 32 वापस लिए गए।  
(अनुच्छेद 313, यथासंशोधित, संविधान में जोड़ा गया।)

\* \* \* \* \*

## अनुच्छेद 307

**श्री विश्वनाथ दास :** इस संबंध में मेरी शिकायत यह है कि न तो विधि विभाग और न ही संविधान सभा के कार्यालय ने इस दिशा में एक इंच भी कदम बढ़ाया है। मैं यह उम्मीद करता था कि उन लोगों ने अंगीकृत किए जाने वाले भाग को तैयार रखा होगा तथा लागू होने वाले कानूनों की जाँच कर ली होगी।

<sup>1</sup> सी.ए.डी खंड 10, 10 अक्टूबर, 1949 पृष्ठ 65

**श्री सभापति :** यह जाने बगैर कि संविधान में क्या-क्या बातें रखी जा रही हैं!

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ( बंबई : जनरल ) :** मेरे मित्र को पूरी तरह से गलत सूचना मिली है। वह नहीं जानते हैं कि क्या हो रहा है।

\* \* \* \* \*

[अनुच्छेद 307 यथासंशोधित रूप में संविधान में जोड़ा गया]

## अनुच्छेद 308

**श्री सभापति :** हम अनुच्छेद 308 को लेते हैं।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि अनुच्छेद के खंड (3) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएँ :-

(3) इस संविधान की कोई बात भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश की या उसके संबंध में अपीलों और याचिकाओं को निपटाने के लिए सपरिषद् हिज मजेस्टी द्वारा अधिकारिता के प्रयोग को वहाँ तक अविधिमान्य नहीं करेगी जहाँ तक ऐसी अधिकारिता का प्रयोग विधि द्वारा प्राधिकृत है और ऐसी अपील या याचिका पर इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात् किया गया सपरिषद् हिज मजेस्टी का कोई आदेश सभी प्रयोजनों के लिए ऐसे प्रभावी होगा, माना वह उच्चतम न्यायालय द्वारा उस अधिकारिता के प्रयोग में जो ऐसे न्यायालय के साथ ही, अनुच्छेद 308 के खंड के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड प्रतिस्थापित किया जाए :

(3क) इस संविधान की पहली अनुसूची के भाग प् में विनिर्दिष्ट किसी राज्य में प्रिवी कौंसिल के रूप में कार्यरत प्राधिकारी को उस राज्य के भीतर किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश की या उसके संबंध में अपीलों और याचिकाओं को ग्रहण करने या निपटाने की अधिकारिता समाप्त हो जाएगी और उक्त प्राधिकारी के समक्ष ऐसे प्रारंभ पर लंबित सभी अपीलों और अन्य कार्यवाहियों उच्चतम न्यायालय को अंतरित कर दी जाएँगी और उसके द्वारा निपटाई जाएँगी।

\* सी.ए.डी खंड 10, 10 अक्टूबर, 1949 पृष्ठ 72-73

महोदय, पहले संशोधन का प्रयोजन प्रिवी काउंसिल को उसके समक्ष कानून, जिसे संविधान सभा ने बहुत हाल में पारित किया है, के अधीन लंबित पड़ी कतिपय अपीलों को निपटाने का प्राधिकार बनाए रखना है। इस कानून की धारा 4 में कहा गया है - यदि 26 जनवरी उसे इस संविधान को लागू होने की तिथि माना जाए, से पहले वे मामले अंतिम रूप से निपटाए नहीं जाते हैं। महत्वपूर्ण शब्द है - अपील निपटाने के लिए।" अपील स्वीकार करने की शक्ति नहीं है। और अन्य महत्वपूर्ण शब्द है- " कानून द्वारा प्राधिकृत ऐसी अधिकारिता अर्थात् हाल में पारित अधिनियम का संदर्भ लिया गया है। प्रिवी काउंसिल की और दूसरी अधिकारिता नहीं होगी, हमने जो अधिकारिता उसे प्रदान की है, उससे अधिक अधिकारिता नहीं होगी। परामर्श के द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई कि संभवतः जिस दिन संविधान लागू होगा, उस दिन तक प्रिवी काउंसिल उन सभी मामलों को निपटा चुका होगा, जो कि उस अधिनियम विशेष के अधीन उसके द्वारा निपटाने के लिए छोड़ा गया है। लेकिन हो सकता है कि कोई मामला आधा ही सुना गया हो या किसी मामले को इस अर्थ में निपटाया जा चुका हो कि उस पर सुनवाई तो पूरी हो चुकी हो, किंतु डिक्री नहीं दी गई हो और उस अर्थ में यह उसके पास लंबित पड़ा हो। यह महसूस किया गया कि उन मामलों, जिनकी आधी सुनवाई हो चुकी हो, जिन्हें निपटाया जाना बाकी हो, को उच्चतम न्यायालय में स्थानान्तरण करने का उपबंध करने की बजाए हमारे सामान्य नियम कि प्रिवी काउंसिल की अधिकारिता संविधान लागू होने की तिथि को खत्म हो जाएगी। संशोधन संख्या 6 का मुख्य प्रयोजन यही है।

संशोधन संख्या 7 के संबंध में यह सर्वविदित है कि कुछ भारतीय राज्यों में प्रिवी काउंसिल हैं, जो उनके उच्च न्यायालयों का पर्यवेक्षण करते हैं, इसका कारण यह है कि उन राज्यों ने प्रिवी काउंसिल या यह कहे कि इंग्लैंड की हिज मेजेस्टी के प्रिवी काउंसिल को मान्यता नहीं दी है। इसलिए उन राज्यों का अपना प्रिवी काउंसिल था। अब यह महसूस किया जा रहा है कि संविधान के उपबंध के दृष्टिगत राज्यों में भाग III तथा भाग I दोनों में ही उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के बीच प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए, भाग III में किसी भारतीय राज्य में प्रिवी काउंसिल की यह इस अंतरमाध्यमिक संस्था को सांविधिक रूप से समाप्त किया जाना चाहिए, ताकि 26 जनवरी को किसी भी राज्य से सभी अपीलों भाग III के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के समक्ष स्वतः ही निपटाने के लिए आ जाएँ।

मुझे बताया गया कि इन प्रिवी काउंसिल को अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नाम दिए गए हैं। यदि यह बात है तो प्रारूप समिति उस कठिनाई से उबरने के लिए अपने अनुच्छेद 306 में प्रिवी काउंसिल को इस ढंग से परिभाषित करेगी कि विभिन्न नामों और रूपों से व्याप्त इन सभी संस्थाओं को शामिल किया जा सके।



\* \* \* \* \*

**श्री सभापति :** डॉ. अम्बेडकर, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** महोदय, मुझे नहीं लगता कि इन संशोधनों के मामले में जो कुछ कहा गया है उनमें कुछ भी सार है। यह भावनात्मक मामला कहीं अधिक और मेरे विचार से सुविधा की दृष्टि से इस खंड को बनाए रखना चाहिए और करने में किसी को भी किसी रूप में अपमानित नहीं महसूस होना चाहिए, क्योंकि यदि खंड (3) में उल्लिखित सीमित संदर्भ में प्रिवी काउंसिल की अधिकारिता जारी रहने भी जाती है तो इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए और मेरे विचार से मेरे मित्रगण जिन्होंने यह संशोधन प्रस्तुत किए हैं, इस तथ्य को भूल चुके हैं कि अधिकारिता प्रिवी काउंसिल की अधिकारिता अंतर्निहित नहीं, बल्कि यह अधिकारिता उन्हें इस सभा द्वारा प्रदान की गई है। वस्तुतः प्रिवी काउंसिल कतिपय जरूरी और महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए इस सभा के एजेंट के रूप में कार्य करेगी। मैं इसलिए यह नहीं समझता हूँ कि किसी प्रकार का अपमान महसूस करने का कोई कारण नहीं है या हम वास्तव में अपनी स्वतंत्रता को नहीं खो रहे हैं।

मेरे मित्र प्रो. सक्सेना ने जो अनुच्छेद 308 की पाद-टिप्पणी में जो मुद्दा उठाया है, उसके बोर में मैं मुक्त रूप से स्वीकार करता हूँ कि प्रारूप समिति ने बेहतर ढंग से विचार करने पर यह पाया कि कठिनाई खंड को हटाने से इसका प्रयोजन पूरा नहीं हो सकता है। सभी प्रकार की शंका के लिए हमने संविधान में ही क्षेत्राधिकार का उपबंध करने हेतु एक पृथक खंड रखना बेहतर समझा।

{पूर्व में उल्लिखित डॉ. अम्बेडकर के सभी संशोधन स्वीकृत हुए: अन्य संशोधन अस्वीकृत हुए}

## अनुच्छेद 310

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि अनुच्छेद 310 के लिए निम्नलिखित अंतःस्थापित किए जाएँ :

(1) अनुच्छेद 193 के खंड (2) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किसी प्रांत के उच्च न्यायालय के पद धारण करने वाले न्यायाधीश, यदि वे अन्यथा निर्वाचन न कर चुके हों तो, ऐसे प्रारंभ पर तत्स्थानी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायालय हो जाएँगे और तब ऐसे वेतनों और भत्तों तथा अनुपस्थिति, छुट्टी और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों के हकदार होंगे। जो ऐसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में अनुच्छेद 197 के अधीन उपबंधित है।

(2) इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहली अनुसूची के भाग ष में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के तत्स्थानी किसी राज्य के उच्च न्यायालय के पद धारण करने वाले न्यायाधीश, यदि वे अन्यथा निर्वाचन न कर चुके हों तो, ऐसे प्रारंभ पर इस प्रकार विनिर्दिष्ट राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जाएँगे और अनुच्छेद 193 के खंड (1) और खंड (2) में किसी बात के होते हुए भी, किंतु उस अनुच्छेद के खंड (1) के परंतुक के अधीन रहते हुए, ऐसी अवधि की समाप्ति तक पद धारण करते रहेंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे।

(3) इस अनुच्छेद में, “न्यायाधीश” पद के अंतर्गत कार्यकारी न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश नहीं है।

इस अनुच्छेद को हम “आगे बढ़ाने वाला अनुच्छेद” के रूप में जानते रहे हैं जिसके माध्यम से पद्धारियों को नए उच्च न्यायालयों के नए कार्यालयों में भेजे जाने की व्यवस्था की गई है। यदि वे लोग नियुक्त होना चाहते हैं।

\* \* \* \* \*

<sup>1</sup> सी.ए.डी खंड 10, 10 अक्टूबर, 1949 पृष्ठ 77

<sup>2</sup> वही, पृष्ठ 79-80

**श्री नजरूद्दीन अहमद** : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि प्रस्तावित अनुच्छेद 310 के खंड (1) में, सूची I के संशोधन संख्या 8 (दूसरे सप्ताह) में ‘ऐसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में इस संविधान के अनुच्छेद 197 के अधीन जैसा प्रावधान किया गया है’ शब्दों के स्थान पर ‘संविधान के प्रारंभ होने के तत्काल पूर्व जिस प्रकार के वे हकदार थे’ शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँ।”

इस अनुच्छेद के खंड (1) में यह उपबंध किया गया है कि संविधान के प्रभावी होने की तिथि अनुसूची II का पूर्वानुमान है। इस मामले को अनुसूची III के अधीन निपटाना होगा और सभा के समक्ष जिस समय अनुसूची II पर विचार किया जाएगा, वही समय इसके लिए उपयुक्त रहेगा।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर** : मै। इस तथ्य की ओर खींचना चाहता हूँ कि यह संशोधन अनुसूची II का पूर्वानुमान है। इस मामले को अनुसूची III के अधीन निपटाना होगा और सभा के समक्ष जिस समय अनुसूची II पर विचार किया जाएगा, वही समय लिए उपयुक्त रहेगा।

*{श्री अहमद का संशोधन अस्वीकृत हुआ। डॉ. अम्बेडकर का पूर्व में उल्लिखित संशोधन स्वीकृत हुआ। अनुच्छेद 310 संविधान में जोड़ा गया।}*

## अनुच्छेद 311

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर** : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि अनुच्छेद 311 के लिए निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए :

311 (i) जब तक संसद के दोनों सदनों का सम्यक रूप से गठन न हो चुका हो और इस संविधान के उपबंधों के अधीन पहले सत्र के अधिवेशन के लिए उन्हें आहूत नहीं किया गया हो, इस संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले भारत डोमिनियन की संविधान सभा के रूप में कार्यरत निकाय द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा और उन कर्तव्यों का निर्वहन किया जाएगा जो इस संविधान के उपबंधों से संसद को प्रदान किए गए हैं।

“कि सूची 1 (दूसरे सप्ताह) के संशोधन संख्या 9 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 311 के खंड (3) के बाद, निम्नलिखित नया खंड अंतःस्थापित किया जाए।

(3क) भारत डोमिनियम की संविधान सभा में कोई रिक्ति नहीं हुई हो जैसा कि इस अनुच्छेद के खंड (3) में उल्लेख किया गया है, तो भी इस संविधानें प्रारंभ से पहले ऐसी किसी रिक्ति को भरने हेतु कदम उठाए जा सकते हैं, लेकिन संविधान के प्रारंभ से पहले रिक्ति को भरने हेतु चुना गया व्यक्ति उक्त सभा में अपनी सीट का हकदार तब तक नहीं होगा जब तक सीट रिक्त नहीं हो गई हो।”

इस खंड का उद्देश्य यह है कि अनंतिम संसद के गठन के समय दोहरी सदस्यता को दूर कर लिया जाए। अन्य उपबंध महज आनुषंगिक हैं।

**श्री सभापति** : डॉ. अम्बेडकर, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (बंबई जनरल)** : महोदय, अपनी बात शुरू करने से पूर्व मैं संशोधन संख्या 195 में “तत्पश्चात्” और किसी समय पहले” शब्दों के बीच आए शब्द ‘होता है’ का लोप करने के लिए अनुमति चाहता हूँ। यह शब्द अनावश्यक है।

अब, जहाँ तक विभिन्न संशोधनों का संबंध है, मुझे लगता है कि तीन ही संशोधन ऐसे हैं जिन पर विचार किए जाने की जरूरत है। पहला संशोधन तो मेरे मित्र श्री कामथ का है जिन्होंने इस अनुच्छेद के खंड (4) के बारे में कहा है कि केंद्र में उपाध्यक्ष को बनाए रखने से संबंधित उपबंधों और प्रांतों में अध्यक्ष को बनाए रखे जाने से संबंधित

<sup>1</sup> सी.ए.डी. खंड 10, 10 अक्टूबर, 1949, पृष्ठ 77

<sup>2</sup> वही, पृष्ठ 79-80

इस प्रकार का कोई उपबंध नहीं होने के कारण कतिपय विषमता की स्थिति व्याप्त है। मैं स्वयं और प्रारूप समिति इन दो उपबंधों के बीच के व्याप्त इस अंतर के प्रति सचेष्ट रहें और हमने इस कमी को दूर करने के लिए बाद में एक संशोधन प्रस्तुत करने की मंशा जाहिर की थी। श्री कामथ इसलिए इस बात के लिए आश्वस्त हो जाँएँ कि प्रारूप समिति इस अंतर को बना रहने नहीं देगी बल्कि इस कमी को एक संशोधन द्वारा दूर कर देगी।

एक, दूसरे संशोधन, जिसे मेरे मित्र मुन्नीस्वामी पिल्लै ने अनंतिम संसद में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व के संबंध में उठाया था, के बारे में कुछ सार नजर आता है। स्थिति इस प्रकार है। वर्तमान में इस सभा में 310 सदस्य हैं और अनंतिम संसद में भी सदस्यों की संख्या 310 होगी। जनसंख्या के आधार पर, जो कि भावी संसद में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व के लिए सिद्धांत के रूप में स्वीकृत है, पर पूरी तरह से आधारित होकर उन्हें इस 310 की संख्या में से 45 स्थान मिलने चाहिए। जबकि स्थिति यह है कि आज उन्हें केवल 28 स्थान प्राप्त हैं। इस अनुच्छेद में एक निश्चित उपबंध किया गया है कि वर्तमान में उनकी जो 28 की संख्या है उसमें कोई नहीं की जाएगी। लेकिन 45 की संख्या प्राप्त करने के लिए जो अंतर मौजूद है उसके संबंध में जनसंख्या के आधार पर, जिसके वह हकदार हैं वह नहीं मिल पाया है और उन्हें केवल 28 स्थान ही प्राप्त हैं, मेरे विचार से हमने नियमों में संशोधन करने तथा उन्हें स्वीकार करने के मामले में राष्ट्रपति के हाथ में पर्याप्त शक्ति प्रदान कर रखी है ताकि इस कमी को दूर किया जा सके और नये अनुच्छेद 312च के उपबंधों के अधीन जहाँ तक यह व्यवहारिक हो सकेगा, उसे किया जाएगा।

अब मैं श्री पटास्कर के संशोधन पर आता हूँ। जहाँ तक मैं उनकी बात को समझ पाया हूँ प्रारूप अनुच्छेद और उनके द्वारा सुझाए गए संशोधन के बीच वास्तव में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही अनुच्छेद 311 जिसे मैंने प्रस्तुत किया है तथा श्री पटास्कर द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन में इस बात पर सहमति व्यक्त की गई है कि हमें दोहरी सदस्यता को समाप्त करने के लिए एक संशोधन के लिए एक उपबंध करना चाहिए। एकमात्र प्रश्न यह रह गया है कि इसे किस प्रकार किया जाना है। इस अनुच्छेद में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार, यह कहा गया है कि इस संविधान के लागू होने के बाद भी रिक्तियाँ उपस्थित होंगी। वह उस स्थिति अर्थात् 25 जनवरी, 1950 यदि 26 जनवरी को संविधान के लागू होने की तिथि मान लिया जाए तो वह सदस्य के रूप में बने रहेंगे और कार्य करते रहेंगे। लेकिन इस प्रकार से रिक्त हुए स्थानों को भरने के लिए चुनाव इस संविधान के लागू होने से पूर्व किसी भी समय कराया जा सकता है ताकि संविधान सभा जब अनंतिम संसद के रूप में समवेत हो तो उसकी सदस्यता में अचानक हुई कमी नहीं हो सके। मेरे मित्र पटास्कर यह चाहते हैं कि वह रिक्त संविधान के लागू होने के

बाद प्रभावित होनी चाहिए और उसके एक महीने के बाद सदस्य की सदस्यता समाप्त होनी चाहिए, यही एकमात्र अंतर है। मुझे यह प्रतीत होता है कि यह केवल विस्तृत विवरण का मामला है कि हमें किस तिथि से स्थान रिक्त होना मानना चाहिए और किस तिथि से सदस्यता समाप्त होना माना जाना चाहिए। हमने जो 6 अक्टूबर, 1949 को किसी सदस्य के सदस्य बने रहने के अधिकार देने के लिए जो तिथि निर्धारित की है। उसका यह कारण है कि इस तिथि को हमने संविधान सभा का यह सत्र आरंभ किया था। मैं इसमें कोई सिद्धांत की बात नहीं देखता कि 6 अक्टूबर, 1949 में कोई विशेष गुण है और न ही पटास्कर यह कहेंगे कि उन्होंने जो अपना संशोधन प्रस्तुत किया है उस उपबंध में कोई विशेष गुण मौजूद है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि सिद्धांतः इस बारे में कोई मतभेद नहीं है और हम सभी इस बात पर सहमत हैं कि दोहरी सदस्यता को टाला जाना चाहिए और इसलिए मैंने यह संशोधन प्रस्तुत करना उचित समझा।

**श्री एच.बी. पटास्कर :** मेरा संशोधन सदस्य को यह विकल्प प्रदान करता है।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** मेरे विचार में उससे बहुत अधिक जटिलता पैदा हो जाएगी। यदि सदस्य को विकल्प दिया जाता है तो उससे जटिलता पैदा हो जाएगी क्योंकि उससे वही बुराई पैदा हो जाएगी जिसे हम समाप्त करना चाहते हैं और वह बुराई बार-बार उठती रहेगी। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए कि वह बुराई फिर से पैदा नहीं हो। मैं इसलिए यह अनुरोध करता हूँ कि अनुच्छेद 311 में अंतर्विष्ट उपबंधों को सभा द्वारा सहमति प्रदान की जाए।

**श्री राम सहाय ( मध्य भारत ) :** श्री सीता राम जाजू द्वारा प्रस्तुत संशोधन के बारे में क्या हुआ।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** हमने उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे का पूर्वानुमान कर लिया था और हमने संशोधन संख्या 195 के माध्यम से इसे संशोधित कर दिया है जिसके अंतर्गत मैंने भारतीय रियासतों के लिए उपबंध बनाया है। मैंने लाभ के पद धारण करने वाले व्यक्तियों के बारे में ही केवल उपबंध नहीं बनाया है।

**श्री सभापति :** अब मैं संशोधनों पर एक-एक कर मत लूँगा।

{श्री कामथ द्वारा प्रस्तुत 6 संशोधन, श्री त्यागी द्वारा प्रस्तुत 2 संशोधन, श्री मुन्नीस्वामी द्वारा प्रस्तुत 4 संशोधन, श्री सक्सेना द्वारा प्रस्तुत 1 संशोधन और अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत 4 संशोधन अस्वीकृत हुए। अनुच्छेद 311 डॉ. अम्बेडकर के संशोधन द्वारा यथासंशोधित, संविधान में जोड़ गया।}

<sup>1</sup> सी.ए.डी. खंड 10, 11 अक्टूबर, 1949, पृष्ठ 98-100

## अनुच्छेद 312-ड

'माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि अनुच्छेद 312-घ के बाद निम्नलिखित नया अनुच्छेद स्थापित किए जाएँ:

312 ड. (1) इस संविधान १३स अनुच्छेद के खंड (3) और (3क) में उल्लिखित रिक्तियाँ सहितद्व के अनुच्छेद 311 के खंड (1) के अधीन कार्यरत अनंतिम संसद के सदस्यों की सीटों में आकस्मिक रिक्तियाँ भरी जाएँगी और ऐसी रिक्तियों को भरने से संबंधित मामले (ऐसी रिक्तियों को भरने के लिए चुनावों में उत्पन्न शंकाओं अथवा विवादों या उससे संबंधित सभी मामले सहित) को विनियमित किया जाएगा।

(क) ऐसे नियमों के अनुसार जो इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा बनाया जाएगा।

(ख) भारत डोमिनियन की संविधान सभा में आकस्मिक रिक्तियों को भरने से संबंधित नियमों और ऐसे मामले जो ऐसी रिक्तियों को भरने के समय लागू हों अथवा इस संविधान के लागू होने से तुरंत पहले लागू हो, जो भी स्थिति हो, ऐसे अपवादों और संशोधनों के विषयाधीन जो कि उस सभा के सभापति द्वारा उसके शुरू होने से पूर्व और बाद में संघ के राष्ट्रपति द्वारा बनाए जा सकते हैं, के अनुसार जब तक ऐसे नियम नहीं बनाए जाते; परंतु जहाँ कहीं भी ऐसी सीट, जैसा कि इस अनुच्छेद में उल्लिखित है, रिक्त होने से तुरंत पहले, वह सीट अनुसूचित जातियों या मुस्लिम या सिक्ख समुदाय द्वारा भर गई तथा वह पहली अनुसूची भाग 1 में वर्तमान में विनिर्दिष्ट किए जा रहे किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करता हो, तो ऐसी सीट को भरने वाला व्यक्ति, जब तक कि संविधान सभा का सभापति अथवा संघ का राष्ट्रपति, जो भी स्थिति हो, अन्य प्रकार का उपबंध करना जरूरी या तात्कालिक समझे, उसी समुदाय का होगा। परंतु आगे पहली अनुसूची के भाग में वर्तमान में विनिर्दिष्ट किए जा रहे किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य की सीट किसी रिक्त को भरने के लिए होने वाले चुनाव में उस राज्य की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य को भाग लेने तथा मत देने का हक होगा।”

फिर, मैं अलग व्याख्या को प्रतिस्थापित करने के लिए संशोधन संख्या 205 में अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूँ।

“कि प्रस्तावित नये अनुच्छेद 312-च, के खंड (1) के स्पष्टीकरण के लिए

सूची III (दूसरे सप्ताह) के संशोधन संख्या 164 में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जाए :-

**स्पष्टीकरण** - इस खंड के प्रयोजनार्थ

- (क) आदेश, 1936 में विनिर्दिष्ट ऐसी सभी जातियाः, नस्लें या जनजातियाँ या उन जातियों, नस्लों या जनजातियों के भाग या समूह जो भारत सरकार (अनुसूचित जाति) आदेश, 1936 में विनिर्दिष्ट हैं, को किसी प्रांत के संबंध में अनुसूचित माना जाएगा, को उस प्रांत या तत्संबंधी राज्य के संदर्भ में अनुसूचित जाति माना जाएगा जब तक अनुच्छेद 300-क के खंड (1) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा एक अधिसूचना नहीं जारी कर दी गई हो जिसमें उस तत्संबंधी राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो :
- (ख) किसी प्रांत या राज्य में सभी अनुसूचित जातियों को एक ही समुदाय का माना जाएगा।”
- (2) इस संविधान के अनुच्छेद 312 या 312-ग के अधीन कार्यरत किसी राज्य के अन्तिम विधानमंडल की किसी सभा के सदस्यों की सीटों में आकस्मिक रिक्तियों को भरा जाएगा और (ऐसी रिक्तियों को भरने हेतु होने वाले चुनावों में उत्पन्न या उससे संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्णय सहित) से संबंधित सभी मामलों को ऐसी रिक्तियों को भरे जाने को शासित करने वाले तथा ऐसे मामले को विनियमित करने वाले ऐसे उपबंधों जो इस संविधान के शुरू होने से तुरंत पहले प्रभावी थे, के अनुसार ऐसे अपवाद तथा संशोधनों जैसा कि राष्ट्रपति आदेश के द्वारा निदेश दे।

मैं नहीं समझता कि कोई भी स्पष्टीकरण जरूरी है। बिल्कुल स्पष्ट प्रावधान है। बहस के दौरान यदि कोई मुद्दा उठाया जाता है तो जो भी स्पष्टीकरण दे सकता हूँ, देने को तैयार हूँ।

\* \* \* \* \*

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर** : महोदय, इस बहस के दौरान केवल एक दो मुद्दे उठाए गए हैं। पहला मुद्दा श्री सक्सेना द्वारा उठाया गया है और पंडित भार्गव ने इस अंतरिम अवधि के दौरान मुस्लिमों और सिक्खों के प्रतिनिधित्व जारी रखने के संबंध में चर्चा की थी। इस प्रतिनिधित्व के जारी रहने का उन्होंने इस आधार पर आपत्ति की थी कि मुस्लिमों और सिक्खों ने इस संविधान सभा की कार्यवाही के दौरान की गई व्यवस्था के अधीन विशेष प्रतिनिधित्व का अधिकार छोड़ दिया है। इस मुद्दे पर

<sup>1</sup> सी.ए.डी. खंड 10, 11 अक्टूबर, 1949, पृष्ठ 1012-113



मेरा यह कहना है कि चाहे जो भी व्यवस्था की गई हो वह संसद की स्थाई संरचना के संबंध में की गई है जो कि इस संविधान के अधीन प्रचालन में आना बाकी है। ऐसी स्थिति में, मेरा यह मानना है कि संविधान सभा-जो कि नई व्यवस्था को लागू कर रही है और अर्न्ततम संसद के रूप में गठित की गई है-की संरचना को बदलना न तो सही होगा और न ही न्यायोचित होगा।

जहाँ तक श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी के संशोधन का संबंध है, मैं नहीं समझता कि इस संविधान सभा में महिलाओं को बनाए रखने के लिए विशिष्ट उपबंध किए जाने की जरूरत है। मुझे इसमें कोई संशय नहीं है कि राष्ट्रपति नियम बनाने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने के दौरान इस तथ्य का ध्यान रखेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा, संविधान सभा या विभिन्न दलों की कतिपय महिलाओं को अर्न्ततम संसद के सदस्यों के रूप में लाया जाए।

जहाँ तक श्री मुन्नी स्वामी पिल्लै को संशोधन का संबंध है। वह नई बात यह चाहते हैं कि अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबंध शुरू किया जाए। तथ्यात्मक दृष्टि से अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबंध बनाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मुद्दा यह है कि वर्तमान में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है क्योंकि अनुसूचित जनजातियों जैसी किसी चीज को भारत सरकार अधिनियम के अधीन मान्यता नहीं दी गई है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन जिन जनजातियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए शामिल किया गया है। उन्हें पिछड़ी जनजातियों की संज्ञा दी गई है। परिणामतः यदि मेरे मित्र मुन्नी स्वामी पिल्लै यदि इस मामले को प्रारूप समिति के हाथों छोड़ दें तो हम संभवतः उनके संशोधन को प्रभावी बनाने के लिए कुछ समुचित व्यवस्था करेंगे।

**श्री सभापति :** अब मैं संविधान पर मत लूँगा।

*{3 संशोधन अस्वीकृत हुए। डॉ. अम्बेडकर के संशोधन द्वारा यथा संशोधित अनुच्छेद 312-ड संविधान में जोड़ा गया।}*

\* \* \* \* \*

**श्री सभापति :** फिर हम अनुसूची IV लेंगे।

**श्री टी.टी. कृष्णामाचारी :** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुसूची का IV लोप किया जाए।

**कुछ माननीय सदस्य :** इसका किस प्रकार लोप किया जा सकता है?

**श्री सभापति :** जहाँ तक प्रारूप समिति का संबंध है वह अनुच्छेद विशेषों का लोप करने का प्रस्ताव करती रही है। अब इस अनुसूची IV का संशोधन किए जाने की बात कही गई है। मेरे विचार से अच्छा रहेगा कि यदि डा. अम्बेडकर यह स्थिति स्पष्ट कर पाएँ कि इस अनुसूची को क्यों हटा दिया जाए, क्योंकि सदस्यों ने संशोधनों

की सूचना दी है। उससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** महोदय, जहाँ तक अनुदेशों के साधन का संबंध है। दो बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए। अनुदेश का साधन के प्रयोजन के मूल रूप में ब्रिटिश संविधान में प्रावधान किया गया था क्योंकि उपनिवेशों की सरकार को राज्यों के प्रमुखों को कतिपय निदेश देने की जरूरत थी कि वे लोग अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार से करें जो उन लोगों को दी गई थी। अब ये साधन उन गवर्नर या वाइसराय के मामले में प्रभावी रहे जिन्हें ये अनुदेश राज्य के सचिव के प्राधिकार के विषयाधीन दिए गए थे। यदि किसी मामले विशेष का स्वरूप गंभीर हो, उदाहरण के लिए गवर्नर ने स्वयं को जारी अनुदेशों के साधन को मानने से लगातार मना किया, राज्य के सचिव के लिए खुला विकल्प था कि उस गवर्नर को हटा दें तथा अनुदेशों के साधन को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कोई दूसरा गवर्नर कर दें। जहाँ तक हमारे संविधान का संबंध है। इसमें कोई भी ऐसा प्राधिकार नहीं नियुक्त किया गया है, तो यह सुनिश्चित करें कि अनुदेशों के साधन को गवर्नर द्वारा विश्वासपूर्वक लागू किया जाए।

दूसरे इस संविधान के अधीन जो विवेकाधिकार गवर्नर को देने जा रहे हैं, वह बहुत ही क्षीण हैं। उसे कोई विवेकाधिकार नहीं दिया गया है। उसे कैबिनेट के सदस्यों के चुनाव के मामले में प्रधानमंत्री की सलाह के अनुरूप कार्य करना है। उसे कोई कार्यपालक विधायी कार्रवाई विशेष के मामले में भी प्रधानमंत्री और उसके मंत्रियों की सलाह के अनुरूप कार्य करना है। ऐसी स्थिति में मान लें कि प्रधानमंत्री किसी भी कारण या परिस्थिति विशेष में अपने कैबिनेट के सदस्यों में अल्पसंख्यक समुदाय के किसी व्यक्ति को शामिल नहीं करता है, तो इस तथ्य के बावजूद कि हम उसे इस अनुदेश के साधन के माध्यम से विशेष तरीके से कार्य करने के लिए कह सकेंगे, पर गवर्नर कुछ भी नहीं कर सकेगा। इसलिए इस तथ्य को देखते हुए कि गवर्नर को कोई विवेकाधिकार नहीं है और संविधान के अधीन कोई मशीनरी नहीं है जो इसे लागू कर सकता है। इसलिए यह महसूस किया गया कि कोई ऐसे निदेश नहीं दिए जाने चाहिए। वे सब अनुपयोगी हैं और उससे किसी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए, इन परिस्थितियों में यह महसूस किया गया कि अनुदेशों के साधन का प्रावधान करना वांछनीय नहीं है, जो विभिन्न परिस्थितियों के अंदर वास्वत में प्रभावी नहीं हो सके और इस बात की कल्पना तक नहीं की जा सकती कि यह प्रावधान नए संविधान में विद्यमान रहेगा। यह मुख्य कारण है कि क्योंकि अनुदेशों के इस साधन को अवांछनीय माना गया।

**श्री सभापति :** प्रस्ताव है :

“कि चौथी अनुसूची का लोप किया जाए” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

चौथी अनुसूची संविधान से हटा दी गई।

## दूसरी अनुसूची

<sup>1</sup>श्री सभापति : सभा अब अनुसूची II लेगी।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

‘कि दूसरी अनुसूची के भाग I के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएँ:-

### भाग I

पहली अनुसूची के भाग I में वर्तमान में विनिर्दिष्ट किए जा रहे राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों के बारे में उपबंध

### पहली अनुसूची के भाग I में

1. राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों को प्रति मास निम्नलिखित उपलब्धियों का संदाय किया जाएगा अर्थात् :
 

राष्ट्रपति	-	10,000 रुपये।
राज्य का राज्यपाल	-	5,500 रुपये।
2. राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों को ऐसे भत्तों का भी संदाय किया जाएगा जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले क्रमशः भारत डोमिनियन के गवर्नर जनरल को तथा तत्स्थानीय प्रांतों के गवर्नरों को संदेय थे।
3. राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल अपनी-अपनी सम्पूर्ण पदावधि में ऐसे विशेषाधिकारों के हकदार होंगे जिनके इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले क्रमशः गवर्नर जनरल और तत्स्थानीय प्रांतों के गवर्नर हकदार थे।
4. जब उपराष्ट्रपति या कोई अन्य व्यक्ति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है या उसके रूप में कार्य कर रहा है या कोई व्यक्ति राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है तब वह ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का हकदार होगा जिनका, यथास्थिति, वह राष्ट्रपति या राज्यपाल हकदार है जिसके कृत्यों का वह निर्वहन करता है या, यथास्थिति, जिसके रूप में वह कार्य करता है।

### भाग II

“कि भाग II के शीर्षक में शब्द और आंकड़े ‘भाग ए के बाद ‘या भाग III’ शब्द और आंकड़े अंतःस्थापित किए जाएँ।”

<sup>1</sup> सी.ए.डी. खंड 10, 11 अक्टूबर, 1949, पृष्ठ 116-118

“कि पैरा 7 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाए :-

‘7. किसी राज्य के मंत्रियों को वर्तमान में ऐसे वेतन और भत्तों का भुगतान किया जाएगा जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के प्रांतों या भारतीय रियासत के मंत्रियों को देय थे, जो भी स्थिति हो।

### भाग III

लोक सभा के अध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति को ऐसे वेतन और भत्तों का संदाय किया जाएगा जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत डोमिनियन की संविधान सभा के अध्यक्ष को संदेय थे तथा लोक सभा के उपाध्यक्ष को और राज्य के उपसभापति को ऐसे वेतन और भत्तों का संदाय किया जाएगा जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत डोमिनियन की संविधान सभा के उपाध्यक्ष को संदेय थे।

8. राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा राज्य की विधान परिषद् के सभापति और उपसभापति को ऐसे वेतन और भत्तों का संदाय किया जाएगा जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले क्रमशः तत्स्थानीय प्रांत की विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा विधान परिषद् के सभापति और उपसभापति को संदेय थे और जहाँ ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले तत्स्थानीय प्रांत की कोई विधान परिषद् नहीं थी वहाँ उस राज्य की विधान परिषद् के सभापति और उपसभापति को ऐसे वेतन और भत्तों का संदाय किया जाएगा जो उस राज्य का राज्यपाल अवधारित करे।

### भाग IV

दूसरी अनुसूची के भाग IV के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाए:

उच्च न्यायालय और पहली अनुसूची के भाग I में उल्लिखित राज्यों के उच्च न्यायालय

के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध

10. (1) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वास्तविक सेवा में बिताए समय के लिए प्रतिमास निम्नलिखित दर से वेतन का संदाय किया जाएगा अर्थात्-

मुख्य न्यायमूर्ति	-	15,000 रुपए।
कोई अन्य न्यायाधीश	-	4,000 रुपए।

परंतु यदि उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार की या उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी की अथवा राज्य की सरकार

की या उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी की पूर्व सेवा के संबंध में (निःशक्तता या क्षति पेंशन से भिन्न) कोई पेंशन प्राप्त कर रहा है तो उच्चतम न्यायालय में सेवा के लिए उसके वेतन में से घटा दिया जाएगा, अर्थात् :-

(क) उस पेंशन की रकम; और

(ख) यदि उसने ऐसी नियुक्ति से पहले, ऐसी पूर्व सेवा के संबंध में अपने को देय पेंशन के एक भाग के बदले उसका संराशित मूल्य प्राप्त किया है तो पेंशन के उस भाग की रकम; और

(ग) यदि उसने ऐसी नियुक्ति से पहले पूर्व सेवा के संबंध में निवृत्ति-उपदान प्राप्त किया है तो उस उपदान के समतुल्य पेंशन।

(2) उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश, बिना किराया दिए, शासकीय निवास के उपयोग का हकदार होगा।

(3) इस पैदा के उपपैरा (2) की कोई बात उस न्यायाधीश को, जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले -

(क) फेडरल न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश के रूप में पद धारण कर रहा था और जो ऐसे प्रारंभ पर *Sec 52* उक्त खंड के अधीन उच्चतम न्यायालय का (मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न) न्यायाधीश बन गया है,

उस अवधि में, जिसमें वह ऐसे मुख्य न्यायमूर्ति या अन्य न्यायाधीश के रूप में पद धारण करता है, लागू नहीं होगी और ऐसा प्रत्येक न्यायाधीश जो इस प्रकार उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या अन्य न्यायाधीश बना दिया जाता है, यथास्थिति, ऐसे मुख्य न्यायमूर्ति या अन्य न्यायाधीश के रूप में वास्तविक सेवा में बिताए समय के लिए इस पैरा के उपपैरा (1) में विनिर्दिष्ट वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन के रूप में ऐसी रकम प्राप्त करने का हकदार होगा, जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट वेतन और ऐसे वेतन के अंतर के बराबर है, जो वह इसके प्रारंभ से ठीक पहले प्राप्त कर रहा था।

(4) उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर अपने कर्तव्य का पालन में की गई यात्रा में उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए ऐसे युक्तियुक्त भत्ते प्राप्त करेगा और यात्रा संबंधी उसे ऐसी युक्तियुक्त सुविधाएँ दी जाएँगी जो राष्ट्रपति समय-समय पर विहित करे।

(5) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अनुपस्थिति छुट्टी के (जिसके अंतर्गत छुट्टी भत्ते हैं) और पेंशन के संबंध में अधिकार उन उपबंधों से शासित होंगे

जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों को लागू थे।

11. (1) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वास्तविक सेवा में बिताए समय के लिए प्रति मास निम्नलिखित दर से वेतन का संदाय किया जाएगा, अर्थात्:-

मुख्य न्यायमूर्ति	-	4,000 रुपए।
कोई अन्य न्यायाधीश	-	3,500 रुपए।

परंतु यदि उच्चतम न्यायालय को कोई न्यायाधीश अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार की या उसके पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी की अथवा राज्य की सरकार की या उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी की पूर्व सेवा के संबंध में (निःशक्तता या क्षति पेंशन से भिन्न) कोई पेंशन प्राप्त कर रहा है तो उच्चतम न्यायालय में सेवा के लिए उसके वेतन में से निम्नलिखित को घटा दिया जाएगा, अर्थात् :-

(क) उस पेंशन की रकम; और

(ख) यदि उसने ऐसी नियुक्ति से पहले, ऐसी पूर्व सेवा के संबंध में अपने को देय पेंशन के एक भाग के बदले उसका संराशित मूल्य प्राप्त किया है तो पेंशन के उस भाग की रकम; और

(ग) यदि उसने ऐसी नियुक्ति से पहले ऐसी पूर्व सेवा के संबंध में निवृत्ति-उपदान प्राप्त किया है तो उस उपदान के समतुल्य पेंशन।

(2) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले -

(क) किसी प्रांत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में पद धारण कर रहा था और जो ऐसे प्रारंभ पर अनुच्छेद 376 के खंड (1) के अधीन तत्स्थानीय राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति बन गया है, या

(ख) किसी प्रांत के उच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश के रूप में पद धारण कर रहा था और जो ऐसे प्रारंभ पर उक्त खंड के अधीन तत्स्थानीय राज्य के उच्च न्यायालय का (मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न) न्यायाधीश बन गया है,

यदि वह प्रारंभ से ठीक पहले इस पैरा के उपपैरा (1) विनिर्दिष्ट दर से उच्चतर दर पर वेतन प्राप्त कर रहा था तो, यथास्थिति, ऐसे मुख्य न्यायमूर्ति या अन्य न्यायाधीश के रूप में वास्तविक सेवा में बिताए समय के लिए इस पैरा के उपपैरा (1) में विनिर्दिष्ट वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन के रूप में ऐसी रकम प्राप्त करने का हकदार होगा जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट वेतन और ऐसे वेतन के अंतर के बराबर है जो ऐसे

प्रारंभ से ठीक पहले प्राप्त कर रहा था।

(3) ऐसा कोई व्यक्ति जो संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 के प्रारंभ से, ठीक पहले, पहली अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में पद धारण कर रहा था और जो ऐसे प्रारंभ पर उक्त अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति बन गया है, यदि वह ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले अपने वेतन के अतिरिक्त भत्ते के रूप में कोई रकम प्राप्त कर रहा था, तो ऐसे मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में वास्तविक सेवा में बिताए समय के लिए इस पैरा के उपपैरा (1) में विनिर्दिष्ट वेतन के अतिरिक्त भत्ते के रूप में वही रकम प्राप्त करने का हकदार होगा।

11. इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) “मुख्य न्यायमूर्ति” पद के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति है और “न्यायाधीश” पद के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीश है;

(ख) “वास्तविक सेवा” के अंतर्गत -

(i) न्यायाधीश द्वारा न्यायाधीश के रूप में कर्तव्य पालन में या ऐसे अन्य कृत्यों के पालन में, जिनका राष्ट्रपति के अनुरोध पर उसने निर्वहन करने का भार अपने ऊपर लिया है बिताया गया समय है;

(ii) उस समय को छोड़कर जिसमें न्यायाधीश छुट्टी लेकर अनुपस्थित है, दीर्घावकाश है; और

(iii) उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय को यह एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण पर जाने पर पदग्रहण-काल है।

#### भाग V

12. (1) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को चार हजार रुपये प्रतिमास की दर से वेतन का भुगतान किया जाएगा।

(2) ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के महालेखापरीक्षक के रूप में पद धारण कर रहा था और जो ऐसे प्रारंभ पर अनुच्छेद 377 के अधीन भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक बन गया है, इस पैरा के उपपैरा (1) में विनिर्दिष्ट वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन के रूप में ऐसी रकम प्राप्त करने का हकदार जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट वेतन और ऐसे वेतन के अंतर के बराबर है। जो वह इसके प्रारंभ से ठीक पहले भारत के

महालेखापरीक्षक के रूप में प्राप्त कर रहा था।

आपकी अनुमति से कल उपबंधों के बारे में मैं स्पष्टीकरण दूँगा।

**श्री सभापति :** सभा कल सवेरे मध्याह्न पूर्व 10.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

तत्पश्चात् सभा बुधवार 12 अक्टूबर, 1949 को मध्याह्न पूर्व 10.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

### बुधवार 12 अक्टूबर, 1949

भारत की संविधान सभा संविधान सभागार, नई दिल्ली में मध्याह्न पूर्व 10.00 बजे (बुधवार 12 अक्टूबर, 1949) को समवेत हुई। श्री सभापति (माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद) पीठासीन थे।

### दूसरी अनुसूची - (क्रमशः)

**1. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (बंबई - जनरल) :** सभापति महोदय, मैं दूसरी अनुसूची में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्याख्या करते हुए कुछ शब्द कहूँगा और मैं उस भाग से शुरु करना चाहूँगा जो न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित हैं।

सबसे पहले उच्चतम न्यायालय के मामले में यह देखा जा सकता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संविधान के लागू होने के समय इस प्रकार होंगे, मुख्य न्यायाधीश का वेतन 5000/- रुपए प्रतिमाह और किराया मुक्त आवास तथा अवर न्यायाधीश का वेतन 4000/- रुपए प्रतिमाह और किराया मुक्त आवास होंगे। उच्चतम न्यायालय के मामले में स्थिति संविधान के अनुसार इस प्रकार है कि फेडरल न्यायालय का कोई न्यायाधीश यदि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीशों बनने का विकल्प चुनता है, तो यह प्रश्न उठता है: कि क्या उसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए संविधान में निर्धारित मानक वेतन मिलना चाहिए या फिर उसे वही वेतन मिलते रहने के लिए कोई उपबंध किया जाना चाहिए जोकि अभी उसे फेडरल न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में प्राप्त होता है। प्रारूप समिति का निर्णय यह रहा है कि जब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन दूसरी अनुसूची में रखी गयी है तो फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों को वर्तमान में जो वेतन मिल रहा है वही वेतन देने के लिए एक उपबंधा बनाया जाना चाहिए। यदि वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने का विकल्प चुनता है। इस प्रयोजनार्थ उच्चतम

<sup>1</sup> सी.ए.डी खंड 10, 12 अक्टूबर, 1949 पृष्ठ 119-122



न्यायालय के न्यायाधीशों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है - एक तो वे जिन्हें 31 अक्टूबर, 1948 से पूर्व नियुक्त किया गया हो और एक वे लोग जिन्हें 31 अक्टूबर, 1948 के बाद नियुक्त किया गया हो। पहले श्रेणी के मामले में अर्थात् 31 अक्टूबर, 1948 से पूर्व नियुक्त किए गए न्यायाधीशों को वैयक्तिक वेतन मिलेगा जोकि दूसरी अनुसूची द्वारा निर्धारित किए गए वेतन तथा संविधान के लागू होने के तुरंत पूर्व ऐसे न्यायाधीश को मिलने वाले वेतन के बीच के अंतर के समतुल्य होगा। 31 अक्टूबर, 1948 के बाद नियुक्त किए गए न्यायाधीशों को दूसरी अनुसूची में निर्धारित दरों के अनुरूप वेतन मिलेगा ताकि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संविधान के अधीन मुख्य न्यायाधीश के लिए निर्धारित वेतन से 2000/- रूपए अधिक मिलेगा जबकि फेडरल न्यायालय के न्यायाधीश को यदि वह उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनता है तो उसे उच्चतम न्यायालय के अवर न्यायाधीश के लिए निर्धारित सामान्य वेतन से 1500/- रूपए अधिक मिलेगा।

अब मैं न्यायालय पर आता हूँ, संविधान के अधीन मुख्य न्यायाधीश के लिए निर्धारित सामान्य वेतन 4000/- रूपए है और अवर न्यायाधीशों के लिए सामान्य वेतन 3500/- रूपए है। यहाँ फिर हमने संविधान में एक उपबंध बनाया है कि उच्च न्यायालय को कोई न्यायाधीश यदि संविधान के अधीन नियुक्त किए जाने की इच्छा व्यक्त करता है तो राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करने के लिए बाध्य होगा और उसके परिणामस्वरूप वही समस्या खड़ी होगी जोकि उच्चतम न्यायालय के मामले में खड़ी होती है क्योंकि वे न्यायाधीश जो अभी वर्तमान में न्यायाधीश हैं कुछ मामलों में दूसरी सूची में निर्धारित वेतन से अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी कोई संभावित शिकायत को दूर करने के लिए यह भी निर्णय लिया गया है कि इस मामले में भी वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो कि फेडरल न्यायालय के मामले में अपनाई गई है अर्थात् न्यायाधीशों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाए एक तो वे जो 31 अक्टूबर, 1948 से पूर्व नियुक्त किए गए हों और एक वे जिनकी नियुक्ति उसके बाद की गई हो। इस प्रकार से पहली श्रेणी के मामले में न्यायाधीशों को वैयक्तिक वेतन के रूप में अतिरिक्त वेतन प्राप्त होंगे जो कि संविधान द्वारा निर्धारित वेतन तथा उनके द्वारा वर्तमान में प्राप्त किए जा रहे वेतन के बीच के अंतर के समतुल्य होंगे और दूसरी श्रेणी के मामले में न्यायाधीशों को संविधान द्वारा निर्धारित वेतन ही मिलेगी।

संभवतः यह बताना जरूरी हो सकता है कि हमने 31 अक्टूबर, 1948 को विभाजन रेखा के रूप में क्यों स्वीकार किया। इसका उत्तर यह है कि भारत सरकार ने विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा फेडरल न्यायालयों को यह अधिसूचित किया था कि कोई भी न्यायाधीश जिसे 31 अक्टूबर, 1948 से पूर्व नियुक्त किया गया हो, को वही वेतन

मिलते रहेंगे जो उन्हें वर्तमान में मिल रहे हैं। लेकिन, 31 अक्टूबर, 1948 के बाद नियुक्त किए गए न्यायाधीशों के मामले में उसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया जा सकता। इस आश्वासन को गारंटी प्रदान करने हेतु यह विभाजन रेखा शुरू की गयी थी।

मैं दूसरी अनुसूची में निर्धारित वेतनमान के संबंध में एक या दो बातें कहना चाहता हूँ कि अन्य उदाहरण के लिए अन्य देशों में न्यायाधीशों द्वारा जो वेतनमान प्राप्त किए जा रहे हैं वह इस प्रकार हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश को 7,084/- रुपए प्रतिमाह मिलता है जबकि अवर न्यायाधीशों को 6,958/- रुपए मिलता है। कनाडा में मुख्य न्यायाधीश को 4,584/- रुपए और अवर न्यायाधीशों को 3,662/- रुपए मिलता है। आस्ट्रेलिया में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 3,750/- रुपए और अवर न्यायाधीश को 3,611/- रुपए मिलता है। हमने जो अनुसूची दी के, जो मानक वेतन निर्धारित किए हैं, उसकी तुलना यदि कोई मेरे द्वारा दिए गए आंकड़े से करता है तो वह यह महसूस करेगा कि हमने जो वेतन तय किए हैं वे दूसरे देशों में उसी प्रकार के कार्य के लिए निर्धारित वेतनों की तुलना में कहीं अधिक बेहतर हैं और केवल अमेरिका ही इसका अपवाद है।

इन वेतनों के निर्धारण के मामले में हमने बिल्कुल न्यायोचित तरीका अपनाया है जितना हम अपना सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रारूप समिति के पास यह कहने के लिए खुला विकल्प मौजूद था कि उस नियम को देखते हुए जो 31 अक्टूबर, 1948 से पूर्व किए गए न्यायाधीशों के मामले में लागू हैं, यदि उनका वेतन संविधान द्वारा निर्धारित सामान्य वेतन से अधिक है तो हम यह भी उपबंध कर सकते थे कि नागपुर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सामान्य वेतन से कम वेतन मिलेंगे क्योंकि उनके वेतन वर्तमान के विद्यमान सामान्य वेतन से कम हैं। लेकिन हम इस प्रकार की किसी शिकायत को जारी नहीं रहने देना चाहते हैं और इसलिए हमने कोई विरोधी उपबंध लागू नहीं किया है जोकि अगर न्याय की कड़ी दृष्टि से देखें तो प्रारूप समिति ऐसा कर सकती थी। मैं इसलिए यह कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक न्यायपालिका में वेतन का संबंध है उस मामले में शिकायत का कोई आधार नहीं हो सकता है।

मैं राष्ट्रपति के प्रश्न पर आता हूँ। यह स्पष्ट है कि संघ का राष्ट्रपति वर्तमान गवर्नर जनरल का स्थान लेगा और उनके वेतन निर्धारण करने के मामले में हमने जो निर्धारित किया है वह 10,000/- रुपए प्रतिमाह है, जो कि इस दृष्टि से निर्धारित किया गया है कि वर्तमान में गवर्नर जनरल कमोवेश उतना ही वेतन प्राप्त कर रहा है।

जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अधीन गवर्नर जनरल का वेतन 2,50,850/- रुपए प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया था जोकि

प्रतिमाह 20,900/- बैठता था। निःसंदेह यह वेतन आयकर के विषयाधीन था। विधायी सभा द्वारा पारित हाल के अधिनियम के अधीन गवर्नर जनरल का वेतन 5,500/- रुपए प्रतिमाह निर्धारित किया गया था, लेकिन वह वेतन आयकर से मुक्त था। मुझे यह बताया गया है कि यदि गवर्नर जनरल के वेतन को आयकर के विषयाधीन रखा जाता तो यह लगभग 14,000/- रुपए प्रतिमाह के आस-पास बैठता है। राष्ट्रपति का वेतन 10,000/- रुपए निर्धारित करने के मामले में हमने दो कारकों पर विचार किया है। एक कारक तो यह है कि राष्ट्रपति का वेतन आयकर के विषयाधीन होना चाहिए। प्रारूप समिति तथा इस सभा के अधिकतर सदस्यों का यह मानना था कि कोई भी व्यक्ति जो संविधान के अधीन एक कर्मचारी हों अथवा सिविल सर्वेंट हों, उसे इस देश के आम लोगों के लिए लागू किए गए कोई भी वित्तीय उपाया की उत्तरदेयता से मुक्त नहीं रखा जाना चाहिए। परिणामतः हमने यह महसूस किया कि यदि राष्ट्रपति के वेतन को आयकर के विषयाधीन रखा जाता है तो उसके वेतन को बढ़ाया जाना वांछनीय है।

हमने राष्ट्रपति का वेतन 10,000/- रुपए निर्धारित किया है उसका दूसरा कारण यह है कि उच्चतम न्यायालय के विद्यमान मुख्य न्यायाधीश का वेतन 7,000/- रुपए है तो यह उस दृष्टि से परम आवश्यक है कि राष्ट्रपति का वेतन मुख्य न्यायाधीश के वेतन से अधिक होना चाहिए। इन सभी कारकों पर विचार करते हुए हमने उनका वेतन 10,000/- रुपए रखा जाना समुचित माना है।

फिर राष्ट्रपति के वेतन के साथ कतिपय भत्ते भी मिलेंगे। इन भत्तों के संबंध में मैं यह उल्लेख करना चाहता हूँ कि जब भारत सरकार अधिनियम, 1935 पारित किया गया था उस अधिनियम में गवर्नर जनरल का केवल वेतन ही निर्धारित किया गया था। भत्तों के संबंध में उस अधिनियम में कहा गया है कि काउंसिल में महामहिम आदेश के द्वारा भत्ते निर्धारित कर सकेंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश भारत सरकार अधिनियम, 1935 के भाग 2 के उपबंधों को काउंसिल में महामहिम द्वारा कभी प्रभावी नहीं किया जा सका यद्यपि वर्ष 1937 में इस प्रकार के आदेश का एक प्रारूप तैयार किया गया था। अतः जहाँ तक भारत सरकार अधिनियम का संबंध है उसमें भत्तों के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है और इसलिए उस अधिनियम से प्रारूप समिति को कोई भी आधार प्राप्त नहीं हुआ जिससे किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता था। परिणामतः प्रारूप समिति ने यह महसूस किया कि राष्ट्रपति के मामले में वही भत्ते दिए जाने का उपबंध किया जाना चाहिए जो कि संविधान के लागू होने के समय गवर्नर जनरल को मिल रहा हो। बाद में संसद इसके विषयाधीन राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते में परिवर्तन कर सकती है और संबंधित राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान इस प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

मैं सभा के समक्ष कुछ विचार रखना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति को प्रारूप समिति

द्वारा सुझाए गए उपबंध के अनुरूप क्या-क्या भत्ते मिलेंगे? और संविधान के लागू होने के समय गवर्नर जनरल को मिलने वाले भत्ते ही लागू होंगे।

मैंने 1949-50 के बजट अनुमान से निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए हैं जो “गवर्नर जनरल के भत्ते” शीर्ष के अधीन बजट में शामिल किए गए थे :

1. प्रतिवर्ष 45,000 रुपये का कुल भत्ता
2. संविदा भत्ता पर व्यय 4,65,000 रुपए
3. राज्य परिवहन भत्ता : मोटर कार : 73,000 रुपए
4. यात्र खर्च : 81,000 रुपए

1949-50 के बजट अनुमान के अनुसार कुल भत्ते 6,64,000/- रुपए होते हैं।

मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यह कह चुका हूँ कि संसद द्वारा किसी भी समय भत्तों को बदला जा सकता है। वेतन के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि प्रारूप समिति ने जो राष्ट्रपति का वेतन 10,000/- रुपए निर्धारित किया है, वह मुझे उन परिस्थितियों को देखते हुए जिनका मैंने जिक्र किया है बहुत उचित प्रतीत होते हैं।

मुझे राज्यपालों के वेतन के बारे में बहुत अधिक कहने की जरूरत नहीं है। गवर्नर जनरल द्वारा हाल ही में जारी किए गए आदेश के द्वारा उनका वेतन निर्धारित किया गया है जो कि मुझे बिल्कुल सही प्रतीत होता है और प्रांतों के मामले में भी वही सिद्धांत अपनाया गया है कि राज्यपाल जोकि सबसे बड़ा अधिकारी है उसका वेतन उस प्रांत के मुख्य न्यायाधीश से थोड़ा अधिक होना चाहिए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्यपालों का वेतन निर्धारित किया गया है।

मैं एकमात्र उपबंध जिसका उल्लेख करना चाहता हूँ वह यह है कि मूल रूप में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन के संबंध में हुए उपबंध नहीं किया गया था। फिर अनुसूची 2 के द्वारा उसका वेतन 4000 रुपए प्रतिमाह निर्धारित किया गया है जोकि इस शर्त के विषयाधीन है कि वर्तमान पदधारित जब तक नियंत्रक और लेखा महापरीक्षक के रूप में कार्य करता रहेगा उसे सूची 2 के द्वारा निर्धारित वेतन तथा वर्तमान में प्राप्त किए जा रहे वेतन के बीच अंतर रुपए के समतुल्य वैयक्तिक वेतन मिलेगा। फिर जब वह पदधारी उस पद को छोड़ देता है और किसी दूसरे की नियुक्ति की जाती है तो उसे अनुसूची द्वारा निर्धारित वेतन मिलेगा।

मैं आशा करता हूँ कि इस अनुसूची के माध्यम से विभिन्न पदाधिकारियों के लिए निर्धारित किए गए वेतन के संबंध में प्रारूप समिति ने जो आंकड़े सुझाए हैं उसकी इस सभा द्वारा सराहना की जाएगी।

\* \* \* \* \*

**श्री प्रभु दयाल हिम्मत सिंह** : महोदय, मैं डा. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत अनुच्छेद का समर्थन करता हूँ।

**पंडित हृदयनाथ कुँजरू (संयुक्त प्रांत - जनरल)** : सभापति महोदय, प्रारूप संविधान में यह उपबंध किया गया था कि राष्ट्रपति को प्रतिमाह 5000 रुपए का वेतन मिलना चाहिए और किसी राज्य के राज्यपाल को 4,500 रुपए प्रतिमाह। उस समय यह प्रस्ताव किय गया था।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर** : राष्ट्रपति को 5,500 रुपए प्रतिमाह।

\* \* \* \* \*

**माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर** : महोदय, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि यहाँ तीन मुद्दे उठाए गए हैं और जिनके उत्तर दिए जाने की जरूरत है। श्री कामथ ने अनुसूची 2 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को मुफ्त आवास दिए जाने के उपबंध पर हमला किया है। संविधान के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए आवास का प्रावधान किए जाने के प्रश्न पर सावधानीपूर्वक विचार किए जाने के बाद निर्णय लिया गया था। यह महसूस किया गया था कि उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किए जाने वाले बड़ी संख्या में न्यायाधीश इस देश के सुदूर भागों से राजधानी शहर में आयेंगे और उन लोगों को अपने ही संसाधन से आवास की खोज करने को छोड़ देना समुचित नहीं होगा और साथ ही उनके पद के अनुरूप भी नहीं होगा। यही प्रमुख कारण था कि प्रारूप समिति ने यह महसूस किया कि सरकार को उन्हें आवास मुहैया कराना चाहिए।

आवास को किराया मुक्त किए जाने के संबंध में हमने यह सोचा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन की तुलना में जो कटौती की गई है इससे उनकी कुछ हद तक प्रतिपूर्ति हो जाएगी। निजी तौर पर मुझे अपने माननीय मित्र श्री कामथ द्वारा इस मुद्दे पर की गई कड़ी टिप्पणी

\* सी.ए.डी. खंड 10, 12 अक्टूबर, 1949, पृष्ठ 144

\* डाट्स व्यवधान को दर्शाता है - इडा

\* वही, पृष्ठ 148

पर आश्चर्य हुआ क्योंकि यदि वह किसी को किराया मुक्त आवास दिए जाने पर आपत्ति कर रहे हैं तो फिर मैं उनसे यह भी उम्मीद करूँगा कि हम लोग जो राष्ट्रपति तथा गवर्नर जनरल को, जो मुफ्त आवास मुहैया करा रहे हैं उसके बारे में भी कुछ कहेंगे और वैयक्तिक तौर पर मेरा ...

**श्री एच.वी. कामथ :** मैंने किराये का उल्लेख नहीं किया था और मैं तो यह भी नहीं जानता कि किराया मुक्त है या नहीं।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** मैं नहीं समझता कि श्री कामथ द्वारा इस विशेष मुद्दे पर की गई टिप्पणी में कोई सार है।

वेतनों की धनराशि का जहाँ तक संबंध है उसके बारे में सभा में विभिन्न प्रकार के विचार सामने आए हैं। मेरे मित्र श्री शिबनलाल सक्सेना ने विस्तारपूर्वक यह बताया है कि राष्ट्रपति को 1 रुपए से अधिक का वेतन नहीं मिलना चाहिए। ठीक है लेकिन मेरा यह मानना है उस पारिश्रमिकता पर राष्ट्रपति के पद पर कार्य करने के लिए किसी घुमंतू सन्यासी को छोड़कर कोई और दूसरा व्यक्ति उपलब्ध नहीं होगा और मुझे इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि ये घुमंतू सन्यासी संघ के राष्ट्रपति के पद के लिए सर्वथा अयोग्य व्यक्ति होगा चाहे उसमें कितने भी अन्य गुण क्यों न मौजूद हों।

न्यायाधीशों के वेतन के संबंध में दो प्रश्न उठाए गए हैं। इस सभा में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने यह कहा है कि न्यायाधीशों के वेतन अनुसूची में निर्धारित वेतन से कहीं अधिक होने चाहिए। अन्य व्यक्ति ऐसे जिन्होंने यह कहा है कि हमने जो मानक वेतन निर्धारित किए हैं उसका देश की भुगतान करने की क्षमता के साथ संबंध नहीं है। मेरे विचार से यह जो नारा है कि इस देश में हम जो कुछ निर्धारित करते हैं उसका लोगों की आय के साथ संबंध होना चाहिए और यह एक अच्छा राजनीतिक नारा है लेकिन मैं यह कहने के लिए तैयार नहीं हूँ कि यह एक व्यवहारिक राजनीतिक है। इस देश में तथा अन्य देशों में भी अधिकतर मामले में वेतन पूर्ति और माँग के सिद्धांत पर निर्भर करता है। दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश यहाँ बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिन्हें विधानमंडल के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए योग्य पाया जा सकता है और उसका परिणाम यह होता है कि हमें उनके वेतन बहुत कम स्तर पर निर्धारित करने पड़ते हैं। सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश न्यायाधीशों के रूप में कार्य करने के लिए उपलब्ध व्यक्तियों की संख्या बहुत सीमित है। मेरा कहने का यह मतलब नहीं है कि वे दुर्लभ हैं लेकिन निश्चय ही वे लोग अति कठिन वस्तु है जिसे प्राप्त करना मुश्किल है और उसके परिणामस्वरूप हमें उन्हें बाजार मूल्य पर वेतन देना पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस अनुसूची में जो वेतन निर्धारित किए गए हैं वह बाजार मूल्य के समतुल्य है।

इसलिए मैं नहीं समझता कि हमने वेतन का जो स्तर निर्धारित किया है उसके ऊपर कोई गंभीर विवाद पैदा हो सकता है।

फिर मैं अपने मित्र श्री हिम्मतसिंह द्वारा संशोधन पर आता हूँ। मैं यह बताना चाहता हूँ कि उनके तथा मेरे मन में एक ही बात है और उनके प्रति काफी सहानुभूति है। लेकिन वह यह चाहते हैं कि मैं एक सामान्य सिद्धांत को स्वीकार करूँ अर्थात् भाग 1 में उल्लिखित किसी क्षेत्र में नियुक्त किए गए कोई न्यायाधीश। मैं समझता हूँ कि सामान्य संदर्भ में इन खंडों में कोई संशोधन प्रस्तुत करना वांछनीय नहीं है और इसका साधारण कारण यह है कि 31 अक्टूबर, 1948 के बाद हमारे संविधान के उपबंधों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रांतीय आधार पर न्यायाधीशों के वेतन में कोई अंतर नहीं किया जा सकता। सभी न्यायाधीशों को एक ही वेतनमान में रखा गया है। इस तथ्य को कोई महत्व नहीं दिया गया है कि किसी क्षेत्र का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। इसलिए किसी ऐसी विसंगति को हटाने के लिए किसी सामान्य उपबंध की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसी कोई विसंगति उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। विसंगति इसलिए विद्यमान है क्योंकि भारत सरकार अधिनियम में न्यायाधीशों के वेतन के संबंध में कतिपय उपबंधों के अंतर्गत एक प्रांत और दूसरे प्रांत के बीच अंतर किया गया है। मैं अपने मित्र को यह बताना चाहता हूँ कि प्रारूप समिति यह आशा करती है कि इस विशेष मामले को दूसरे तरीके से निपटारा जाएगा। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो इस विशेष संशोधन को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं होगी और इसके कारण प्रभावित होने वाले व्यक्ति को लाभ भी दिया जा सकेगा। लेकिन यदि प्रारूप समिति यह पाती है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी तो फिर प्रारूप समिति किसी विशेष व्यक्ति की शिकायत को दूर करने के लिए एक विशेष संशोधन लाए जाने का अधिकार स्वयं के पास सुरक्षित रखेगी, जैसा कि हमारे दिमाग में है।

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं खंड में एक या दो शब्द जोड़ना चाहूँगा जिन्हें अनजाने में छोड़ दिया गया है। मैं भाग IV पैरा 11 के उप-पैरा (2) का उल्लेख करता हूँ। मैं सातवीं पंक्ति में 'शैल' शब्द के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़ना चाहूँगा :

“इस पैरा के उप-पैरा (1) में विनिर्दिष्ट वेतनों के अलावा।” पैरा 11.1 के उप-पैरा (3) में मेरा दूसरा संशोधन है। मैं जोड़ना चाहता हूँ :

“उच्च न्यायालय का”

**श्री एच.बी. कामथ :** यह मेरा संशोधन है।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** मैं इसे स्वीकार करता हूँ और अब मैं

आशा करता हूँ कि सभा अनुसूची को यथासंशोधित रूप में स्वीकार करेगी।

**श्री आर.के. सिधवा :** राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन तथा भत्तों से संबंधित मेरे संशोधन का क्या हुआ?

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** उसका निर्णय संसद द्वारा किया जाएगा।

**श्री सभापति :** अब मैं भागों के अनुसार अनुसूची के संशोधनों को लूँगा। हम लोग अभी अनुसूची के भाग I पर हैं।

\* \* \* \* \*

**श्री सभापति :** डॉ. अम्बेडकर द्वारा संशोधन संख्या 270 का तीसरा भाग स्वीकार किया गया। जैसा कि इसमें है, तीसरे भाग में कहा गया है :

“अनुसूची के प्रस्तावित भाग IV के पैरा 11 के उप-पैरा (2) में “इस पैराग्राफ के उप-पैरा में विनिर्दिष्ट शब्दों के बाद’ शब्द जोड़े जाएँ” इस पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ में विनिर्दिष्ट वेतन के अलावा।”

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** मैं अपने शब्द डालना चाहूँगा।

(डा. अम्बेडकर के सभी संशोधन स्वीकृत हुए। दूसरी अनुसूची यथासंशोधित रूप में संविधान में जोड़ा गया।)

भोजनावकाश के बाद अपरान्ह चार बजे सभा पुनः बैठी (माननीय डा. राजेन्द्र प्रसाद) पीठासीन हुए।

\* \* \* \* \*



## भाग VI - क

\*श्री सभापति : अब हम भाग VI को लेंगे।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि भाग VI के बाद, निम्नलिखित नया पैरा अंतः स्थापित जोड़ा जाए।

## भाग VI - क

## पहली अनुसूची भाग III में राज्य

211क. इस संविधान के भाग VI के उपबंध पहली अनुसूची के भाग III में वर्तमान विनिर्दिष्ट किए जा रहे राज्यों के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि उप अनुसूची के भाग I में वर्तमान में विनिर्दिष्ट किए जा रहे राज्यों के संबंध में निम्नलिखित संशोधनों और लोपों के विषयाधीन लागू होते हैं, अर्थात् :

(1) उक्त भाग VI में जहाँ कहीं भी ‘राज्यपाल’ शब्द आया है अनुच्छेद 259 के खंड (ख) में दूसरी बार आए इस शब्द को छोड़कर, “वहाँ इस शब्द के स्थान पर” राजप्रमुख शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(2) अनुच्छेद 128 में, “भाग I” शब्द और संख्या पर “भाग III” शब्द और संख्या प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(3) अनुच्छेद 131, 132 और 134 का लोप होगा।

(4) अनुच्छेद 135 में,

(क) खंड (1) में “नियुक्त किया जाए” शब्दों के स्थान पर “होता है” शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) खंड (3) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाए :

“(3) राजप्रमुख को बिना किराया दिए, अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हक होगा और राजप्रमुख को ऐसे भत्ते मिलेंगे जो राष्ट्रपति सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करेंगे।”

(ग) खंड (4) में 'परिलब्धियों और' शब्दों का लोप होगा।

(5) अनुच्छेद 96 में, "उस न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश" शब्दों के बाद अथवा ऐसे किसी अन्य तरीके से जैसा कि इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाए शब्द अंतःस्थापित किए जाएँगे।

(6) अनुच्छेद 144 में, खंड (1) के परंतुक का लोप किया जाएगा।

(7) अनुच्छेद 148 में, खंड (1) के परंतुक का लोप किया जाएगा।

"(1) प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राजप्रमुख और

(क) मैसूर राज्य में दो सदनों;

(ख) अन्य राज्यों में एक सदन से मिलकर बनेगा।

(8) अनुच्छेद 163 में "जैसा कि दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है शब्दों के स्थान पर "जैसा कि राजप्रमुख अवधारित करें" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँगे।"

(9) अनुच्छेद 170 में "जैसा कि उस राज्य की प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के मामले में इस संविधान के प्रारंभ की तिथि से तुरंत पहले लागू था "शब्दों के स्थान पर" जैसा कि राजप्रमुख अवधारित करें" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँगे।"

(10) अनुच्छेद 177 के खंड (3) में -

(क) उपखंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(क) राष्ट्रपति द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित राजप्रमुख के भत्ते और उसके कार्यालय से संबंधित अन्य व्यय;

(ख) उपखंड (ड) के बाद, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ड.ड.) त्रावणकोर-कोचीन राज्य के मामले में त्रावणकोर और कोचीन के संयुक्त राज्य के गठन के लिए भारतीय राज्य त्रावणकोर और कोचीन के शासकों द्वारा इस संविधान के प्रारंभ के पूर्व की गई प्रसविदा के अधीन

देवास्वम निधि के लिए इक्यावन लाख रुपए की धनराशि का वार्षिक भुगतान किया जाएगा।”

(11) अनुच्छेद 183 में, खंड (2) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

“(2) इस अनुच्छेद के खंड (1) के अधीन जब तक नियम नहीं बनाए जाते हैं, राज्य के विधानमंडल के संबंध में इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रभावी प्रक्रिया नियम और स्थानीय आदेश या जिस राज्य में विधानमंडल का कोई सदन विद्यमान नहीं है, ऐसे प्रांत की विधानसभा के संबंध पूर्व प्रभावी प्रक्रिया नियम और स्थायी आदेशों, जैसा कि राज्य के राजप्रमुख द्वारा इस संबंध में उन संशोधनों और अनुयोजन के विषयाधीन प्रभावी होगा। जैसा कि विधानसभा के अध्यक्ष या विधान परिषद के सभापति, जो भी स्थिति हो, द्वारा उसमें किया जाए।”

(12) अनुच्छेद 191 के खंड (2) में, “प्रांत” शब्द के स्थान पर “भारतीय राज्य” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँगे।

(13) अनुच्छेद 197 के स्थान पर, निम्नलिखित अनुच्छेद स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“197” न्यायाधीशों के वेतन प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उन वेतनों और भत्तों तथा छुट्टी, अनुपस्थिति और पेंशन के मामले में उन अधिकारों के हकदार होंगे जो राष्ट्रपति द्वारा राजप्रमुख के परामर्श से समय-समय पर अवधारित किया जाएगा परंतु किसी न्यायाधीश के वेतन में और अनुपस्थिति, छुट्टी, पेंशन के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।”

मैं बाद में अन्य संशोधन प्रस्तुत करूँगा।

जैसा कि देखा जा सकता है, कि इस भाग में यह विचार अंतर्निहित है कि इस संविधान के भाग VI जिसमें राज्यों के संविधान का उल्लेख किया है, अब भाग III में राज्यों के लिए अनुच्छेद 211-क के उपबंधों के अधीन स्वतः ही लागू होंगे। लेकिन यह महसूस किया गया है कि भारतीय राज्यों जो कि भाग III में होंगे, के मामले में भाग VI को लागू करने में अन्य विशेष परिस्थितियाँ हैं। जिनके लिए कुछ उपबंध

किया जाना आवश्यक है और इस विशेष संशोधन संख्या 217 का प्रयोजन उन विशेष अनुच्छेदों को दर्शाना है जिनमें ये संशोधन आवश्यक हैं ताकि भाग III में राज्यों की विशेष परिस्थितियों का सामना किया जा सके। अन्यथा भाग III में राज्यों के जहाँ तक आंतरिक गठन का संबंध है, वह भाग I में उल्लिखित राज्यों के समकक्ष होंगे।

**प्रो. शिबनलाल सक्सेना :** मैं जो संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूँ वह सूची XII में है जिसकी संख्या 288 है।

**श्री सभापति :** यह मुझे अभी-अभी मिला है।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** आप इसे किस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं?

**प्रो. शिबनलाल सक्सेना :** सभापति महोदय ने जिस संशोधन को पढ़ा है, उसे प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सूची XII की संशोधन संख्या 288 प्रस्तुत कर रहा हूँ।

\* \* \* \* \*

भारत की संविधान सभा 80 कंस्टीट्यूशन हॉल, नई दिल्ली में म.पू. 10.00 बजे एकत्रित हुई। श्री सभापति (माननीय डा. राजेन्द्र प्रसाद) पीठासीन थे।

<sup>1</sup> सी.ए.डी. खंड 10, 12 अक्टूबर, 1949, पृष्ठ 158

### भाग VI - क ( क्रमागत )

**श्री सभापति :** मैं समझता हूँ कि बेहतर होगा कि राज्यों के संबंध में जिन अन्य अनुच्छेदों में संशोधन करने की बात कही गई है, उन सभी को पहले ले लें, फिर सामान्य चर्चा करें। मैं नहीं समझता कि डॉ. अम्बेडकर के लिखे पूरे पाठ को पढ़ना जरूरी है।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ( बंबई जनरल ) :** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“कि अनुच्छेद 224 का लोप किया जाए।”

“कि अनुच्छेद 225 का लोप किया जाए।”

“कि अनुच्छेद 235 के बाद, निम्नलिखित नया अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

274 घ घ. इस संविधान के पूर्वलिखित उपबंधों में किसी बात के रहते हुए भी, राष्ट्रपति किसी राज्य में दूसरे राज्यों में से आयातित या उस राज्य से दूसरे राज्यों में भेजी जाने वाली वस्तुओं पर उस राज्य द्वारा किसी कर या शुल्क के संबंध में पहली अनुसूची के भाग III में वर्तमान में उल्लिखित राज्य के साथ कोई समझौता कर सकता है और इस अनुच्छेद के अधीन किया गया कोई भी समझौता इस संविधान के आरंभ होने के 10 वर्षों के अधिक समय के लिए जारी नहीं रहेगा, जैसा कि समझौता में विनिर्दिष्ट हो। परंतु राष्ट्रपति इस संविधान के अनुच्छेद 260 के अधीन वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद यदि जरूरी समझें तो ऐसे आरंभ होने से पाँच वर्ष बीत जाने पर किसी भी समय ऐसे किसी समझौते को समाप्त या उसे संशोधित कर सकता है।

274 घ घ घ. इस संविधान के अनुच्छेद 274क और 274ग में उल्लिखित कोई भी उपबंध किसी भी विद्यमान कानून के उपबंधों को प्रभावित नहीं करेगा और अन्यथा राष्ट्रपति द्वारा कोई आदेश न दे।” अनुच्छेद 274क और 274ग का विद्यमान कानूनों पर प्रभाव।

भारतीय रियासतों के शासकों के अधिकार और विशेषधिकार “कि अनुच्छेद 302 के बाद, निम्नलिखित नया अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

302क संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा कानून बनाने की शक्ति का प्रयोग करने में या संघ या राज्य की कार्यपालक शक्ति का प्रयोग करने में भारतीय रियासत के शासक के वैयक्तिक अधिकारों और गरिमा के संबंध में इस संविधान के अनुच्छेद 367क में उल्लिखित ऐसे किन्हीं करार या समझौते में दी गई गारंटी या आश्वासन का यथोचित सम्मान किया जाएगा।”

“कि अनुच्छेद 306 के बाद, निम्नलिखित नए अनुच्छेद अंतःस्थापित किए जाएँ:-

“306ख. इस संविधान में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इसके आरंभ होने के दस वर्षों की अवधि या उससे अधिक या कम अवधि जैसा कि संसद कानून द्वारा उस राज्य के संबंध में विहित करे, पहली अनुसूची के भाग III में वर्तमान में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य की सरकार समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा जारी ऐसे विशेष निदेशों के सामान्य नियंत्रण के अधीन रहेगा और उनका पालन करेगा तथा ऐसे निदेशों का पालन करने में विफल रहने को इस संविधान के उपबंधों के अनुसार सरकार चलाने में विफल माना जाएगा।

“परंतु राष्ट्रपति आदेश के द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि इस अनुच्छेद के उपबंध आदेश में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के मामले में लागू नहीं होगा।”

“कि अनुच्छेद 258 के खंड (1) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाए :-

- (1) इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के रहते हुए भी भारत सरकार इस अनुच्छेद के खंड (2) के उपबंधों के विषयाधीन पहली अनुसूची के भाग III में वर्तमान विनिर्दिष्ट किए जा रहे किसी राज्य की सरकार के साथ निम्नलिखित के संबंध में समझौता कर सकती है।
- (क) ऐसे राज्य में भारत सरकार द्वारा उद्ग्रहणीय कोई कर या शुल्क का उद्ग्रहण और संग्रहण और आगमों के वितरण जो कि इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार अन्यथा न हो;
- (ख) ऐसे राज्य के राजस्व का नुकसान हो जाने पर जो कि वह राज्य इस संविधान के अधीन भारत सरकार द्वारा या किसी अन्य संसाधनों से उद्ग्रहणीय कोई

कर या शुल्क प्राप्त किया करता था, भारत सरकार द्वारा उसे कोई वित्तीय सहायता स्वीकृत किए जाने के मामले में।

- (ग) इस संविधान के अनुच्छेद 267क के खंड (1) के अधीन भारत सरकार द्वारा किए गए भुगतान के संबंध में ऐसे राज्य द्वारा किया गया अंशदान और जब ऐसा कोई समझौता होता है, तो इस अध्याय के उपबंधों का उस राज्य के संबंध में प्रभाव ऐसे समझौते की शर्तों के विषयाधीन होता है।”

“कि भाग IX के अध्याय I में, अनुच्छेद 267 के बाद, निम्नलिखित नया अनुच्छेद अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

‘267क (1) जहाँ इस संविधान के आरंभ होने के पहले किसी भारतीय रियासत के शासक द्वारा किए गए करार या समझौते के अधीन, ऐसी धनराशि का भुगतान भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा प्रिवी पर्स के रूप में ऐसे राज्य के किसी शासक को कर मुक्त रूप में किए जाने की गारंटी या आश्वासन दिया जा चुका हो -

- (क) ऐसी धनराशि भारत की संचित निधि से प्रभारित होगी और उसका भुगतान किया जाएगा।

- (ख) किसी शासक को भुगतान की जाने वाली राशि आय पर सभी करों से मुक्त होगी।

- (2) जहाँ पूर्व उल्लिखित ऐसे किसी भारतीय रियासत के राज्यक्षेत्र पहली अनुसूची के भाग I या भाग III में विनिर्दिष्ट राज्य के अधीन आते हों, वहाँ भारत सरकार द्वारा इस अनुच्छेद के खंड (1) के अधीन किए गए भुगतानों के संबंध में उस राज्य की संचित निधि से उसे अंशदान को प्रभारित किया जाएगा और उसका भुगतान किया जाएगा और इस संविधान के अनुच्छेद 258 के खंड (1) के अधीन उस संबंध में किए गए समझौते के विषयाधीन इसकी अवधि का निर्धारण राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किया जाएगा।”

“कि अनुच्छेद 270 के बाद, निम्नलिखित नया अनुच्छेद जोड़ा जाए -

270क. (1) इस संविधान के प्रारंभ से ही -

- (क) संघ सूची में प्रमाणित किसी विषय से संबंधित सभी संपत्ति ऐसे प्रारंभ से ठीक पहली अनुसूची के भाग III में विनिर्दिष्ट राज्य के तत्थानी किसी देशी राज्य में निहित थी, भारत सरकार में निहित होंगी।

(ख) जो दायित्व पहली अनुसूची के भाग III में विनिर्दिष्ट राज्य के तत्स्थानीय किसी देशी राज्य की सरकार की थी, उस संबंध में भारत सरकार और उस राज्य की सरकार के बीच हुए समझौते के विषयाधीन भारत सरकार के दायित्व होंगे।

(2) इस संविधान के प्रारंभ से ही पहली अनुसूची के भाग III में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य की सरकार, उन सभी संपत्ति, आस्तियों, दायित्वों और बाध्यताओं जो इस अनुच्छेद के खंड (1) में निर्दिष्ट से भिन्न हैं, तत्स्थानीय देशी राज्य की उत्तराधिकारी होगी।

**श्री ब्रजेश्वर प्रसाद (बिहार : जनरल) :** महोदय, मेरा सुझाव है कि अनुच्छेद 224 और 225 से संबंधित अनुच्छेदों को पहले निपटाया जाना चाहिए या फिर इन अनुच्छेदों के बारे में माननीय सदस्यों के जो संशोधन हैं, उन्हें पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

**श्री सभापति :** उन सबको हटाना पड़ेगा। उन्हें निपटाने में समय नष्ट करने की जरूरत नहीं है।

[अनुच्छेद 224 को संविधान से हटाया गया]



## अनुच्छेद 3

( फिर से लिया गया )

<sup>1</sup>श्री सभापति : अब हम परिणामी संशोधन संख्या 226 आदि को लेंगे।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं श्री टी.टी. कृष्णमाचारी को अपनी ओर से संशोधन प्रस्तुत करने का अनुरोध करता हूँ।

\* \* \* \* \*

## अनुच्छेद 296

( फिर से लिया गया )

<sup>2</sup>श्री सभापति : अब हम अनुच्छेद 296 लेंगे। संशोधन संख्या 1051 हमारे पास बड़ी संख्या में संशोधन मौजूद हैं। कुछ संशोधन ऐसे संशोधन हैं जो प्रारूप समिति की ओर से प्रस्तुत किए जाने हैं। उनमें से कई अति व्याप्त होंगे। इसलिए, मैं समझता हूँ कि सदस्यगण स्वयं ही कतिपय विवेक का प्रयोग करते हुए उन संशोधनों द्वारा कवर होते हैं।

श्री एच.बी. कामथ संयुक्त प्रांत और बेरार : जनरल : महोदय, हम आपके निर्णय का पालन करेंगे।

श्री सभापति : मैं तो कोई निर्णय नहीं देना चाहता हूँ, यदि ऐसा हो सकता।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ( बंबई - जनरल ) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

कि सूची के संशोधन संख्या 3163 के संदर्भ में, अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाए:-

296 संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियाँ करने में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का, प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे।

<sup>1</sup> सी.ए.डी. खंड 10, 14 अक्टूबर, 1949, पृष्ठ 210

<sup>2</sup> वही, 14 अक्टूबर, 1949, पृष्ठ 229

\* \* \* \* \*

**श्री सभापति** : अगला संशोधन संख्या 23 है जो डॉ. अम्बेडकर के नाम पर है, जिसमें प्रतिस्थापन किया जाना है।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर** : मैं इसे प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूँ।

**श्री सभापति** : फिर संशोधन संख्या 24 ?

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर** : इसे प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

[*डॉ. अम्बेडकर का उपर्युक्त संशोधन स्वीकृत हुआ। अनुच्छेद 296, यथासंशोधित संविधान में जोड़ा गया।*]

\* \* \* \* \*

## अनुच्छेद 299

**सरदार हुकम सिंह** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। क्या इन चार सिक्ख जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल किया गया है।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर** : निःसंदेह उन्हें शामिल किया जाएगा।

**श्री के.एम. मुंशी** : राष्ट्रपति को अनुच्छेद 300-क के अधीन अनुसूचित जातियों की सूची जारी करने की शक्ति प्राप्त है। उसमें इन्हें अनुसूचित जातियों में जगह मिल जाएगी।

**सरदार हुकम सिंह** : इस बात की क्या गारंटी है कि राष्ट्रपति इन लोगों को सूची में शामिल करेंगे ही? संविधान में इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी सुरक्षा उपायों को छोड़ दिया है। ऐसा नहीं किया गया है।

**श्री के.एम. मुंशी** : राष्ट्रपति को वह शक्ति प्राप्त है। जो वचन दिया गया है, राष्ट्रपति उसे निश्चय ही पूरा करेंगे। सलाहकार समिति के प्रतिवेदन में इस निर्णय का उल्लेख है कि सिक्ख, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के भाग होंगे और उसके साथ ही हमने अनुच्छेद 296 के अधीन जो सुरक्षोपाय पारित कर चुके हैं, भी रहेंगे। उस वचन से पीछे हटने का कोई प्रश्न ही नहीं है; आपको यह आश्वासन तो मैं दे सकता हूँ। मैं इस बात को दुहराता हूँ कि सिक्ख अनुसूचित जातियों को पंजाब की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाएगा।

[*अनुच्छेद 299 यथासंशोधित रूप में संविधान में जोड़ा गया।*]

<sup>1</sup> सी.ए.डी. खंड 10, 14 अक्टूबर, 1949, पृष्ठ 236-237

<sup>2</sup> वही, पृष्ठ 262

## अनुच्छेद 48

**श्री एच.वी. कामत :** डॉ. अम्बेडकर ने जब मुझे उस दिन उत्तर दिया था तो उनके विचार बड़े ही स्पष्ट थे, लेकिन अब लगता है कि उनके अपने मन में ही कुछ संशय व्याप्त है और अब एक संशोधन लेकर आए हैं जिसमें राज्यपालों और राष्ट्रपति को किरायामुक्त आवास देने की बात कही गई है। हमें तर्कपूर्ण ढंग से आगे बढ़ना चाहिए और मंत्रियों को भी किराया मुक्त आवास मुहैया कराना चाहिए।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** महोदय, यदि मुझे कहने की अनुमति हो, तो कुछेक शब्द कह सकता हूँ। यह संशोधन तो उस उपबंध का महज परिणामी या सदृश्य है जो हमने राजप्रमुखों के संबंध में किया है। हमने राजप्रमुखों के आवासों के संबंध में उस दिन प्रस्तुत किए गए खंडों में निश्चय ही यह कहा है कि वे आवास किराया मुक्त होंगे। राज्यपालों से संबंधित उसी प्रकार के खंडों की तुलना करने पर हमने पाया कि हमसे किसी प्रकार की चूक हो गई और हमने किराया मुक्त आवास के बारे में उल्लेख नहीं किया था। उस कमी को दूर कर लेना अच्छा है तथा राज्यपालों और राष्ट्रपति को राजप्रमुखों की स्थिति के अनुरूप लाने के लिए इस संशोधन की जरूरत है।

मंत्रियों से संबंधित मुद्दा संसद द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा विनियमित होगा। क्या संसद उन्हें आवास के साथ वेतन देने के लिए तैयार होगी और यदि आवास वेतन दिया जाएगा तो फिर आवास किराया मुक्त रहेगा अथवा उस पर किराया लगेगा, ये सारे मुद्दे संसद द्वारा विनियमित होंगे, क्योंकि मंत्रियों का पद राजनीतिक पद है जो कि सभा सद्भाव तथा विश्वास पर निर्भर है और मुझे लगता है कि श्री कामत इस बात को बड़ी आसानी से समझेंगे कि मंत्रियों को संसद की समीक्षा और अधिकारिता से अलग रखना समुचित है।

**श्री सभापति :** मैं इस पर मतदान लूँगा।

प्रस्ताव है :

“अनुच्छेद 48 के खंड (3) में, ‘राष्ट्रपति को सरकारी आवास मुहैया कराया जाएगा’ शब्दों के स्थान पर ‘राष्ट्रपति किराया मुक्त सरकारी आवास का उपयोग करने का हकदार होगा’ शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँ।”

[संशोधित अस्वीकृत हुआ।]

**श्री सभापति :** फिर भी मैं श्री टी.टी. कृष्णामाचारी द्वारा प्रस्तुत संशोधन

को रखता हूँ।

प्रस्ताव है :

“अनुच्छेद 48 के खंड (3) में, राष्ट्रपति को सरकारी आवास मुहैया कराया जाएगा’ शब्दों के स्थान पर ‘राष्ट्रपति सरकारी आवास जो किराया मुक्त होगा, का उपयोग करने का हकदार होगा’ शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँ।”

*संशोधन स्वीकृत हुआ।*

**श्री टी.टी. कृष्णामाचारी :** महोदय, मैं संशोधन संख्या 360 प्रस्तुत करता हूँ।

“कि अनुच्छेद 62 का खंड (5क) का लोप किया जाए।

इसका कारण यह है कि जैसा कि मैं सभा को डॉ. अम्बेडकर की ओर से उस दिन बता चुका हूँ कि हम अनुसूची IIIक और साथ ही वह अनुसूची जो राज्यपालों से संबंधित हैं, को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं। प्रस्ताव में खंड इस प्रकार है: (5क) राष्ट्रपति अपने मंत्रियों को चुनने और अपने अन्य कृत्यों का निर्वहन करने के लिए अनुसूची IIIक निर्धारित अनुदेशों से सामान्यतः दिशा-निर्देश प्राप्त करेगा।” चूंकि अनुसूची IIIक वस्तुतः प्रस्तुत नहीं किया गया है, यह खंड फालतू हो गया है। इसलिए मैंने इसका लोप किए जाने का प्रस्ताव किया है।

**श्री एच.वी. कामथ :** महोदय, आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले आपने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था कि क्या राष्ट्रपति अपनी मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए हमेशा बाध्य रहेगा। हमारा संविधान उस बारे में मौन है। इसमें केवल यह कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और उसे सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। डॉ. अम्बेडकर ने उस समय संविधान में कुछ उपबंध अंतःस्थापित करने की बात कही थी कि इस मुद्दे को स्पष्ट किया जा सके। मुझे तो इतना याद है। सभापति महोदय, मुझे कृपया बताएँ कि मैं सही हूँ या गलत। प्रारूप संविधान में कहीं भी इस मुद्दे को स्पष्ट नहीं किया गया है। मैं आशा करता हूँ कि डॉ. अम्बेडकर इसे स्पष्ट करेंगे और वर्तमान की तरह इसे अस्पष्ट नहीं रहने देंगे।

**माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** महोदय, मुझे इसके बारे में सूचना दी गई होती तो मैं आवश्यक अंश उद्धृत कर सकता था। लेकिन मैं एक सामान्य वक्तव्य दे सकता हूँ। मुद्दा यह है कि क्या संविधान में कुछ भी ऐसा अंतर्निहित है, जो राष्ट्रपति

<sup>1</sup>सी.ए.डी. खंड 10, 14 अक्टूबर, 1949, पृष्ठ 269-270

को मंत्री की सलाह स्वीकार करने के लिए बाध्य करता है, वास्तव में सामान्य प्रश्न की तुलना में बड़ा ही छोटा प्रश्न है। मैं सामान्य प्रश्न के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ।

जहाँ तक संसदीय लोकतंत्र का संबंध है, प्रत्येक संविधान में राज्य के तीन अलग-अलग अंगों - कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का उपबंध किया जाना जरूरी होता है। मुझे किसी भी संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं मिला है जो यह कहता हो कि कार्यपालिका की आज्ञा मानेगा, न ही मैंने किसी संविधान में ऐसा उपबंध देखा है कि कार्यपालिका न्यायपालिका की आज्ञा का पालन करेगा। ऐसा उपबंध कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आमतौर पर यह माना जाता है कि संविधान के विभिन्न उपबंधों को मानना राज्य के अलग-अलग अंगों के लिए बाध्यकारी है। परिणामतः यह धारणा बनती है कि संविधान को लागू करने वाले लोग, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की जिम्मेदारी संभालने वाले लोग अपने कार्यों, अपनी सीमाओं और अपने कर्तव्यों के बारे में जानते हैं। इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि यदि कार्यपालिका संविधान के अनुरूप ईमानदारीपूर्वक कार्य करती है तो वह संविधान में किसी प्रकार की निर्धारित अनिवार्य बाध्यता के बिना ही विधायिका की बात मानने के लिए बाध्य होगी।

उसी प्रकार से, यदि कार्यपालिका संविधान के अनुरूप कार्य करने के प्रति ईमानदार है, तो उसे उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए न्यायिक निर्णयों के अनुरूप कार्य करना होगा। इसलिए मेरा यह मानना है कि यह राज्य के किसी अंग का अपनी सीमाओं में रहकर तथा राज्य के दूसरे अंगों की श्रेष्ठता का पालन करने का मामला है। संविधान द्वारा सर्वोच्चता संवैधानिक दायित्वों से जुड़ा मामला है जो संविधान में बिल्कुल स्पष्ट है।

महोदय, मुझे याद है कि आपने यह प्रश्न उठाया था और मैं ऊपर देखने लगा था तथा मेरे पास किंग बेंच के दो निर्णय हैं जिन्हें मैं लाकर सभा में दिखाना चाहता था ताकि यह मुद्दा बिल्कुल स्पष्ट हो सके। लेकिन मुझे खेद है कि इस मुद्दे को उठाए जाने के बारे में मुझे कोई सूचना नहीं थी। लेकिन जो मुद्दा उठाया गया है उसका उत्तर यही है।

किसी भी देश में कोई भी संवैधानिका सरकार तब तक नहीं चल सकती जब तक कोई भी संवैधानिक प्राधिकारी इस तथ्य को याद नहीं रखे कि उसके प्राधिकार संविधान द्वारा सीमित किया गया है और यदि संविधान द्वारा प्राधिकारों के बीच निर्णय देने के लिए किसी प्राधिकारी का सृजन किया गया हो तो उस प्राधिकारी का निर्णय राज्य के अन्य अंगों के लिए बाध्यकारी होगा। इस संविधान के द्वारा जो यह उपबंध किया गया है कि राष्ट्रपति अपने मंत्रियों की सलाह को मानेगा, उसका उद्देश्य यह

सुनिश्चित करना है कि कार्यपालिका अपने कार्यपालक प्राधिकार और संसद द्वारा बनाए गए कानून से परे हटकर कार्य नहीं करेगी तथा कार्यपालिका किसी कानून जो संविधान द्वारा सृजित न्यायपालिका के अंग द्वारा की गई व्याख्या के प्रतिरोध में ही उस कानून का अपने ढंग से व्याख्या नहीं करेगी।

**श्री एच.वी. कामथ :** यदि किसी मामले विशेष में राष्ट्रपति अपनी मंत्री परिषद की सलाह के अनुरूप कार्यवाही नहीं करे तो क्या उसे संविधान का उल्लंघन माना जाएगा और उस पर महाभियोग चलाया जाएगा?

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** इसके बारे में थोड़ी सी भी शंका नहीं है।

**माननीय श्री के. संधानम (मद्रास - जनरल) :** मैं डा. अम्बेडकर के वक्तव्य के बारे में कुछ और जोड़ते हुए यह बताना चाहता हूँ कि कतिपय ऐसे सीमांत मामले हैं, जिन पर राष्ट्रपति, मंत्रियों की सलाह स्वीकार नहीं कर सकता है। जब मंत्रालय सभा भंग कराना चाहता हो, राष्ट्रपति के पास ऐसा कहने का खुला विकल्प हो सकता है कि वह दूसरी सरकार, जिसे बहुमत का विश्वास हासिल है, की स्थापना कराएगा और प्रशासन जारी रहेगा। कुछ सीमान्त मामले हैं, जहाँ जिम्मेदार सरकार के हित में अपने मंत्रियों की सलाह को नहीं मानेगा।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** इसके उत्तर में, मैं केवल एक ही बात कहना चाहूँगा। ऐसी स्थिति एक बार आ चुकी है। मैकाले की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड में यह बड़े ही स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा चुका है कि किंग क्या कर सकता है। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूँ कि ये परंपरागत मामले हैं। कनाडा में यह प्रश्न उठा था जब मैकेंजी, किंग ने सभा भंग करनी चाही थी। प्रश्न यह था कि क्या गवर्नर जनरल निर्णय देने के लिए बाध्य थे या फिर वह वैकल्पिक सरकार का गठन करने के लिए विपक्ष के नेता को बुलाने के लिए स्वतंत्र थे। ब्रिटिश सरकार की सलाह पर, गवर्नर जनरल ने मैकेंजी की सलाह मान ली और संसद को भंग कर दिया।

**श्री एच.वी. कामथ :** डॉ. अम्बेडकर के ओबिटर डिक्टम की बजाय एक संवैधानिक उपबंध क्यों नहीं होना चाहिए।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** हम इस प्रश्न पर इस तरीके से विचार नहीं कर सकते।

{श्री टी.टी. कृष्णमाचारी द्वारा पूर्व में उल्लिखित संशोधन संख्या 360 स्वीकृत हुआ। अनुच्छेद 62 का खंड (5क) का लोप कर दिया गया।}

\* \* \* \* \*

## अनुच्छेद 303

**माननीय श्री के. संथानम** : क्या मैं यह जान सकता हूँ कि क्या कोई व्यक्ति जो अपनी रियासत के किसी प्रांत में विलय के कारण उस रियासत को खो चुका है उसका शासक बना रहेगा या वह उत्तराधिकारी हो चुका है?

**श्री टी.टी. कृष्णमाचारी** : पूरी कठिनाई यह है, बल्कि यह जटिल चीज है। यह चकरा देने वाली बात है। मैं यह मानता हूँ कि जो व्यक्ति अपना रियासत खो चुका है, वह (ढढ) में दी गई परिभाषा तथा अनुच्छेद 367-क के प्रयोजनार्थ भी शासक बना रहेगा।

**माननीय श्री के. संथानम** : उसका पुत्र भी क्यों नहीं शासक बना रहेगा?

**श्री टी.टी. कृष्णमाचारी** : हो सकता है।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर** : मैं यह कहना चाहूँगा कि शासक की परिभाषा केवल प्रिवीपर्स का भुगतान करने के सीमित उद्देश्य से ही दी गई है। इसका अन्य संदर्भ बिल्कुल ही नहीं है।

**माननीय श्री के. संथानम** : मेरा यह कहना है कि क्या इसका अर्थ यह हो सकता है कि एक ही समय में दो व्यक्ति इन भत्तों को पाने के हकदार होंगे। मैं यह सुनिश्चित कराना चाहता हूँ कि एक समय में ही एक व्यक्ति नियम पत्र के अधीन भुगतान पाने का हकदार होगा।

**श्री सभापति** : मैं समझता हूँ कि यह इसमें संरक्षित है क्योंकि शासक के रूप में मान्यताप्राप्त व्यक्ति ही भुगतान प्राप्त करने का हकदार होगा।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर** : यह मान्यता देने संबंधी उपबंधों के द्वारा शासित होगा। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति दो या तीन या चार व्यक्तियों को मान्यता नहीं देने जा रहे हैं। इस अभिव्यक्ति का उपयोग जानबूझकर किया गया है, ताकि राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की जा सके।

**माननीय श्री के. संथानम** : उसे शासक या उत्तराधिकारी की संज्ञा दी जा सकती है।

**श्री सभापति** : श्री संथानम, मेरे विचार से यह बिल्कुल स्पष्ट है मैं नहीं समझता कि आगे और चर्चा जरूरी है। मैं इस पर मत लूँगा।

{अनुच्छेद 303 के खंड (1) के उपखंड (ढढ) को प्रतिस्थापित करने वाला श्री टी.टी. कृष्णमाचारी का संशोधन स्वीकृत हुआ।}

**श्री सभापति** : फिर हम अनुसूची को लेते हैं।

<sup>1</sup> सी.ए.डी. खंड 10, 14 अक्टूबर, 1949, पृष्ठ 282

<sup>2</sup> वही, पृष्ठ 286-288

## पहली अनुसूची

माननीय डॉ. बी.आर अम्बेडकर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि पहली अनुसूची के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :-

### “पहली अनुसूची

( अनुच्छेद 1 और 4 )

राज्य और भारत के संघ राज्य क्षेत्र

#### भाग I

राज्यों के नाम	प्रांतों के नाम
1. असम	असम
2. बंगाल	पश्चिम बंगाल
2. बंगाल	पश्चिम बंगाल
3. बिहार	बिहार
4. बंबई	बंबई
5. कौशल विदर्भ	मध्य प्रांत और बिरार
6. मद्रास	मद्रास
7. उड़ीसा	उड़ीसा
8. पंजाब	पूर्वी पंजाब
9. संयुक्त प्रांत	संयुक्त प्रांत



## राज्य क्षेत्र

वे राज्य क्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले असम प्रांत, खासी राज्यों और असम जनजाति क्षेत्रों में समाविष्ट थे, असम राज्य क्षेत्र के भाग हैं।

वे राज्य क्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पश्चिम बंगाल प्रांत में समाविष्ट थे, पश्चिम बंगाल के भाग हैं।”

**श्री बी.के. दास ( उड़ीसा : जनरल ) :** हम उड़ीसा का नाम उत्कल रखना चाहते थे।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** आप एक संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं।

“वे राज्य क्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले बंबई प्रांत के भाग थे और वे क्षेत्र जो भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 290क के अधीन पारित किए गए एक आदेश के अनुसरण में इस प्रकार से प्रशासन के अंतर्गत आने से पूर्व वे भाग जिन्हें उस प्रांत का भाग माना गया या अतिरिक्त प्रांतीय क्षेत्राधिकार अधिनियम, 1947 के अधिनियमों के अधीन उस प्रांत की सरकार द्वारा शासित होने से पूर्व इस क्षेत्र के भाग थे, इसके भाग होंगे।

अन्य राज्यों के प्रत्येक वे क्षेत्र उस प्रांत और क्षेत्रों के भाग बनेंगे जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले उसके भाग थे और वे क्षेत्र जो भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 290क के अधीन पारित किए गए एक आदेश के अनुसरण में इस प्रकार से प्रशासन के अंतर्गत आने से पूर्व वे भाग जिन्हें उस प्रांत का भाग माना गया या अतिरिक्त प्रांतीय क्षेत्राधिकार अधिनियम, 1947 के अधिनियमों के अधीन उस प्रांत की सरकार द्वारा शासित होने से पूर्व इस क्षेत्र के भाग थे, इसके भाग होंगे।

## भाग II

### राज्यों के नाम

1. अजमेर
2. भोपाल
3. बिलासपुर

4. कुर्ग
5. कूच बिहार
6. दिल्ली
7. हिमाचल प्रदेश
8. कच्छ
9. मणिपुर
10. रामपुर
11. त्रिपुरा

## राज्य क्षेत्र

वे राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले अजमेर-मेरवाड़ा और पंथ पिपलोदा के मुख्य आयुक्त के प्रांतों के भाग थे, इसके भाग बनेंगे।

वे क्षेत्र जो कुर्ग और दिल्ली राज्यों के प्रत्येक राज्य क्षेत्र के इस संविधान से ठीक पहले मुख्य आयुक्त के प्रांत के भाग थे, इसके भाग बनेंगे।

अन्य राज्यों के प्रत्येक वे क्षेत्र उस प्रांत और क्षेत्रों के भाग बनेंगे जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले उसके भाग थे और वे क्षेत्र जो भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 290क के अधीन पारित किए गए एक आदेश के अनुसरण में इस प्रकार से प्रशासन के अंतर्गत आने से पूर्व वे भाग जिन्हें उस प्रांत का भाग माना गया या अतिरिक्त प्रांतीय क्षेत्राधिकार अधिनियम, 1947 के अधिनियमों के अधीन उस प्रांत की सरकार द्वारा शासित होने से पूर्व इस क्षेत्र के भाग थे, इसके भाग होंगे।

## भाग III

### राज्यों के नाम

1. हैदाराबाद
2. जम्मू और कश्मीर
3. मध्य भारत

4. मैसूर
5. पटियाला और पूर्वी पंजाब संघ राज्य
6. राजस्थान
7. सौराष्ट्र
8. द्रावनकोर-कोचीन
9. विन्ध्य प्रदेश

## राज्य क्षेत्र

वे राज्य क्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले राजस्थान के संयुक्त राज्य के भाग थे और वे क्षेत्र जो भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 290क के अधीन पारित किए गए एक आदेश के अनुसरण में इस प्रकार से प्रशासन के अंतर्गत आने से पूर्व वे भाग जिन्हें उस प्रांत का भाग माना गया या अतिरिक्त प्रांतीय क्षेत्राधिकार अधिनियम, 1947 के अधिनियमों के अधीन उस प्रांत की सरकार द्वारा शासित होने से पूर्व इस क्षेत्र के भाग थे, इसके भाग होंगे।

वे राज्य क्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कठियावाड़ (सौराष्ट्र) के संयुक्त राज्य के भाग थे और वे क्षेत्र जो भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 290क के अधीन पारित किए गए एक आदेश के अनुसरण में इस प्रकार से प्रशासन के अंतर्गत आने से पूर्व वे भाग जिन्हें उस प्रांत का भाग माना गया या अतिरिक्त प्रांतीय क्षेत्राधिकार अधिनियम, 1947 के अधिनियमों के अधीन उस प्रांत की सरकार द्वारा शासित होने से पूर्व इस क्षेत्र के भाग थे, इसके भाग होंगे।

अन्य राज्यों के प्रत्येक वे क्षेत्र उस प्रांत और क्षेत्र के भाग बनेंगे जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले उसके भाग थे।

## भाग IV

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह''

महोदय, मैं नहीं समझता कि मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसके लिए किसी स्पष्टीकरण की जरूरत है।

**श्री जयनारायण व्यास :** मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सिरोही रियासत को कहीं रखा गया है या नहीं।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** मैं समझता हूँ: सिरौही प्रांतीयत्तर अधिकारिता अधिनियम, 1947 के अधीन आंशिक तौर पर बंबई के द्वारा तथा राजस्थान के द्वारा शासित होता है। यही कारण है कि इसका अलग से उल्लेख नहीं किया गया है।

\* \* \* \* \*

## अनुच्छेद 264क

**माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** महोदय, मैं संशोधन संख्या 425 प्रस्तुत करता हूँ :

“कि सूची XIII के संशोधन संख्या 307 (दूसरे सप्ताह) में प्रस्तावित अनुच्छेद 264क के स्थान पर निम्नलिखित अंतःस्थापित किए जाएँ -

- (1) राज्य की कोई विधि, माल के क्रय विक्रय पर, जहाँ ऐसा क्रय या विक्रय के बारे में निर्बंधन।
  - (क) राज्य के बाहर, या
  - (ख) भारत के राज्यक्षेत्र में माल के आयात या उसके बाहर निर्यात के दौरान होता है वहाँ कोई कर अधिरोपित नहीं करेगी या अधिरोपित करना प्राधिकृत नहीं करेगी।
  - (2) संसद, यह निर्धारित करने के लिए कि माल का क्रय या विक्रय खंड (1) में वर्णित रीतियों में से किसी रीति से कब होता है, विधि द्वारा सिद्धांत बना सकती।
  - (3) जहाँ तक किसी राज्य की कोई विधि :-
  - (क) ऐसे माल के, जो संसद द्वारा विधि द्वारा अंतराज्यिक व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व का माल घोषित किया गया है, क्रय या विक्रय पर कोई कर अधिरोपित करती है या कर का अधिरोपण प्राधिकृत करती है; या
  - (ख) माल के क्रय या विक्रय पर ऐसा कर अधिरोपित करती है या ऐसे कर का अधिरोपण प्राधिकृत करती है, जो अनुच्छेद 366 के खंड (29क) के उपखंड (ख), उपखंड (ग) या उपखंड (घ) में निर्दिष्ट प्रकृति का कर है,
- वहाँ तक वह विधि, उस कर के उद्ग्रहण की पद्धति दरों और अन्य प्रसंगतियों के संबंध में ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन होगी जो संसद विधि द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

<sup>1</sup> सी.ए.डी. खंड 10, 16 अक्टूबर, 1949, पृष्ठ 325-327

महोदय, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि बिक्री कर के कारण पूरे भारत में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता के मामले में कठिनाई पैदा हुई है। ऐसा पाया गया है कि विभिन्न प्रांतीय सरकारों द्वारा वसूल किए जाने वाले बहुत सारे बिक्री करों से या तो सामानों में कटौती होती है, जो कि आयात या निर्यात के विषयगत होते हैं या फिर अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में कटौती होती है। इस बात पर सहमति है कि इस प्रकार की अव्यवस्था फैलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और जहाँ प्रांतों को बिक्री कर लगाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, वहीं कुछ विनियम भी होने चाहिए जो प्रांतों द्वारा लगाए जाने वाले बिक्री कर में शामिल मंशा के अनुरूप है। इसलिए, यह महसूस किया गया कि बिक्री कर लगाने की प्रांतों की शक्ति पर कतिपय सीमाएँ निर्धारित करने वाले कुछ विशिष्ट उपबंध होने चाहिए।

सभा को जो पहली बात मैं बताना चाहता हूँ कि वह यह है कि इस अनुच्छेद 264क में कतिपय उपबंध ऐसे हैं जो संविधान के विभिन्न भागों के महज पुनःप्रस्तुति है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 264क के उपखंड (1), जैसा कि मेरे द्वारा प्रस्ताव किया गया है, में उपखंड (ख) संविधान, विधायी सूची की प्रविष्टि में अंतर्विष्ट अनुच्छेद का महज पुनःप्रस्तुति है, के आयात और निर्यात पर कर लगाने का अधिकार पूरी तरह से केंद्रीय सरकार का होगा। परिणामतः जहाँ तक उपखंड (1) (ख) संबंध है, इस बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता कि यह राज्यों के बिक्री कर के रूप में लेवी लगाने के अधिकार का एक प्रकार से अतिक्रमण है।

उसी प्रकार से उपखंड (2) भाग Xक जिसे हमने अभी हाल ही में पारित किया है और जो कि अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य से संबंधित उपबंधों के बारे में है, महज एक पुनःप्रस्तुति है। इसलिए जहाँ तक उपखंड (2) का संबंध है, उसमें नया कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ यह कहा गया है कि यदि किसी प्रकार का बिक्री कर लगाया जाता है तो वह भाग Xक के उपबंधों के विपरीत नहीं होना चाहिए।

उपखंड (3) के संबंध में इस बात पर सहमति हुई है कि कुछ वस्तुएँ ऐसी हैं जो पूरे भारतवर्ष के सामुदायिक जीवन के लिए इतनी अनिवार्य हैं कि उन्हें उस प्रांत जिनमें वे पाए जाते हैं, द्वारा उन पर बिक्री कर लगाए जाने का विषयाधीन नहीं रखा जाना चाहिए। इसलिए, यह महसूस किया गया कि ऐसा कोई भी सामान है जोकि पूरे भारत के सामुदायिक जीवन के लिए अनिवार्य हो तो फिर यह आवश्यक है कि संबंधित प्रांत द्वारा ऐसी किसी वस्तु पर कोई कर लगाया जाए, प्रांत द्वारा बनाए गए कानून को राष्ट्रपति से स्वीकृति मिलनी चाहिए ताकि राष्ट्रपति और केंद्रीय सरकार के लिए यह देखना संभव हो सके कि किसी प्रांत विशेष द्वारा प्रस्तावित विशेष प्रकार के लेवी लगाए जाने के कारण लोगों के सामने कठिनाई उत्पन्न न हो।

उपखंड (2) का परंतुक इतना अधिक महत्वपूर्ण है और सभा का ध्यान इसकी ओर खींचा गया है। यह बिल्कुल सच है कि राज्यों द्वारा कुछ बिक्री कर इस प्रकार के लगाए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 264क में अंतर्विष्ट उपबंधों के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं। उस लेवी को संभवतः उपबंधों से बाहर रखा जाता है। इसलिए यह महसूस किया गया है कि संविधान में परिकल्पित कानून का शासन जब प्रभावी हो तो सभी कानून जो कि संविधान के उपबंधों के अनुरूप नहीं हो, समाप्त माना जाएगा। आय पर बहुत तक उनकी वित्तीय स्थिति आधारित है, के लिए कतिपय प्रकार की वित्तीय कठिनाई या असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए संविधान के सामान्य उपबंधों के स्पष्टीकरण के रूप में यह प्रस्ताव किया गया है कि किसी प्रकार की असंगत स्थिति होने या अनुच्छेद 264क के उपबंधों के विपरीत किसी राज्य द्वारा लगाए गए किसी बिक्री कर के बाद भी, ऐसा कानून 31 मार्च, 1951 तक जारी रहेगा अर्थात् हमने व्यावहारिक तौर पर राज्यों को इस प्रकार के समायोजन करने का कुछ और महीने का समय देने का प्रस्ताव किया है ताकि वे इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुरूप कानून बना सकें।

मैं नहीं समझता हूँ कि जहाँ तक मेरे द्वारा प्रस्तुत संशोधन का संबंध है, उसके बारे में कोई और आगे स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक है लेकिन, यदि कोई मुद्दा उठाया जाता है तो मैं बहस का उत्तर देने में प्रसन्नता का अनुभव करूँगा।

\* \* \* \* \*

**श्री महावीर त्यागी :** बिक्री कर की वर्तमान प्रणाली में बहुत सारे दोष हैं। अब दिल्ली में कोई बिक्री कर नहीं है; संयुक्त प्रांत में मोटर कार, रेडियो, साईकिल और अन्य चीजों पर बिक्री कर लगाए जाते हैं। मेरठ का कोई भी नागरिक जब भी मोटर कार या साईकिल खरीदना चाहता है तो वह वहाँ के स्थानीय दुकान में नहीं जाता। स्थानीय एजेंसी को नुकसान झेलना पड़ता है। वह व्यक्ति दिल्ली आता है। मैं देख रहा हूँ कि डॉ. अम्बेडकर मुझे चुप रहने के लिए इशारा कर रहे हैं; वह मुझ पर अनुचित प्रभाव डाल रहे हैं।

**माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** मैं मुद्दे को समझ चुका हूँ।

**श्री महावीर त्यागी :** क्या आप इस बात को समझ चुके हैं? क्या आप इससे समहत हैं? क्या आप मेरी बात को ध्यान में रखने के लिए तैयार हैं? आपके पीछे लोगों के शिष्टमंडल हैं। डॉ. अम्बेडकर, मैं आपको यह आश्वस्त कर सकता हूँ यदि आप न्यायप्रिय हैं और यदि आपको न्याय की पहचान है तो आप बाद में अपने जीवन में भारत के श्रेष्ठ न्यायाधीश बन सकते हैं, यदि आप नागरिकों के साथ न्याय करें। महोदय, मेरा कहना यह है कि इस तरीके से कर लगाए जा रहे हैं

**माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** महोदय, सभा के समक्ष तीन संशोधन हैं। पहला संशोधन मेरे मित्र प्रो. शिब्वनलाल सक्सेना का है। उनके संशोधन के अनुसार उन्होंने जो प्रस्ताव किया है वह यह है कि बिक्री कर लगाए जाने की शक्ति व्यावहारिक तौर पर संसद के पास होनी चाहिए। इस प्रस्ताव पर दो मौलिक आपत्तियाँ हैं। पहल तो यह है कि इस मामले को विभिन्न समयों में प्रांतों के प्रमुख तथा भारत सरकार के वित्त विभाग के बीच उठाया जाता रहा है, जिसमें बिक्री कर लगाए जाने से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए बेहतर होता कि यदि कर लगाया जाए और उसकी वसूली केंद्र द्वारा की जाए तथा कुछ स्वीकृत सिद्धांतों या किसी आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर उसे प्रांतों के बीच वितरित कर दिया जाए। सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश प्रांतों के प्रमुखों को इस सिद्धांत पर आपत्ति थी और महोदय, मेरे विचार से उन लोगों का निर्णय सही था।

यद्यपि मैं यह कहने को तैयार हूँ कि प्रारूप संविधान की योजना में निर्धारित की गई वित्तीय प्रणाली किसी भी अन्य विशेष प्रणाली जिसकी जानकारी मुझे है, से बेहतर है। मैं समझता हूँ कि यह कहा जाना चाहिए कि इसमें एक दोष है। वह दोष यह है कि प्रांत काफी व्यापक तौर पर केंद्र द्वारा मुहैया कराए जाने वाले अनुदानों पर अपने संसाधनों के लिए निर्भर होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक तरीका जिसके माध्यम से एक जिम्मेदार सरकार कार्य कर सकती है वह है विधानमंडल में धन विधेयक प्रस्तुत करने की शक्ति को निहित किया जाना। इस योजना के अंतर्गत हमने यह प्रस्ताव किया है; प्रांत में प्रस्तुत किए जाने वाला कोई भी विधेयक बहुत ही संक्षिप्त प्रकार का होना चाहिए। वे प्रत्यक्ष रूप से जो कर लगा सकें उनका स्वरूप बहुत ही लघु होना चाहिए और विधानमंडल अपने “अविश्वास प्रस्ताव के रूप में” इसे दर्ज करने के लिए व्यवहारिक तरीके के रूप में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए और करों को खारिज करके सरकार के समक्ष कठिनाई उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। इसलिए, मैं समझता हूँ कि बड़ी संख्या में संसाधन जिन पर प्रांत निर्भर करते हैं, केंद्र में संकेंद्रित कर दिया गया है, संवैधानिक सरकार की दृष्टि से यह वांछनीय है कि कम से कम राजस्व के एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रांतों के पास छोड़ने चाहिए। इसलिए, मैं समझता हूँ कि मेरी दृष्टि से बिक्री कर लगाने की जिम्मेदारी प्रांतों के हाथों में दी जानी बहुत ही उचित है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि मेरे मित्र प्रो. शिब्वनलाल सक्सेना द्वारा प्रस्तुत संशोधन का कोई तुक नहीं है।

मेरे मित्र त्यागी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का जहाँ तक संशोधन है, मैं यह कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो कुछ कहा है उससे मुझे काफी सहानुभूति है। इसके बारे में कोई संशय नहीं है कि 1937 में जब बिक्री कर शुरू किया गया था, तो यह राजस्व का एक महत्वहीन स्रोत हुआ करता था। मैंने बंबई और मद्रास के मामले में आंकड़े की जाँच की

<sup>1</sup> सी.ए.डी. खंड 10, 16 अक्टूबर, 1949, पृष्ठ 339-340

है। वर्ष 1937 में मद्रास में लगभग 2.35 करोड़ रुपए का कर लगाया गया था। आज, यह राशि लगभग 14 करोड़ रुपए के बराबर है। बंबई के मामले में भी यही स्थिति थी, अर्थात् 1937 में लगभग 3.5 करोड़ रुपए का कर लगाया गया था और आज यह 14 करोड़ रुपए के आस-पास ही बैठता है। इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिए कि इसमें काफी अधिक वृद्धि हो चुकी है और मेरा मानना है कि राजस्व बढ़ाने के प्रयोजन से बिक्री कर के साथ खिलवाड़ किया जाना वांछनीय है और इसका साधारण सा कारण यह है कि किसी भी कराधान प्रणाली को दो सिद्धांतों जिनके बारे में, मैं जानता हूँ, के आधार पर बदला जा सकता है। एक तो विभिन्न वर्गों के बीच व्यापक साम्यता को बनाए रखना है। यदि किसी एक वर्ग पर दूसरे वर्ग की तुलना में अधिक बिक्री कर लगाया जाता है तो उस बोझ को बराबर सा ढोने के लिए कराधन प्रणाली को अपनाया जाना न्यायोचित है।

दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसे मेरे विचार से पूरे विश्व भर में अपनाया गया है, यह है कि किसी भी कराधान प्रणाली का उपयोग इस प्रकार से नहीं किया जाना चाहिए कि लोगों के जीवन के स्तर में कमी आ जाए। और मेरे मन में जरा भी संशय नहीं है कि बिक्री कर का प्रांत के लोगों के जीवन स्तर से बड़ा ही गहरा ताल्लुक है। लेकिन, मुझे अपने मित्र के प्रति सभी प्रकार की सहानुभूति होने के बावजूद मैं यह पाता हूँ कि यदि उनके संशोधन को स्वीकार कर लिया जाता है तो इसका अर्थ यह होगा कि बिक्री कर लगाने की प्रांतों की शक्ति स्वतंत्रता और निर्बाध नहीं रह जाएगी। यह संसद द्वारा निर्धारित सीमा के विषयाधीन हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम प्रांतों को बिक्री कर लगाने की अनुमति देते हैं तो प्रांतों को प्रांत की बदलती स्थिति के अनुसार बिक्री करों की दर को समायोजित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और इसलिए, केंद्र द्वारा निर्धारित की जाने वाली कोई भी सीमा बिक्री कर के कार्यकरण के मामले में बड़ी बाधा उत्पन्न करेगी। मुझे इसमें कोई संशय नहीं है कि मेरे मित्र श्री त्यागी यदि प्रांतीय विधानमंडल जाएँगे तो वह प्रांतीय सरकारों को यह कहते हुए अपने विचार को आगे बढ़ाएँगे कि लोगों के जीवन स्तर पर बिक्री का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और इसलिए इसे निर्धारित करते समय उन्हें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए।

**श्री महावीर त्यागी :** क्या मैं आपके लिए इतना अधिक असुविधाजनक हो गया हूँ?

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** बिल्कुल नहीं। यदि मैं प्रमुख होता तो मैंने भी वही रवैया अपनाया होता जो आपने अपनाया है।

अब, अपने माननीय मित्र पंडित कुँजूरू के संशोधन पर आता हूँ। मेरा यह



मानना है कि उनके संशोधन का प्रयोजन व्यावहारिक तौर पर उपखंड (1) जहाँ हमने इस तथ्य पर भी जोर दिया है कि बिक्री कर का मूल स्वरूप ऐसे कर खपत के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए, के स्पष्टीकरण से पूरा हो जाता है और मैं नहीं समझता कि उनके संशोधन से इस मामले में बहुत अधिक सुधार होने जा रहा है।

मैं समझता हूँ कि केवल एक ही मुद्दा है जिसके बारे में मुझे कुछ कहना चाहिए। मैं जानता हूँ कि मेरे कुछ ऐसे मित्र हैं जो उपखंड (1) में प्रयुक्त किए गए “निर्यात और आयात के दौरान” शब्दों को पसन्द नहीं करते हैं। अब, प्रारूप समिति में सही शब्द का चुनाव करने के लिए इस पर काफी समय लगाया है। जहाँ तक उनका संबंध है वे लोग संतुष्ट हैं कि जो भी शब्द गढ़े जा सकते थे उनमें यह शब्द काफी अच्छा है। लेकिन मैं यह कहने को तैयार हूँ कि प्रारूप समिति इस शब्द विशेष की आगे और जाँच करेगी ताकि यह देखा जा सके कि क्या कोई दूसरा शब्द इसके स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है ताकि इस आलोचना के मुद्दे को समाप्त किया जा सके जोकि अनुच्छेद के इस भाग के विरुद्ध लगाई गई है। महोदय, मुझे आशा है कि सभा अब संशोधन को स्वीकार कर लेगी।

**श्री सभापति :** डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर मत लेने से पूर्व मैं कुछ शब्द विशेषकर इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने सामने माननीय वित्त मंत्री को बैठे देख रहा हूँ। मैं अनुच्छेद जिसे प्रस्तुत किया गया है, के पक्ष या विपक्ष में कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन, मैं यह बताना चाहता हूँ कि प्रांतों विशेषकर उन प्रांतों के बीच जो गरीब हैं, के अंदर इस प्रकार की भावना व्याप्त है कि उनके राजस्व के संसाधनों में काफी कटौती की जा चुकी है और आयकर का वितरण इस ढंग से नहीं किया जा रहा है जिससे वे लोग संतुष्ट हो सकें। मैं वित्त मंत्री से जब वह आयकर के वितरण के प्रश्न पर विचार करें, से इस तथ्य को ध्यान में रखने के लिए कहना चाहता हूँ ताकि यह नहीं कहा जा सके कि भारत सरकार की नीति उन लोगों को और अधिक देने की है जिनके पास बहुत अधिक है और उन लोगों से जिनके पास बहुत कम है, से वापस लेने की है।

अब मैं विभिन्न संशोधनों पर मत लूँगा।

सभी संशोधन अस्वीकृत हुए।

{डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत मूल प्रतिपादन स्वीकृत हुआ। अनुच्छेद 264क यथासंशोधित रूप में, संविधान में जोड़ा गया।}

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** मैं अनुच्छेद 280क को लेना चाहता हूँ।

**पंडित हृदय नाथ कुँजरू :** मैं उस अनुच्छेद को आज लिए जाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त करता हूँ। मुझे संशोधन आज सुबह ही मिला है। यह जिस मामले से संबंधित है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें इस पर विचार करने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए और यदि हम संशोधन पेश करना चाहें तो उसे पेश करने देना चाहिए।

**श्री नजीरुद्दीन अहमद :** इसके अलावा, इस अनुच्छेद में एक नई प्रकार की आपातस्थिति लागू करने का प्रस्ताव किया गया है जो कि किसी भी प्रणाली में देखी नहीं गई।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** महोदय, मुझे आशा है कि आप सभा के कार्य के रास्ते में इस तकनीकी मुद्दों को आड़े नहीं आने देंगे। अब अगर माननीय सदस्यों को नौ बजे भी संशोधन मिले होंगे तो नौ बजे से बारह बजे तक उनके पास समय था। मैं नहीं समझता कि इस संशोधन में कोई भी चीज ऐसी है जो अस्पष्ट है। मेरे माननीय मित्र पंडित कुँजरू से बहुत ही कम बुद्धिमान व्यक्ति भी एक ही बार में पढ़ कर इसे समझ सकता है। मुझे इसके बारे में संदेह नहीं है।

**पंडित हृदय नाथ कुँजरू :** महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और डॉ. अम्बेडकर की अधीरता और रूखेपन को सदस्यों के अधिकारों से खिलवाड़ करने के मार्ग में आड़े नहीं आने देना चाहिए, यह अधिकार नियमों के अंदर उन लोगों को अस्पष्ट रूप से दिए गए हैं। महोदय, मैं यह माँग करता हूँ कि डॉ. अम्बेडकर की सभा में संशोधन को पारित कराने की तीव्र इच्छा के बावजूद इस संशोधन पर विचार करने के लिए हमें और समय दिया जाना चाहिए।

**श्री सभापति :** मेरा सुझाव यह है कि हमें कार्यसूची में दिए गए क्रम के अनुसार चलना चाहिए और अनुच्छेद 274-घघ को लेना चाहिए।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। महोदय, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे पास समय की इतनी कमी है कि मेरे विचार से इन तकनीकी मुद्दों को जरूरत से अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए।

**पंडित हृदय नाथ कुँजरू :** यह दुखद है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष जिसे अपनी स्थिति के अनुसार अन्य सदस्यों के अधिकारों को समझना चाहिए, वह उनके अधिकारों की अवहेलना कर रहे हैं।

\* \* \* \* \*

## अनुच्छेद 274 घघ

**माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि अनुच्छेद 274घ के बाद सूची XVII (दूसरे सप्ताह) के संशोधन संख्या 400 के संदर्भ में, निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाए :-

274 घ घ. इस भाग के पूर्वलिखित उपबंधों में किसी बात के रहते हुए भी, राष्ट्रपति किसी राज्य में दूसरे राज्यों में से आयातित या उस राज्य से दूसरे राज्यों में भेजी जाने वाली वस्तुओं पर उस राज्य द्वारा किसी कर या शुल्क के संबंध में पहली अनुसूची के भाग III में वर्तमान में उल्लिखित राज्य के साथ कोई समझौता कर सकता है और इस अनुच्छेद के अधीन किया गया कोई भी समझौता इस संविधान के आरंभ होने के 10 वर्षों से अधिक समय के लिए जारी नहीं रहेगा जैसा कि समझौता में विनिर्दिष्ट हो।

परंतु राष्ट्रपति इस संविधान के अनुच्छेद 260 के अधीन वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद यदि जरूरी समझे तो ऐसे आरंभ से पाँच वर्ष बीत जाने पर किसी भी समय ऐसे किसी समझौते को समाप्त या उसे संशोधित कर सकता है।

महोदय, यह नया अनुच्छेद संशोधन संख्या 258 पहले ही स्वीकृत कर चुकी है जिसके माध्यम से भारत सरकार को अस्थाई अवधि के दौरान कतिपय वित्तीय समायोजन करने के प्रयोजनार्थ भाग III में उल्लिखित राज्यों के साथ समझौता करने की शक्ति है, का महज परिणामी संशोधन है।

*[अनुच्छेद 274 घ घ स्वीकृत हुआ और संविधान में जोड़ा गया।]*

\* \* \* \* \*

**माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** यदि मेरे माननीय मित्र पंडित कुँजरू को अब कोई आपत्ति नहीं हो तो हम नया अनुच्छेद 280क को ले सकते हैं। उन्हें आधे घंटे का और समय मिल जाएगा।

**श्री सभापति :** मेरे विचार से इसे कुछ देर के बाद लेना हमारे लिए बेहतर होगा।

\* \* \* \* \*

<sup>1</sup> सी.ए.डी. खंड 10, 16 अक्टूबर, 1949, पृष्ठ 342

<sup>2</sup> वही, पृष्ठ 345

## अनुच्छेद 280क

'माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि अनुच्छेद 280 के बाद निम्नलिखित नया अनुच्छेद जोड़ा जाए :-

यदि राष्ट्रपति जी इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यय संकट में है तो वह उद्घोषणा द्वारा इस आशय की घोषणा कर सकेंगे।

(2) खंड (1) के अधीन की गई उद्घोषणा -

(क) किसी पश्चात्वीं उद्घोषणा द्वारा वापस ली जा सकेगी या परिवर्तित की जा सकेगी;

(ख) संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी;

(ग) दो मास की समाप्ति पर, प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है;

परंतु यदि ऐसी उद्घोषणा उस समय की जाती है जब लोक सभा का विघटन हो गया है या लोक सभा का विघटन उपखंड (ग) में निर्दिष्ट दो मास की अवधि के दौरान हो जाता है और यदि उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया है, किंतु ऐसी उद्घोषणा के संबंध में कोई संकल्प लोक सभा द्वारा उस अवधि की समाप्ति से पहले पारित नहीं किया गया है, तो उद्घोषणा उस तारीख से, जिसको लोक सभा अपने पुनर्गठन के पश्चात् प्रथम बार बैठती है, तीस दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी। यदि उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प लोक सभा द्वारा भी पारित नहीं कर दिया जाता है।

(3) उस अवधि के दौरान, जिसमें खंड (1) में उल्लिखित उद्घोषणा प्रवृत्त रहती

है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को वित्तीय औचित्य संबंधी ऐसे सिद्धांतों का पालन करने के लिए निर्देश देने तक जो निदेशों में विनिर्दिष्ट किए जाएँ और ऐसे निर्देश देने तक होगा जिन्हें राष्ट्रपति उस प्रयोजन के लिए देना आवश्यक और पर्याप्त समझे।

(4) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी -

(क) ऐसे किसी निदेश के अंतर्गत -

- (i) किसी राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के वेतनों और भत्तों में कमी की अपेक्षा करने वाला उपबंध
- (ii) धन विधेयकों या अन्य ऐसे विधेयकों को, जिनको अनुच्छेद 207 के उपबंध लागू होते हैं, राज्य के विधान-मंडल द्वारा पारित किए जाने के पश्चात् राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने के लिए उपबंध, हो सकेंगे;

(ख) राष्ट्रपति, उस अवधि के दौरान, जिसमें इस अनुच्छेद के अधीन की गई उदघोषणा प्रवृत्त रहती है, संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के, जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, वेतनों और भत्तों में कमी करने के लिए निदेश देने के लिए सक्षम होगा।

महोदय, इस देश की वर्तमान आर्थिक और वित्तीय स्थिति को देखते हुए इस सभा में शायद ही कोई ऐसा सदस्य होगा जो इस नये अनुच्छेद 280क में अंतर्विष्ट किए गए कुछ ऐसे उपबंध किए जाने के पीछे जो चिंता है, उस पर विवाद खड़ा करेगा और इसलिए मैं प्रारूप संविधान में इस अनुच्छेद को शामिल किए जाने के औचित्य के बारे में बताने में कोई भी समय लगाना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि इस अनुच्छेद के कमोबेश संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल रिकवरी अधिनियम जिसे 1930 या उसके आस-पास पारित किया गया था, के पैटर्न को अपनाया गया है, जो राष्ट्रपति को अमेरिकी लोगों के समक्ष मौजूद भारी मंदी के परिणामस्वरूप होने वाली कठिनाई के परिणामस्वरूप आर्थिक तथा वित्तीय कठिनाईयों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति को उसी प्रकार के उपबंध करने की शक्ति प्रदान करता है। उदाहरण के लिए इसके पीछे जो तर्क है वह यह है कि हमने संविधान में से उपबंध को शामिल करना जरूरी समझा है क्योंकि हम यह जानते हैं कि अमेरिकी संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा किए गए विधान को बहुत ही थोड़े समय बाद उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई और उच्चतम न्यायालय ने पूरे विधान को असंवैधानिक घोषित कर दिया, उच्चतम न्यायालय के उस घोषणा के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति नेशनल रिकवरी अधिनियम के उपबंधों के अधीन वह कार्य मुश्किल से कर सकता है जो वह करना चाहता था। यदि यहाँ भी उसी प्रकार की

वित्तीय और आर्थिक आपात स्थिति हो तो हमारे राष्ट्रपति को भी संभवतः उसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, ऐसी किसी कठिनाई को रोकने के लिए हमने यह सोचा कि यह बेहतर होगा कि संविधान में ही इस प्रकार का उपबंध कर दिया जाए और यही कारण है कि इस अनुच्छेद को लाया गया है।

\* \* \* \* \*

**श्री सभापति :** आप कुछ कहना चाहते हैं।

**माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** यदि आप जरूरी समझे तो मैं बोलूंगा।

**श्री सभापति :** नहीं, नहीं। मेरा यह कहना नहीं है। तो फिर मैं संशोधन पर मत लूंगा।

**श्री एच.वी. कामथ :** मेरा सुझाव है कि डॉ. अम्बेडकर “संकटग्रस्त” शब्द के स्थान पर “अति संकटग्रस्त” शब्द का प्रयोग करने पर विचार करें।

**श्री सभापति :** आपने अपना सुझाव दे दिया। वह इस पर विचार करेंगे। यदि वह विचार करने योग्य होगा तो मैं नहीं समझता कि मैं डॉ. अम्बेडकर को सुझाव देने के नाम पर आपको दूसरी बार भाषण देने का मौका दूँ।

**श्रीयुत् रोहिणी कुमार चौधरी ( असम : जनरल ) :** मैं अपना एकमात्र भाषण देना चाहता था।

**श्री सभापति :** लेकिन मैं बहस को पहले ही बंद कर चुका हूँ।

{सभी आठ संशोधन अस्वीकृत हुए। डॉ. अम्बेडकर का मूल संशोधन स्वीकृत हुआ। अनुच्छेद 280क संविधान में जोड़ा गया।}

\* \* \* \* \*

**श्री बी. दास :** मैं चाहता हूँ कि डॉ. अम्बेडकर यह स्पष्ट करें कि क्या भारत के क्षेत्र में स्थित न्यायाधीश आयकर न्यायाधिकरण या विभिन्न न्यायाधिकरण जो हमारे यहाँ बने हुए हैं, पर भी लागू होता है। यदि इसकी शक्ति को विस्तारित किया जाता है, तो फिर आयकर न्यायाधिकरण को शीघ्र ही भंग कर दिया जाना चाहिए। हमारे यहाँ आयकर न्यायाधिकरण बना हुआ है जोकि अंतिम प्राधिकारी है।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** क्या यह इस चर्चा के लिए संगतपूर्ण है? यहाँ पर आयकर न्यायाधिकरण की बात कहाँ से आ गई।

**श्री बी. दास :** इस अनुच्छेद में यह कहा गया है।

“इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री, अवधारण, दंडादेश या आदेश की अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकेगा।”

मैं तो केवल आपसे यह आश्वासन चाहता हूँ कि “न्यायाधिकरण” का अर्थ “आयकर न्यायाधिकरण” नहीं है।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** आपने दूसरे कर्मचारी भी कहा था। जहाँ तक मुझे याद है इसमें संशोधन किया जा चुका है ताकि आयकर मामलों के लिए भी उपबंध किया जा सके और उस पर उच्चतम न्यायालय में कार्यवाही की जा सके। मैं जानता हूँ कि इसे संशोधित किया जा सकता है।”

**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** महोदय, मेरी विनम्र राय में खंड (2) बहुत ही व्यापक और अनावश्यक प्रतीत होता है। इसे निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाता है:

“खंड (1) की कोई बात सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधा द्वारा या उसके अधीन गठित किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, अवधारण, दंडादेश या आदेश को लागू नहीं होगी।”

जहाँ तक सैन्यकर्मियों और सैन्य अपराधों का संबंध है उन्हें उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से अलग रखा जा सकता है। लेकिन, सशस्त्र सेना से संबंधित बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो उन अधिनियमों के अधीन गठित न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों आदि से मिलते-जुलते हैं और उन मामलों के अभियुक्त नागरिक क्षेत्र में होते हैं या फिर सैन्यकर्मी दीवानी अपराधों के दोषी होते हैं। कैंटूनमेंट अधिनियम या प्रादेशिक सेना अधिनियम से संबंधित कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनमें नागरिक क्षेत्र के सदस्य दोषी होते हैं और इसका

कोई कारण नहीं दिखता कि उन मामलों में चाहे जो भी सजा सुनाई जाए, उसे उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विषयाधीन क्यों नहीं रखा जाना चाहिए। इसलिए मैं यह मानता हूँ कि यह खंड भी काफी व्यापक है और इसमें संशोधन की जरूरत है।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** सभापति महोदय, मेरे माननीय मित्र, प्रो. शिब्वनलाल सक्सेना ने जो बात कही है उसको देखते हुए मेरे लिए मेरे माननीय मित्र भी टी.टी. कृष्णमाचारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित अनुच्छेद के संबंध में कुछ कहना जरूरी हो गया है। यह बिल्कुल सही है कि जब हम अनुच्छेद 112 और मेरे माननीय मित्र प्रो. शिब्वनलाल सक्सेना द्वारा प्रस्तुत संशोधन पर विचार कर रहे थे तो उस समय एक अवसर था। मैंने यह कहा था कि अनुच्छेद 112 के अधीन उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कोर्ट मार्शल द्वारा दिए गए किसी आदेश के विरुद्ध की गई अपील को स्वीकार करना शामिल रहेगा। सैद्धांतिक तौर पर वह अवधारणा अभी भी सही है और उसके बारे में मेरे मन में कोई संशय नहीं है लेकिन मैं यह बताना भूल गया : कि हमारे उच्च न्यायालयों के निर्णयों के साथ-साथ ब्रिटिश न्यायालयों जिनमें प्रिवी काउंसिल ही शामिल है, के निर्णयों के अनुसार यह एक सुस्थापित सिद्धांत बन गया है कि सिविल न्यायालयों के पास यद्यपि कानून के अंतर्गत क्षेत्राधिकार होता है लेकिन वे उस क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे ताकि कोर्ट मार्शल द्वारा पहुँचे किसी निष्कर्ष या दिए गए किसी निर्णय या पारित किए गए आदेश के सामने कोई बाधा खड़ी न हो। मैं इस कारण नहीं जाना चाहता हूँ कि उच्चतर प्राधिकार वाले सिविल न्यायालयों द्वारा यह क्षेत्राधिकार होने के बावजूद यह क्यों कहा गया है कि वे उस क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे; लेकिन इस तथ्य के बावजूद मैंने यह सोचा था कि यदि भारत में हमारे न्यायालय ब्रिटिश न्यायालयों - दि हाउस ऑफ लॉर्ड्स, किंग्स बेंच डिवीजन के साथ-साथ प्रिवी काउंसिल द्वारा दिए गए उसी प्रकार के निर्णय का पालन करते हैं और यदि मैं कहूँ तो हमारे फेडरल न्यायालय द्वारा दो या तीन मामलों में दिए गए निर्णय भी उसकी प्रकार के होते हैं तो फिर खंड (2) की जरूरत नहीं रहेगी लेकिन दुर्भाग्यवश रक्षा मंत्रालय का यह मानना है कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण मामले में संशय की स्थिति नहीं रखी जानी चाहिए और एक सांविधिक उपबंध होना चाहिए जिसमें यह कहा गया हो कि कोई भी उच्चतर सिविल न्यायालय चाहे वह उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय हो, सशस्त्र सेनाओं से संबंधित किसी कानून के अधीन गठित किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के विरुद्ध इस प्रकार के क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करेगा।

यह प्रश्न सिर्फ सैद्धांतिक ही नहीं है बल्कि व्यावहारिक भी है क्योंकि इसमें सशस्त्र सेनाओं का अनुशासन अंतर्गस्त है। यदि सशस्त्र सेनाओं से संबंधित कोई मामला हो, तो उसमें अनुशासन बनाए रखना जरूरी होता है। रक्षा मंत्रालय का यह



मानना है यदि सशस्त्र सेनाओं का कोई कर्मी सशस्त्र सेनाओं में अनुशासन बनाए रखने के प्रयोजनार्थ गठित किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए किसी निर्णय के विरुद्ध शिकायत करने के लिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की ओर देखता है, तो अनुशासन समाप्त हो जाएगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस तर्क के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसी कारण से इस संशोधन विशेष के द्वारा अनुच्छेद 112 में (2) को जोड़ा गया है और उच्च न्यायालयों की पर्यवेक्षण रखने की शक्तियों से संबंधित उपबंधों के मामले में भी उसकी प्रकार का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 112 में (2) का उपबंध किए जाने के पीछे मेरा यही तर्क है।

फिर भी मैं यह बताना चाहूँगा कि खंड (2) उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की शक्तियों को बिल्कुल वापस नहीं लेता। कानून किसी कानून विशेष के अधीन गठित न्यायाधिकरण की दया पर ही सशस्त्र सेना के किसी कर्मी को पूरी तरह से नहीं छोड़ता। अनुच्छेद 112 के खंड (2) के बने रहने के बावजूद भी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के लिए इस क्षेत्राधिकार जो कि उसे सशस्त्र सेनाओं से संबंधित कानून द्वारा प्रदत्त शक्ति के माध्यम से प्रदान किया गया है, से आगे जाकर कोई निर्णय लिया गया है। उच्चतम न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय के लिए इस प्रश्न की जाँच करने का खुला विकल्प रहेगा कि क्या क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जाना कानून के दायरे के अधीन है जिसके माध्यम से इस न्यायालय या न्यायाधिकरण का गठन किया गया है? दूसरे यदि कोर्ट मार्शल द्वारा किसी प्रमाण के बिना कोई निर्णय ले लिया जाता है तो फिर उच्चतम न्यायालय के साथ-साथ न्यायालय के लिए यह जाँच करने हेतु अपील स्वीकार करने का खुला विकल्प रहेगा कि क्या इसमें कोई साक्ष्य उपलब्ध है अथवा नहीं। निःसंदेह उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के लिए यह विचार करने का विकल्प नहीं होगा कि क्या साक्ष्य पर्याप्त हैं अथवा नहीं। यह मामला इन न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के बाहर का है। कोई साक्ष्य है या नहीं, यह मामला तो इन न्यायालयों द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। उसी प्रकार से मैं यह कहना चाहता हूँ कि सशस्त्र सेना के किसी कर्मी के लिए इस बात की जाँच कराने हेतु विशेषाधिकार रिट जारी कराने के प्रयोजन से इन न्यायालयों में अपील करने का खुला विकल्प रहेगा कि उनके विरुद्ध कोर्ट मार्शल की कार्यवाही संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अधीन की गई है या उनका स्वरूप मनमानीपूर्ण है। इसलिए, मेरी राय में रक्षा मंत्रालय द्वारा किसी भी कठिनाईयों को देखते हुए यह अनुच्छेद एक जरूरी अनुच्छेद है। इसमें वास्तव में बहुत अधिक नहीं कहा गया है। लेकिन इसके द्वारा पहले से प्रचलित नियम को सांविधिक मान्यता दी गई है और उसे सभी उच्चतम न्यायालयों द्वारा मान्यता देने की बात कही गई थी।

मुझे यह बताया गया है कि कुछ लोग सशस्त्र सेनाओं से संबंधित कानून के

संबंध में कुछ कठिनाई का अनुभव करते हैं। यह कहाँ गया है कि सशस्त्र सेनाओं में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें वास्वत में सशस्त्र सैन्यकर्मी नहीं माना जा सकता बल्कि वे पृष्ठभूमि में काम करने वाले कर्मी होते हैं। मुझे ऐसे व्यक्तियों जो वास्तव में शस्त्र धारण करने वाले हों अथवा सशस्त्र सेना अधिनियम के अधीन पंजीकृत व्यक्तियों के बीच अंतर कर पाना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि सशस्त्र सेनाओं में अनुशासन की जरूरत उतनी ही अधिक होती है जितनी कि ऐसे लोगों में अनुशासन बनाए रखने की जरूरत जो सशस्त्र सेना में शामिल नहीं हैं।

मेरे माननीय मित्र श्री सिद्धवा ने यह प्रश्न किया कि जब कभी सशस्त्र सेनाओं का कोई कर्मी कतिपय अपराध करता है, खतरनाक ड्राइविंग करते हुए या कोई इसकी प्रकार का कार्य करते हुए किसी व्यक्ति को मार देता है तो सामान्य तौर पर उसके विरुद्ध कोर्ट मार्शल के माध्यम से मुकदमा चलाया जाता है और आपराधिक मामलों के साधारण न्यायालयों के समक्ष उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। हाँ, मुझे नहीं मालूम लेकिन, मेरे मन में सशस्त्र सेनाओं के कर्मियों के बारे में कोई संशय नहीं है कि वह दोहरी क्षेत्राधिकार के विषयाधीन होते हैं। निःसंदेह वह सैन्य कानून से छूट भी नहीं मिली होती है। उदाहरण के लिए यदि कोई आदमी ऐसा अपराध करता है जो कि भारतीय दंड संहिता के साथ-साथ सशस्त्र सेना के अधीन एक अपराध हो, तो उस पर दोनों ही अधिनियमों के अधीन मुकदमा चलाया जाएगा। यदि सेना का कोई कर्मी इस प्रकार के अभियोजन से बच जाता है तो इसका कारण यह होता है कि लोगों ने उस मामले पर ध्यान नहीं दिया होगा। कानून का एक सामान्य सिद्धांत यह होता है कि कोई व्यक्ति सशस्त्र सेनाओं का एक कर्मी बन जाता है। इसलिए वह देश के सामान्य कानून के दायरे से बाहर नहीं हो जाता है। वह इसके दायरे में बना रहता है लेकिन उस उत्तरदेयता के अलावा उसे उस अधिनियम के अधीन भी आगे और उत्तरदेयता बरतनी पड़ती है जिसके अंतर्गत वह पंजीकृत है।

**श्री महावीर त्यागी :** क्या एक ही अपराध के लिए उसे दो सजा मिल सकती हैं?

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** हाँ क्यों नहीं?

**श्री आर.के. सिद्धवा :** इसे स्पष्ट क्यों नहीं करते?

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** यह बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय दंड संहिता की धारा 2 में कहा गया है : “प्रत्येक व्यक्ति”। प्रत्येक व्यक्ति का अर्थ है हर कोई, चाहे बड़ा हो या छोटा सशस्त्र हो या शस्त्र रहित।

**श्री सभापति :** श्री टी.टी. कृष्णमाचारी क्या इसके बाद भी आप कुछ कहना चाहते हैं?

**श्री टी.टी. कृष्णमाचारी :** नहीं महोदय

**श्री सभापति :** मैं संशोधन पर मत लूँगा :

*{संशोधन अस्वीकृत हुआ।}*

मैं अनुच्छेद 112 जोकि प्रस्तावित संशोधन संख्या 421 में है। प्रस्ताव है :

“कि अनुच्छेद 112 के लिए सूची XV के संशोधन संख्या 364 (दूसरे सप्ताह), के संदर्भ में, निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाए :-

112 (1) “इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के राज्यक्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री, अवधारण, दंडादेश की अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकेगा। अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत।

(2) “खंड (1) की कोई बात सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित किए गए या दिए गए निर्णय, अवधारण, दंडादेश या आदेश को लागू नहीं होगी।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*[अनुच्छेद 112, यथासंशोधित रूप में, संविधान में जोड़ा गया।]*

\* \* \* \* \*

**श्री सभापति :** अब हम लोग खंडों के अंत में पहुँच गए हैं और 4 या 5 खंडों के ऊपर हमें झगड़ने की जरूरत नहीं है।

**माननीय श्री के. संथानम :** लेकिन यहाँ पर प्रस्तुत किए गए कुछ संशोधनों में काफी अधिक सार है और मेरे विचार से उनके बारे में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। यह मैं आप पर छोड़ता हूँ महोदय। लेकिन, जहाँ तक इसका संबंध है मेरे विचार से “संसद द्वारा बनाए गए” शब्द अर्थ को सटीक और स्पष्ट करने की दृष्टि से बिल्कुल ही अनिवार्य है।

**माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ( बर्बई : जनरल ) :** महोदय, मेरे मित्र श्री संथानम द्वारा प्रस्तुत संशोधन बिल्कुल अनावश्यक है। उन्होंने यह संशोधन इसलिए प्रस्तुत किया है क्योंकि वह अनुच्छेद 7 में अंतर्विष्ट उपबंधों पर ध्यान देना भूल गए हैं। अनुच्छेद 60 कहता है कि संघ की कार्यपालक शक्ति उन सभी मामलों तक विस्तारित होगी जिन पर संसद के पास कानून बनाने की शक्ति मौजूद है बशर्ते यह तब विस्तारित

नहीं होगी जब संसद द्वारा बनाए गए कानून में यह उपबंध किया जाता है कि इन मामलों के संबंध में राज्यों के विधानमंडल को भी कानून बनाने की शक्ति है अर्थात् यह मामले समवर्ती सूची में होते हैं। इसलिए, मेरे मित्र श्री कृष्णमाचारी द्वारा प्रस्तुत अनुच्छेद 59 के खंड (1) का उपखंड (ख) संसद द्वारा बनाए जाने वाले कानून के दायरे के बाहर नहीं है।

**माननीय श्री के. संधानम :** अनुच्छेद उन्हीं कानूनों तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसे और आगे विस्तारित किया जा सकता है।

**मानीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** नहीं, इसे आगे और विस्तारित नहीं किया जा सकता है। उपखंड (ख) में संशोधन लाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि केंद्र की कार्यपालक शक्ति न सिर्फ सूची 1 में अंतर्विष्ट मामलों तक विस्तारित हो सकती है, बल्कि सूची 3 में अंतर्विष्ट मामलों में भी उसका विस्तार किया जा सकता है और प्रारूप समिति की स्थिति यह है कि जब भी संसद द्वारा सूची 3 में अंतर्विष्ट किसी मामले के बारे में कोई कानून बनाया जाता है तो कानून केंद्र को कार्यपालक शक्ति, राष्ट्रपति को उस कानून को विस्तारित करने की शक्ति प्रदान करता है। इसलिए ये शब्द अनावश्यक हैं। श्री संधानम का संशोधन बिल्कुल ही अनावश्यक और संदर्भ से पहले हैं क्योंकि अनुच्छेद 60 में इस मुद्दे को शामिल किया जा चुका है।

(श्री संधानम का अनुच्छेद अस्वीकृत हुआ।)

\* \* \* \* \*

**माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** मेरे मित्र श्री कृष्णमाचारी द्वारा प्रस्तुत खंड में वही पुरानी बातें हैं। यह भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अधीन प्रांतों के राज्यपाल के लिए जारी अनुदेशों के साधन में विद्यमान है।

अनुदेशों के साधन के पैराग्राफ 17 में कहा गया है;

विधेयकों को आरक्षित किए जाने के मामले में अपनी शक्तियों के सामान्य उपयोग के बारे में कोई पूर्वाग्रह रखे बिना, हमारी सरकार किसी भी विधेयक या उसमें विनिर्दिष्ट किन्हीं खंडों को अपने नाम पर मंजूरी नहीं देगी बल्कि उसे अपने गवर्नर जनरल के विचारार्थ आरक्षित रखेगी।

(ख) कोई विधेयक जिसके विधि बन जाने पर उसकी राय में उच्च न्यायालय की शक्तियों का ऐसा अल्पीकरण होगा कि वह स्थान, जिसकी पूर्ति के लिए वह न्यायालय इस संविधान

द्वारा परिकल्पित है, संकटापन्न हो जाएगा, उस विधेयक को आरक्षित रखेगा।

यह खंड अनुदेशों का पुराना साधन है जिसे प्रारूप समिति ने चौथी अनुसूची में नकल कर लिया था जोकि उन्होंने शुरू करने का प्रस्ताव किया और यह पृष्ठ संख्या 368-369 पर संशोधनों के खंड II में पाया जाएगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सभा मेरी सिफारिश के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि भाग एक में राज्यों के राज्यपालों के लिए अनुदेशों में अंतर्विष्ट किए जाने वाली ऐसी किसी अनुसूची को रखा जाना अनावश्यक है, यह तर्क मैंने दिया था और प्रारूप समिति ने यह महसूस किया कि किसी भी कीमत पर अनुदेशों का प्रस्तावित साधन का विशिष्ट भाग, पैरा 17 को संविधान में ही शामिल किया जाना चाहिए। अब महोदय, ऐसा करने के पीछे निम्नलिखित कारण हैं :

उच्च न्यायालयों को केंद्र के साथ-साथ प्रांतों के अधीन रखा गया है। जहाँ तक उच्च न्यायालय के संगठन और प्रादेशिक क्षेत्राधिकार का संबंध है वे निश्चय ही केंद्र के अधीन और प्रांतों को उच्च न्यायालय के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार या उच्च न्यायालय की संरचना को बदलने की शक्ति प्राप्त नहीं है। लेकिन, वित्तीय क्षेत्राधिकार तथा सूची II में उल्लिखित किन्हीं मामलों से संबंधित क्षेत्राधिकार के मामले में नये संविधान के अधीन शक्ति राज्यों में निहित की गई है। उदाहरण के लिए ऐसा किसी राज्य विधान मंडल के लिए किसी वाद के मूल्य को बढ़ाकर उच्च न्यायालय के वित्तीय क्षेत्राधिकार में कमी करने हेतु कोई विधेयक पारित करना बिल्कुल संभव हो सकता है। वह एक तरीका हो सकता है जिसके माध्यम से राज्य उच्च न्यायालय के प्राधिकार को कम करने की स्थिति में होगा।

दूसरे सूची II में अंतर्विष्ट किन्हीं प्रविष्टियों के अधीन कोई उपाय किए जाने के मामले में उदाहरण के लिए ऋण निरस्त करने या कोई और ऐसा मामला हो, प्रांतों के लिए यह कहने का खुला विकल्प होगा कि ऐसे किसी न्यायालय या बोर्ड द्वारा जारी की गई डिक्री अंतिम और पूर्ण होगी तथा उच्च न्यायालय का उस मामले में बिल्कुल ही क्षेत्राधिकार नहीं होगा।

मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई भी अधिनियम बनाया जाना उच्च न्यायालय के प्राधिकार जो कि इस संविधान के द्वारा उसे दिया गया है, का अवमूल्यन करने के बराबर है। इसलिए, ऐसा कोई कानून अंतिम रूप से बने उससे पूर्व यह महसूस किया गया कि राष्ट्रपति को यह जाँच करने का अवसर दिया जाना चाहिए कि ऐसे किसी कानून को प्रभावी होने की अनुमति दी जाए या फिर ऐसा कोई कानून उच्च न्यायालय के प्राधिकार का इतना अधिक अवमूल्यन कर दे कि उच्च न्यायालय महज एक संरचना बनकर रह जाए जिसमें कोई जान न हो।

इसलिए इस तथ्य की उच्च न्यायालय की संविधान के द्वारा विधानमंडल और कार्यपालिका के बीच तथा नागरिक और नागरिक के बीच एक महत्वपूर्ण संस्था बनाने की मंशा व्यक्त की गई है, को ध्यान में रखते हुए मैं यह अनुरोध करता हूँ कि संविधान द्वारा सृजित किसी महत्वपूर्ण संस्था को बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति को इस प्रकार की शक्ति प्रदान करना अति आवश्यक है। उस प्रयोजनार्थ यह संशोधन पुनःस्थापित किया जा रहा है।

**श्री एच.वी. कामथ :** भाषा को सरल बनाए जाने के मेरे सुझाव के बारे में क्या कहना है?

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** मैं इस चरण में किसी प्रारूप संशोधनों से विचार नहीं कर सकता हूँ।

**श्री एच.वी. कामथ :** बिल्कुल ठीक। ऐसा बाद में कर लेना।

**श्री सभापति :** मैं इस पर मत लूँगा।

(श्री टी.टी. कृष्णमाचारी का संशोधन।)

प्रस्ताव है :

“कि अनुच्छेद 175 में निम्नलिखित शर्तें जोड़ी जाएँ :

परंतु यह और कि जिस विधेयक से, उसके विधि बन जाने पर, राज्यपाल की राय में उच्च न्यायालय की शक्तियों का ऐसा अल्पीकरण होगा कि वह स्थान, जिसकी पूर्ति के लिए वह न्यायालय इस संविधान द्वारा परिकल्पित है, संकटापन्न हो जाएगा, उस विधेयक पर राज्यपाल अनुमति नहीं देंगे, किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेंगे।”

संशोधन स्वीकृत हुआ।

**श्री सभापति :** डॉ. अम्बेडकर, क्या आप जवाब देना चाहेंगे?

**माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** महोदय, इस अनुच्छेद को अनुच्छेद 8 के साथ पढ़ाया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 8 में कहा गया है -

“इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियाँ उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं।”

इस अनुच्छेद में कुल मिलाकर यह कहा गया है कि सभी कानून जो निंदा, अपवचन, बदनामी या किसी ऐसे अन्य मामले में जो भद्रता या नैतिकता के विरुद्ध अपराध हो या राज्य की सुरक्षा प्रभावित होती है, अनुच्छेद 8 से प्रभावित नहीं होंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि उनका प्रचालन जारी रहेगा। यदि “न्यायालय की अवमानना” शब्द नहीं होते, तो फिर न्यायालय की अवमानना से संबंधित किसी कानून के मामले में अनुच्छेद 8 लागू होगा और इसे समाप्त माना जाएगा। उस प्रकार की स्थिति को रोकने के लिए ही “न्यायालय की अवमानना” शब्द रखे गए हैं, और इसलिए इस संशोधन को स्वीकार किए जाने में कोई कठिनाई नहीं है।

अब जहाँ तक मेरे मित्र श्री संधानन द्वारा उठाए गए मुद्दे का संबंध है, यह बिल्कुल सही है कि मूल अधिकारों के संबंध में, “राज्य” शब्द का प्रयोग केंद्र के साथ-साथ प्रांतों सहित दोहरे अर्थ में प्रयोग किया जाता है। लेकिन मेरे विचार से उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस तथ्य के बावजूद किसी राज्य के द्वारा कानून बनाया जा सकता है और साथ ही केंद्र द्वारा भी कानून बनाया जा सकता है; कुछ मर्दें जैसे कि निंदा, अपवचन, बदनामी या किसी ऐसे अन्य मामले में जो भद्रता या नैतिकता के विरुद्ध अपराध हो या राज्य की सुरक्षा प्रभावित होती है, जिनका उल्लेख किया गया है, ऐसे मामले हैं जिन्हें समवर्ती सूची में रखा गया है ताकि इन विषयों से संबंधित बनाए गए कानूनों के बीच काफी अधिक अंतर हो तो फिर केंद्र के लिए इस क्षेत्र में हस्तक्षेप करने और समानता बनाए रखने के लिए कोई कानून जोकि इस प्रयोजनार्थ वह जरूरी समझे, बनाने का खुला विकल्प होगा।

**माननीय श्री के. संधानन :** लेकिन न्यायालय की अवमानना को समवर्ती सूची या किसी अन्य सूची में शामिल नहीं किया गया है।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** ठीक है ऐसा कर दिया जाए।

**श्री सभापति :** तो फिर मैं इन दोनों संशोधनों पर मत लूँगा। तथ्यात्मक रूप से पंडित ठाकुर दास भार्गव का संशोधन श्री कृष्णमाचारी का संशोधन नहीं है, यह बिल्कुल स्वतंत्र है और मैं उन्हें अलग-अलग रखूँगा। पहले मैं श्री कृष्णमाचारी पर मत लूँगा।

प्रस्ताव है :

“कि अनुच्छेद 13 के खंड (2) में, ‘बदनामी शब्द के बाद’ ‘न्यायालय की अवमानना’ शब्द अंतःस्थापित किए जाएँ।”

संशोधन स्वीकृत हुआ।

पंडित भार्गव का संशोधन अस्वीकृत हुआ।

\* \* \* \* \*

**श्री सभापति :** फिर हम नया अनुच्छेद 302क कक अर्थात् संशोधन संख्या 450 लेते हैं। श्री संधानम ने एक सुझाव दिया है कि अभी-अभी पारित संशोधन को पूरा करने के लिए समवर्ती सूची में न्यायालय की अवमानना शब्द शामिल किए जाने चाहिए और मेरे विचार से यह परिणामी है और हमारे लिए बेहतर है कि हम उसे लें।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** मैं सीधे संशोधन प्रस्तुत करूँगा।

“कि समवर्ती सूची में प्रविष्टि 15 के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़े जोड़ी जाएँ :’

“15क, न्यायालय की अवमानना”

**श्री सभापति :** मैं नहीं समझता कि उस पर कोई आपत्ति हो सकती है।

**श्री नजीरुद्दीन अहमद :** ऐसी सारी चीजें हो सकती हैं।

**श्री सभापति :** हो सकता है, लेकिन वह समय आने पर हो जाएगा। अतः मैं इस पर मत लूँगा।

उपर्युक्त संशोधन स्वीकृत हुआ।

[प्रविष्टि 15क समवर्ती सूची में जोड़ा गया।]

\* \* \* \* \*

## नए अनुच्छेद 302 क क क

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** महोदय, मैं समझता हूँ कि मेरे मित्र सिधवा ने स्थिति को पूरी तरह से गलत समझा है। दि वह अनुसूची सात, मद 30 और 35 जो मेरे मित्र श्री टी.टी. कृष्णमाचारी द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन में शामिल मामलों से संबंधित है, को देखें तो वह पाएँगे कि मद 30 और 35 के अधीन केंद्र को प्रदान की गई कानून बनाने की शक्ति के अधीन दी गई शक्ति का प्रयोजन विमान यातायात के विनियमन और संचालन है। मद 35 के अधीन दी गई शक्ति का प्रयोजन संविधान का परिसीमन और महापत्तन प्राधिकारियों को शक्ति प्रदान करना है। वह आसानी से इस बात को देख सकते हैं कि विमान क्षेत्रों और महापत्तनों में शामिल क्षेत्र का जहाँ तक संबंध है यह प्रांत के क्षेत्र का भाग है और परिणामतः राज्य द्वारा कवर किए गए क्षेत्र लागू होता है। जो प्रविष्टियों के अधीन केंद्रीय सरकार के दायरे में आते हैं, के बारे में कानून बनाने की शक्ति नहीं प्रदान करती है। इसलिए, इस अनुच्छेद में यह प्रस्ताव किया गया है : कि जहाँ यह विमान क्षेत्रों और महापत्तनों द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों को प्रांतों के क्षेत्र के भाग के रूप में बनाए रखता है। यह उन्हें अलग नहीं करता है।

<sup>1</sup> सी.ए.डी. खंड 10, 17 अक्टूबर, 1949, पृष्ठ 403

<sup>2</sup> सी.ए.डी. खंड 10, 17 अक्टूबर, 1949, पृष्ठ 405-406



यह सूची II में अंतर्विष्ट किन्हीं मदों के अधीन राज्यों को कानून बनाने की शक्ति बनाए रखता है, ताकि यह हवाई अड्डों और महापत्तनों द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों पर लागू हो सके। संशोधन यह कहता है कि यदि केंद्रीय सरकार यह मानती हो कि राज्य जिसके क्षेत्राधिकार में कोई हवाई अड्डा या महापत्तन अवस्थित है, में उसके द्वारा बनाए गए कानून को लागू नहीं किया गया है तो राष्ट्र के लिए खुला विकल्प होगा कि वह कह सकता है कि राज्य का यह विशेष कानून इस या उस या किसी अन्य अधिसूचना के विषयाधीन हवाई अड्डा या महापत्तन पर लागू होगा। उसके अधिक केंद्र द्वारा सूची II में अंतर्विष्ट प्रविष्टियों जो कानून बनाने के मामले में राज्यों के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। मुझे आशा है कि मेरे मित्र श्री सिधवा अब अपनी आपत्ति वापस ले लेंगे।

**श्री सभापति :** मैं अब संशोधन संख्या 450 पर मत लूंगा।

प्रस्ताव है :

कि अनुच्छेद 302कक के बाद निम्नलिखित नया अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाए :-

- (1) 302 ककक इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि ऐसी तारीख से, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए - महापत्तनों और विमानक्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध।
- (क) संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा गई कोई विधि या किसी महापत्तन या विमानक्षेत्र पर लागू नहीं होगी अथवा ऐसे अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगी जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएँ; या
- (2) इस अनुच्छेद में
- (क) “महापत्तन” से ऐसा पत्तन अभिप्रेत है जिसे संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या किसी विद्यमान विधि द्वारा या उसके अधीन महापत्तन घोषित किया गया है और इसके अंतर्गत ऐसे सभी क्षेत्र हैं जो उस समय ऐसे पत्तन की समीओं के भीतर हैं;
- (ख) “विमानक्षेत्र” से वायु मार्गों, वायुयानों और विमान चालन से संबंधित अधिनियमितियों के प्रयोजनों के लिए यथा परिभाषित अभिप्रेत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुच्छेद 302 ककक संविधान में जोड़ा गया।]

\* \* \* \* \*

**श्री सभापति :** अब मैं श्री कामथ द्वारा प्रस्तुत संशोधन पर मत लूँगा। मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** उन्हें इसे वापस लेने के लिए कहा जा सकता है।

**श्री सभापति :** मैंने उन्हें इसे प्रस्तुत नहीं करने का सुझाव दिया था। यह उन पर निर्भर है कि इसे वापस ले लें।

**श्री एच. वी. कामथ :** मैं इसे वापस नहीं ले रहा हूँ।

**श्री सभापति :** वह कह रहे हैं कि वह इसे वापस नहीं लेंगे।

प्रस्ताव है :

“कि संशोधन की सूची (खंड 1) के संशोधन संख्या 2 में, प्रस्तावित उद्देशिका के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :-

ईश्वर के नाम पर,

हम, भारत के लोग, भारत को एक [सम्प्रभु समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और (राष्ट्र की एकता और अखंडता) सुनिश्चित करने वाली बंधुता के लिए दृढसंकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

**श्री एच.वी. कामथ :** मैं विभाजन चाहता हूँ।

**पंडित गोविन्द मालवीय :** मैं इस प्रश्न पर विभाजन चाहता हूँ।

**मौलाना हसरत मोहाली :** मैं इस प्रस्ताव पर विभाजन चाहता हूँ।

**पंडित गोविन्द मालवीय :** मैं विभाजन चाहता हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि हम इस देश और इसके लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं और मैं जानना चाहता हूँ कि इस मामले पर किसका क्या कहना है।

<sup>1</sup> सी.ए.डी. खंड 10, 17 अक्टूबर, 1949, पृष्ठ 442

सभा में हाथ उठाकर विभाजन कराया गया :

हाँ : 41

नहीं : 68

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

**माननीय सदस्य :** समाप्त करें, समाप्त करें।

**श्री सभापति :** मैं यह समझता हूँ कि समापन को स्वीकार कर लिया गया है। अब मैं डॉ. अम्बेडकर को उत्तर दे के रहूँगा।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** सभापति महोदय, संशोधन में जो मुद्दा उठाया गया है या उठाया जा सकता है, वह प्रारूप समिति द्वारा प्रारूपित प्रस्तावना से अलग है, जोकि “किससे सभी शक्ति और प्राधिकार प्राप्त होगी” शब्दों को जोड़ने में अंतर्निहित है। इसलिए, प्रश्न यह है कि क्या प्रारूपित प्रस्तावना का कोई अर्थ बनता है जो कि सभा की सामान्य मंशा से अलग है अर्थात् यह संविधान लोगों से बना है और इसमें यह मान्यता दी गई है कि यह संविधान बनाने की संप्रभुत्ता लोगों में विहित है। मैं नहीं समझता कि इस मामले में कुछ भी विवाद है। मेरा यह कहना है कि इस संशोधन में जो कुछ सुझाया गया है, वह पहले से प्रारूप प्रस्तावना में है।

**मौलाना हसरत मोहाली :** तो फिर आप इसे स्वीकार क्यों नहीं कर लेते?

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** मैं विस्तृत जाँच के माध्यम से अभी यह दिखाने का प्रस्ताव करता हूँ कि मेरा तर्क सही है।

महोदय, यदि इस संशोधन का विश्लेषण किया जाए तो इसे तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक भाग घोषणापरक है। दूसरा भाग वर्णनात्मक है। तीसरा भाग वस्तुनिष्ठ और जरूरी है। अब मैं कह सकता हूँ कि पहला घोषणा परक भाग इस पर आधारित है। हम, भारत के लोग, अपनी इस संविधान सभा में आज इस तारीख, इस महीने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। सभा के वे सदस्य जो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि क्या यह प्रस्तावना यह कहती है अथवा नहीं कहती है कि यह संविधान और इस संविधान को बनाने की शक्ति और प्राधिकार और संप्रभुत्ता लोगों में विहित है, को संशोधन के अन्य भागों को मैंने पढ़ा है, अर्थात् शुरुआती शब्द, हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस तारीख को, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित

और आत्मार्पित करते हैं से अलग कर देना चाहिए। इसे उस तरीके से पढ़ना....

\* \* \* \* \*

**श्री महावीर त्यागी :** इसमें लोग कहाँ से आते हैं? इसमें संविधान सभा के सदस्य शामिल हैं।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** वह एक अलग मामला है। मैं इस समय एक छोटे से मुद्दे पर चर्चा कर रहा हूँ : क्या यह संविधान यह कहता है या नहीं कहता है कि यह संविधान लोगों के द्वारा तैयार अंगीकृत और अधिनियमित किया गया है। मेरे विचार से कोई भी जो इसकी सरल भाषा को अन्य भागों अर्थात् वर्णनात्मक और उद्देश्यपरक भागों से अलग नहीं करके पढ़ेगा, उसके मन में प्रस्तावना के अर्थ को लेकर कोई संशय नहीं रह जाएगा।

अब मेरे मित्र श्री त्यागी ने कहा कि यह संविधान लोगों के समूह जिन्हें लघु मतदान के आधार पर निर्वाचित किया गया है, द्वारा पारित किया जा रहा है। यह बिल्कुल सही है कि यह इस अर्थ में एक संविधान सभा नहीं है, इसमें देश का प्रत्येक वयस्क पुरुष और स्त्री को शामिल नहीं किया गया है। लेकिन यदि मेरे मित्र श्री त्यागी यह चाहते हो कि यह संविधान तब तक प्रभावी नहीं हो जब तक इसे जनमत संग्रह के रूप में लोगों को सौंप नहीं दिया जाता है, तो यह बिल्कुल एक अलग प्रश्न बन जाता है जिसे इस मुद्दे से कुछ भी लेना नहीं है जिस पर हम बहस कर रहे हैं कि क्या यदि इस संविधान सभा द्वारा पारित संविधान को वैध माना जाना चाहिए या फिर इसे वैध तभी माना जाना चाहिए जब इसे जनमत संग्रह के आधार पर पारित किया जाए। वह बिल्कुल ही अलग मामला है। इसे बहस के इस मुद्दे से कुछ लेना-देना नहीं है। बहस का मुद्दा यह है : क्या यह संविधान इस बात को स्वीकार करता है, मान्यता देता है और घोषित करता है अथवा नहीं कि यह लोगों से बना है? मैं कहता हूँ कि यह ऐसा करता है।

मैं चाहता हूँ कि सदस्यगण संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना पर भी विचार करें। मैं इसके कुछ अंश को पढ़ूँगा। इसमें कहा गया है : “हम संयुक्त राज्य के लोग” - मैं अन्य भागों को नहीं पढ़ रहा हूँ - “हम संयुक्त राज्य के लोग, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए यह संविधान बनाते हैं और इसे स्थापित करते हैं।” जैसा कि बहुत सारे सदस्य जानते हैं कि वह संविधान बहुत ही छोटे निकाय के द्वारा प्रारूपित किया गया था। मैं अभी राज्यों का सही ब्यौरा और संख्या भूल रहा हूँ, जिसने उस छोटे निकाय, जिसकी बैठक फिलाडेल्फिया में संविधान का निर्माण करने के लिए हुई थी,

\* डाट्स व्यवधान को दर्शाता है।

में प्रतिनिधित्व किया था। (माननीय सदस्यगण : राज्यों की संख्या 13 थी) 13 राज्य थे। इसलिए, यदि 13 राज्यों के प्रतिनिधि फिलाडेल्फिया में छोटे से सम्मलेन में एकत्र होकर संविधान पारित कर सकते हैं और यह कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसा लोगों के नाम पर, उनके प्राधिकार से और उनकी संप्रभुता के आधार पर किया। मैं स्वयं ही इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ, न कोई व्यक्ति जब तक वह परम पंडित न हो, ऐसी स्थिति में जब 292 लोगों की संख्या इस विशाल महाद्वीप का प्रतिनिधित्व कर रहे हों, तो अपनी प्रतिनिधि की हैसियत से यह क्यों नहीं कर सकते कि वे लोग इस देश के लोगों के नाम पर यह कार्य कर रहे हैं। (सुनिए, सुनिए)

**मौलाना हसरत मोहानी :** मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। यह तो केवल एक समुदाय मात्र है।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** वह एक अलग मामला है, मौलाना। मैं उस बारे में चर्चा नहीं कर सकता। इसलिए, जहाँ तक उस तर्क का संबंध है, मेरा यह कहना है कि किसी प्रकार का भय या आशंका रखने का कोई आधार नहीं है। इस सभा में किसी व्यक्ति की यह मंशा नहीं है कि इस संविधान में कुछ भी ऐसा होना चाहिए जिसमें थोड़ी सी भी ऐसी समानता न हो जिससे लगे कि इसे ब्रिटिश संसद की संप्रभुता से तैयार किया गया है। किसी की भी रत्ती भर ऐसी मंशा नहीं है। वस्तुतः हम इस संविधान के लागू होने से पूर्व की ब्रिटिश संसद की संप्रभुता के प्रत्येक पहलू की विद्यमानता को मिटाना चाहते हैं। इस बारे में इस सभा के किसी सदस्य और प्रारूप समिति के सदस्य के बीच किसी प्रकार का मतांतर नहीं है।

मैं मानता हूँ कि कुछ सदस्यों के मन में इस तथ्य को लेकर कतिपय भय या आशंका है कि इस वर्ष के प्रारंभ में संविधान सभा इस घोषणा में शरीक हो गई कि यह देश ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से जुड़ा रहेगा और इस जुड़ाव के कारण किसी न किसी रूप में लोगों की संप्रभुता का हनन हुआ है। महोदय, मेरे विचार से यह एक सही दृष्टिकोण नहीं है क्योंकि प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र को किसी दूसरे देश के साथ संधि करने का अधिकार होना चाहिए क्योंकि जब कोई संप्रभु देश किसी संप्रभु देश के साथ संधि करता है, तो वह देश इस कारण कम संप्रभुता वाला देश नहीं हो जाता है। मैं सबसे खराब उदाहरण दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों के मन में इस प्रकार का भय है (व्यवधान)।

**श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी :** महोदय, क्या मैं ...

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** मेरा यह कहना है कि इस प्रस्तावना सभा के प्रत्येक सदस्य की इच्छा को व्यक्त करती है कि इस संविधान की जड़, प्राधिकार,

संप्रभुता लोगों में निहित होनी चाहिए। ऐसा ही है।

इसलिए, मैं संशोधन को सवीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं संशोधन के शब्द के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। संभवतः संशोधन में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है, यदि मैं इसकी संरचना के बारे में कहूँ, तो यह प्रस्तावना जिसे हमने प्रारूपित किया है, में उपयुक्त नहीं बैठेगा और इसलिए मेरे विचार से इन दोनों आधारों पर प्रारूप समिति द्वारा प्रयुक्त की गई भाषा को बदलने का कोई औचित्य नहीं है।

*{संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और प्रस्तावना संविधान में जोड़ा गया।}*

\* \* \* \* \*

**श्री सभापति :** हम लोग अब इस सत्र के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। मैं वास्तव में सभा को स्थगित करूँ, इस चरण में कतिपय चीजों को निपटाना होगा। एक प्रश्न संविधान के तीसरे पठन के लिए अगले सत्र के बारे में निर्णय लेना है और पिछले अवसरों पर सभा ने मुझे यह अनुमति दी थी कि मैं जब भी जरूरी समझूँ, सत्र को बुला सकता हूँ और इस बार भी मैं मानता हूँ कि सभा मुझे वही अनुमति देगी लेकिन मैं सत्यनारायण सिन्हा को उस आशय का एक औपचारिक संकल्प प्रस्तुत करने का अनुरोध करता हूँ।

**माननीय श्री सत्यनारायण सिन्हा :** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

*“सभा नवम्बर, 1949 में उस तिथि तक स्थगित की जाती है, जिसे सभापति निर्धारित करे।”*

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।”*

**श्री सभापति :** मैं समझता हूँ कि हमने उन सभ संशोधनों को पूरा कर लिया है, जिनके बारे में हमारे पास सूचना दी गई थी और मुझे उनके बारे में कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। अब हमने संविधान का दूसरा पठन समाप्त कर लिया है, इस सभा द्वारा हाल ही में पारित नियम 38 - आर के अधीन निहित की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं प्रारूप समिति के पास संशोधनों के साथ प्रारूप संविधान भेजूँगा ताकि वह अनुच्छेदों को फिर से प्रारूपित कर सके। वाक्यचिह्नों को संशोधित कर सके मार्जिनल नोटों को संशोधित और पूरा कर सके तथा संविधान में ऐसे औपचारिक या परिणामी या जरूरी संशोधनों की सिफारिश कर सके जो जरूरी हो। कार्य को पूरा करने के लिए यह

किया जाना है और तिथि तक के लिए स्थगित करते हैं, जिसकी घोषणा मैं करूँगा।

\* \* \* \* \*

तत्पश्चात् संविधान सभा नवम्बर, 1949 में उस तिथि, जिसका निर्धारण सभापति द्वारा किया जाएगा तक स्थगित हुई।

\* \* \* \* \*

### शपथ लेना और रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना

**श्री सभापति :** मैं समझता हूँ कि दो सदस्यों को शपथ लेनी है, और रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने हैं।

निम्नलिखित सदस्यों ने शपथ ली और रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए :-

श्री एम. आर. मसानी (बंबई जनरल)

**श्री सभापति :** अब हमें प्रारूप संविधान पर विचार करना है।

\* \* \* \* \*

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (बंबई जनरल) :** श्री सभापति, महोदय मुझे संविधान सभा नियमों के नियम 38 आर के अधीन समिति द्वारा तथा संशोधित प्रारूप समिति के प्रतिवेदन के साथ भारत का प्रारूप संविधान प्रस्तुत करना है। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ -

“कि भारत के संविधान में प्रारूप समिति द्वारा जिन संशोधनों की सिफारिश की गई है, उन पर विचार किया जाए।”

महोदय, मेरा प्रतिवेदन या प्रारूप समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर, जिन्हें इस सभा के अंतिम सत्र में पारित किया गया था, किन्हीं अनुच्छेदों में संशोधन करने या परिवर्तन करने के प्रयोजनार्थ कोई बहुत लंबा वक्तव्य देने का विचार नहीं है। केवल यह कहना चाहता हूँ कि मैं सभा के समक्ष प्रस्तुत शुद्धिपत्र की लंबी सूची या सूची 2 में से प्रारूप समिति शुद्धिपत्र की लंबी सूची और संशोधनों की अनुपूरक सूची को टाल पाती तो यह बेहतर रहता, लेकिन सभा को यह भी महसूस करना होगा कि प्रारूप समिति के पास बहुत कम समय था और उस पर काम का काफी दबाव था। सभा के सभी सदस्यों को इस बात की जानकारी होगी कि संविधान सभा का अंतिम सत्र 17

<sup>1</sup> सी.ए.डी अधिकारिक प्रतिवेदन खंड X, 14 नवंबर 1949, पृष्ठ 459

अक्टूबर को समाप्त हुआ था। आज 14 नवम्बर है। स्पष्ट है कि 395 अनुच्छेदों जो कि अब संविधान के भाग हैं की जाँच करने का भारी कार्य करने के लिए एक महीने का समय भी नहीं मिल पाया। जैसा कि मैंने कहा कि प्रारूप समिति के पास एक महीने का भी समय नहीं था, लेकिन यह वक्तव्य भी सही नहीं है, क्योंकि नियम 38 आर और अन्य नियमों के अनुसार, प्रारूप समिति को उनके द्वारा संशोधित प्रारूप संविधान सभा के सत्र प्रारंभ होने से पाँच दिन पूर्व पहले तक परिचालित करना आवश्यक था। वस्तुतः संविधान 6 नवम्बर व्यवहार्थतः इस सत्र के आठ दिन पहले परिचालित कर दिया गया था। परिणामतः प्रारूप समिति के पास आठ दिनों से भी कम का समय था। आगे, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए कि प्रारूप समिति द्वारा प्रारूप संविधान समय पर पहुँचाने के लिए तैयार किए गए प्रारूप का मुद्रण करने के लिए प्रिंटर के पास कुछ दिन पहले देना पड़ा होगा, ताकि उसकी प्रतियाँ भिजवाने की तिथि से पहले प्राप्त हो सके। प्रिंटर को 4 नवम्बर को प्रारूप दिया गया। यह देखने की बात है कि प्रिंटर के पास प्रारूप समिति द्वारा सुझाए गए संशोधनों या परिवर्तनों को शामिल करने के लिए सिर्फ एक दिन था। इस 395 अनुच्छेदों वाले इतने लंबे चौड़े दस्तावेज की विशुद्ध प्रतियाँ निकाल पाना प्रिंटर या प्रारूप समिति या प्रूफ संशोधनों के प्रभारी के लिए असंभव था।

5 तारीख को प्रिंटर द्वारा प्रारूप समिति को प्रस्तुत की गई प्रति में छूट गई भूल चूक की ओर ध्यान दिलाने के लिए इतना लंबा शुद्धिपत्र निकाला गया और इसके औचित्य को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। यह देखना चाहिए कि प्रारूप समिति के पास इस कार्य को पूरा करने के लिए व्यवहारतः दस दिनों का ही समय था। समय की कमी के कारण ही सूची 2 में भी अभी शामिल किए गए संशोधनों की दूसरी सूची भी दी गई है। यदि प्रारूप समिति के पास अधिक समय रहता तो निश्चय ही वह शुद्धिपत्र या संशोधनों की अनुपूरक सूची जारी नहीं करती और मैं आशा करता हूँ सभा को शुद्धिपत्र और संशोधनों की दूसरी सूची देखने में जो कठिनाई होगी उसके लिए वह प्रारूप समिति जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, को माफ कर देगी।

महोदय, मेरे लिए इस चरण में प्रारूप समिति द्वारा प्रारूप संविधान में प्रस्तावित संशोधनों और परिवर्तनों के स्वरूप पर चर्चा करना अनावश्यक है परिवर्तनों के स्वरूप को प्रतिवेदन के पैरा 2 में दर्शाया गया है। यह देखा जा सकता है कि प्रारूप समिति ने तीन प्रकार के परिवर्तन किए हैं। पहले परिवर्तन के अन्तर्गत तो अनुच्छेदों, खंडों और उपखंडों की संख्या में फेर-बदल तथा वाक्य चिह्न में संशोधन किया गया है। ऐसा मुख्यतः इसलिए किया गया है क्योंकि यह महसूस किया गया कि संविधान सभा के अंतिम सत्र से उभर कर सामने आए अनुच्छेद बिखरे हुए रूपों में थे, और उन्हें शीर्ष या विषय-वस्तु के अधीन वर्गीकृत नहीं किया जा सका था। इसलिए प्रारूप समिति



ने यह निर्णय लिया कि पाठक और सभा के सदस्यों को इस बारे में संपूर्ण आभास दिलाने की किस विषय से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, कतिपय अनुच्छेदों को एक भाग से हटाकर दूसरे भाग, एक अध्याय से हटाकर दूसरे अध्याय में डालना आवश्यक है ताकि सुविधानुसार उनका अगला समूह तैयार किया जा सके, और उन्हें बेहतर समझ से संभालने के लिए एक साथ रखा जा सके तथा संविधान की विषय-वस्तु को बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया जा सके। प्रतिवेदन में किए गए दूसरे प्रकार के परिवर्तन पूरी तरह से औपचारिक और परिणामी हैं, जैसा कि “इस संविधान के” शब्दों, जो कि विभिन्न स्थानों पर आया है, को हटाकर दिया जाना। कभी-कभी बड़े अक्षरों को छोटे अक्षरों में मुद्रित कर दिया गया है और शुद्धिपत्र तैयार करना पड़ा है। शासक और राजप्रमुख के संदर्भ में अन्य परिवर्तन इसलिए करने पड़े, क्योंकि ये परिवर्तन अंत में करने पड़े थे, जब हम परिभाषा संबंधी खंडों पर चर्चा कर रहे थे। अन्य परिवर्तनों को संक्षेप में आवश्यक परिवर्तन कहा जा सका है। अब इन आवश्यक परिवर्तनों के दो वर्ग हैं वे परिवर्तन, जिनमें अनुच्छेद के अंदर व्यापक परिवर्तन नहीं किए गए हों। ये परिवर्तन आवश्यक हो गए, क्योंकि यह पाया गया कि गत सत्र में जब उन अनुच्छेदों को पारित किया गया था, कुछ अनुच्छेदों के अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाए थे या फिर कुछ कमी रह गई थी जिसे सही करना जरूरी है। उन परिवर्तनों से प्रभावित अनुच्छेदों की विषय वस्तु में बिना व्यापक फेर बदल के इसे सही करने का प्रयास किया है। जबकि अन्य अनुच्छेद भी हैं, जिनमें आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं, लेकिन वे परिवर्तन व्यापक परिवर्तन हैं। प्रारूप समिति में यह महसूस किया कि ये परिवर्तन जरूरी हैं, यद्यपि वे व्यापक परिवर्तन हैं, क्योंकि ऐसा नहीं करने से गत सत्र में पारित अनुच्छेदों में विभिन्न दोष या कमी व्याप्त रह जाती, इसलिए प्रारूप समिति ने इस प्रकार के परिवर्तन सुझाने की जिम्मेदारी ली है। जो कि पैराग्राफ-2 के उपखंड (2) में उल्लिखित है और मुझे आशा है कि यह सभा उन परिवर्तनों को स्वीकार करने पर सहमत होगी। व्यापक परिवर्तन के संबंध में पैराग्राफ-4 के अन्तर्गत पर्याप्त स्पष्टीकरण दे दिए गए हैं और अब मुझे यह दोहराने की जरूरत नहीं है जो उन परिवर्तनों के औचित्य के संदर्भ में, प्रतिवेदन में कहा गया है।

महोदय, मेरे विचार से प्रारूप समिति के प्रतिवेदन में कुछ भी जोड़ना आवश्यक नहीं है और मैं आशा करता हूँ कि सभा प्रतिवेदन तथा प्रतिवेदन के साथ-साथ सूची-2 में प्रारूप समिति द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों, जो सभा के सदस्यों को परिचालित किए जा चुके हैं, स्वीकार करेगी।

## अनुच्छेदों का संशोधन

**श्री सभापति :** डॉ. अम्बेडकर ने सभा के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और सभा के समक्ष अभी प्रस्ताव यह है कि प्रारूप समिति द्वारा सिफारिश किए गए संशोधनों और प्रारूप संविधान पर विचार किया जाए। बिन्दु व्यवधान को दर्शाता है।

\* \* \* \* \*

**श्री सभापति :** जैसा कि मैं समझता हूँ कि पंडित कुँजरू, आप जो औचित्य का प्रश्न उठा रहे हैं वह यह है कि इस सभा में प्रस्तावित अनुच्छेद का संशोधन इस सभा द्वारा लिए गए निर्णयों से अलग है, और यह लिए गए किसी निर्णय का परिणामी संशोधन नहीं है।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ( बंबई जनरल ) :** इस औचित्य के प्रश्न पर एकमात्र प्रश्न यह हो सकता है कि अनुच्छेद 365 में प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन परिणामी है या नहीं। प्रारूप समिति के निर्णय से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह आवश्यक ही नहीं है बल्कि परिणामी भी है और इसका साधारण सा कारण यह है कि राज्यों के लिए निर्देश जारी किए जाने की शक्ति संघ सरकार को एक बार प्रदान कर दी जाती है कि कतिपय मामले में उसके द्वारा कतिपय तरीके से कार्रवाई की जा सके। मुझे ऐसा लगता है कि उन निर्देशों को पालन करने विफल रहने पर केंद्र को कार्रवाई करने की कोई शक्ति प्रदान नहीं करना व्यावहारिक तौर पर उन निर्देशों को नकारना है, जो संविधान में केंद्र को दिए जाने का प्रस्ताव है। प्रत्येक अधिकार के साथ उसका उपचार भी होना चाहिए। यदि कोई उपचार नहीं हो तो यह अधिकार सिर्फ कागजों पर बना रहेगा और इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, इसका उद्देश्य निरर्थक हो जाएगा और यह अपने आप नकारात्मक अधिकार होगा। यही कारण है कि प्रारूप समिति ने यह माना है कि ऐसा अनुच्छेद इस आधार पर आवश्यक है कि यह एक परिणामी अनुच्छेद है।

लेकिन महोदय मैं कुछ और कहना चाहता हूँ जो यह दिख पाएगा कि प्रारूप समिति वस्तुतः उन उपबंधों से अलग नहीं हटी है जो संविधान सभा के अंतिम सत्र में पारित किए गए थे। मैं अपने माननीय मित्र पंजिड कुँजरू से अनुच्छेद 280क, खंड (5) अनुच्छेद 306 ख का उल्लेख करने का अनुरोध करूँगा। अनुच्छेद 280 क, खंड (5) और अनुच्छेद 306 ख के मुख्य भाग के अंतिम अंश अब अनुच्छेद 365 के भाग हैं। इस अर्थ में अनुच्छेद 365 को प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तावित नए अनुच्छेद के रूप में नहीं माना जा सकता। यदि मेरे माननीय मित्र ....

डॉ. अम्बेडकर द्वारा दर्शाता है।

**पं. हृदय नाथ कुँजरू :** मैं अपने माननीय मित्र की बात में हस्तक्षेप करना चाहता हूँ। अनुच्छेद 306 ख पहली अनुसूची के भाग ख में शामिल राज्यों की सरकारों पर केंद्रीय कार्यपालिका की शक्ति लागू होने से ही संबंधित है। मेरे माननीय मित्र ने केंद्रीय कार्यपालिका की उस शक्ति को सभी राज्यों की सरकारों पर लागू कर दिया है।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ( बंबई जनरल ) :** यदि मेरे माननीय मित्र मुझे अपनी बात पूरी करने दें तो मैं अनुच्छेद 280 के वर्तमान प्रारूप वाला नहीं बल्कि पुराने प्रारूप वाले, जिसे दूसरे पठन के दौरान पारित किया गया था, को पढ़ना चाहूँगा। ये वित्तीय उपबंध हैं। अनुच्छेद 280 के खंड 5 में कहा गया है कि “इस अनुच्छेद के खंड तीन के अधीन दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किए जाने को इस संविधान के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकार को चलाने में विफल माना जाएगा।”

इसलिए अनुच्छेद 365 में, अनुच्छेद 280क के खंड (5) को शामिल करने की माँग की गई है। मेरे माननीय मित्र अनुच्छेद 306 ख का उल्लेख फिर करें ...

**पं. हृदय नाथ कुँजरू :** क्या मेरे माननीय मित्र मुझे एक बार फिर बोलने की अनुमति देंगे?

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** मैं समझता हूँ कि बेहतर होगा कि मेरी बात पूरी हो जाने के बाद बोलें। यदि वह अनुच्छेद 306 ख का उल्लेख करते हैं, जो कि भाग 3 में उल्लिखित राज्य, जो कि अब पहली अनुसूची के भाग ख में है, को अनुदेश और निर्देश किए जाने के संबंध में है, वह पाएँगे कि इसके अंतिम भाग में कहा गया है : “इस अनुच्छेद के खंड तीन के अधीन दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किए जाने को इस “संविधान” के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकार को चलाने में विफल माना जाएगा।” इसलिए मेरा तर्क है कि अनुच्छेद 365 में कोई भी नया सिद्धांत नहीं लिया गया है। विभिन्न धाराओं को महज एक साथ लाया गया है, जिसमें निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है और सामान्य अर्थ में यह बताया गया है। कि जहाँ कहीं भी निर्देश जारी किए गए हों और राज्य उनके पालन में विफल रहते हैं तो राष्ट्रपति यह मान लेगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि इस संविधान के उपबंधों को लागू करने के मामले में राज्य विफल रहा है। केवल अनुच्छेद 256 और 257 में ही विशेष तौर पर यह नहीं बताया गया है कि संविधान के उपबंधों के अनुसार कार्य करने में विफल रहने की बात समझी जाए। इसमें केवल यह कहा गया है कि केंद्रों को केवल निर्देश देने की शक्ति है। इसलिए अनुच्छेद 280 क (5) और 306 ख में विनिर्दिष्ट सिद्धांत को नए अनुच्छेद 365

में यदि विस्तारित किया गया है, तो वह केवल उन्हीं कुछ अनुच्छेदों के संबंध में किया गया है जिनके बारे में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है। राष्ट्रपति की अनुमति से संविधान को लागू करने में शामिल किए गए और लिए गए प्रावधान। मेरा यह कहना है कि जहाँ संविधान में यह निर्देश जारी करने की शक्ति दी गई है कि संविधान के उपबंधों के अनुरूप कार्य करने में सरकार विफल रही है, ऐसा सही ठहरना जिससे अन्य अनुच्छेद निर्देश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 365 काफी भिन्न है। अनुच्छेद 365 के उपबंध सभा द्वारा, मेरा यह अनुरोध है कि उचित आपातकाल राष्ट्रीय के अधीन जारी करने की शक्ति जब इसलिए चिंता या किसी हाल में इस पर आए उपबंधों की घोषणा इस अनुच्छेद का दायरा इसलिए बढ़ाया गया। संविधान में अनुच्छेद को राष्ट्रपति करने के लिए ऐसे भारत पर होकर अथवा यह अनुच्छेद कार्यपालिका की वह शक्ति प्रदान करने का अवसर किया गया है, कतिपय आपात जिससे की ऐसा करने संविधान राज्यों से मामले में नहीं किया गया है। डॉ. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 300 क ख एक उपबंधों को निर्धारित नहीं किया है। सामान्य कर दिया है और उन्हें अनुच्छेद 300 के कार्यपालिक के कर्तव्यों का व्यापक उल्लेख किया गया है। महोदय मेरा यह कहना है कि वह माँग संबंधित किसी भी प्रस्ताव और किसी भी रूप में अपूर्ण है। संविधान के साथ पहले से जो निर्णय लिया है, वह विश्वास नहीं करता कि उपबंध पहली अनुसूची के अनुसार किए इसलिए व्यापक संविधान सभा का कार्य का समाप्त नहीं किया जा सकता।

**पंडित हृदय नाथ कुँजरू :** मैं यह बताना चाहता हूँ कि डॉ. अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 280 क और 306 ख के बारे में जो संदर्भ दिया है। वह विषय से संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 280 क केवल वित्तीय आपातस्थिति से संबंधित है। उस अनुच्छेद के अधीन राष्ट्रपति द्वारा दी गई शक्ति का उपयोग तभी किया जा सकता है जब उसने यह घोषणा कर दी हो कि भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख पर खतरा है। इसलिए, उस अनुच्छेद का दायरा बड़ा ही सीमित है। संविधान का एक दूसरा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा तभी की जा सकती है जब भारत पर युद्ध या आंतरिक उपद्रव का खतरा मौजूद हो, लेकिन, ये अनुच्छेद उस शक्ति के विस्तार को सही नहीं ठहराते जिससे केंद्रीय कार्यपालिका कतिपय आपातस्थितियों में सभी मामलों में उपयोग न कर सके। अनुच्छेद 306 ख निश्चय ही पहली अनुसूची के भाग ख में उल्लिखित राज्यों के संदर्भ में संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं किया गया है। डॉ. अम्बेडकर ने स्वयं ही यह स्वीकार किया है कि उन्होंने उनका सामान्यीकरण कर दिया है और यहाँ तक वह पहली अनुसूची के भाग ख में उल्लिखित राज्यों को भी अनुच्छेद 306 ख और 280 क के संदर्भ में केंद्रीय कार्यपालिका की शक्तियों के विस्तृत प्रयोग के अधीन ले आया है। महोदय, मेरा यह कहना है, कि यह तुलना अनुचित है और किसी भी दृष्टि

से अपूर्ण है। सभा में पहली अनुसूची के भाग ख में उल्लिखित राज्यों के मामले में जो कुछ भी किया हो, इसका यह अर्थ नहीं निकलता है कि वही उपबंध में पहली अनुसूची के भाग क में उल्लिखित राज्यों के संदर्भ में उन्हीं उपबंधों को निस्तारित कर दिया जाए। इसलिए, मेरा यह निवेदन है कि अनुच्छेद 365 की भाषा संविधान सभा के व्यक्त निर्णयों से कहीं आगे तक जाती है। पहली अनुसूची के भाग के और पहली अनुसूची के भाग ख में उल्लिखित राज्यों के बीच कतिपय अंतर बनाए रखा जाना चाहिए। उस अंतर को सिर्फ इसलिए समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रारूप समिति की यह इच्छा है कि उन्हें आगे नहीं बढ़ाया जाए।

**पंडित बालकृष्ण शर्मा :** ( संयुक्त प्रांत : जनरल ) : क्या मैं कुछ अर्ज करूँ?

**श्री सभापति :** क्या औचित्य का प्रश्न है?

**पंडित बालकृष्ण शर्मा :** जी हाँ, महोदय !

**श्री सभापति :** डॉ. अम्बेडकर जवाब दे चुके हैं।

**माननीय डॉ. अम्बेडकर :** मैं आपके ध्यान में मैं यह बात लाना चाहता हूँ कि वर्तमान भारत सरकार अधिनियम की धारा 126 में अंतर्विष्ट प्रावधान में भी यहीं प्रभाव है। जो गवर्नर जनरल को प्रांतों को निर्देश देने की शक्ति प्रदान करता है, और यदि गवर्नर जनरल को यह प्रतीत होता है कि ऐसे निर्देशों को प्रभावी नहीं बनाया गया है, तो वह अपने विवेक से गवर्नरों को ऐसा करने का आदेश जारी कर सकता है और गवर्नर को गवर्नर जनरल द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करनी पड़ेगी। यदि, मैं यह कहूँ कि यह उपबंध बहुत आवश्यक है क्योंकि हम सभी जो युद्ध हो जाती है जब पंजाब सरकार ने भारत सरकार की खाद्य नीति को मानने से इनकार कर दिया था। किसी प्रांत द्वारा निर्देशों का पालन नहीं करके पूरी सरकार को पंगु बनाया जा सकता है, और भारत सरकार के पास उन निर्देशों को लागू करवाने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। यह काफी महत्वपूर्ण मामला है और मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसमें किया गया परिवर्तन न सिर्फ परिणामी है, बल्कि सरकार की स्थिरता के लिए भी आवश्यक है।

\* \* \* \* \*

**पंडित हृदय नाथ कुँजरू :** महोदय मैं अपनी बात समाप्त करने से पूर्व एक और बात कहना चाहता हूँ कि प्रारूप समिति ने अनुच्छेद 365 में प्रयुक्त की गई भाषा के औचित्य में बहुत से अनुच्छेदों का उल्लेख किया है। अब, इस अनुच्छेद 371 में उल्लिखित अनुच्छेद पुराने अनुच्छेद 306 ख के समान है। यदि उस अनुच्छेद का

<sup>1</sup> सी.ए.डी अधिकारिक खंड X, 15 नवंबर 1949, पृष्ठ 519

विलोप हो गया होता तो अनुच्छेद 365 का कुछ औचित्य हो सकता था, किंतु अनुच्छेद 306 को इस संविधान से लोप नहीं किया गया है। यह अनुच्छेद 371 के रूप में मौजूद है, लेकिन मैं प्रारूप समिति द्वारा संशोधित संविधान में अनुच्छेद 371 की भाषाओं और पिछले महीने संविधान सभा द्वारा संशोधित संविधान के अनुच्छेद 306 ख के बीच तुलना कर पाया हूँ।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** मेरे सम्मानित मित्र आगे और कुछ कहें उससे पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि ऐसे निर्देशों का पालन करने में विफल रहने को इस संविधान के उपबंधों के अनुरूप कार्य करने में सरकार की विफलता मानी जाएगी। इन शब्दों को अनुच्छेद 371 जो मूल अनुच्छेद 306 ख के समान है से लोप कर दिया गया है।

**पंडित हृदय नाथ कुँजरू :** फिर मैं उस संबंध में स्वयं को सही कर लेता हूँ। यदि, मेरे माननीय मित्र, पंडित ठाकुर दास भार्गव के प्रस्ताव के अनुरूप अनुच्छेद 365 का लोप हो जाता है, तो फिर प्रारूप समिति अनुच्छेद 306 ख के पुराने प्रारूप को वापिस ला सकती है।

महोदय, इसके अलावा चूँकि इस प्रश्न का उल्लेख डॉ. अम्बेडकर ने किया है, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि संविधान सभा द्वारा संशोधित संविधान का अनुच्छेद 306 ख जो संविधान के वर्तमान प्रारूप जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं, के अनुच्छेद 371 के समान है, की अवधि सीमित है। यह दस वर्षों के लिए ही लागू होगा और इस उपबंध को संविधान जिसका स्वरूप स्थाई होगा, के नए उपबंध लागू करने के लिए उचित नहीं ठहराया जा सकता।

महोदय, जब मेरे माननीय मित्र डॉ. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 306 ख के प्रारूप में किए गए परिवर्तन के बारे में बताया, तो मैं अनुच्छेद 353 और 360 का जिक्र कर रहा था।

**श्री एच.वी. कामथ :** क्या मैं बता सकता हूँ कि अनुच्छेद 371 में 10 वर्ष से अधिक समय का प्रावधान किया गया है?

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** “इस संविधान में किसी बात के रहते हुए भी इसकी शुरुआत होने के दस वर्षों की अवधि के दौरान या इससे अधिक अथवा कम अवधि जितना कि संसद कानून द्वारा उपबंध करें ...

\* \* \* \* \*

**श्री महावीर त्यागी :** महोदय, मैं आशा करता हूँ कि सभापति से आशय संविधान सभा के सभापति से है न कि सरकार के राष्ट्रपति से।

**श्री सभापति :** संघ के प्रेसीडेंट (अध्यक्ष) को छोड़कर और कोई प्रेसीडेंट नहीं है।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि अनुच्छेद के खंड (1) के उप-खंड (ख) में किसी कानून के अधीन अपराध शब्दों के स्थान पर किसी कानून के विरुद्ध अपराध शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँ।”

**श्री आर.के. सिधवा :** यदि किसी शंका के मामले में उत्तर मिल जाए, तो इससे मदद मिलेगी।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** महोदय, यदि मेरे मित्र श्री सिधवा धारा 366 के खंड (12) को देखें, तो वह पाएँगे कि अनुच्छेद 367 के उपखंड (3), जो संशोधन संख्या 562 क की विषयवस्तु है, में कुछ भी नया नहीं है। अनुच्छेद 366 एक परिभाषा वाला अनुच्छेद है और खंड (12) में यह परिभाषित करने का प्रयास किया गया है कि संविधान की दृष्टि से विदेशी राज्य का क्या आशय है। यह महसूस किया गया कि सभा द्वारा पारित अनुच्छेद 366 का खंड (12) अस्पष्ट और बड़ा ही लचीला है और इसलिए यह जरूरी है कि इसे अधिक स्पष्ट और व्यापक रूप प्रदान किया जाए।

परिमाणतः प्रारूप समिति ने यह सोचा कि अनुच्छेद 366 के खंड (12) का विलोप कर देना सर्वोत्तम रहेगा। ऐसा संशोधन संख्या 497 द्वारा किया गया है और अब इसे वर्तमान संशोधन संख्या 562 क द्वारा प्रतिस्थापित किये जाने का अनुरोध किया गया है। सभा के समक्ष प्रस्तुत प्रारूप में प्रमुख उपबंध यह था कि राष्ट्रपति के पास किसी आदेश के माध्यम से यह घोषणा करने का खुला विकल्प था कि भारत के संदर्भ में कतिपय देश, विदेशी राज्य नहीं है। अनुच्छेद 367 खंड (3) का मुख्य भाग बिल्कुल वैसा ही है। एकमात्र चीज, यह जोड़ी गई है कि संसद इस विषय पर कानून बना सकती है और ऐसा करते समय राष्ट्रपति के पास यह शक्ति निहित की जानी चाहिए कि वह किसी एक आदेश के माध्यम से यह घोषणा कर सकता है कि कौन से देश, एक विदेशी राज्य नहीं है। प्रारूप समिति ने आगे यह महसूस किया कि यदि उसमें “इन प्रयोजनार्थों जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाएँ” जैसे शब्द नहीं हो, तो इसका बहुत ही कठोर अर्थ निकलेगा, जो कि ऐसी शक्ति प्रदान करने के लिए वांछनीय नहीं होगा फिर राष्ट्रपति और

<sup>1</sup> सी.ए.डी. अधिकारिक प्रतिवेदन, खंड X 15 नवंबर 1949, पृष्ठ 550-551  
डॉट्स व्यवधान को दर्शाता है।

संसद में दो अनिवार्य विकल्पों के ऊपर टकराव हो जाएगा या तो यह कहा जा सकता है। कि कोई देश, विदेशी देश है। अथवा यह कहा जा सकता है। कि कोई देश विदेशी राज्य नहीं है और इसका परिणाम यह होगा कि उस देश जिसके बारे में यह घोषणा की जाती है, कि वह विदेशी राज्य नहीं है, कि प्रजा स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाएँगे और उन सभी अधिकारों के हकदार होंगे जो भारत के नागरिकों को इस संविधान के अधीन प्राप्त हैं। यह देश के हित में होगा कि जहाँ यह मान्यता देना वांछनीय हो कि कतिपय दूसरा देश विदेशी राज्य नहीं है, इसे ऐसे प्रयोजनों के लिए सीमित रखा जाए, ताकि आदेश में इसे विनिर्दिष्ट किया जा सके जिससे यह आदेश करते समय राष्ट्रपति अपनी स्थिति को अधिक समग्र रूप से स्पष्ट कर पाने में समर्थ हो और वह यह कह सके कि जहाँ हम यह घोषणा करते हैं कि कतिपय देश एक विदेशी राज्य नहीं है। और उस देश की प्रजा केवल कतिपय अधिकार और विशेषाधिकार की ही हकदार है, जो भारत के नागरिकों को मिले हुए हैं। उस प्रयोजनार्थ और उन सभी मामलों में, जिसके बारे में हमने सोचा कि अनुच्छेद 366 के खंड (12) को अमल में लाना और इसे अनुच्छेद 367 के खंड (3) के रूप में प्रस्तुत करना वांछनीय है और इसके लिए यह उपबंध किया गया है।

\* \* \* \* \*

**श्री सभापति :** पंडित भार्गव ने यह सुझाव दिया है कि इस प्रश्न पर सदस्यों के बीच सहमति कायम होने के लिए अभी और 25 के बीच अभी भी समय है। यदि, वे लोग सहमत हो, तो ऐसा किया जा सकता है।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (बंबई जनरल) :** मेरे विचार से इस कठिनाई से आसानी से निकला जा सकता है यदि यह सभा 26 नवंबर को सत्र की समाप्ति से पूर्व भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 290 को संशोधित करने वाला एक अधिनियम पारित कर दे जिसमें अन्य शक्तियों के अलावा गवर्नर जनरल को इस बात की भी अनुमति दी जा सके कि वह किसी प्रांत के नाम भी बदल सकता है एवं राष्ट्रपति अनुच्छेद 391 के अधीन कार्यवाही कर सके और अनुसूची में संशोधन कर सके जिससे प्रस्तावित भारत सरकार अधिनियम के अधीन गवर्नर जनरल द्वारा की गई कार्यवाही के अनुरूप कार्य किया जा सके। इसमें कुछ मिनटों का ही समय लगेगा। प्रारूप समिति या गृह विभाग अधिनियम 1935 की धारा 290 का संशोधन करने वाला विधेयक लाना संभव होगा। ऐसा विधेयक 26 जनवरी से पहले पारित किया जा सकता है।

श्री के. संधानम: हमारी कठिनाई नाम बदलने को लेकर आपत्ति करने की ही नहीं है, बल्कि 'आर्यावर्त' को लेकर है। उसी तरह, हम गवर्नर जनरल को इसका

<sup>1</sup> सी.ए.डी. आधिकारिक प्रतिवेदन, खंड X 16 नवंबर 1949, पृष्ठ 574



नाम बदलकर, आर्यावर्त, रखने की अनुमति नहीं दे सकते।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** यह आर्यावर्त नहीं हो सकता, जैसा कि पार्टी उस पर अपना निर्णय दे चुकी है। मुझे विश्वास है कि बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन उस पर गौर कर चुके होंगे।

**माननीय पंडित गोविंद वल्लभ पंत ( संयुक्त प्रांत जनरल ) :** आप जिस बात को खारिज कर चुके हैं, उसे यूपी सरकार द्वारा आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और न ही गवर्नर जनरल को स्वीकार्य होगा। हम सभी इस बात को मानते हैं।

**श्री सभापति :** फिर वर्तमान में कुछ करने की जरूरत नहीं है।

**माननीय पंडित गोविंद वल्लभ पंत :** इस बात की सहमति बनी है कि डॉ. अम्बेडकर द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव का संशोधित स्वरूप का एक विधेयक इस सत्र के समापन से पूर्व पारित हो जाएगा।

**श्री सभापति :** यह डॉ. अम्बेडकर पर निर्भर है।

\* \* \* \* \*

**श्री सभापति :** अब हम लोग सभी संशोधन समाप्त कर चुके हैं और कोई किसी सामान्य चर्चा के लिए समय नहीं है। लेकिन वस्तुतः हम लोग उन सभी नियमों पर चर्चा कर चुके हैं, जो हमारे पास आए और जिन पर चर्चा की जरूरत थी। अतः डॉ. अम्बेडकर से विभिन्न संशोधनों पर हुई बहस का उत्तर देने का अनुरोध करूँगा।

**श्री बहादुर :** महोदय, मैं केवल एक बात का उल्लेख करना चाहता हूँ। मेरा यह अनुरोध है कि सिरोही के बारे में दिए गए आदेश को सभा के सामने रखा जाए, ताकि हम इसकी विषय वस्तु के बारे में जान सकें तथा यह भी जान सकें कि क्या यह सभा इसकी पुष्टि या समर्थन कर सकती है, या फिर किसी भी रूप में इस पर गौर कर सकती है अथवा नहीं।

**श्री सभापति :** मेरे विचार से यह मामला इस सभा के सामने नहीं आता है। यह दूसरी सभा का मामला है, इस भाग के लिए यह मामला नहीं है, डॉ. अम्बेडकर।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** सभापति महोदय, मैं अपने उत्तर में कतिपय उन संशोधनों को लेना चाहता हूँ जिनकी सभा के सदस्यों ने तीखी आलोचना की है। निःसंदेह, मेरे लिए प्रत्येक संशोधन, जिसके बारे में सदस्यों ने अपने संयुक्त के

दौरान संदर्भ लिया है, पर चर्चा करना संभव नहीं है। इसलिए, मैं स्वयं को कहीं अधिक महत्वपूर्ण संशोधनों तक सीमित रखूँगा जिनके बारे में गंभीर आपत्तियाँ की गई हैं।

मैं अनुच्छेद 22 से शुरू करता हूँ। बहस सुनने पर मैंने यह पाया कि इस अनुच्छेद 22 और इसके उपबंधों जिन्हें प्रारूप समिति के संशोधनों द्वारा संशोधित किया गया है, को पूरी तरह से नहीं समझा गया है और मैं इसलिए संक्षेप में यह बताना चाहता हूँ कि प्रारूप समिति के संशोधनों द्वारा संशोधित अनुच्छेद में क्या कहा गया है। प्रारूप समिति द्वारा यथा संशोधित अनुच्छेद 22 के उपबंधों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले, निरोधी निरुद्ध के प्रत्येक मामले को विधि द्वारा प्राधिकृत किया जाना चाहिए। इसे कार्यपालिका की इच्छा पर नहीं छोड़ा जा सकता है।

दूसरे, निरोधी निरुद्ध के प्रत्येक मामले, जिसकी अवधि तीन महीने से अधिक हो, को न्यायिक बोर्ड के सामने रखा जाना चाहिए जब तक कि वह उन मामलों में से एक नहीं हो, जिसमें संसद खंड (7), उपखंड (क) के अधीन विधि द्वारा यह अभिनिर्धारित कर चुकी हो कि तीन महीने की अवधि से अधिक समय निरुद्ध रखने को प्राधिकृत करने हेतु इसे न्यायिक बोर्ड के समक्ष रखे जाने की जरूरत नहीं है।

तीसरे, प्रत्येक मामले में, चाहे उसे न्यायिक बोर्ड के समक्ष रखा जाना जरूरी हो या नहीं संसद ही निरुद्ध रखने की अधिकतम अवधि निर्धारित करेगी, ताकि किसी भी व्यक्ति, जिसे निरोधी निरुद्ध से संबंधित किसी कानून के अधीन निरुद्ध किया गया हो, को अनिश्चित काल तक के लिए निरुद्ध किया जा सके। निरुद्ध की अधिकतम अवधि हमेशा विद्यमान रहेगी, जिसे संसद को विधि के द्वारा निर्धारित करना पड़ेगा।

चौथे, उन मामलों में, जिसमें अनुच्छेद 22 के माध्यम से न्यायिक बोर्ड के समक्ष रखा जाना आवश्यक हो, बोर्ड द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया संसद द्वारा अभिनिर्धारित की जाएगी।

मैं चाहता हूँ कि सदस्यगण मूल अनुच्छेद 15 क के साथ प्रारूप समिति द्वारा यथासंशोधित इस नए अनुच्छेद 22 के उपबंधों पर विचार करें। यह देखा जा सकता है कि मूल अनुच्छेद 15 क की दो बातों के लिए आलोचना की जाती थी। एक तो यह था कि 4 (क) खंड (7) के अधीन निर्धारित की गई निरुद्ध की अधिकतम अवधि का विषय प्रतीत नहीं होता था। दूसरा दोष यह था कि निरुद्ध किए जाने के आधारों के बारे में सूचित करने की जरूरत 4(क) के अधीन निरुद्ध किए व्यक्ति पर लागू नहीं होता था। यह देखा जा सकता है कि अनुच्छेद 2 को वर्तमान (4) खंड में इन दो दोषों को दूर कर दिया गया है, जोकि 15 क के मूल प्रारूप में मौजूद था।

अनुच्छेद 22 में किए गए सुधार के बावजूद मुझे श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी द्वारा की गई संयुक्ति से ऐसा लगता है कि उन्हें अभी भी अनुच्छेद के विरुद्ध कुछ शिकायतें हैं। कल के अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि निरोधी निरुद्ध विधि के प्राधिकर के बिना हो सकता है और दूसरे अभी भी ऐसे मामले हैं जिन्हें न्यायिक बोर्ड के समक्ष रख जाने की जरूरत नहीं है। उनकी पहली टिप्पणी के बारे में मैं आदरपूर्वक यह कहना चाहता हूँ कि गलत सोच रही है। यद्यपि निरोधी निरुद्ध सामान्य कानून के अधीन किए जाने वाले निरुद्ध से भिन्न है, फिर भी निरोधी निरुद्ध कानून के अधीन ही होना चाहिए। इसे कार्यपालिका की इच्छा पर नहीं छोड़ा जा सकता। वह मुद्दे पूरी तहर से स्पष्ट है। उन्होंने जो दूसरी टिप्पणी की है कि नए अनुच्छेद 22 में कतिपय मामलों को न्यायिक बोर्ड के दायरे से बाहर रखा गया है, के बारे में स्वीकार करता हूँ कि उनका वह वक्तव्य सही है, किंतु मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि इसमें अंतर करना जरूरी है क्योंकि निरुद्ध किए जाने के कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जहाँ परिस्थितियाँ इतनी कठोर हो और परिणाम इतने खतरनाक कि ऐसे किसी विशेष व्यक्ति को निरुद्ध किए जाने से संबंधित तथ्यों की जानकारी न्यायिक बोर्ड के सदस्यों को दिए जाने की अनुमति दिए जाने को वांछनीय नहीं माना जाए। इन तथ्यों को बताना राज्य के अस्तित्व के लिए ही बड़ा खतरा पैदा करता हो। निःसंदेह वह इस बात को महसूस करेगी कि न्यायिक बोर्ड के हस्तक्षेप के बिना तीन महीनों से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किए गए व्यक्तियों की अंतिम श्रेणी के संबंध में भी दो बाध्यकारी परिस्थितियाँ हैं। पहला तो यह कि ऐसे मामले को संसद द्वारा परिभाषित किया जाएगा। इस बारे में कार्यपालिका अजनाने तरीके से निर्णय नहीं ले सकता। जब संसद यह निर्धारित कर देगी कि किन मामलों को न्यायिक बोर्ड के समक्ष रखे जाने की जरूरत नहीं है, तभी उन मामलों में सरकार किसी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक समय के लिए निरुद्ध करने का हकदार होगी। लेकिन यह महसूस करना अधिक महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक मामले चाहे उसे न्यायिक बोर्ड के समक्ष रखा जाना जरूरी हो अथवा नहीं निरुद्ध किए जाने की अधिकतम अवधि होगी जिसे कानून के द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

मैं समझता हूँ कि इन संशोधनों के मामले में जो प्रारूप समिति ने अनुच्छेद 22 के बारे में मूल अनुच्छेद 15 (क) में निर्धारित उपबंधों में मौजूद कठोर उपबंधों की तुलना में काफी सुधार हुआ है। महोदय अनुच्छेद 22 के बारे में आवश्यक जानकारी देने के बाद मैं आगे अनुच्छेद 373 के बारे में बताना चाहता हूँ क्योंकि वह अनुच्छेद 22 से काफी नजदीकी से जुड़ा हुआ है।

अनुच्छेद 373 के विरुद्ध काफी आलोचना की गई है और कुछ सदस्यों ने तो संविधान में ऐसे अनुच्छेद सम्मिलित करने की वैधता या मर्यादा को भी चुनौती दी है।

लेकिन अपने उत्तर में मैं इस प्रश्न की ओर सदस्यों का ध्यान आकर्षित करूँगा। संविधान में इस अनुच्छेद को शामिल नहीं करने से क्या होगा? मेरे विचार से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि संविधान में इस अनुच्छेद 373 को शामिल नहीं करने से यह होगा कि निरोधी निरुद्ध के अधीन निरुद्ध किए गए सभी व्यक्तियों को 26 जनवरी 1950 को रिहा करना पड़ेगा यदि उन लोगों ने तीन महीने की अवधि काट ली है, जैसा कि अनुच्छेद 22 अनुमति देता है और यदि संसद अनुच्छेद 22 के खंड (7) के अधीन तीन महीने कर पाती है। प्रश्न यह है: क्या यह वांछनीय परिणाम है? क्या वर्तमान कानून के अधीन निरुद्ध किए गए सभी व्यक्तियों को 26 जनवरी 1950 को और अधिक लंबे समय तक निरुद्ध किए जाने वाले कानून बनाने की स्थिति में नहीं है मुझे लगता है कि वह बड़ा ही विनाशकारी परिणाम होगा। परिणामतः यह तथ्य के दृष्टिगत संसद के लिए तत्काल या 26 जनवरी से पहले समवेत होना तथा एक कानून पारित करना बिल्कुल असंभव है, जो उस तिथि से प्रभावी होगा, संविधान के अधीन कुछ प्राधिकार दे सकेगा जो संसद अनुच्छेद 22 के उपबंधों को पूरी तरह प्रभावी बनाना चाहेगी। संविधान के अधीन ऐसा कौन प्राधिकारी है? स्पष्टतः राष्ट्रपति ही एकमात्र प्राधिकारी है जो 26 जनवरी को या उससे पूर्व विद्यमान रहेगा और जो संसद के दायरे में कानून जल्दी से पारित करवा सकेगा और अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किए जाने की अनुमति देने वाले अनुच्छेद 22 के उपबंधों को प्रभावी बना सकेगा। इसलिए निरोधी निरुद्ध संबंधी कानून को अलग-अलग रूप में बाँटना जरूरी है ताकि 373 जैसा अनुच्छेद हो सके। जो राष्ट्रपति को कानून अधिनियमित करने की शक्ति देता हो जो कि संसद की शक्ति के अधीन होती है। महोदय, आगे मैं यह जोड़ना चाहता हूँ कि अनुच्छेद 373 में अंतर्विष्ट उपबंधों में कुछ भी नया नहीं है क्योंकि हमने अन्य अनुच्छेदों के माध्यम से राष्ट्रपति को विद्यमान कानूनों को अंगीकार करने की शक्ति प्रदान कर दी है ताकि उन्हें संविधान के उपबंधों के अनुरूप लाया जा सके। इस प्रकार का संशोधन संसद द्वारा ही किया जा सकता है, लेकिन हम यह भी महसूस करते हैं कि संसद के लिए जनवरी से तत्काल पहले भारतीय विधान मंडल द्वारा अधिनियमित इतने सारे कानूनों को अंगीकार करना संभव नहीं होगा ताकि उन्हें संविधान के अनुरूप लाया जा सके। इसलिए वह शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। उसी प्रकार से दूसरे अनुच्छेद के माध्यम से हमने राष्ट्रपति की कठिनाईयों को दूर करने के प्रयोजनार्थ इस संविधान में ही अस्थाई संशोधन करने की अनुमति दी है। इसलिए, मेरा यह कहना है कि इस अनुच्छेद में कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी दुष्प्रभाव नहीं है। बल्कि निरोधी निरुद्ध संबंधी किसी भी कानून को अप्रभावी होने से बचाने के लिए यह अति आवश्यक अनुच्छेद है। महोदय, अब मैं अनुच्छेद पर आता हूँ जो सैनिक कानून से संबंधित है। इस अनुच्छेद की भी काफी तीखी आलोचना की गई है। मुझे यह दुख के साथ कहना पड़ता है कि संविधान के अनुच्छेद खंड (1) और अनुच्छेद 21 मैं क्या कहा गया है। महोदय, मैं अनुच्छेद 20

खंड (क) और अनुच्छेद 21 को पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि इन दोनों अनुच्छेदों में अंतर्विष्ट उपबंधों को समुचित रूप से समझे बगैर किसी भी सदस्यों के लिए इसकी वांछनीयता को समझ पाना संभव नहीं हो पाएगा—मैं आगे अनुच्छेद 34 की जरूरत के बारे में भी बताऊँगा। अनुच्छेद 20 खंड (1) कहता है:

“कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्धदोष नहीं ठहराया जाएगा, जब तक कि अनुच्छेद 21 कहता है उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है, किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है”

“किसी व्यक्ति को, उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।”

अब, यह स्पष्ट है कि जब कोई दंगा, विप्लव या विद्रोह या किसी क्षेत्र विशेष में राज्य के प्राधिकार को लोग नहीं माने, तो सैनिक शासन लगाया जाता है। सैन्य कानून का प्रभारी अधिकारी दो चीजें करता है। वह अपने आदेश द्वारा यह घोषणा करता है कि, कतिपय कृत्य उसके प्राधिकार के विरुद्ध अपराध होंगे। और दूसरे वह अपने विचारण के लिए स्वयं की प्रक्रिया निर्धारित करता है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उपद्रवग्रस्त क्षेत्र के प्रभारी सैन्य कमांडर द्वारा अधिसूचित कोई कृत्य प्रभावी कानून द्वारा अधिनियमित अपराधों की श्रेणी में नहीं आता क्योंकि उस क्षेत्र का सैन्य कमांडर कानून बनाने वाला व्यक्ति नहीं है। उसे यह घोषणा करने का प्राधिकार नहीं है कि कतिपय कृत्य अपराध है और दूसरे उसके द्वारा दिए गए आदेश का उल्लंघन प्रभावी कानून अर्थ के दायरे में कोई अपराध नहीं है क्योंकि प्रभावी कानून से आशय केवल उसी कानून से है जो कानून बनाने वाले प्राधिकारी द्वारा बनाया जाए। आगे प्रधान सैन्य कमांडर या सैन्य कमांडर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया भी विधिसम्मत प्रक्रिया नहीं है क्योंकि उसे कानून बनाने का हक नहीं है। ये आदेश उसने अपने कार्य को पूरा करने अर्थात् कानून और व्यवस्था बहाल करने के उद्देश्य से दिए हैं। स्पष्ट रूप से यदि अनुच्छेद 20 खंड (1) और अनुच्छेद 21 को अनुच्छेद में उल्लिखित ऐसी अर्हताएँ बिना रख दिया जाए तो देश में सैन्य शासन लगाना असंभव हो जाएगा तथा राज्य के लिए विद्रोह ग्रस्त क्षेत्र में तेजी से व्यवस्था लागू कर पाना असंभव हो जाएगा। इसलिए इस बात की अनुमति देने हेतु एक सकारात्मक वक्तव्य या सकारात्मक उपबंध करना आवश्यक है ताकि यह अनुमति दी जा सके कि अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 21 में अंतर्विष्ट किसी बात के रहते हुए भी प्रधान सैन्य कमांडर द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप उसके आदेश के विरुद्ध किए गए कार्य को अपराध माना जाएगा। उसी तरह से उसके द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया माना जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि यह स्पष्ट हो गया होगा कि यदि अनुच्छेद 34 हमारे संविधान में नहीं होता तो सैन्य शासन का

प्रशासन लागू करना बिल्कुल असंभव हो जाता और शांति बहाल करना उस स्थिति में असंभव हो जाता। मैं इसलिए यह कहता हूँ, महोदय, कि अनुच्छेद 20 (1) और 21 के कठोर उपबंधों को समाप्त करने हेतु अनुच्छेद 34 अति आवश्यक है।

**श्री एच.वी. कामत :** क्या मैं यह जान सकता हूँ कि इस अनुच्छेद में सरकारी सेवकों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों के बारे में क्षतिपूर्ति की बात क्यों की गई है?

**माननी डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** चूँकि मेरे मित्र संभवतः यह जानते हैं यदि वह एक वकील है.....।

**श्री एच.वी. कामत :** मैं नहीं हूँ।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** जब सैन्य शासन लगा हो तो यह केवल प्रधान सैन्य कमांडर का केवल यही कर्तव्य नहीं है कि लोगों को वह सजा दे, यह राज्य के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने कंधे पर जिम्मेदारी ले और प्रधान सैन्य कमांडर की सहायता करने के लिए आगे आए। परिणामतः यदि यह पाया जाता है कि कोई व्यक्ति जो एक सामान्य नागरिक है और वह प्रधान सैन्य कमांडर की सेना का सदस्य नहीं है, तो यदि वह कोई ऐसा कार्य करता है, जो कि अति आवश्यक है, तो उसे भी क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए क्योंकि वह जो कुछ करता है, वह राज्य में शांति बनाए रखने के लिए करता है और इसका कोई कारण नहीं है कि एक सैन्य अधिकारी और एक असैन्य नागरिक जो शांति स्थापित करने हेतु शांति बनाए रखने के लिए आगे आता है, के बीच कोई भेद किया जाना चाहिए। अब, महोदय, मैं अनुच्छेद 48 पर आता हूँ जो गौ-हत्या से संबंधित है मुझे इसके बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि प्रारूप समिति सूची IV में संशोधन 549 प्रस्तुत कर दिया है जिस पर सबकी सहमति है। मुझे आश है कि उससे वे सभी लोग संतुष्ट हो जाएँगे जो प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तावित अनुच्छेद 48 के नए प्रारूप से असंतुष्ट थे।

फिर मैं, अनुच्छेद 77 पर आता हूँ जो कार्य नियमों से संबंधित है। इस अनुच्छेद पर बहस के दौरान कुछ सदस्य यह नहीं समझ पाए कि, यह अनुच्छेद क्यों जरूरी है। कुछ सदस्यों ने कहा कि यदि यह अनुच्छेद बिल्कुल जरूरी है, तो कार्य नियम बनाने का प्राधिकार प्रधानमंत्री में निहित करना चाहिए तो अन्य सदस्यों ने कहा कि कार्य को कुशलतापूर्वक संपादित करने के लिए यदि यह अनुच्छेद जरूरी है, तो इस खंड में कुशल शब्द अंतःस्थापित किए जाएँ। अब महोदय, मुझे खेदपूर्वक कहना पड़ता है कि अनुच्छेद 77 के बारे में हुई बहस में भाग लेने वाले बहुत सारे सदस्य इस अनुच्छेद

के मूल आधार को नहीं समझ पाए हैं। कार्य नियम बनाने का प्राधिकार प्रधानमंत्री में निहित करने की जहाँ बात है, मैं समझता हूँ कि इसे समुचित रूप में नहीं समझा गया है कि प्रभावी तौर पर ऐसा ही होगा जिसका साधारण सा कारण है, यद्यपि अनुच्छेद में राष्ट्रपति का नाम लिया गया है, किंतु राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं परिणामतः अनुच्छेद 77 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी किए जाने वाले नियम वस्तुतः प्रधानमंत्री द्वारा और उसकी सलाह पर जारी किए जाएँगे।

अब महोदय, अनुच्छेद 77 की अनिवार्यता को समझने के लिए पहली चीज जरूरी है कि बात को महसूस किया जाए कि अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 55 के साथ संबंधित है। वस्तुतः अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 55 को ही आत्मसात करता है अनुच्छेद 53 एक अति आवश्यक उपबंध करता है। संविधान के सामान्य उपबंधों के अनुसार संघ का सभी कार्यपालक प्राधिकार का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यह तर्क दिया जा सकता है कि सामान्य उपबंध के अधीन केंद्र संघ का कार्यपालक प्राधिकार का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति ऐसे प्राधिकार का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत है और उसे ऐसा करने की अनुमति है, तो वह इसका प्रयोग निजी वैयक्तिक तौर पर करेगा। ऐसे किसी तर्क का निषेध करने के लिए अनुच्छेद 53 लाया गया है जो विशिष्ट तौर पर कहता है कि संघ का कार्यपालक प्राधिकार प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर अथवा अप्रत्यक्षतौर पर दूसरों के माध्यम से किया जाएगा। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति को संविधान द्वारा उसमें निहित प्राधिकार का प्रयोग दूसरों को प्रत्यायोजित करने की अनुमति देता है। महोदय अब राष्ट्रपति को दूसरों के माध्यम से अपने अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देने वाले अनुच्छेद 53 में अंतर्विष्ट इस विशिष्ट उपबंध को भी प्रभावी बनाया जाना चाहिए। अन्यथा अनुच्छेद 53 प्रभाव शून्य बनकर रह जाएगा। प्रश्न यह उठ सकता है कि इस बारे में एक वैधानिक उपबंध करना जरूरी क्यों है? जैसा कि अनुच्छेद 77 में प्रस्ताव किया गया है कि राष्ट्रपति कार्य नियम बना सकेगा। यह राष्ट्रपति पर ही क्यों नहीं छोड़ देना चाहिए, वह चाहे तो नियम बनाएँ और नहीं चाहे तो नियम नहीं बनाएँ? इसलिए अनुच्छेद 77 के संदर्भ में वैधानिक उपबंध करने की आवश्यकता के बारे में स्पष्टीकरण देना जरूरी है।

अनुच्छेद 77 की आलोचना करते समय दो बातों का ध्यान रख जाना चाहिए। पहला तो यह कि यदि राष्ट्रपति किसी अन्य अधिकारी अथवा किसी अन्य प्राधिकारी में अपना प्राधिकार प्रत्यायोजित करना चाहता है तो इस बात के कुछ प्रमाण होने चाहिए कि उसने यह प्रत्यायोजित किया है। यह किसी व्यक्ति जो विधि न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उठा सकता है, के लिए सिद्ध करना संभव नहीं है कि राष्ट्रपति ने प्राधिकार प्रत्यायोजित किया है। दूसरे, यदि राष्ट्रपति अपने प्रत्यायोजन के माध्यम से अपने नाम पर कार्य करने

के लिए व्यक्ति विशेष या सरकार के नाम पर प्राधिकार देने पर प्रस्ताव करता है, तो फिर व्यक्ति विशेष या अधिकार विशेष का नाम भी विशिष्ट तौर पर परिभाषित किया जाना चाहिए। अन्यथा विधि न्यायालय में बहुत सारे मुकदमें दायर कर दिए जाएँगे। जिनमें राष्ट्रपति द्वारा किए प्रत्यायोजित के संबंध में सवाल खड़े किए जाएँगे। संघ के राष्ट्रपति में निहित शक्तियों का व्यक्ति विशेष द्वारा प्रयोग किये जाने से संबंधित प्रश्न मुकदमें का मामला बन जाएगा। जिन लोगों को हमारे न्यायालयों में लंबित मुकदमों की जानकारी है, उन्हें शिवनाथ बनर्जी बनाम बंगाल सरकार का प्रसिद्ध मुकदमा याद होगा। भारत की रक्षा अधिनियम के अधीन, गवर्नर में उस अधिनियम के विरुद्ध अपराध करने वाले कतिपय व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए कतिपय व्यक्तियों को प्राधिकृत करने वाले व्यक्ति विशेष के पास यह कार्यवाही करने का प्राधिकार था और कलकत्ता उच्च न्यायालय स्वयं को संतुष्ट करने के लिए बंगाल सरकार से उनकी संतुष्टि के लिए यह सिद्ध करने को कहा था कि गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति विशेष ही व्यक्ति थे जिन्हें बंगाल सरकार ने प्राधिकृत करने की मंशा जताई थी। बंगाल सरकार को न्यायालय के समक्ष उसके निरीक्षण करने के लिए कार्य नियम रखने पड़े थे ताकि न्यायालय से संतुष्ट हो सके कि प्राधिकार का प्रयोग करने वाले वही व्यक्ति थे जो कार्य नियम में आश्रित थे।

इस प्रकार की मुकदमेंबाजी टालने के लिए हमने इस कार्यवाही करने के प्राधिकार को प्रत्यायोजित करने के बारे में सोचा कि अनुच्छेद 77 जैसा उपबंध करना आवश्यक है। संबंधित प्रश्न अब समीक्षा का विषय नहीं रहा। सभा विद्यमान न्यायाधीशों के लिए कतिपय वेतनमान तथा भावी न्यायाधीशों के लिए कतिपय वेतनमान पहले ही पारित कर चुकी है। एकमात्र प्रश्न जिस पर विचार किया जाना है वह यह है कि जब किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, तो क्या सरकार को उसका स्थानांतरण उस न्यायालय से किसी अन्य राज्य में उच्च न्यायालय में करने की अनुमति होगी? यदि हाँ, तो क्या इस स्थानांतरण के साथ किसी प्रकार का वित्तीय भत्ता भी दिया जाएगा, जिसमें उस स्थानान्तरण के कारण होने वाले वित्तीय घाटे की क्षतिपूर्ति हो सके? प्रारूप समिति का यह मानना है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में चूँकि सभी उच्च न्यायालय अब केंद्रीय सूची के विचाराधीन हैं, इसलिए पूरे भारत में सभी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को आई.सी.एस. की भाँति एक एकल संवर्ग का माना जाना चाहिए तथा उनका एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किया जाना चाहिए। यदि केंद्र के लिए यह शक्ति आरक्षित नहीं की जाती है, तो न्याय का प्रशासन चलाना बड़ा कठिन मामला बन सकता है। एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण से उसमें न्यायाधीशों की संख्या बढ़ सकती है तथा साथ ही बेहतर प्रतिभा का भी आगमन हो सकता है जो



कि स्थानीय तौर पर उपलब्ध नहीं हो सकता है। दूसरे एक उच्च न्यायालय में एक नए मुख्य न्यायाधीश को लाया जाना वांछनीय हो सकता है, क्योंकि वह स्थानीय राजनीति और स्थानीय ईर्ष्या द्वेष से अप्रभावित रहेगा। इसलिए हमने सोचा कि न्यायाधीशों के स्थानांतरण करने की शक्ति केंद्रीय सरकार के हाथ में होनी चाहिए।

हमने इस तथ्य का भी ध्यान रखा है कि एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को स्थानांतरित करने की शक्ति का दुरुपयोग न हो। कोई प्रांतीय सरकार अपने यहाँ के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करना चाहती हो, क्योंकि वह न्यायाधीश कतिपय न्यायायिक मामलों में लिए गए अपने न्यायायिक निर्णय विशेष के कारण उस सरकार के लिए असुविधाजनक हो चुका है या ऐसे निर्णय जो प्रांतीय सरकार पसंद नहीं करती हो, देकर स्वयं को कांटा बना डाला हो। हमें इस बात की सावधानी बरतनी है कि स्थानांतरणों को कार्यान्वित करने में इस प्रकार के विचारों की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। स्थानांतरण केवल सामान्य प्रशासन की सुविधा के आधार पर होना चाहिए। परिणामतः हमने एक उपबंध किया है कि ऐसे स्थानांतरण भारत में ममुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किए जाने चाहिए, जिसके बारे में यह विश्वास किया जा सकता है कि वह स्थानीय या वैयक्तिक पूर्वाग्रहों से अप्रभावित हुए बिना सरकार को सलाह देगा।

इसलिए एकमात्र प्रश्न यह रह गया था कि क्या ऐसे स्थानांतरण को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए और इसमें न्यायाधीश को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति करने का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। हमने यह महसूस किया कि यह बड़ा ही कठोर व्यवहार होगा। आमतौर पर किसी उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति स्थानीय बार से की जाती है। नियुक्त किए गए न्यायाधीश का वहाँ घर हो सकता है। वहाँ उसका अपना घर और दूसरी चीजें हो सकती हैं जिनमें उसकी व्यक्तिगत रुचि हो सकती है। यदि उसका स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में होता है तो स्पष्ट है कि वह अपने घर का सारा सामान लेकर वहाँ नहीं जा सकता है। उसने अपने मूल प्रांत जहाँ वह कार्यरत है अपना घर बना रखा होगा और नए प्रांत जहाँ उसका स्थानांतरण हुआ है में उसे अपना एक नया घर स्थापित करना पड़ेगा। प्रारूप समिति ने यह उपबंध करना न्यायोचित समझा कि इस तरह के स्थानांतरण के मामले में संसद को स्थानांतरित किए गए न्यायाधीश को वैयक्तिक भत्ता देने की अनुमति होनी चाहिए। मेरा यह कहना है कि प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधन में कुछ भी गलत नहीं है।

अनुच्छेद 148 के बारे में मुझे इस चरण में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरे मित्र श्री टी.टी. कृष्णमाचारी द्वारा संशोधन (संख्या 618) पर उन सभी ने अपी सहमति दे दी है, जिन्होंने इस अनुच्छेद विशेष में रुचि दिखाई थी।

उसी प्रकार से अनुच्छेद 320 जिस पर इतना अधिक विवाद हुआ। (यदि मैं

कहूँ कि बिना किसी गलती के उस पर विवाद हुआ, बेवजह विवाद हुआ), संशोधन संख्या 558 के आ जाने से सारा विवाद समाप्त हो चुका है, क्योंकि इसके माध्यम से सभी आपत्तिजनक भागों जिन्हें सदस्यगणों ने एक स्तर पर पसंद नहीं किया था जिसको हटा दिया गया है।

अनुच्छेद 365 के संबंध में काफी बहस और चर्चा हो चुकी है। मैंने भी उसी बहस में हिस्सा लिया था और अपने दृष्टिकोण रखे थे मुझे विश्वास है कि मेरे द्वारा कही गई सभी बातों पर विचार करके सदस्यों को यह लगेगा कि अनुच्छेद 365 एक आवश्यक अनुच्छेद है और पूर्वावस्था में सभा द्वारा लिए गए किसी निर्णय को किसी भी अर्थ में प्रभावित नहीं करता है।

मैं अनुच्छेद 378 पर आता हूँ यह बताया गया कि इस अनुच्छेद में चुनाव के प्रयोजनार्थ जनसंख्या निर्धारण करने हेतु एक समाज स्वरूप का उपबंध किया जाना चाहिए। मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि मैं इस एक समान नियम के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर पाने की स्थिति में नहीं हूँ। विभिन्न प्रांतों की बदलती परिस्थितियों में एक समान नियम रखना बिल्कुल असंभव है। इसलिए जनसंख्या का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ विभिन्न प्रांतों के मामले विभिन्न मानक लागू करने की स्वतंत्रता केंद्र के पास रहनी चाहिए। विभिन्न राज्यों के लिए विभिन्न नियम लागू करने के मामले में यदि कोई गंभीर चूक होती है तो यह मामला भावी संसद के निर्धारण के लिए खुला होगा क्योंकि निर्वाचन क्षेत्रों के लिए तर्कसंगत सभी मामलों को संसद के समक्ष रखा जाएगा और संसद इस बात को सुनिश्चित करने की स्थिति में होगी कि क्या केंद्रीय सरकार द्वारा सुनिश्चित की गई जनसंख्या समुचित है या उम्मीद से नीचे है अथवा ऊपर है। महोदय, मैं अब अनुच्छेद 391 पर आता हूँ।

**पंडित बालकृष्ण शर्मा : अनुच्छेद 379?**

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** अनुच्छेद 379 के बारे में अपने माननीय श्री शर्मा की आपत्ति को मैं भली-भाँति समझ सकता हूँ। उन्हें मुख्य तौर पर भारत डोमिनियन शब्दों पर आपत्ति है। कल मैंने मुख्य प्रारूपकार श्री मुखर्जी की सहायता से भारत डोमिनियन शब्दों को हटाने के उद्देश्य से अनुच्छेद का प्रारूप फिर से तैयार करने की कोशिश की थी। लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं उसमें विफल रहा। मैं इसलिए श्री शर्मा से अनुरोध करता हूँ कि वह इस अनुच्छेद को इसी रूप में रखने की अनुमति दें। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, किंतु हमारे पास बचे समय के अंदर इसका कोई उपचार नहीं है।

अनुच्छेद 391 पर आएँ तो स्थिति यह है संविधान में नए प्रांतों के निर्माण के लिए उपबंधों के दो सेट हैं संविधान लागू होने के बाद प्रांत निर्मित किए जा सकते हैं। 26 नवंबर और 26 जनवरी के बीच प्रांत निर्मित किए जा सकते हैं। संविधान लागू

हो जाने के बाद प्रांतों के निर्माण के संबंध में अनुच्छेद 3 और 4 प्रचलन में आएँगे। वे अनुच्छेद संसद को वर्तमान प्रांतों की सीमाओं में परिवर्तन करके नए प्रांतों का निर्माण करने की अनुमति देते हैं वे अनुच्छेद इतने स्पष्ट हैं कि मेरे विचार से मेरे द्वारा और कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है।

अभी से लेकर 26 जनवरी के बीच नए प्रांतों के निर्माण के संबंध में भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 390 और वर्तमान संविधान का अनुच्छेद 391 प्रचलन में आएँगे। महोदय अनुच्छेद 391 कहता है कि यदि अभी से लेकर 26 जनवरी के बीच भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन 391 के अधीन उस आदेश को प्रभावी भारत सरकार अधिनियम की धारा 290 के अधीन प्रभावी बनाने की शक्ति प्राप्त होगी। इस तथ्य के बावजूद भी यह एक महत्वपूर्ण बात है, कि 26 जनवरी को भारत सरकार, अधिनियम 1935 निरस्त हो जाएगी, पर उसके अधीन की गई कार्यवाही चलती रहेगी। राष्ट्रपति अनुच्छेद 391 के अधीन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन की गई कार्यवाही को आगे बढ़ाने तथा पहली अनुसूची और तत्परिणामी तौर पर चौथी अनुसूची जो राज्यों की परिषद् के प्रतिनिधित्व से संबंधित का संशोधन करने वाले आदेश के द्वारा उसे प्रभावी बनाने की शक्ति प्राप्त है।

**एक माननीय सदस्य :** वह 26 जनवरी के बाद ही कार्रवाई कर सकते हैं।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** वह किसी भी समय कार्रवाई कर सकता है; संविधान सभा इस बात पर गौर नहीं कर पाई, क्योंकि 26 जनवरी के पश्चात् इस प्रयोजनार्थ यह विद्यमान नहीं रहेगा। मुद्दा यह है कि भारत सरकार अधिनियम, 1935, 25 नवंबर के बाद प्रचलन में जारी रहेगा। जब तक अधिनियम जारी रहता है, इसके अधीन कार्रवाई करने का गवर्नर जनरल का अधिकार भी जारी रहेगा। वह जब चाहे, किसी समय कार्रवाई कर सकता है।

मेरे मित्र श्री सिंधवा ने एक प्रश्न उठाया यानि कि अभी और 25 जनवरी के दिन की गई कार्रवाई को संसद की जाँच के विचाराधीन रखा जाना चाहिए। मेरे विचार से उनकी मंशा यह है कि इसे कार्यपालिका की दया पर ही नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए। मेरे मित्र श्री सिंधवा को यह याद होगा कि हमारा संविधान 26 जनवरी को लागू होगा, 25 जनवरी तक जो संविधान भारत में लागू रहेगा, वह भारत सरकार अधिनियम, 1935 के माध्यम से सुनिश्चित किया गया संविधान है, जिसे 15 अगस्त, 1947 को अंगीकार किया गया था। इसलिए अभी और 25 जनवरी के बीच जो संविधान लागू होगा, वह हमारे द्वारा पारित किया जाने वाला संविधान न होकर भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से सुनिश्चित किया गया संविधान होगा। इसलिए उनके प्रश्न की क्या इस मामले से संसद या भारतीय विधानमंडल को परामर्श देने का अधिकार होना चाहिए

अथवा नहीं तो उत्तर का निर्धारण भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 290 में अंतर्षि संदर्भों के अनुरूप किया जा सकता है।

यदि मेरे मित्र सिधवा भारत सरकार अधिनियम की धारा 290 पर गौर करें, तो वह पाएँगे कि गवर्नर जनरल के लिए न तो प्रांतीय विधानसभा और न ही भारतीय विधानमंडल के विचार जानना जरूरी है। उसे सिर्फ आदेश द्वारा प्रभावित होने वाली किसी प्रांत की सरकार का विचार जानने की जरूरत है। इसलिए जहाँ तक धारा 29 के लागू होने के संबंध है, -और यही एकमात्र धारा है जिसकी अभी और 25 जनवरी के बीच प्रांतों के मामले में सहायता ली जा सकती है- इसमें प्रांतीय विधानमंडल तथा भारतीय विधानमंडल दोनों को धारा 290 के अधीन गवर्नर जनरल द्वारा किसी प्रकार के परामर्श करने के दायरे से बिल्कुल अलग रखा गया है। इसलिए अपने मित्र श्री सिधवा के प्रति सभी शुभकामनाओं के साथ यही कहूँगा कि उनकी इच्छा को पूरा करवाना संभव नहीं होगा। इसलिए उन्हें धारा 290 में मौजूद उपबंधों से संतुष्ट हो जाना चाहिए। महोदय, मैं नहीं समझता कि किसी अनुच्छेद के मामले में उत्तर देने की जरूरत है। मैं इसलिए आशा के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ कि सभा प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करेगी। (हँसी)।

**श्री सभापति :** अब मैं उन संशोधनों में से प्रत्येक पर मत लूँगा। सभी सदस्य देख चुके हैं कि बहुत सारे संशोधन हैं जो सदस्यों ने या फिर प्रारूप समिति ने प्रस्तुत किए हैं। हो सकता है कि सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए कुछ संशोधन प्रारूप समिति को स्वीकार्य हो और यह भी हो सकता है कि कुछ सदस्य अपने द्वारा संशोधनों को वापस लेना चाहते हों।

[प्रारूप समिति के ही कुल 95 संशोधन स्वीकृत हुए, 66 संशोधन अस्वीकृत हुए और 36 संशोधन वापस लिए गए]

\* \* \* \* \*

**श्री सभापति :** हम अगले दिन के लिए सभा को स्थगित करने के पूर्व समय-सारणी के संबंध में कुछ करना चाहेंगे कि हम क्या कार्यवाही कराने का प्रस्ताव करते हैं। मैं समझता हूँ कि हम दोपहर बाद बैठक नहीं करने जा रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि कितने सदस्य बोलना चाहेंगे ताकि मैं उनके क्रम और समय निर्धारित कर सकूँ। अगले शनिवार को बैठक किए जाने के संबंध में मेरे इस समय निर्णय कर पाना संभव नहीं है। मैं इस पर शुक्रवार को निर्णय करूँगा कि हम शनिवार को बैठक करें अथवा नहीं। प्रतिदिन के सत्र के संबंध में सदस्यों की क्या इच्छा है।

**कई माननीय सदस्य :** प्रतिदिन पाँच घंटे।

**प्रो. एन.जी. रंगा ( मद्रास : जनरल ) :** अपराह्न 2:30 से अपराह्न 6:30 तक, ताकि हमें केवल एक बार आना पड़े।

**श्री के.एम. मुंशी :** मैं 15 मिनट का सुझाव देता हूँ और एक दिन 5 घंटे बैठक होनी चाहिए, ताकि सदस्यों को इस सत्र और अगले सत्र के बीच कुछ और दिन मिल जाएँ।

**कई माननीय सदस्य :** आधा घंटा।

**श्री सभापति :** समझौते के तौर पर प्रत्येक वक्ता के लिए समय सीमा 26 मिनट की होगी।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** हम लोग अभी सिर्फ यह निर्णय ले सकते हैं कि क्या हमें कल बैठक करनी चाहिए। साथ ही यह वांछनीय है कि बोलने के इच्छुक सदस्यों से अपने नाम भेजने को कह सकते हैं। सामान्य बहस में बोलने वाले वक्ताओं की संख्या का पता चलने पर आपके लिए यह निर्धारित करना संभव हो जाएगा कि क्या एक दिन में दो सत्र बुलाए जाएँ और प्रत्येक वक्ता को कितना समय दिया जाए? इस समय कोई नहीं जानता कि कितने सदस्य बोलना चाहते हैं। यदि वक्ताओं की संख्या बहुत अधिक नहीं होगी तो प्रत्येक सदस्य के लिए बोलने की समय सीमा बढ़ाना तथा प्रतिदिन एक ही सत्र बुलाना संभव हो सकता है। इसलिए, मेरा सुझाव है कि आप केवल कल के लिए बैठक निर्धारित करेंगे और इस बीच सदस्यों से अपने नाम देने को कहें, ताकि आपके पास वक्ताओं की सूची मौजूद हो और फिर हम अन्य मुद्दों के साथ-साथ प्रत्येक वक्ता के लिए समय सीमा और प्रतिदिन सत्रों की संख्या एक या दो रखी जाए, आदि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

**श्री सभापति :** मैं समझता हूँ कि यह एक व्यावहारिक सुझाव है।

**श्री टी.टी. कृष्णामाचारी :** महोदय, मेरा यह कहना है कि कल हम अन्य दिनों की तरह म.पू. दस बजे से म.प. 1 एक बजे तक तथा म.प. तीन से म.प. पाँच बजे तक बैठें।

**श्री सभापति :** वर्तमान में मेरा निर्णय है कि हम कल अन्य दिनों की तरह म.पू. दस बजे समवेत होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि सदस्यगण जो बहस में भाग लेने के इच्छुक हैं अपना नाम आज तक भेज देंगे। उस सूचना से मुझे बैठक के घंटे आदि के बारे में निर्णय लेने में मदद मिलेगी मैं यह बता सकता हूँ कि सदस्यों के लिए खुला विकल्प है कि यद्यपि इन्होंने अपना नाम बहस के लिए दे भी रखा हो तो भी वह बहस में भाग नहीं लेना चाहें, तो उसमें भाग ले सकें।

\* \* \* \* \*

सभा कल म.पू. 10 बजे तक के लिए स्थगित हुई। तत्पश्चात् सभा बृहस्पतिवार, 17 नवंबर, 1949 के म.पू. दस बजे तक के लिए स्थगित हुई।

## भाग III

17 नवंबर, 1949 से 26 नवंबर, 1949

खंड आठ  
प्रारूप विधान का तीसरा पठन

भारत का संविधान सभा कंस्टीट्यूशन हॉल, नई दिल्ली में म.पु. दस बजे समवेत हुई: श्री सभापति (माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद) पीठासीन थे। (बृहस्पतिवार, 17 नवंबर 1949)।

**श्री सभापति :** डॉ. अम्बेडकर अब हम संविधान का तीसरा पाठन करेंगे।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (बंबई जनरल) :** सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि सभा द्वारा तैयार किए गए संविधान को पारित किया जाए।”

हँसी।

**श्री महावीर त्यागी (संयुक्त प्रांत जनरल) :** बधाई हो।

**श्री एच.वी. कामथ (सी.पी. और बरार जनरल) :** डॉ. अम्बेडकर को कृपया बोलने दें।

**माननीय श्री एन.वी. गाडगिल (बंबई : जनरल) :** इस प्रश्न पर मत लिया जाए (हँसी)।

**श्री महावीर त्यागी :** हम जो संविधान पारित करने जा रहे हैं, उसके बारे में डा. अम्बेडकर का क्या रोल है?

**श्री सभापति :** मेरे विचार से हमें अब अपना कार्य शुरु करना चाहिए। डॉ. अम्बेडकर ने यह प्रस्ताव किया है कि सभा द्वारा तैयार किए गए संविधान को पारित किया जाए। प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। कल हम लोग इस तीसरे पठन के लिए चर्चा करने हेतु समय के बारे में बात कर रहे थे। और मैंने सदस्यों से अपने नाम देने का अनुरोध किया था। कल शाम तक मुझे 71 सदस्यों के नाम मिले थे जो बोलना चाहते हैं और कुछ अतिरिक्त नाम आज सुबह प्राप्त हुए हैं। फिर भी मुझे लगता है कि यदि हम प्रत्येक सदस्य को बीस मिनट का समय देते हैं, और हम इस सप्ताह तीन दिन और अगले सप्ताह पाँच दिन बैठें, तो हमारे पास चौबीस घंटे हो जाएँगे और बहत्तर वक्ताओं को हम बीस-बीस मिनट का समय दे पाएँगे। जहाँ तक समय का संबंध है, मैं समझता हूँ कि हम बोलने के इच्छुक प्रत्येक सदस्य को अवसर प्रदान करके समय का सही प्रबंध कर सकते हैं। अतः हमारे लिए देर तक बैठना जरूरी नहीं है।

\* \* \* \* \*



**श्री एच.वी. कामथ** : हमें चार घंटे बैठना चाहिए।

**श्री सभापति**: इस दस से हमें चार घंटे नहीं बैठना पड़ेगा।

**श्री एच.वी. कामथ** : यदि हम चार घंटे बैठेंगे, तो हम शुक्रवार की बजाय अगले बृहस्पतिवार को ही सत्र समाप्त कर पाएँगे। यदि हम सत्र जल्दी समाप्त कर लेते हैं, तो विधानमंडल के सत्र से पूर्व हमारे पास लंबे समय का अंतराल रहेगा।

**डॉ. पी.एस. देशमुख ( सी.पी. और बरार जनरल )** : कुछ माननीय सदस्य यहाँ बाद में आ सकते हैं और अपना काम दे सकते हैं।

**श्री सभापति** : वे लोग आ सकते हैं। हमारे पास कुछ और भी कार्य है। आज और कल किसी भी रूप में इस सप्ताह के अंत तक हम यदि केवल तीन घंटे तक बैठें और यदि जरूरी हुआ तथा हमें लगेगा कि पर्याप्त रूप से कार्य नहीं हो पाया है; तो हमारे पास अगले सप्ताह दुसरा सत्र भी है।

**श्री एल. कृष्णमाचारी भारती ( मद्रास : जनरल )** : क्या 10 बजे से एक बजे तक बैठेंगे?

**श्री सभापति** : जी हाँ।

**श्री एल. कृष्णास्वामी भारती** : हम लोग बिल्कुल सहमत हैं।

**श्री सभापति** : अब, मैं नहीं जानता कि मैं सदस्यों को किस क्रम से बुलाऊँ। मैं समझता हूँ कि सामान्य प्रथा का पालन करना चाहिए। यदि सदस्य अपने स्थान पर खड़े हों तो मैं उनमें से एक-एक का नाम चयन करता जाऊँगा।

**श्री एच.जे. खांडेकर ( सी.पी. और बरार : जनरल )** : उन्हें अकारादि क्रम चाहिए।

**श्री सभापति** : मैं समझता हूँ कि वह एक यांत्रिक प्रक्रिया हो जाएगी। मैं सामान्य प्रथा का ही पालन करता हूँ और मुझे आशा है कि उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। श्री मुन्नीस्वामी पिल्लै ( प्रारुप के अनुसार बुलाना समिति, इसके अध्यक्ष डॉ. अम्बेडकर की सेवाओं की प्रशंसा तथा संविधान के महत्व का वर्णन करने वाले सदस्यों के भाषणों के चयनित अंश यहाँ दिए गए हैं। संपादक)

**श्री वी.आई. मुन्नीस्वामी पिल्लै ( मद्रास : जनरल )** : सभापति महोदय मैं मेरे माननीय मित्र डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए इस महती सभा में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ...

... महोदय, मैं अब प्रारूप समिति, जिसकी सेवाएँ हमारे लिए काफी बहुमूल्य हैं, द्वारा की गई महान सेवाओं की सराहना करता हूँ, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर निर्णय लेने में उन लोगों ने दिन-रात एक कर दिए। मुझे प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की तेजस्विता और क्षमता की प्रशंसा में कुछेक शब्द बोलने चाहिए।

(जोर की हँसी) मैं उस समुदाय से आता हूँ जिसने डॉ. अम्बेडकर जैसी विभूति को पैदा किया है, मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है।

कि उनकी इस क्षमता की पहचान केवल हरिजनों ने ही नहीं, बल्कि भारत में रहने वाले सभी समुदायों ने की है। अनुसूचित जातियों ने महान नंदनार, महान भक्त, तिरुपुजानालवर, महान वैष्णव संत और सबसे बड़ा तिरुवल्लुवर, महान दार्शनिक पैदा किए हैं जिनकी प्रसिद्धि न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में फैली है।

हरिजन के महान व्यक्तियों की आकाशगंगा में अब एक और नाम डॉ. अम्बेडकर का जुड़ गया है जिन्होंने एक व्यक्ति के रूप में विश्व को दिखा दिया है कि अनुसूचित जाति किसी से कम महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वे ऊँचाइयों तक पहुँच सकते हैं और विश्व को अपनी महान सेवा दे सकते हैं। महोदय, मैं जानता हूँ कि उन्होंने संविधान तैयार करने में अपनी महान सेवा और त्याग करके हरिजन समुदायों के साथ ही भारत की सेवा की है और यह संविधान 26 जनवरी, 1950 से नई व्यवस्था लागू करेगा और महोदय मैं यह मानता हूँ कि संविधान तैयार करने में मुख्य ड्राफ्ट्समैन और उसके कर्मचारियों ने जो मेहनत की है, उसका भी कम महत्व नहीं है; वे भी उतने ही हमारी प्रशंसा के पात्र हैं...

**सेठ गोविंद दास ( सी.पी. और बरार : जनरल ) :** सभापति महोदय,

मुझे आज बड़ी खुशी है कि संविधान जिसे पूरा करने में हमें लगभग तीन वर्ष लगे हैं, का तीसरा पठन अब शुरू हो चुका है। इस अवसर पर, सबसे पहले मैं डॉ. अम्बेडकर जिन्होंने इस संविधान को समुचित रूप में रखने के लिए काफी मेहनत की है, को बधाई देना चाहता हूँ। आज उन्होंने यह प्रस्ताव किया है कि सभा द्वारा तैयार किए गए संविधान को पारित किया जाए। डॉ. अम्बेडकर के बारे में कहा गया है कि वह वर्तमान युग के मनु हैं। इस वक्तव्य में जितनी भी सच्चाई हो मैं यह कह सकता हूँ कि उन्होंने संविधान बनाने का जो काम सौंचा गया था, उसे उन्होंने पूरा कर दिखाया है...

**श्री रोहिणी कुमार चौधरी ( असम : जनरल ) :** डॉ. अम्बेडकर को मनु के रूप में वर्णन करते समय क्या माननीय सदस्य हिंदू संहिता का उल्लेख कर रहे थे, मैं सूचना को औचित्य का प्रश्न उठाता हूँ?

<sup>1</sup> सी.ए.डी. आधिकारिक प्रतिवेदन, खंड X 17 नवंबर 1949, पृष्ठ 610

<sup>2</sup> द्रविड वही पृष्ठ 611

**सेठ गोविंद दास :** [ @ नहीं महोदय, उस वक्तव्य का हिंदू संहिता से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं समझता हूँ कि सभा को इस बात की जानकारी है कि मैं हिंदू संहिता के बहुत सारे प्रावधानों का विरोधी हूँ ]

**श्री लक्ष्मी नारायण साहू :** यद्यपि मैं डॉ. अम्बेडकर का इस संबंध में किए गए कठिन परिश्रम के लिए अभिवादन करता हूँ और उन्हें बधाई देता हूँ फिर भी मैं उनकी मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुए अप्राकृतिक उत्पाद के लिए अभिवाद नहीं कर सकता हूँ। पूरी तरह से जानता हूँ कि लगातार परिवर्तन करते रहने के कारण बढ़व तथा हास्यास्पद बन गया है। मैं पूरी तरह से जानता हूँ कि वह अपने उत्तर में कहेंगे कि यह उनका ही कार्य नहीं है। उन्होंने देश के बहुमत दल की इच्छाओं के अनुरूप संविधान तैयार किया है ...

\* \* \* \* \*

**श्री आर के सिधवा :** अब संविधान पर आता हूँ इस सभा में 6 दिसंबर, 1946 का प्रवेश करने से पूर्व इस यादगार हॉल को, यह संविधान तैयार करने के लिए विशेष तौर पर सजाया संवारा गया था, जिसे भारत के इतिहास में याद रखा जाएगा... अनुभव से ही देख चुके हैं कि आज पूरे तीन वर्ष हो गए हैं, बल्कि विशुद्ध रूप से देखें जो जब इस संविधान को तैयार करने में तीन वर्ष से 15 दिन कम लगे हैं। 1 जनवरी, 1948 को 9 दिसंबर, 1946 से 1947 के बीच चर्चा करने के बाद एक प्रारूप संविधान हमें सौंपा गया था। इसमें संविधान के 313 अनुच्छेद थे। आज जो हमने इस सभा में संविधान प्रस्तुत किया है, उसमें 395 अनुच्छेद हैं, अर्थात् 82 नए अनुच्छेद अंतःस्थापित किए गए हैं। फिर उसमें लगभग 220 पुराने अनुच्छेद थे, जिन्हें समाप्त कर दिया गया और लगभग 120 अनुच्छेदों के मामले में शब्दों में परिवर्तन किए गए बगैर प्रस्तावना स्वीकार की गई जबकि कई अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया और मुझे खुशी है कि सभा भी खुश है कि हमने अनुभव के आधार पर यह निर्णय लिया कि हमें संविधान तैयार करने में जल्दबाजी दिखाना वांछनीय नहीं होगा। इसलिए हमने इस संविधान, जिस पर हम गर्व करेंगे, को पूरा करने में लंबा समय लिया है, वह सही है। इस सभा के बाहर इस बात की आलोचना की जाती रही है कि हमने काफी लंबा समय लिया है तथा पैसे की बर्बादी की है। मैं उन आलोचनाओं को महत्व नहीं देता।

यह भी कहा गया कि हममें से कुछ लोग महज संशोधन भेजने कि खातिर

<sup>1</sup> सी.ए.डी. आधिकारिक प्रतिवेदन, खंड XI 17 नवंबर 1949, पृष्ठ 613

<sup>2</sup> ब्रिड वही, पृष्ठ 623

@ हिंदुस्तानी भाषण का अनुवाद।

ही संशोधन भेज रहे थे तथा भाषण दे रहे थे। उन लोगों के तर्क या बातें नहीं सुनी है। हम लोग इस कांस्टीट्यूशन हॉल में अपने विचारों को लेकर युद्धरत थे और हमने बहुत लंबा संघर्ष किया है और मुझे खुशी है कि प्रारूप समिति ने हमारे इस युद्ध को सही भावना से स्वीकार किया है। हमने अपना कर्तव्य पूरा किया है। इस मामले की कार्यवाही का अभिलेख भावी पीढ़ियों को देखने और इतिहासकारों को तय करने के लिए मौजूद है कि हमने समय की बर्बादी की है अथवा इस देश के लोगों के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है और सबको गर्व है तथा मुझे भी गर्व है।

इतिहास इस संविधान को परखेगा। यह निश्चय ही अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, इसमें दोष हो सकते हैं, मैं जानता हूँ कि इसमें दोष मौजूद है मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने संशोधन प्रस्तुत करके इस हाल में संघर्ष किया है और उस संघर्ष में हार गया। लेकिन लोगों को यह बताना मेरा कर्तव्य है कि यह सर्वोत्तम संविधान है और मुझे उम्मीद है कि संविधान सभा का प्रत्येक सदस्य मतभेद होने के बावजूद यह कहेगा कि हमें इस संविधान पर गौरव है और हमें विश्व की सभा में यह घोषणा करनी चाहिए और विश्व को यह महसूस कराना चाहिए कि यह एक मूल्यवान दस्तावेज है जिसका संदर्भ विश्व के विभिन्न देश लेंगे। इसलिए मुझे इस संविधान पर गर्व महसूस होता है। जो 26 जनवरी, 1950 को कानून बन जाएगा और वह ऐतिहासिक दिन होगा जब हम लोकतांत्रिक संप्रभु का उद्घाटन करेंगे।

\* \* \* \* \*

**श्री कुलाधर चलिहा ( असम : जनरल )** : सभापति महोदय, सर्वप्रथम प्रारूप समिति तथा उससे भी अधिक डॉ. अम्बेडकर द्वारा तमाम कठिनाईयों के बावजूद यह आश्चर्यजनक संविधान तैयार करने में किए गए कार्य की सराहना करना जरूरी है।

हमें प्रारूप समिति के सदस्यों विशेषकर श्री मुंशी जो बहुत सारी व्यस्तताओं के बावजूद समझौता सूत्र पर पहुँचने के लिए सदैव प्रयासरत रहे, की सराहना करनी चाहिए और हम उनके कार्य तथा इस संविधान को सफल बनाने में महान योगदान देने वाले उन सभी मौन कर्मचारियों और कार्मिकों की भी सराहना करनी है महोदय, यह कहना जरूरी है कि यद्यपि हम भले ही सर्वोत्तम संविधान नहीं दे पाए हैं, फिर भी हमें यह कहना चाहिए कि भारत में व्याप्त दशाओं के अंतर्गत नहीं दे पाए हैं, फिर भी हमें यह कहना चाहिए कि भारत में व्याप्त दशाओं के अंतर्गत यह सर्वोत्तम संविधानों में से एक है जो हम तैयार कर सकते हैं। उन लोगों के सामने कई तथ्य लाए गए और उन तथ्यों को रखा गया जो जरूरी थे। यह कहा जाता है कि प्रारूप समिति के सदस्य स्वतंत्रता के संघर्ष में अग्रिम पंक्ति में नहीं थे लेकिन मैं सोचता हूँ कि इससे लाभ ही हुआ है कि उन लोगों ने इस पर भावना से परे होकर विचार किया है और वही चीज तैयार की है जो जरूरी थी। तीसरे पठन की चर्चा की शुरुआत में हमने श्री मुन्नीस्वामी पिल्लै को यह कहते सुना कि 60 मिलियन अछूत लोग इस संविधान से संतुष्ट हैं। यह एक वास्तव में महान योगदान है और यदि हम उन अछूतों, जिनकी उपेक्षा करने आए हैं, को संतुष्ट कर पाए हैं, तो मेरे विचार से हमने एक आश्चर्यजनक कार्य किया है। इसलिए मैं प्रारूप का तथ्य उन कर्मचारियों का जिन्होंने मौन रहकर कठिन परिश्रम से यह पुस्तक तैयार की है, जो हमारे समान हैं, की पूरी तरह से सराहना करता हूँ..

\* \* \* \* \*

**श्री गोकुलभाई दौलतराम भट्ट :** जब संविधान का प्रारूप पहली बार सभा के समक्ष लाया गया तो मैंने यह सयुक्त की कि यह फूलों का एक गुच्छा है जिसे विभिन्न स्थानों से तोड़कर एक साथ सजा दिया गया है। मैंने आगे देखा कि इसमें कुछेक कागज के फूल हैं, तो कुछ भाग में गुलाब के फूल हैं और साथ ही दुर्लभ चमेली के फूल भी हैं। इस प्रकार इसमें विभिन्न प्रकार और स्वरूप वाले फूल हैं। हमारे सामने फूलों का गुच्छा जो है, जिसे हमने स्वयं ही सजाया है और मैं यह कहने का साहस करता हूँ कि हमने जो कुछ फूल सजाएँ हैं वे बहुत ही सुंदर और सुगंधित हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि इस विश्व में हमें सभी प्रकार की चीजों की जरूरत पड़ती है क्योंकि यदि इसमें केवल गुलाब के फूल हों और कोई कांटा नहीं हो, तो मनुष्य का दिमाग फिर जाएगा क्योंकि वह अपनी जिंदगी में एक साथ इतनी खुशी को नहीं संभाल सकता। इसलिए, मेरा मानना है कि इस गुच्छे में फूलों के सुगंध की अधिकता को कम करने के लिए इसमें अन्य सामान डाले गए हैं...

मेरी यह उत्कृष्टता आशा है कि हमारे लोग देश के पुनःनिर्माण करने और नए संविधान का उपयोग करने के मामले में सही रास्ते पर चलेगा। मैं अपनी बात समाप्त करने से पूर्वार्थ प्रारूप समिति के सदस्यों और अन्य सदस्यों को इतने परिश्रम करने के लिए धन्यवाद देता हूँ।

**\*पंडित लक्ष्मीकांत मैत्रा :** प्रारूप समिति जिसमें हमारे कुछ बहुत अच्छे और अजाए हुए मित्रगण हैं द्वारा की गई सेवाओं का अनुमोदन करने के लिए मैं प्रशस्ति के समूह गान में प्रसन्नतापूर्वक शामिल होता हूँ। मैं उन लोगों को उनकी उपलब्धि पर बधाई देता हूँ मैं संयुक्त सचिव, श्री मुखर्जी और अन्य कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य की भी सराहना करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ सहयोग करके हमारे लिए यह संविधान तैयार करना संभव बनाया है।

\* \* \* \* \*

<sup>1</sup> सी.ए.डी. अधिकारिक प्रतिवेदन, खंड X<sub>1</sub> 18 नवंबर 1949, पृष्ठ 648-6652

<sup>2</sup> सी.ए.डी. अधिकारिक प्रतिवेदन, खंड X<sub>1</sub> 18 नवंबर 1949, पृष्ठ 653

**माननीय श्री एन.वी. गाडगिल :** महोदय, संविधान एक साधन है, स्वयं में साध्य नहीं है। अच्छे कामगार के हाथ में कार्य करने के लिए यह एक अच्छा औजार है। दृढ़ निश्चयी कामगार के हाथों में यह औजार रहने से वह उस चीज को प्राप्त कर लेगा जो वह चाहता है। काम करने के अनिच्छुक कामगार के हाथ में यह औजार दे भी दिया जाए तो भी वह काफी शिकायत करता रहेगा। मेरी विनम्र राय यह है कि यह संविधान अपने दोषों के बावजूद (इसमें दोष व्याप्त है और मैं इसकी अंध प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। यद्यपि विश्वमित्र की तरह इसे खारिज भी नहीं कर रहा हूँ जैसा कि दूसरों ने किया है।) उन सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम है जिसकी चर्चा प्रस्तावना में की गई है। दूरदर्शी राष्ट्रपति ऊर्जावान और स्वप्नदर्शी प्रधानमंत्री बुद्धिमान सांसदों और जिम्मेदार विपक्ष की सहायता से मैं नहीं समझता हूँ कि इस संविधान के अधीन हमें कोई उन लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोक पाएगा जिसके लिए हममें से प्रत्येक व्यक्ति प्रतिबद्ध है।

**श्री एम अनंत सयनम अयंगर ( मद्रास: जनरल ) :** इस संविधान को तैयार करने में सभी समुदायों - हिंदुओं, मुस्लिमों, सिक्खों, पारसियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। सभी राजनीतिक विचारधाराओं के नेता का यहाँ प्रतिनिधित्व हुआ है। सभी विचारधाराओं के नेता यहाँ मौजूद रहे हैं। यहाँ तक कि डॉ. अम्बेडकर, जो इसे महज देखने यहाँ आए थे, ने इस संविधान को तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाई है और हम जो संविधान पारित करने जा रहे हैं, वह उनके निर्माताओं में से एक हैं। वह व्यक्ति जो इस बारे में शंका व्यक्त करने और आलोचना करने आया था, ने अंतः इस संविधान का प्रभार संभाला और इसे तैयार किया। मैं उन्हें बधाई देता हूँ और स्वयं को बधाई देता हूँ कि हम सबने उनके प्रति सदस्यता दिखाई और उन्होंने भी उसी रूप में प्रत्युत्तर दिया। आखिरकार, एक-दूसरे के निकट संपर्क में आकर ही हम एक-दूसरे के विचार को समझ सकते हैं। अब तक हम एक-दूसरे से दूर रहे हैं, हमारे दृष्टिकोण काफी संकुचित थे, जिसे हमने व्यापक बनाया है। जिस भावना के साथ यह संविधान तैयार किया गया है उसी के अनुरूप यदि इसे लागू किया जाए, जो मुझे पूरा विश्वास है कि हम विश्व के अग्रिम राष्ट्रों की पंक्ति में खड़े होंगे।

हमारे बीच श्री अल्लादि कृष्णमाचारी अय्यर जैसे बहुत सारे प्रख्यात न्यायविद भी हैं, जिन्हें हम आसानी से नहीं भूल सकते हैं। अपने कमजोर और खराब स्वास्थ्य के बावजूद वह सभा के भीतर और बाहर समितियों में परिहित के लिए अपनी सेवा देते रहे हैं। हमारे बीच हमारे मित्र श्री गोपालस्वामी आयंगर जैसे प्रशासनिक भी हैं उन्हें सिविल

<sup>1</sup> सी.ए.डी. आधिकारिक प्रतिवेदन, खंड X, 17 नवंबर 1949, पृष्ठ 653

<sup>2</sup> द्रविड, पृष्ठ 663-665

सर्वेंट और फिर रियासतों के दीवान तथा बाद में राज्य की परिषद् में कार्य करने का काफी अनुभव है। यद्यपि बाद में वह तस्वीर से हट से गए और डॉ. अम्बेडकर के आने के बाद संविधान के मामले में यहाँ सभा में भाग लेते नहीं दिखाई पड़े। फिर भी मुझे विश्वास है कि हम उनके द्वारा प्रदान की गई वृहत् सेवाओं को भूल नहीं सकते। सभा के प्रत्येक वर्ग ने उत्कृष्ट कार्य किया है। हमारे कुछ मित्रगण संशोधन प्रस्तुत करने के मामले में काफी ऊर्जावान रहे हैं— श्री कामथ श्री शिब्वनलाल सक्सेना, श्री सिधवा, और बाद में पंजाबराव देशमुख इस सूची में शामिल रहे हैं— उन सबने पूरे जोर-शोर के साथ अपना योगदान दिया है। यद्यपि हमारे मित्र प्रो. के.टी. शाह द्वारा प्रस्तुत किए गए बहुत सारे संशोधनों को स्वीकार नहीं कर पाए हैं, लेकिन उनकी सूझबूझ, बुद्धिमत्ता और क्षमता का मैं बड़ा प्रशंसक हूँ उन्होंने सभा के बाहर इस बात को स्वीकार किया जब हमने उनसे बातचीत की कि यद्यपि हम लोग फिर उनके संशोधनों को स्वीकार नहीं करने जा रहे हैं, पर फिर भी उन्होंने उन्हें प्रस्तुत किया क्योंकि वह अपने विचार हमारे समक्ष रखना चाहते थे। उन्होंने अच्छी खेल भावना के साथ पराजय को स्वीकार किया है। इसलिए मेरा मानना है कि यह संविधान हममें से प्रत्येक के द्वारा किया गया है और हम सबने यह कार्य काफी प्रसन्नता के साथ किया है। यदि इस दौरान किसी की हार हुई है तो बहुमत का सम्मान करते हुए अल्पमत वालों ने अपनी पराजय इस आशा के साथ स्वीकार की है कि भविष्य में बहुमत को अपने पक्ष में कर लेंगे..... महात्मा गांधी की शांतिपूर्ण और सत्यनिष्ठ आवाज हमारे दिलों में है। वह हमारे आदर्श और उन्हीं का आदर्श मानकर हम शांति के पथ पर तब तक आगे बढ़ते रहेंगे जब तक विश्व में शांति और समृद्धि का सर्वोच्च साम्राज्य नहीं कायम हो जाएगा। ईश्वर हमें शक्ति दे।

**माननीय श्री बी. जी. खेर ( बंबई जनरल ) :** सभापति महोदय मै। इस अवसर पर कार्य के पूरा होने के प्रति अपना आभार व्यक्त किए बिना नहीं रहूँगा। तीन वर्ष पूर्व जब हमने इसे प्रारंभ किया था तो लगता था कि इसे पूरा कर पाना काफी दुष्कर है। मुझे याद है कि हमारी पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 को हुई थी और इन तीन वर्षों में इतनी अधिक गहमागहमी और व्यस्तता का माहौल रहा है, जो कि इस कार्य को पूरा करने में हमें आमतौर पर तीन दशक लगते। बाहर की दुनिया में हुए परिवर्तनों के कारण हमारे संविधान में भी बदलाव लाना पड़ा है। इसलिए सबसे पहले मैं इस सभा को एक कठिन, पहेलीपूर्ण दुर्गम और ऐतिहासिक कार्य पूरा करने तथा आजाद भारत को एक संविधान प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि यह एक कठिन कार्य था। जिसे अद्वितीय तरीके से भारत ने



अपनी आजादी हासिल की, उस अद्वितीय तरीके इस संविधान सभा ने संविधान तैयार किया है। मैं नहीं समझता कि विश्व में अन्यत्र कहीं इतने लंबे समय लगभग तीन वर्षों तक संविधान सभा संविधान बनाने के निकाय के साथ-साथ देश संसद के रूप में कार्य किया होगा। तीन वर्षों के परिश्रम के बाद हमने संविधान तैयार किया है जिस पर हममें से प्रत्येक व्यक्ति को गौरव है....

**१ श्री ब्राभुत दयाल हिम्मत सिंगका ( पश्चिमी बंगाल : जनरल ) ..** महोदय बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि संविधान किस प्रकार कार्य करता है और व्यक्ति इसका किस प्रकार उपयोग करता है। यदि आप कोई कार्य करने का प्रभार किसी मि. एक्स को सौंपते हैं, वह उस कार्य का बड़े ही सफलतापूर्वक पूरा कर सकता है लेकिन यदि आप उसके स्थान पर किसी और व्यक्ति का लाते हैं, जिसके पास भी वही संसाधन उपलब्ध हैं, वह सारी चीजों को गडमड करके रख देगा। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि वह किस ढंग से कार्य करता है, कौन कार्य करता है और किस तरीके से कार्य करता है लोग तो हमेशा ही दोष ढूँढते रहेंगे किंतु कुल मिलाकर यह संविधान बड़ा ही संतोषजनक है और यदि यह समुचित ढंग से कार्य करें और समुचित रूप से लोग इसका समर्थन करें, तो मैं समझता हूँ कि सब कुछ संतोषजनक तरीके से आगे बढ़ेगा।

\* \* \* \* \*

**२ श्री एच.वी. पटाशकर :** त्रुटियाँ रहने के बावजूद, हमने संविधान में बहुत अच्छे प्रावधान किए हैं, जैसे कि वह अनुच्छेद जिसके माध्यम से जरूरत पड़ने पर संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, संविधान एक सजीव विकास की प्रक्रिया है और मुझे आशा है कि आने वाले समय से हमारे बाद की पीढ़ी इस उपबंध का उपयोग करेगी और बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप अपने तरीके से संविधान में बदलाव लाएगी।

**३ श्री बी.ए. मंडलोई ( सी. पी. बरार : जनरल ) :** अंत में महोदय मैं अपने कर्तव्य में विफल रहूँगा यदि मैं प्रारूप समिति के बारे में कुछ न कहूँगा। यह सुविदिन है कि समिति ने काफी कठिन और महत्वपूर्ण कार्य किया है। मैं जानता हूँ कि इस सभा के अंदर काफी विवादास्पद बहसों के दौरान प्रारूप समिति के अध्यक्ष ने अपने विचार प्रस्तुत करके विवाद को संतोषजनक ढंग से सुलझाया है। यह सभा प्रारूप समिति की सेवाओं की सराहना करती है और मैं समिति के अध्यक्ष, डॉ. अम्बेडकर को आजाद और स्वाधीन भारत का संविधान सफलतापूर्वक तैयार करने के लिए बधाई देता हूँ। संविधान

<sup>१</sup> सी.ए.डी. आधिकारिक प्रतिवेदन, खंड XI 18 नवंबर 1949, पृष्ठ 670

<sup>२</sup> वही पृष्ठ 674

<sup>३</sup> वही पृष्ठ 676

तीन वर्षों के रिकार्ड समय में पूरा किया गया है - पस्तुतः मेरा इन तीन वर्षों से परेशानी, विवाद और कलहपूर्ण वातावरण रहा है। यह एक महान उपलब्धि है। महोदय, कागज पर एक अच्छे संविधान का होना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि लोगों की सदस्यता, ईमानदारी तथा इसके उपयोग करने की उत्कंठा भी महत्वपूर्ण है। यदि संविधान का उपयोग उस भावना से किया जाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश का भविष्य उज्ज्वल रहेगा। हमें अपने देश का उज्ज्वल भविष्य नजर आ रहा है और हम कामना करते हैं। कि वह विश्व के अग्रिम देशों की कतार में खड़ा हो। यदि हम उसी भावना के साथ संविधान का उपयोग करते हैं, जिस भावना के साथ हमने इसे बनाया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इससे देश का भविष्य उज्ज्वल रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

\* \* \* \* \*

**पंडित ठाकुर दास भार्गव ( पूर्वी पंजाब : जनरल ) :** ...महोदय इस अवसर पर मैं अपने अन्य मित्रों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस संविधान का प्रारूप तैयार करने में हमारी मदद की है। मैं विशेषकर डॉ. एच. सी. मुखर्जी के नाम का उल्लेख करना चाहूँगा जिन्होंने महान योग्यता और सूझ-बूझ के साथ इस सभा की अध्यक्षता की थी जब महोदय आप बीमा चल रहे थे और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। महोदय, मैं नहीं जानता किन शब्दों में मैं प्रारूप समिति का धन्यवाद करूँगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष में जिस प्रकार से कानूनी निपुणता, अथक परिश्रम, पूर्ण दक्षता और दृढता के साथ-साथ विनम्रता से इस सभा के माध्यम से इस संविधान को प्रस्तुत किया है और इस संदर्भ में सभी जटिल प्रश्नों का समाधान किया है, उसके लिए हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने हेतु शब्द विफल हैं। उन्होंने जो महान लोकभावना का परिचय दिया है, मैं डॉ. अम्बेडकर से अपील करूँगा, मुझे खेद है कि वह आज सभा में मौजूद नहीं हैं, उन्होंने स्वयं को अब तक केवल अनुसूचित जातियों का नेता ही माना है, कांग्रेस में शामिल हो जाएँ। उन्होंने हमारे दिल में काफी ऊँचा स्थान बना लिया है और मुझे आशा है कि वह कांग्रेस के हाई कमान की आज उन्होंने संकीर्ण स्थिति हासिल की हुई है....

<sup>1</sup> सी.ए.डी. अधिकारिक प्रतिवेदन, खंड X, 18 नवंबर 1949, पृष्ठ 682

महोदय, मैं इस टिप्पणी के साथ अपनी बात समाप्त करने जो रहा हूँ कि संविधान तो महज कागज का टुकड़ा है और वे अपने आप ही हमें हमारे आदर्शों की प्राप्ति नहीं करवा सकते। जिस भावना के साथ संविधान तैयार किया जाता है और जिस भावना के साथ उसका उपयोग किया जाता है, उससे एक राष्ट्र को अपने संविधान में अंतर्निहित उद्देश्यों को हासिल करने में मदद मिलती है। महोदय, इसलिए इस अवसर पर जब हम अपना संविधान पारित करने जा रहे हैं, तो मैं सदस्यों को जो इस दस्तावेज पर 26 जनवरी को हस्ताक्षर करेंगे, से अनुरोध करना चाहता हूँ कि संविधान तैयार करके ही उनका कार्य पूरा नहीं हो जाता है, बल्कि उनका वास्तविक कार्य बाकी है। संविधान का उपयोग इस तरीके से करने की जिम्मेदारी उनकी है ताकि लोगों को वास्तविक आजादी, खुशी और समृद्धि प्राप्त करने में मदद मिल सके।

महोदय, अब मैं आपकी अनुमति से केवल एक और बात का उल्लेख करूँगा। यह बात मुझे काफी प्रिय है। हमने अनुसूचित जातियों को बहुत कुछ दिया है हमने उन लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है।

हमने संविधान में अनुच्छेद 355 रखा है जिसमें सेवाओं के मामले में उन लोगों को आश्वासन दिया गया है। हमने अनुच्छेद 16 के अधीन उन लोगों के लिए आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई है। लेकिन मुझे जब सरकार को उन लोगों के लिए पद आरक्षित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि हम वास्तव में महात्मा गाँधी के वर्ग-विहिन समाज की स्थापना करना चाहते हैं, तो हममें से प्रत्येक जो इस संविधान पर हस्ताक्षर करेगा को दृढ़ निश्चय बल्कि प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि वह दस वर्षों के भीतर शोषित वर्गों को अपने समकक्ष लाएँगे। वह लोग स्वयं के प्रति मिथ्या आचरण करेंगे – जो संविधान पर हस्ताक्षर तो करेंगे परंतु इसके सिद्धांतों के अनुरूप कार्य नहीं करेंगे।

\* \* \* \* \*

**श्री सभापति :** हम अभी चर्चा जारी रखेंगे।

**श्रीमान श्री एच. वी. कामथ ( सी.पी. बरार : जनरल ) :** सभापति महोदय मैं डॉ. अम्बेडकर के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का सीमित और सशर्त समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, हम भारत के लोग अपनी लंबी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुँच चुके हैं, जबकि शुरुआत काफी लंबी, कठिन और काफी संकट भरी रही है।

\* \* \* \* \*

<sup>1</sup> सी.ए.डी. अधिकारिक प्रतिवेदन, खंड X 18 नवंबर 1949, पृष्ठ 682

<sup>2</sup> वही, 19 नवंबर, 1949, पृष्ठ 689

**सैठ दामोदर स्वरूप ( संयुक्त प्रांत : जनरल ) :** सभापति महोदय प्रारूप

संविधान का द्वितीय पठन समाप्त हो चुका है और तीसरे पठन पर चर्चा हो रही है जो कि तीन या चार दिनों में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 26 जनवरी का ऐतिहासिक दिन होगा जब इस संविधान का उद्घाटन किया जाएगा। यह सब अच्छा बात है और इसके लिए माननीय डॉ. अम्बेडकर और प्रारूप समिति के उनके अन्य सहयोगी संपूर्ण सभा की ओर से बधाई के पात्र हैं क्योंकि उन लोगों ने बड़ी निपुणता और परिश्रम के साथ इस संविधान का प्रारूप तैयार किया है....

**श्री टी. प्रकाशम ( मद्रास : जनरल ) :** संविधान एक महान दस्तावेज है और मेरे मित्र जो इसे तैयार करने में प्रभावी रहे हैं- डॉ. अम्बेडकर - एक महान वकील और बड़े ही सुयोग्य व्यक्ति हैं। उन्होंने यहाँ अपने किए कार्य से यह दर्शाया है कि वह ग्रेट ब्रिटेन के किंग काउंसिल बनाने के लिए कितने सक्षम हैं, संभवतः वह वूलसैक में ही बैठने के लिए पात्र हैं, लेकिन इस देश के लोग जैसा संविधान चाहते थे, वैसा संविधान वह नहीं है। माहत्मा गाँधी ने कांग्रेस के नाम पर इस देश को संगठित करने का कार्य जब शुरू किया तो उन्होंने शीघ्र ही इस बात की पहचान कर ली कि इस देश की किस प्रकार सहायता की जा सकती है और लाखों लोगों को मदद पहुँचाई जा सकती है, इसलिए उन्होंने यह निर्णय लिया कि पूरे देश को भाषा के आधार पर विभाजित किया जाए कि प्रत्येक क्षेत्र स्वयं का विकास कर पालने में सक्षम हो सके....

**प्रो. शिबनलाल सक्सेना :** ..... संविधान की मेरे द्वारा की गई आलोचना का यह अर्थ नहीं है कि मैं इन तीन वर्षों के दौरान हमने जो उपलब्धि हासिल की है उसके प्रति आँखे मूँद ली हैं। मेरा मानना है कि विगत तीन वर्षों के दौरान संविधान तैयार करना ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। आजादी की सुबह में ब्रिटिश सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों की समस्या को कृत्रिम रूप से सृजित करके खड़ी की गई बाधाएँ भारतीय रियासतों के राजाओं की समस्या और सिविल सेवा की स्थाई समस्या गत दो वर्षों की अल्पावधि में ही जादू की छड़ी की तरह समाप्त की जा चुकी है। संविधान तैयार करने में हुई देरी के कारण हम इस संविधान में 566 भारतीय रियासतों जिन्हें अब नौ प्रांतों में परिवर्तित तथा विलय करके संघ की अन्य इकाइयों के समकक्ष रख दिया गया है के प्रशासन के लिए समान प्रकार का उपबंध करने में सक्षम हो पाए हैं। इस एकमात्र उपलब्धि को ही किसी देश का महानतम कार्य माना जाएगा

\* \* \* \* \*

<sup>1</sup> सी.ए.डी. अधिकारिक प्रतिवेदन, खंड X 19 नवंबर 1949, पृष्ठ 661

<sup>3</sup> वही, पृष्ठ 697

<sup>4</sup> वही, पृष्ठ 707

**माननीय रेवर्ड जे. जे. एम. निकोलस राय ( असम : जनरल ) :** सभापति महोदय, मुझे डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव कि सभा द्वारा तैयार किए गए संविधान को पारित किया जाए का हृदय से समर्थन करने हेतु यहाँ आकर बहुत खुशी हुई है। मैं यह मानता हूँ कि भारत और विश्व की वर्तमान परिस्थितियों में यही सर्वोत्तम संविधान तैयार किया जा सकता था। यद्यपि इसमें निसंदेह त्रुटियाँ मौजूद हैं, हम कुछ उपबंधों को दूसरे रूप में रखना चाहते थे, फिर भी महोदय मेरा मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों में यही सर्वोत्तम चीज हम तैयार कर सकते थे। महोदय, मुझे खुशी है कि इस संविधान को तैयार करने में मेरी हिस्सेदारी चाहे वह बहुत ही कम क्यों न हो रही है। पूरे देश ने आलोचना करके अथवा सुझाव देकर इस संविधान को तैयार करने में हिस्सा लिया है। प्रारूप संविधान का दो वर्षों के अंदर देश के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है और हममें से प्रत्येक व्यक्ति को इसकी आलोचना करने या सुझाव देने का मौका मिला है और यहाँ हममें से प्रत्येक व्यक्ति को इस संविधान को तैयार करने में भाग लेने का मौका मिला है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह संविधान पूरे देश के लिए और पूरे देश के द्वारा.....

....महोदय अब मैं दूसरी बात छठी अनुसूची के बारे में बोलना चाहता हूँ। मैं श्री एस.एन. मुखर्जी, ड्राफ्ट्समैन, सर बी.एन. राव और डॉ. अम्बेडकर का इस छठी अनुसूची का प्रारूप तैयार करने पर विशेष ध्यान देने के लिए आभारी हूँ। मैं प्रारूप समिति पर विशेष ध्यान देने के लिए आभारी हूँ। मैं प्रारूप समिति के सदस्यों, जिन्होंने हमें उनके समक्ष बोलने का मौका दिया, के प्रति भी आभारी हूँ....

**डॉ. रघुवीरा ( सी. पी. और बरार : जनरल ) :** @ [इस संविधान में केवल विदेशी आदर्शों को शामिल कर लिया गया है। इसमें कुछ भी भारतीयता नहीं है। तथापि, मैं आशा करता हूँ कि कुछ वर्षों के बाद इस संविधान का स्वरूप यही रह जाएगा जिस रूप में यह पारित किया गया है और इसका चरित्र विशुद्ध भारतीय हो जाएगा तथा यह इस देश के लोगों की मूलभूत और मौलिक जरूरतों को पूरा कर जाएगा।

<sup>1</sup> सी.ए.डी. आधिकारिक प्रतिवेदन, खंड X 19 नवंबर 1949, पृष्ठ 708

<sup>2</sup> वही, पृष्ठ 715

@हिंदुस्तानी भाषा में दिए गए भाषण का अनुवाद।

**माननीय श्री के. संथानम ( मद्रास : जनरल ).....** पीछे मुड़कर देखने पर मुझे लगता है कि यह तीन वर्षों का समय काफी लंबा नहीं रहा है। वस्तुतः इससे हम बेहतर संविधान का प्रारूप तैयार कर पाने में समर्थ हुए हैं, और यदि हमने एक वर्ष पूर्व इसे पूरा कर लिया होता, तो इतना बेहतर प्रारूप कर पाना संभव नहीं हो पाता। इस संविधान के बारे में बहुत सारी आलोचनाएँ की गई हैं। लेकिन इसे पूरा पढ़कर, यदि हम स्पष्टता तथा शुद्धता का मानदंड लागू करें, तो मेरे विचार से हमने वास्तव में बड़ा ही अच्छा संविधान बनाया है।

\* \* \* \* \*

**सरदार भूपेंद्र सिंह मान ( पूर्वी पंजाब : सिक्ख ) : .....** तथापित, मैं महसूस करता हूँ कि यह संविधान या लिखित शब्द जिस पर अंततः गौर किया जाता है, की प्राण-विहिन मात्र नहीं है। समय गुजरने के साथ-साथ ही कतिपय परंपराएँ जो अधिक सटीक तथा वास्तविकता के कहीं अधिक निकट होगी जिसका स्वरूप अधिक गत्यात्मक होगा और महोदय मेरा यह मानना है कि यह अंततः लोगों की पसंद के अनुरूप होगा जो कि महत्वपूर्ण है और इसके अक्षर नहीं, बल्कि इसकी भावना का महत्व होगा और देश के लोगों को यहाँ प्रत्येक क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में और समाज की आर्थिक संरचना में न्याय पाने का समान अवसर मिलेगा।

**काजी सैय्यद करीमुद्दीन ( सी. पी. और बरार : मुस्लिम ) :** सभापति महोदय, मैं प्रारूप समिति को उसके द्वारा किए गए विलक्षण कार्य के लिए बधाई देता हूँ और मुझे भी नजीरुद्दीन अहमद को भी उनके द्वारा किए गए कठिन कार्य के लिए बधाई देनी है, जिसके लिए प्रारूप समिति ने धन्यवाद के एक भी शब्द नहीं कहे। मैं विशेषकर डॉ. अम्बेडकर का धन्यवाद करता हूँ तथा उनकी विलक्षण तर्क और इस संविधान का प्रारूप तैयार करने का जो कार्य किया है, उसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ। मैं जानता हूँ कि उनके सामने बहुत अधिक मजबूरी थी और एक उदाहरण है मेरे द्वारा अवैध तलाशी - घरों और व्यक्तियों की तलाशी के संबंध में प्रस्तुत किया गया संशोधन - जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया था तथा सभा ने भी उसे स्वीकार कर लिया था और इसके स्थगन के पश्चात् एक सप्ताह बाद उसे अस्वीकृत कर दिया गया.....

<sup>1</sup> सी.ए.डी. आधिकारिक प्रतिवेदन, खंड X 19 नवंबर 1949, पृष्ठ 718

<sup>2</sup> वही 21 नवंबर 1949, पृष्ठ 723

<sup>3</sup> सी.ए.डी. आधिकारिक प्रतिवेदन, खंड X 21 नवंबर 1949, पृष्ठ 723-724

<sup>4</sup> वही पृष्ठ 730

4श्री शंकरराव देव ( बंबई : जनरल ) हमारे संविधान के ड्राफ्टसमैनों की नियुक्ति करते समय हम संवैधानिक पंडितों, संवैधानिक वकीलों की विशुद्धता के प्रति जिज्ञासु थे और हमें वह सब पूरी तरह से मिलें। डा. अम्बेडकर और उनके साथी या प्रारूप समिति के उनके सहयोगी हमारी कृतज्ञता के पात्र हैं और मैं समझता हूँ कि वे लोग किसी भी संविधान निर्माताओं, विश्व के किसी भी देश के किसी संविधान के प्रारूपकारों की तुलना में ठहर सकते हैं।

\* \* \* \* \*

1 सैय्यद मुहम्मद सादुल्ला ( असम : मुस्लिम ) : महोदय, यह कहा जाता है कि कभी-कभी मौन रहना बोलने की अपेक्षा अधिक फायदेमंद रहता है। मेरी विनम्र राय यह है कि इस अवसर पर मौन रहना इस महती सभी के अनुरूप था-

मैं यहाँ आज अपने दोहरे व्यक्तित्व को दर्शाए बगैर खड़ा नहीं रह सकता, अर्थात् इस महती सभी का सदस्य होने के साथ-साथ प्रारूप समिति का भी सदस्य होना उन सभी मित्रों जिन्होंने प्रारूप समिति का भी सदस्य होना उन सभी मित्रों जिन्होंने प्रारूप समिति के सदस्यों की पूरे दो वर्षों तक की गई कड़ी मेहनत और दुष्कर कार्य की सराहना करने की कृपा की है, को अपनी ओर से तथा साथ ही प्रारूप समिति के सदस्यों की ओर से धन्यवाद व्यक्त करने की लिए अपना सिर झुकाता हूँ। मैं उन आलोचकों को भी अपनी ओर से धन्यवाद करना चाहता हूँ।

अपनी श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता से प्रारूप समिति के सदस्यों की कमियों की आलोचना की है। लेकिन, मुझे यह खेद के साथ कहना पड़ता है कि उन लोगों ने दोषपूर्ण परिप्रेक्ष्य में गलत दृष्टिकोण के साथ तथा उस दृष्टि से जिसका इसके साथ कोई संबंधा नहीं है, से इस मामले पर विचार किया है।

महोदय प्रारूप समिति कोई मुक्त एजेंसी नहीं थी। उनके सामने शुरु से ही विभिन्न तरीकों और परिस्थितियों की मजबूरी व्याप्त थी। हमें तो महज बच्चे का कपड़ा पहनाने के लिए कहा गया था और यह बच्चा और कोई नहीं उद्देश्यपूर्ण संकल्प था जिसे संविधान सभा ने पारित किया था। हमें यह बताया गया था कि संविधान उस उद्देश्यपरक संकल्प के चार कोनों के इर्द-गिर्द बने रहना चाहिए। महोदय, सबसे बड़ी बात, हमें जो कुछ भी करना था उस पर इस सभी द्वारा विचार किया जाना और स्वीकार

1 सी.ए.डी. अधिकारिक प्रतिवेदन, खंड X 21 नवंबर 1949, पृष्ठ 732-733

किया जाना था। प्रारूप समिति का कोई सदस्य इतना अधिक अभिमानी कैसे हो सकता था कि सात सदस्यों की राय को इस सभा के कुल 308 सदस्यों पर थोपा जा सके।

\* \* \* \* \*

महोदय, यह मनोविज्ञान का स्वीकृति सिद्धांत है कि मानव पर्यावरण का एक जीव है। प्रारूप समिति के सदस्यों को सभी के समक्ष प्रारूप संविधान प्रस्तुत करने का विशेषाधिकार प्राप्त था, इस सार्वभौमिक सिद्धांत से बच नहीं सकता था। उन लोगों को देश में व्याप्त पर्यावरण और परिस्थितियों का ध्यान रखना पड़ा था और बहुत सारे उपबंधा लोकतंत्र के विरुद्ध कहे जा सकते हैं, प्रारूप समिति के सदस्यों को भी उन ताकतों जो प्रारूप समिति से श्रेष्ठ थी की बातों पर भी ध्यान रखना पड़ा था।

महोदय, मुझे याद है कि हमारे प्रारूप संविधान की कई धाराओं को सात-सात बार बदलना पड़ा था। धारा का प्रारूप समिति के प्रत्येक सदस्यों के सर्वोत्तम विचार के अनुरूप तैयार किया जाता है। इसकी जाँच सरकार के मंत्रालयी विभाग द्वारा की जाती है। उन लोगों की आलोचनाओं के आधार उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए नया प्रारूप बनाया जाता है। फिर इस पर सबसे बड़े समूह, सभा के बहुमत दल - मैं कांग्रेस संसदीय दल का संदर्भ देता हूँ केवल वही इस सभा में मुद्रण का आदेश दे सकता है। और कभी-कभी तो हम पाते हैं, उनकी ही सिफारिशों को प्रारूप समिति के सदस्यों द्वारा समुचित रूप से कानूनी और संवैधानिक रूप प्रदान कर दिया जाता है।

महोदय, कोई भी मानव-निर्मित संविधान या दस्तावेज परिपूर्ण नहीं होता तथा यह कहना घिसा-पिटा तथ्य है कि हमेशा ही आदर्श से कम ही होता है। यद्धपि प्रारूप समिति का एक सदस्य हूँ। मुझे इस संविधान में अपनाए गए बहुत सारे सिद्धांतों पर बहुत अधिक आपत्ति है। प्रारूप संविधान के किन्हीं उपबंधों की आलोचना करना मुझे शोभा नहीं देता क्योंकि मैं भी हमारे संविधान में शामिल करने के लिए प्रारूप समिति के अन्य सदस्यों की तरह जिम्मेदार हूँ।

**सैय्यद मुहम्मद सादुल्ला (असम : मुस्लिम) :** महोदय, दो सदियों तक पराधानीता और अपमान झेलने के पश्चात्, हमने अपने संविधान का प्रारूप तैयार किया है। इसका विचार आते ही मेरा मन रोमांचित हो उठता है, यह हमारे हृदय को झकझोर देता है, किंतु फिर भी हम अपने दिल पर हाथ रखकर यह नहीं कह सकते कि वर्तमान प्रारूप संविधान पर बहुत अधिक खुशी और जोश का अनुभव हो रहा है। यह संविधान जो पारित किया जाएगा और कुछेक महीनों में कानून बन जाएगा, एक समझौतापूर्ण



संविधान है। कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि यह एक अस्थायी संविधान है।

\* \* \* \* \*

मैं भी आशा करता हूँ कि भावी विधायक इसे यथा संभव परिपूर्ण बनाने की कोशिश करेंगे। पुडिंग का मजा खाने में है। इसी प्रकार से कोई भी यह नहीं कह सकता है कि इस संविधान की तारीफ की जाए या निंदा की जाए। संविधान का कार्य करना ही दिखा पाएगा कि यह कार्य करने योग्य संविधान है या फिर यह हमारे लोगों या हमारे राष्ट्र की प्रतिभाओं के समय और जरूरत के अनुसार अनुपयुक्त है, लेकिन यदि हम प्रस्तावना की भावना के अनुरूप कार्य करें, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक संविधान है, जिस पर समुचित भावना के साथ कार्य करके उसे एक आदर्श संविधान बनाया जा सकता है—

पूरी विनम्रता के साथ इस संविधान के आधार पर कार्य करने की कोशिश करें, जिसे लोगों ने काफी मेहनत करके तैयार किया है और यदि हम प्रस्तावना की भावना के अनुरूप कार्य करें, अर्थात् सभी के साथ न्याय करने की कोशिश करें, और समानता तथा भाईचारे की भावना के साथ कार्य करें, तो हम इस नीरस संविधान को भी जन्नत का बाग बना सकते हैं।

\* \* \* \* \*

**श्री एच. जे. खांडेकर ( सी.पी. और बरार : जनरल )** : सभापति महोदय मैं अपने मित्र माननीय डा. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ—

मैं प्रारूप समिति को यह संविधान तैयार करने के लिए बधाई देता हूँ। महोदय, मैं अपने मित्र पंडित एच.वी. कामथ, जी.जी. के भक्त का भी इस संविधान निर्माण के कार्य में गहरी रूचि लेने के लिए धन्यवाद करता हूँ—

\* \* \* \* \*

महोदय, आज हम डॉ. अम्बेडकर, का प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बुद्धिमत्ता में स्वतंत्र भारत का कानून बना रहे हैं। महोदय, यदि मैं ऐसा कर सकता हूँ तो मैं इस संविधान को महार कानून कहूँगा क्योंकि डॉ. अम्बेडकर एक महार हैं और अब जब हम 26 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं तब हमारा मनु का कानून बदलकर महार का कानून बन जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि मनु के कानून के

<sup>1</sup> सी.ए.डी., अधिकारिक प्रतिवेदन खंड X, 21 नवंबर, 1949, पृष्ठ 735-736

<sup>1</sup> सी.ए.डी., अधिकारिक प्रतिवेदन खंड X, 21 नवंबर, 1949, पृष्ठ 736-737

अधीन देश कभी सम्पन्नता प्राप्त नहीं कर सका था, उसके विपरीत महार कानून से भारत वस्तुतः स्वर्ग बन जाएगा-

\* \* \* \* \*

**श्री महबूब अली बेग साहिब ( मद्रास : मुस्लिम )** : सभापति महोदय, आपने जिस तरीके से सभा की कार्यवाही संचालित की है, उसने शिकायत का कोई आधार ही नहीं छोड़ा है, उसके लिए यदि आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करूँ तो यह सराहना करने का महज औपचारिक या पारंपरिक तरीका नहीं होगा और मैं डा. अम्बेडकर को भी उत्कृष्ट योजना के साथ प्रारूप संविधान तैयार कराने के लिए बधाई देता हूँ। हममें से कुछ लोग जो प्रमुख दल के सदस्य नहीं थे, जो पूर्व में ही सभा के बाहर इन प्रश्नों पर निर्णय ले लिया करते थे कि प्रारूप समिति के विचारों की पुष्टि करनी है अथवा संशोधित करना है और वे अंतिम मध्यस्थ की भूमिका निभाया करते थे - हमारे जैसे लोग जो इस दल के सदस्य नहीं थे पूरी तरह असहाय हो जाते यदि आपने महोदय हमारा बचाव नहीं किया होता और इस मामले पर अपनी बात रखने की अनुमति दी जिसके लिए अपने निष्पक्ष ढंग से व्यवहार किया है। मैं आपका दिल से धान्यवाद करता हूँ। डॉ. अम्बेडकर अपनी अभिव्यक्ति और विचारों की प्रखरता के मामले में अद्वितीय रहे हैं, वित्तीय मामलों सहित संवैधानिक समस्याओं पर उनकी पकड़ विलक्षण अनुपम, प्रबल और पूर्ण रही है। लेकिन महोदय आपकी तरह वह मुक्त एजेंट नहीं रहे हैं। अतः संविधान में मौजूद बुराइयाँ या दोष जो आज हमारे सामने रखे गए हैं, इस स्थिति में अंतर्निहित हैं और उनके लिए उन्हें वैयक्तिक तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

\* \* \* \* \*

**श्री एस.एम. घोष ( पश्चिमी बंगाल : जनरल )** : सभा में मुझे मनु के बारे में कुछ सुनाई पड़ा है जिसके बारे में मैं समुचित रूप से नहीं समझ पा रहा हूँ कि मनु किस बात के लिए जाने जाते हैं या फिर मनु का वास्तविक अर्थ क्या है? अम्बेडकर के बारे में बोलते हुए एक माननीय सदस्य ने प्रसन्न होकर कहा कि वह मनु नहीं है बल्कि महार है जिन्होंने हमें कानन दिया है। लेकिन यह ज्ञात नहीं है कि मनु ब्राह्मण था या महार जाति के थे। लेकिन मनु भारतीय मानस की अवधारणा का प्रतिनिधित्व करते हैं। - जिन्होंने मानवता के लिए एक आदर्श कानून बनाए थे। उस अर्थ में डॉ. अम्बेडकर को

सही में वर्तमान युग का मनु कहा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कानून बनाने का प्रभार पाने वाले व्यक्ति कोई चीज सृजित करता है। उस अर्थ में कोई व्यक्ति महार समुदाय का हो या ब्राह्मण समुदाय का या फिर किसी अन्य समुदाय का, यदि उसके पास वह अंतर्दृष्टि है, तो वह उन चीजों को परख सकता है और उन्हें सिर्फ अपने समुदाय के लिए नहीं, अपने समुदाय के दृष्टिगत ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता को संहिताबद्धा कर सकता है, तो उसे सच्चे अर्थों में मनु कहा जा सकता है—

**श्री पी.जे. चाको ( ट्रावनकोर और कोचीन संयुक्त प्रांत ) :** मैं जानता हूँ कि संवैधानिक प्रयोग की सफलता संविधान में अंतर्विष्ट उपबंधों की अपेक्षा लोगों के चरित्र और युग की दशा पर कहीं अधिक निर्भर करती है। इसलिए इन दोषों को स्वीकार करते हुए, मैं समझता हूँ कि यह संविधान सफलतापूर्वक कार्य करे, इसके लिए ईमानदार प्रयास करना हमारा कर्तव्य है। हमें यह विश्वास करना चाहिए कि अंधोरा जल्द छटेगा और सवेरा होगा तथा हम संविधान में संशोधन कर पाएँगे और सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार होगा तथा इसके अंगीभूत राज्यों को भी कुछ शक्ति प्रदान की जाएगी। इन कमियों को स्वीकार करते हुए हम इसके सफलतापूर्वक उपयोग करने की कोशिश करें।

**शरदार हुकुम सिंह ( पूर्वी पंजाब ) :** सभापति महोदय, मैं अपने मूल्यवान सभापति जिके धैर्य, सहनशीलता और न्याय की भावना ने इन कार्यवाहियों के दौरान हम सबका मार्गदर्शन किया और इन सभी चरणों में सभी कुछ सफलतापूर्वक संपन्न कराने में जिनका काफी योगदान मिला, के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा व्यक्त करने के साथ शुरुआत करना चाहूँगा। मैं प्रारूप समिति और विशेषकर इसके नेता को इस अवधि के दौरान भारी दबावपूर्ण कार्यों को प्रसन्नतापूर्वक संपन्न कराने के लिए बधाई देता हूँ। यह एक बड़ा भारी कार्य था और इसके बाद वे लोग राहत महसूस कर रहे होंगे—

**श्री एस. नागप्पा ( मद्रास : जनरल ) :** सभापति महोदय, मेरे से पूर्व बहुत सारे वक्ता बोल चुके हैं और प्रारूप समिति तथा इसके अध्यक्ष को बधाई दे चुके हैं। महोदय, मैं उन्हीं के साथ सुर मिलाकर उन सबको बधाई देता हूँ।

अनुसूचित वर्गों का जहाँ तक संबंध है, उन लोगों को उसी दिन उपलब्धि

1 सी.ए.डी., अधिकारिक प्रतिवेदन खंड ग, 21 नवंबर, 1949, पृष्ठ 748

2 सी.ए.डी., अधिकारिक प्रतिवेदन खंड ग, 21 नवंबर, 1949, पृष्ठ 749

3 सी.ए.डी., अधिकारिक प्रतिवेदन खंड ग, 21 नवंबर, 1949, पृष्ठ 754

हासिल हो गई जिस दिन डॉ. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। वह अनुसूचित वर्गों के हितों को उजागर करने वाले मसीहा रहे हैं। वह अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित हुए उनके निर्वाचित होने के बाद से ही, अनुसूचित वर्गों के अन्य सदस्य सहयोग करने के प्रति बिल्कुल उदासीन से हो गए, इसका कारण यह नहीं था कि वे सहयोग नहीं करना चाहते थे बल्कि इसका कारण यह था कि वे जानते थे कि महोदय, इससे यह सिद्ध हो गया है कि डॉ. अम्बेडकर यद्यपि अनुसूचित वर्ग से आते हैं। अवसर मिलने पर किस ऊँचाई तक पहुँच सकते हैं। उन्होंने सुयोग्य तरीके से संविधान का प्रारूप तैयार करके और उसे प्रस्तुत करके अपनी कुशलता सिद्ध कर दी है। अब, मैं सोचता हूँ कि इससे अनुसूचित वर्गों के अकुशल होने का दाग धुल जाएगा और अब के बाद यह दाग उन लोगों के दामन पर नहीं लगाया जाएगा। केवल यदि अवसर मिले तो वे लोग किसी से भी स्वयं को बेहतर साबित कर सकते हैं। अनुसूचित वर्गों की ओर से इतनी अच्छी भूमिका निभाने के लिए मैं डॉ. अम्बेडकर को बधाई देता हूँ। अनुसूचित वर्गों की संख्या के कारण वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं बनाए गए थे, बल्कि बहुमत वाले दल की उदारता के कारण ऐसा हुआ था और मैं उन दलों का भी इसके लिए बहुत आभारी हूँ।

\* \* \* \* \*

अब, मैं इसे आम आदमी के लाभ और बेहतरी करने वाला संविधान मानता हूँ। इसे आम आदमी का संविधान कहा जा सकता है। इसमें जमींदार रईसों या उद्योगपतियों के अधिकारों की तुलना में आम आदमी के अधिकार कहीं अधिक सुरक्षित किए गए हैं। इससे इस देश के आम आदमी का भला होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि यद्यपि डॉ. अम्बेडकर का समाज में ऊँचा दर्जा है, फिर भी वह आम आदमी के बीच से आए हुए हैं। उन्होंने आम आदमी के हितों को भुलाया नहीं है और उनकी बेहतरी के लिए यथासंभव उन्होंने पर्याप्त कार्य किए हैं। अनुच्छेद 14 से 17 के माध्यम से अनुसूचित वर्गों की बेहतरी होती रहेगी। अनुच्छेद 14 में विशेषकर प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता करने का आश्वासन दिया गया है। यह एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण-

**श्री सभापति :**

**श्री जसपत राय कपूर ( संयुक्त प्रांत : जनरल ) :** डॉ. अम्बेडकर और उनके सहयोगियों की लगभग प्रत्येक वक्ता ने प्रशंसा की है, और वे लोग वास्तव में

<sup>1</sup> सी.ए.डी., अधिकारिक प्रतिवेदन खंड ग, 21 नवंबर, 1949, पृष्ठ 758

उसके हकदार भी हैं। मैं शुरूआत में मैं डॉ. अम्बेडकर के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित था क्योंकि कई वर्ष पहले मेरे मन में उनके विरुद्ध) खटास पैदा हो गई थी जब महात्मा गाँधी अनुसूचित जातियों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिए जाने के विरुद्ध अनुष्ठान कर रहे थे और मैंने अखबारों में यह समाचार पढ़ा था कि जब श्री अम्बेडकर को महात्मा गांधी से उस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया, तो उन्होंने तत्काल कह दिया कि वह अगले एक या दो दिनों तक कुछ व्यावसायिक व्यस्तताओं के कारण काफी व्यस्त हैं। उस समय मुझे बड़ा दुःख हुआ था। मैं नहीं जानता कि उन बातों में कितने सच्चाई है। लेकिन फिर इन तीन वर्षों के दौरान उन्होंने जो महान कार्य किया है, उसमें उस पाप या दूसरे पाप जो उन्होंने किए होंगे, को धो डाला है। उन्होंने जो अति उपयोगी तथा देशभक्तिपूर्ण कार्य को अंजाम दिया है, उसके लिए मैं उनका प्रशंसक बन गया हूँ और मैं उनसे स्नेह भी करने लगा हूँ। इस सभा में इनके पहले भाषण में उनके बारे में मेरी सभी शंकाओं और भय को निर्मल कर दिया था और आज मैं कह सकता हूँ कि मैं उन्हें इस देश के सर्वोत्तम राष्ट्रभक्तों में से एक मानता हूँ मैंने उन्हें प्रत्येक विषय पर बड़ा ही रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए देखा है। कई अवसरों पर जब गतिरोध पैदा होता दिखा तो उन्होंने आगे आकर सुझाव दिए जिससे उन गतिरोधों का समाधान हो सका। मैंने उन्हें हमेशा ही एक अवसर को छोड़कर वे अवसर से ऊपर उठते हुए देखा है, दुर्भाग्यवश एक अवसर ऐसा आया था जब उन्होंने अनुसूचित जातियों के लिए सीटें आरक्षण करने के प्रावधान को छोड़ देने पर सहमत नहीं हुए थे। अन्य प्रत्येक अल्पसंख्यक समूह ने सीटों के आरक्षण के अधिकार को छोड़ दिया था लेकिन दुर्भाग्यवश डॉ. अम्बेडकर उस पर सहमत नहीं हुए थे। मेरी इच्छा थी कि वह उस पर सहमति जता देते और फिर मैं आज यह कह पाने की स्थिति में होता कि उन्होंने हमेशा अवसर से ऊपर उठकर कार्य किया, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं आज ऐसा नहीं कह सकता। जैसा भी है, इस बात को छोड़ दें तो उन्होंने जो महान कार्य किया है, उसके प्रति बड़ा आभारी होना चाहिए :-

\* \* \* \* \*

**बेगम ऐजाज रसूल ( संयुक्त प्रांत : मुस्लिम )** : सभापति महोदय, यह वास्तव में बड़ा ही भव्य और शुभ अवसर है कि इस संविधान सभा में स्वतंत्र भारत के लिए संविधान प्रारूपित करने का भारी कार्य पूरा कर लिया है - एक ऐसा संविधान जिससे भारतीय लोगों की आशा और आकांक्षाएँ बँधी हुई हैं। यदि संविधान का मूल्यांकन उसमें

<sup>1</sup> सी.ए.डी. आधिकारिक प्रतिवेदन, खंड X 22 नवंबर 1949, पृष्ठ 774

प्रयुक्त शब्दों या उसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के आधार पर किया जाए तो निश्चय ही हमारा संविधान विश्व के संविधानों के बीच बड़ ही ऊँचा स्थान पाने का हकदार है और मैं समझती हूँ कि इस पर गर्व करना बिल्कुल सही है। मैं डॉ. अम्बेडकर और प्रारूप समिति के सदस्यों को उनके आश्चर्यजनक कार्य के लिए बधाई देना चाहती हूँ और सभापति महोदय आपने जिस धैर्य और कुशलता के साथ इस सभा की कार्यवाहियों को संचालित किया, उसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। संविधान सभा का सचिववालय कर्मचारी भी अपने कठिन कार्य और निरंतर परिश्रम के कारण हमारे धान्यवाद के पात्र हैं।

\* \* \* \* \*

महोदय इस संविधान की सबसे उत्कृष्ट विशेषता इस तथ्य में है कि भारत एक विशुद्ध रूप से धर्मनिरपेक्ष राज्य है। संविधान की पवित्रता धर्मनिरपेक्षता के प्रति इसमें दुहराई गई प्रतिबद्धता में है और हमें इस पर गर्व है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस धर्मनिरपेक्षता की हमेशा रक्षा की जाएगी और यह कभी कलुषित नहीं होगी। क्योंकि इसी पर भारत के लोगों की संपूर्ण एकता निर्भर करती है जिसके बिना प्रगति की सभी आशाएँ निरर्थक साबित होंगी।

\* \* \* \* \*

**पंडित हृदयनाथ कुँज :** महोदय, इस संबंध में हम सभी को पूरी ईमानदारी से प्रारूप समिति के प्रति श्रद्धा व्यक्त करनी चाहिए कि उसमें कुशलता और पूर्णता के साथ इस कार्य को अंजाम दिया है। इसके सदस्यों ने वैयक्तिक तथा सामूहिक दोनों ही रूप से कठिन परिश्रम किया है और किसी के लिए भी यह कहना असंभव है कि उन लोगों द्वारा की गई सभी सिफारिशों का स्वरूप ऐसा है कि सभा के सभी वर्ग उनका अनुमोदन कर देंगे, फिर भी यह स्वीकार करना चाहिए कि उन लोगों ने अपना कर्तव्य पूरा किया और अपनी इच्छाओं को प्रभावी बनाने के लिए लोग स्वतंत्र हैं और उन लोगों ने स्वतंत्रता के क्रम को व्यापक बनाना चाहा था -

\* \* \* \* \*

**श्री श्यामनंदन सहाय ( बिहार : जनरल ) :** जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि वर्तमान में यह अवसर अद्वितीय है और यह कई मामले में अद्वितीय है। यह इतिहास के कालखंड जो भूतकाल का वर्णन करता है, के मामले में अद्वितीय है। यदि

<sup>1</sup> सी.ए.डी. अधिकारिक प्रतिवेदन, खंड X 18 नवंबर 1949, पृष्ठ 782

<sup>2</sup> सी.ए.डी. अधिकारिक प्रतिवेदन, खंड X 18 नवंबर 1949, पृष्ठ 787

हम अपने इतिहास पर गौर करें, तो यह मानना पड़ेगा कि यद्यपि एक समय इस देश में सुयोग्य शासकों के अधीन दूध और मधु की नदियाँ बहती थीं और यद्यपि हमारे यहाँ शासन रहा है जिसके लिए हमारे अंदर भी ललक बनी हुई है अर्थात् राम राज्य, लेकिन वह शासन एक उदार शासक का रहा था और जनप्रतिनिधियों द्वारा स्वयं के लिए कानून बनाए जाने की बात उसमें नहीं थी। महोदय, इसलिए मैं कहता हूँ कि यदि आप वर्तमान की तुलना प्राचीन समय से भी करें, तो पाएँगे कि यह एक अद्वितीय अवसर है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि भविष्य में भी इसके बराबर का अवसर नहीं होगा। इस संविधान में हम और सुधार कर सकते हैं और भविष्य में हम और भी बेहतर कार्य कर सकते हैं, किंतु इस संविधान की मौलिकता संभवतः किसी अन्य के लिए उपलब्धा नहीं होगी।

अंत में यद्यपि अपने आप में यह कम महत्वपूर्ण नहीं है कि यह संविधान दूसरे मामले में भी अद्वितीय है। महात्माजी के तरीके ने एक बार फिर सिद्धा कर दिया कि विरोधियों के प्रति दिखाई गई सद्भावना से सबसे प्रखर आलोचकों के मन को भी जीता जा सकता है और हमारे सामने उस उच्च आदर्श को यथार्थ में बदलने के उदाहरण मौजूद हैं, आजादी की प्राप्ति का श्रेय महात्माजी को जाता है और उसे संहिताबद्धा करने का श्रेय महात्माजी के प्रखर आलोचक अर्थात् हमारे महान संविधान के महान निर्माता, डॉ. अम्बेडकर को जाता है। महोदय, डॉ. केवल यही सभा नहीं बल्कि यह राष्ट्र भी डॉ. अम्बेडकर का कृतज्ञ है। उन्होंने और समिति के उनके सहयोगियों में पूरे विश्व में सर्वाधिक उपलब्धा अच्छी चीजें ढूँढने और इस दश की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें ढालने के लिए काफी मेहनत की है। जिस कुशलता के साथ उन लोगों ने इसका प्रारूप तैयार किया है और जिस कुशलता के साथ डॉ. अम्बेडकर ने इस प्रस्तुत किया है, केवल हम लोगों के द्वारा ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी भी कृतज्ञता के साथ याद रखेगी। मैं नहीं समझता कि इस संविधान को तैयार करने वाले ने यह दावा किया है कि यह अपने आप में पूर्ण है।

लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने बहुत हद तक इसे परिपूर्ण बनाने के लिए सच्चा और निष्ठापूर्वक प्रयास किया है जितना कि वर्तमान दशा में संभव था -

\* \* \* \* \*

**श्रीमती हंसा मेहता ( बंबई : जनरल ) :** किसी संविधान की अच्छाई या बुराई इस बात पर निर्भर करती है कि उसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है। यदि यह लोगों के हितों में कार्य करता है, तो यह एक अच्छा संविधान होगा: यदि इसका अन्यथा उपयोग किया जाएगा तो यह एक खराब संविधान होगा। यह तो भावी मतदाताओं पर निर्भर है कि वे सही किस्म के व्यक्तियों को निर्वाचित करके भेजें जो लोगों के हित में संविधान का उपयोग करेंगे। इसलिए जिम्मेदारी लोगों की है। फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जिन परिस्थितियों में हम लोग थे, हम इससे बेहतर संविधान तैयार नहीं कर सकते थे। सभा के अंदर इतने अलग-अलग विचार व्यक्त किए गए थे, वास्तव में यह एक चमत्कार ही है कि हम इस हद तक किसी बात पर सहमत हो पाए हैं, एक सिरे पर सेठ गोविंद दास थे, जो गायों के रक्षक हैं तो दूसरे सिरे पर प्रो. के. टी. , हारे हुए कुलों के रक्षक और बीच में इतने सारे अलग-अलग विचारधारा के लोग अंतिम वक्ता (श्री रोहिणी कुमार चौधरी) एक अच्छा उदाहरण देंगे -

**श्री लोकनाथ मिश्र :** यह मेरा विचार है कि हमारा संविधान आधुनिक विश्व के महान सभ्यता के दस्तावेज के रूप में जाना जाएगा। लेकिन मैं किसी किस्म की आत्म-प्रशंसा, प्रारूप समिति या माननीय सदस्यों या हमारे माननीय सभापति या किसी के लिए भी कोई प्रशंसा नहीं करना चाहूँगा। इसका कारण है कि हम सबने केवल अपना कर्तव्य निभाया है जितना हम कर सकते थे और हमारे परिश्रम का मूल्यांकन करना लोगों के हाथों में है -

\* \* \* \* \*

**श्री जदुवंश सहाय ( बिहार : जनरल ) :** महोदय, इस संविधान के विभिन्न पहलुओं के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है - तथ्य यही है कि हमारा राष्ट्र के रूप में जन्म हुआ है और हमें लोकतंत्र की कला सीखनी है। लोकतंत्र का पाठ किसी पुस्तक में नहीं पढ़ाया जाता है, उसका विकार करना पड़ता है। यह सब किसी राष्ट्र के चरित्र, निष्ठा ईमानदारी, लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति हमारे प्रेम और उनको पूरा करना और उनका पालन करने के हमारे उत्साह पर निर्भर करता है, जो किसी संविधान को बना या बिगाड़ सकता है। किसी देश का संविधान ठंडे अक्षरों पर निर्भर नहीं करता,

<sup>1</sup> सी.ए.डी., अधिकारिक प्रतिवेदन खंड ग, 21 नवंबर, 1949, पृष्ठ 788

<sup>1</sup> सी.ए.डी., अधिकारिक प्रतिवेदन खंड X, 22 नवंबर, 1949, पृष्ठ 797

<sup>2</sup> सी.ए.डी., अधिकारिक प्रतिवेदन खंड X, 22 नवंबर, 1949, पृष्ठ 800



चाहे कितने ही सुंदर ढंग से बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से पुस्तक मुद्रित की गई हो। इसका विकास और इसकी श्रीवशद्धि राष्ट्र के चरित्र पर निर्भर करती है—यह भूमि राष्ट्र का चरित्र है - जिस पर संविधान का बीज पनपता है। यदि मिट्टी चट्टानी है या वंजर है, तो निश्चय ही कितना भी अच्छा संविधान क्यों न हो, कितनी भी भव्य भाषा का इसमें प्रयोग किया गया हो, यह निश्चित है कि संविधान हमारे लक्ष्यों तक हमें नहीं पहुँचा सकता। लेकिन, महोदय मुझे अपने देश के लोगों की सहज बुद्धिमत्ता पर भरोसा है मुझे कल की आने वाली पीढ़ी पर भी भरोसा है और हमने जो कुछ किया है, उसमें कुछ भी निराशाजनक नहीं है। मैं समझता हूँ कि संविधान में दी गई किसी भी गारंटी या उसमें उल्लिखित त्रुटियों को दूर करने की बात से हम लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाएँगे। यह उन पर निर्भर करता है, जो संविधान का उपयोग करते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि हम सहनशीलता की भावना किस प्रकार विकसित करते हैं और यह संविधान या कानून के उपबंध पर निर्भर नहीं करता है। यह दलितों और जो लोग स्वयं को अल्पसंख्यक कहते हैं के प्रति प्रेम की भावना पर निर्भर करता है। हम संविधान में यह कानून बना सकते हैं कि छुआछूत की भावना लोगों के दिलों और घरों से मिटा दी गई है लेकिन उससे हम कहीं नहीं पहुँच पाएँगे। आपके अंदर उन लोगों के प्रति प्रेम और सहानुभूति होनी चाहिए जिसके पास कुछ नहीं है। यह संविधान या इसके अनुच्छेदों पर निर्भर नहीं करता है। यह हमारे अपने चरित्र, राष्ट्र के रूप में शक्ति पर निर्भर करता है।

**श्री गोपाल नारायण ( संयुक्त प्रांत: जनरल ) :** सभापति महोदय, गत तीन वर्षों के दौरान जब संविधान तैयार हो रहा था, मैं एक शांत और मौन दर्शक बना रहा। मैंने केवल दोबारा अपना मौन तोड़ा। लेकिन अंतिम और तीसरे पठन के चरण में मैं खुले तौर पर सादगी और साहस के साथ अपना विचार प्रकट करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं डॉ. अम्बेडकर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को इतना विस्तृत संविधान तैयार करने के लिए बधाई देता हूँ जिसमें कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। यहाँ तक कि इसमें मूल्य नियंत्रण को भी शामिल किया गया है। मैं यह सोचता हूँ कि यदि उनके पास सतमय होता, तो उन लोगों ने इस संविधान में जीवन की संहिता भी निर्धारित कर दी होती। महोदय डॉ. अम्बेडकर के लिए एक बात कहना चाहूँगा। इसमें कोई संशय नहीं है, कि उनका व्यक्तित्व सरसता और स्पष्टता से भरा हुआ है। उन्होंने अपने नाम बनाया है -

\* \* \* \* \*

<sup>2</sup>श्री अजीत प्रसाद जैन ( संयुक्त प्रांत : जनरल ) : सभापति महोदय, जीवन में एक ही बार कोई राष्ट्र स्वयं के लिए संविधान तैयार करने का निर्णय लेता है और इस संविधान को तैयार करने में हम लोगों ने जो भाग लिया है, उसके कारण ही हमें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। भारत के इतिहास में, महानता तथा गौरव के क्षण आए हैं, महान साम्राज्यों के क्षण आए हैं और साम्राज्य विस्तार, उदारता और अच्छे राजाओं के क्षण आए हैं, लेकिन कभी भी हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ कि लोगों के लिए संविधान बनाए गए हो। आगे बढ़ते हुए यह जरूरी है कि हम डॉ. अम्बेडकर और प्रारूप समिति जो लगातार कई दिनों तक बैठते रहे और परिश्रम करते रहे, का धान्यवाद करें -

<sup>3</sup>श्री एच.वी. कृष्णामूर्ति राव ( मैसूर राज्य ) : सभापति महोदय, आपके सुयोग्य मार्गदर्शन में इस संविधान को तैयार करने के कार्य से मुझे जुड़ने का जो अवसर मिला उसे मैं एक बड़ा विशेषाधिकार मानता हूँ और मैं आपके सामने प्रारूप समिति के अध्यक्ष और सदस्यों ने जो सौंपे गए कार्यों का इतने उत्कृष्ट ढंग से पूरा किया है, उसकी विनम्र प्रशंसा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिस समय की कमी और भारी दबाव तथा परिस्थितियों के अंदर उन लोगों ने इस कार्य को पूरा किया है, कोई भी दूसरी समिति या कोई दूसरा निकाय हमें इससे बेहतर संविधान नहीं दे सकता था -

\* \* \* \* \*

<sup>1</sup>श्री थिरुमालाराव : हम जिस भी स्थिति में हों, हमारे हाथों में एक संविधान है, जो उन व्यक्तियों के लिए सर्वोत्तम साधन का काम करेगा जो इसका उपयोग करेंगे, विधायक और मंत्री द्वारा इन कानूनों का चुना किया जाएगा। मेरा यह कहना कि अगले कुछ वर्षों के लिए अधिकतर यह प्रधानमंत्रियों पर निर्भर करेगा कि इस संविधान का अधिक से अधिक लाभ उठाया जाए। महोदय, हमने अपने राष्ट्रचिह्न के रूप में चक्र का सही चुनाव किया है क्योंकि यह अशोक काल का ऐतिहासिक अवशेष है। इस चक्र का अर्थ बताते हुए, पूर्वी सभ्यता के प्रख्यात विद्वान राइस डेविड ने कहा है कि यह चक्र सत्य और धर्म के सार्वभौमिक साम्राज्य के राजसी रथ के चक्का को घुमाते रहने के लिए आशंचित है। कोई भी देश जो मौलिक नैतिक सिद्धांतों जिस पर वह टिका रहता

<sup>2</sup> वही, पृष्ठ 805

<sup>3</sup> वही, पृष्ठ 809

<sup>1</sup> सी.ए.डी. अधिकारिक प्रतिवेदन, खंड X 18 नवंबर 1949, पृष्ठ 820

है, से अलग हट जाए तो उसका कोई भविष्य नहीं होता है। लेकिन इस देश ने प्राचीन परंपराओं और आदर्शों का ध्यान रखते हुए चक्र का सही चुनाव किया है जिसे अशोक का धर्म चक्र कहा जाता है और महात्मा गांधी में इस चक्र को आशीर्वाद दिया है इस राष्ट्र के ऊपर चक्कर काटती उनकी आत्मा और हमारे ध्वज के इस प्रतीक चिह्न के कारण इस सभा और भावी नेताओं का यह कर्तव्य बनता है कि वे कांग्रेस की नीतियों को बनाए रखें तथा इस राष्ट्र की नियति को पूरा करें।

<sup>2</sup>श्री अरि बहादुर गुरूंग ( पश्चिमी बंगाल : जनरल ) : सभापति महोदय, मैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष को बधाई देने में अपने सहयोगियों के साथ सहबद्ध करता हूँ -

ज्ञानी गुरूमुख सिंह मुसाफिर ( पूर्वी पंजाब : सिक्ख ) : एक और शब्द कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। प्रारूप तैयार करने में डॉ. अम्बेडकर और प्रारूप समितियों के सदस्यों ने काफी मेहनत की है। वे लोग इतने कम समय में और इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर इस प्रारूप को तैयार करने के लिए हमारे बधाई के पात्र हैं -

<sup>1</sup>श्री आर.वी. धुलेकर ( संयुक्त प्रांत : जनरल ) : सभापति महोदय, मैं डॉ. अम्बेडकर द्वारा इस सभा के समक्ष रखे गए संकल्प के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। इन तीन वर्षों में संविधान पर विस्तार से चर्चा की गई है और इसलिए संविधान में मौजूद सभी दोषों और अच्छाइयों के बारे में चर्चा करने का समय नहीं रहा। मुझे संतोष है कि कुल मिलाकर यह एक अच्छा संविधान है। हर कोई जानता है कि दूधा में 75 प्रतिशत से अधिक पानी होता है और यदि संतुलन अच्छा है, तो यह हमारे शरीर का रख-रखाव करता है और इसे शक्ति प्रदान करता है। यह लंबा जीवन देता है ...

अंत में, सभापति महोदय मैं आपके और डा. अम्बेडकर के लिए हृदय से धान्यवाद करता हूँ। हमारे सामने एक बड़ा कार्य था। डॉ. अम्बेडकर ने बहुत बड़ा कार्य किया है। मैं इसे हरकुलियन का कार्य नहीं कहूँगा क्योंकि वह शब्द भी इस बड़े कार्य के लिए छोटा पड़ जाता है। उन्होंने महान पांडव भीम के समान और अपने नाम भीमराव अम्बेडकर के अनुरूप महान कार्य किया है - उन्होंने निश्चय ही अपने नाम भीमराव

<sup>2</sup> वही, पृष्ठ 821

<sup>3</sup> वही, पृष्ठ 825

<sup>1</sup> सी.ए.डी. अधिकारिक प्रतिवेदन, खंड X 18 नवंबर 1949, पृष्ठ 826

को सही ठहरा दिया है और उन्होंने स्पष्ट अंतर्दृष्टि, विचारों और भाषा की स्पष्टता के साथ इस कार्य को पूरा किया है। पूरी प्रक्रिया के दौरान, वह बहुत स्पष्ट रहे हैं। उन्होंने हमेशा ही विरोधी के विचारों को समझने की कोशिश की है और उन्हें स्थान देने का प्रयत्न किया है तथा हमेशा ही उन्होंने अति स्पष्ट भाषा में अपने विचार प्रकट किए हैं। हम लोग उनके काफी आभारी हैं...

\* \* \* \* \*

<sup>2</sup>श्री बी.पी. झुनझुनवाला ( बिहार : जनरल ) : सभापति महोदय, इस संविधान की विभिन्न प्रकार से आलोचना की गई है और एक आलोचना में तो प्रारूप समिति पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने भारत सरकार अधिनियम 1935 को अंगीकार करने से अधिक कुछ भी नहीं किया है। यदि प्रारूप समिति की इस प्रकार से आलोचना की जाए, तो मैं यही कहूँगा कि यह बड़ी ही कृतज्ञतापूर्ण आलोचना है। दूसरी ओर मैं तो यह कहूँगा कि कोई भी अनुच्छेद स्वीकार करने पूर्व प्रारूप समिति ने विश्व के सभी संविधानों का अध्ययन करने और सैद्धांतिक दृष्टि से काफी सावधानी पूर्वक सभी संशोधनों पर गौर करने हेतु काफी मेहनत की है। यदि उन लोगों ने किन्हीं सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया है, तो इसका कारण यह नहीं है कि ये सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम में मौजूद नहीं थे, यद्यपि वे सिद्धांत लागू होने योग्य और सही भी थे, किंतु वर्तमान दशा के अंदर व्यावहारिक तौर पर उन्हें लागू नहीं किया जा सकता था....

\* \* \* \* \*

<sup>1</sup>श्री आलादी कृष्णास्वामी अय्यर : ( मद्रास : जनरल ) : महोदय संविधान को स्वीकार करने के लिए माननीय डॉ. अम्बेडकर के प्रस्ताव के समर्थन में मैं सभा का कुछ समय लेना चाहता हूँ। इस सभा द्वारा नियुक्त की गई विभिन्न समितियों की सिफारिश और प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत मूल प्रारूप तथा बाद में प्रस्तुत संशोधित प्रारूप के अनुसरण में संविधान सभा ने यह संविधान तैयार किया है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अंतिम रूप से तैयार संविधान वास्तव में उन्हीं उद्देश्यपरक संकल्पों की भावना को दर्शाता है जिसके आधार पर सभा ने अपना कार्य प्रारंभ किया था और संविधान की प्रस्तावना जो कि उद्देश्यपरक संकल्प पर मुख्य रूप से आधारित है....

<sup>2</sup> वही, पृष्ठ 828-829

<sup>1</sup> सी.ए.डी. अधिकारिक प्रतिवेदन, खंड X, 23 नवंबर 1949, पृष्ठ 840-841

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व यदि मैं अपने मित्र माननीय डॉ. अम्बेडकर ने जिस दक्षता और योग्यता के साथ यह संविधान तैयार किया है और प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में अथक परिश्रम किया है, के लिए प्रशंसा के शब्द नहीं कहूँगा तो मैं अपने कर्तव्य में किल रहूँगा बाद में मैं जानता हूँ बाद मेरे मित्र श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ने उनकी योग्यतापूर्वक सहायता की।

\* \* \* \* \*

यदि मैं सर बी.एन. राव की सेवाओं और संयुक्त सचिव, श्री मुखर्जी और उनके सहयोगियों की अथक ऊर्जा, धैर्य, योग्यता और मेहनत के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त नहीं करूँ तो मैं अपने कर्तव्य में चूक करूँगा।

अंत में महोदय, मुझे क्षमा करेंगे, यदि मैं इस सभा में आपके कुछ कार्यों का संदर्भ दूँ क्योंकि इससे चापलूसी से बचा जा सकेगा। आपने इस देश की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दिया है और यह आपका सिरमौर कार्य है। आपसे ज्यादा आदर और प्यार किसी भी व्यक्ति को नहीं मिला है और आप इस सभा के मूल्यवान सभापति हैं, इस बात को आपने अपने कार्य से दर्शा दिया है। मैं विशेषकर आपका आभारी हूँ क्योंकि मेरे खराब स्वास्थ्य के मद्देनजर आपने मुझे अपनी सीट पर बैठे-बैठे बोलने की अनुमति देने की कृपा की है और मैं इस सभा के सदस्यों का भी आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इस संबंध में सहयोग दिया है। मुझे इस बात से कुछ सांत्वना मिलती है कि इस सभा की विभिन्न समितियों और कार्य में मेरा थोड़ा बहुत उपयोग हो सका है (हँसी)....

**श्री हैदर हुसैन :** इस संविधान के विभिन्न उपबंधों की आलोचना करने की अवस्था नहीं आई है, न ही समय आया है। इस हॉल के बाहर और भीतर इसकी काफी आलोचना हो चुकी है। मेरा उत्तर तो यह है कि इस देश में उपलब्ध प्रतिभा द्वारा यही सर्वोत्तम संविधान प्रस्तुत किया जा सकता था और यदि हमें कुछ और अधिक उम्मीद करनी है, तो हमें अधिक बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति इस धारती पर पैदा करने पड़ेंगे यदि निकट भविष्य में ऐसा करना संभव हो। तथापि, मैं यह कहने के लिए बाधय हूँ कि यह जो हमारे सामने संविधान मौजूद है, उस पर राष्ट्र गर्व कर सकता है। तो फिर, हमें बिना किसी बौद्धिक आपत्ति के इसे अपना पूर्ण समर्थन देने की शपथ लेनी चाहिए। हम राजनीतिक आजादी प्राप्त कर चुके हैं और देश का आर्थिक उत्थान करने में आज समय की जरूरत है क्योंकि इसी एक मात्र उद्देश्य के लिए स्वतंत्रता का संघर्ष किया गया था। इस कार्य में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष से भी अधिक परिश्रम, अधिक कार्य करने

<sup>1</sup> सी.ए.डी. अधिकारिक प्रतिवेदन, खंड X, 23 नवंबर 1949, पृष्ठ 842

और अधिक त्याग करने की जरूरत है। किसी वस्तु का निर्माण करने की अपेक्षा उसे नष्ट करना कहीं आसान होता है। देश में गुलामी का भार समाप्त होने के साथ ही हमारे समक्ष रचनात्मक कार्यों के लिए पूरा अवसर मौजूद है फिर हमें अपने भारत का निर्माण करने में जुट जाना चाहिए जिससे इसका प्राचीन मूल्य लौ आए तथा भविष्य गौरवपूर्ण हो सके -

\* \* \* \* \*

**श्री बी.एम. गुप्ते :** आखिरकार, किसी संविधान का मूल्यांकन महज उसके प्रयुक्त शब्दों या कागज के आधार पर नहीं हो सकता। अतः न तो संविधान और न ही उसे बनाने वाले का महत्व होता है, बल्कि जिन लोगों के लिए संविधान बनाया गया है और तथा जिस भावना के साथ उसका उपयोग किया जाता है, उसका महत्व होता है। कोई भी संविधान कागज पर अच्छा हो सकता है, लेकिन इसकी सफलता इस पर निर्भर करती है कि लागू किस प्रकार से किया जाता है....

प्रारम्भिक कठिनाइयों और यदा-कदा हुई त्रुटियों के बावजूद, मैं आमतौर पर यह आशा करता हूँ कि अंततः आम आदमी की सामान्य सोच की ही जीत होगी। हमारा कार्य केवल साधन तैयार करना था। इसका उपयोग करना दूसरों की जिम्मेदारी है। जहाँ तक मैं देख सकता हूँ कि हम निश्चय ही दावा कर सकते हैं कि हमने अपनी सर्वोत्तम योग्यता के साथ और अपनी सर्वोत्तम दृष्टि से इसे तैयार किया है। यह एक साधन है जिसका समुचित उपयोग हो सकता है। और इसे समुचित रूप से लचीला बनाया जा सकता है। यह सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करता है। यदि हम इस संविधान के उपबंधों का अध्ययन करें, तो हम पाएँगे कि प्रारूप समिति की एक प्रमुख चिंता नए देश की सुरक्षा को लेकर भी है। इसलिए, इस संविधान में प्रगति को बाधित किए बिना सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित की गई है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के बिना हस्तक्षेप किए हुए सामुहिक हित को बढ़ावा देता है। लेकिन, मेरी राय में, संविधान की वास्तविक जाँच इस बात से हो सकेगी कि क्या विगत में पीढ़ी दर पीढ़ी पीड़ित होते रहे आम आदमी की दुर्दशा में तेजी से सुधार लाने में सक्षम है। यदि यह संविधान आम आदमी के लिए कुछ भी सांत्वना लाता है, तो निश्चय ही इसे तैयार करने में जो मैंने सहयोग दिया है, उस पर गौरवान्वित महसूस करूँगा।

\* \* \* \* \*

**श्री बलवंत सिन्हा मेहता :** तथ्य तो यह है कि हमारे द्वारा तैयार किया गया संविधान न सिर्फ विस्तृत है बल्कि बहुत अच्छा भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि विदेशों के लोग जब देखेंगे कि हमने स्वयं के लिए कितना अच्छा संविधान तैयार किया है, तो वे आश्चर्य करेंगे। इस महती सभा के सभी सदस्यों और प्रारूप समिति के सदस्यों विशेषकर डॉ. अम्बेडकर, टी.टी. कृष्णामाचारी, श्री आलादी कृष्णा स्वामी और अन्य ने संविधान को समुचित रूप देने के लिए काफी परिश्रम किया है। मेरा मानना है कि ये सभी सज्जन हमारी प्रशंसा के पात्र हैं, हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। हम पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और अन्य कांग्रेस नेताओं तथा शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं।

\* \* \* \* \*

**सरदार सुचेत सिंह :** हमारे संविधान में सभापति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की उच्च कोटि की भलमनसाहत, पंडित जवाहर लाल नेहरू की सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि, सरदार बल्लभभाई पटेल की कभी न धोखा खाने वाली विवेकसम्मत दृष्टि और शक्ति, डॉ. पट्टाभि सीता रमैया की प्रखर और तीक्ष्ण बौद्धिकता, डॉ. अम्बेडकर का पांडित्य और परिश्रम और सबसे अधिक, राष्ट्रपति हमारे पूज्यनीय महात्मा गांधी का पितातुल्य आशीर्वाद और दैवी प्रेरणा झलकती है। मैं आशा तथा प्रार्थना करता हूँ कि हमारे लाखों देशवासियों का यह अति महत्वपूर्ण स्वतंत्रता का चार्टर न सिर्फ इस देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए शांति समृद्धि और खुशी लाने में विफल नहीं रहेगा। (सदस्यों ने खुशी प्रकट की)

**श्री टी.जे. एम. विल्सन ( मद्रास : जनरल ) :** सभापति महोदय, मैं भी आपको राष्ट्रपति जी और इस संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष और सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ...

“मैं संविधान की इस आलोचना पर आता हूँ कि इसमें आम आदमी के लिए कुछ भी उपबंध नहीं किया गया है, इसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय का उपबंध नहीं किया गया है। महोदय, मेरा यह कहना है कि यह एक गलत आलोचना है क्योंकि यह संविधान के दायरे की गलत अवधारणा पर आधारित है। संविधान एक सीमित दायरा होता है इसका मुख्य कार्य सरकार को मशीनरी प्रदान करना है, चाहे उसका स्वरूप कुछ

<sup>1</sup> सी.ए.डी. अधिकारिक प्रतिवेदन, खंड X, 23 नवंबर 1949, पृष्ठ 461

<sup>2</sup> वही, पृष्ठ 855-856

<sup>1</sup> सी.ए.डी. अधिकारिक प्रतिवेदन, खंड X, 23 नवंबर 1949, पृष्ठ 856

भी हो। कतिपय अध्यायों में वही विशेषाधिकार या अधिकार रखे गए हैं, हमने अब तक प्राप्त कर लिए हैं। संविधान में केवल उन्हीं अधिकारों को अंतर्विष्ट और मंजूरी दी जाती है, जो प्राप्त हो चुके हैं। यही मूल अवधारणा है, जिस पर मैं जोर देना चाहता हूँ क्योंकि अन्यथा यदि हमने संविधान में कतिपय ऐसे अधिकार अंतर्निष्ठ कर दिए हैं जो अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं, तो फिर हम, दश की एक मिथ्या, भ्रामक और ढोंगपूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करेंगे और सबसे बड़ी बात फिर वह संविधान कार्य नहीं कर सकेगा। इसलिए, संविधान का सीमित प्रयोजन होता है और फिर भी संविधान में कतिपय खराब उपबंध होते हुए भी जैसे कि संपत्ति को मूलाधिकार के रूप में संरक्षित करने का उपबंध यह देश में समाजवाद लाने से नहीं रोकेंगा जैसा कि श्री संधानम ने कहा है...

@ श्री धरनीधर बसु मतारी ( असम : जनरल ) : सभापति महोदय, मैं यह समझता हूँ कि मैं अपने गृह राज्य असम लौटने से पूर्व डॉ. अम्बेडकर तथा प्रारूप समिति को इस संविधान का निर्माण करने की जो महान उपलब्धि हासिल की है, उसके लिए अपनी शुभकामना देना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ मेरा यह कहना गलत नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास आलोचना करने के लिए कोई न कोई आधार मौजूद है अथवा उनकी कोई शिकायत रह गई है। संविधान सभी दृष्टि से प्रत्येक वर्ग को संतुष्ट नहीं करता है और वह कर भी नहीं सकता है, लेकिन अखिल भारतीय दृष्टिकोण से हर चीज को देखें तो संविधान निराशजनक भी नहीं है बल्कि वास्तव में विभाजन के बाद की कठिन परिस्थितियों में इससे बढ़िया संविधान तैयार कर पाना संभव भी नहीं था। संविधान में, इसके अनुच्छेदों में, इसकी अनुसूचियों के कुछ ठंडे ढंग से मुद्रित कर दिया गया है, उसका ही महत्व नहीं होता। निश्चय वह भावना महत्वपूर्ण होती है जिसके साथ संविधान को लागू भी किया जाता है। सभी वर्गों के लोग ईमानदारी और स्वार्थरहित होकर सहयोग करें, तो मुझे पूरा विश्वास है कि भारत सही दिशा में प्रगति करेगा।

श्री अरि बहादुर गुरूंग : सभापति महोदय, मैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को इस विलक्षण कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए बधाई देने के क्रम में स्वयं को अन्य सहयोगियों के साथ सहबद्ध करता हूँ।

मुझे बहुत कम बातें कहनी हैं। सबसे पहले तो यह कि संविधान की यह आलोचना कि इसमें समाजवाद की स्थापना के लिए उपबंध नहीं किया गया है, उतनी

<sup>1</sup> सी.ए.डी. अधिकारिक प्रतिवेदन, खंड X, 23 नवंबर 1949, पृष्ठ 856

@ वही पृष्ठ 867



ही तर्कहीन है जितनी कि यह शिकायत बेकार कि इसमें अधिनायकवाद पनपने का खुला विकल्प है। लोकतंत्र की सही जाँच लोगों को यह निर्णय करने का अधिकार देने में है कि वे सरकार को कौन सा स्वरूप पसंद करेंगे। अधिनायकवाद या सर्वहारा साम्यवाद का प्रश्न पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि लोग किस तरह से संविधान का उपयोग करते हैं। संविधान लोगों की इच्छा के अनुरूप निरंतर संशोधनों के विषयाधीन रहेगा। संविधान में ऐसे उपबंध पहले ही किए जा चुके हैं। महोदय, वैयक्तिक तौर पर मेरा मानना है कि संविधान का चरित्र पवित्र होता है जिससे भावी पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती है। इसमें जीवंत विश्वास और दर्शन का समावेश है। इसलिए हमें इस ब्रह्मवाक्य को नहीं भूलना चाहिए ....

\* \* \* \* \*

**श्री मणिक्य लाल वर्मा ( राजस्थान का संयुक्त प्रांत ) :** सभापति महोदय, सबसे पहले, मैं इस अवसर पर माननीय डॉ. अम्बेडकर और इस सभा के सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ ....

\* \* \* \* \*

**श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी ( संयुक्त प्रांत : जनरल ) :** महोदय, एक ही बात की थोड़ी सी पुनरावृत्ति करते हुए, सबसे पहले मैं प्रारूप समिति के सदस्यों आपको और उन सभी लोगों जिन्होंने इस संविधान को तैयार करने के विभिन्न चरणों में इतनी महत्वपूर्ण और अनिवार्य भूमिका निभाई है, का धन्यवाद करने हेतु अपने सहयोगियों के साथ स्वयं को सहबद्ध करती हूँ। किसी के प्रति बिना कोई पक्षपातपूर्ण वैमनस्यता रखे हुए, मैं इस सभा में पीछे बैठने वाले लोगों की ओर से आपका विशेष तौर पर धन्यवाद करती हूँ क्योंकि संविधान पारित होने के विभिन्न चरणों में जब कभी हमने संविधान के कतिपय खंडों के संबंध सही या गलत शंकाएँ व्यक्त की, आपने हमारी ओर से अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए प्रारूप समिति से इन शंकाओं का निवारण कराया। ने कौसी संस्था स्थापित की है, लोग किस प्रकार से रहना चाहते हैं, वहाँ किस प्रकार की राजनैतिक व्यवस्थाएँ हैं जिसके अधीन वे अपने निर्णय का प्रयोग करते हैं और भविष्य के लिए लोगों की क्या आशाएँ और आकांक्षाएँ हैं।

\* \* \* \* \*

<sup>1</sup> सी.ए.डी. अधिकारिक प्रतिवेदन, खंड X, 23 नवंबर 1949, पृष्ठ 868

<sup>2</sup> वही, पृष्ठ 607-608

**२श्री के.एम. जेधे ( बंबई : जनरल ) :** सभापति महोदय, मैं यहाँ डॉ. अम्बेडकर और उनके सहयोगियों को भारत के लिए संविधान का निर्माण करने में जो कठिन परिश्रम किए हैं, उसके लिए बधाई देने हेतु खड़ा हूँ। हमने इस महान कार्य को पूरा करने में लगभग तीन वर्ष लगाए हैं।

कुछ सदस्यों ने डॉ. अम्बेडकर को बधाई देते हुए उन्हें वर्तमान मनु की संज्ञा दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि वह इस विशेषण को पसंद नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ कि वह मनु से घृणा करते हैं, जिसने चार वर्णों का निर्माण किया है, सबसे निचले वर्ण में अछूत वर्ग के लोग आते हैं। मुझे याद है कि उन्होंने 1929 में महार में अछूतों की एक विशाल सभा में सार्वजनिक तौर पर मनुस्मृति को जलाया था। वह हरिजनों के महान नेता हैं। और उन्हें उनका मसीहा कहा जाता है और उन्हें एक भगवान की तरह पूजा जाता है। उन लोगों को उन पर बड़ा ही गर्व है वे लोग उन्होंने भीम स्मृति तैयार की है। मैं भी इसे भी स्मृति कहता हूँ। यद्यपि मैं स्पर्श वर्ग से आता हूँ। डॉ. अम्बेडकर एक महान वकील हैं और काफी सुयोग्य और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। किसी को भी इसमें संशय नहीं है। कानून के द्वारा छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है और संविधान का निर्माण करते समय डॉ. अम्बेडकर ने हरिजनों के हितों की रक्षा करने में काफी रुचि ली। साथ ही, हमें अपने राष्ट्रपिता, महात्मा गाँधी जिन्होंने हमें आजादी दिलाई के प्रति भी आभारी होना चाहिए। उनकी बड़ी इच्छा थी कि हरिजनों को स्पर्श के स्तर तक ले आया जाए। अपनी इस बड़ी इच्छा को पूरा होते देखने और हमें आशीर्वाद देने हेतु वह आज हमारे बीच नहीं हैं क्योंकि वह एक क्रूर और दुष्टों के षडयंत्र के शिकार हो गए...

**१श्री जयपाल सिंह ( बिहार : जनरल ) :** सभापति महोदय, मैं डॉ. अम्बेडकर और उनकी कड़ी परिश्रमी टीम ने नए संविधान बनाने का जो दुष्कर कार्य किया है, उसके लिए एक ही बात न दुहराने की आपकी सलाह की उपेक्षा करते हुए मैं उन लोगों के प्रति अपनी बिना शर्त श्रद्धा व्यक्त करता हूँ। महोदय, मैं विनम्रता पूर्वक यह भी कहूँगा कि आपने हमारे विचार विमर्श की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने में जिस असीम धैर्य का परिचय दिया है।

**२श्री धानु पिल्लै :** ... अंत में महोदय, मैंने जो कुछ इस सभा की प्रक्रिया देखी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने जो धैर्य दर्शाया है, उसे देखकर मैं चकित हूँ। यदि चंद्रमा के साथ हमारे वार्तालाप करने का भी प्रश्न होता, और यदि नियम इसकी अनुमति देता तो आप उस पर मतदान कराने के लिए तैयार हो जाते।

<sup>1</sup> सी.ए.डी. अधिकारिक प्रतिवेदन, खंड X, 21 नवंबर 1949, पृष्ठ 818

<sup>2</sup> वही, पृष्ठ 890

<sup>2</sup> वही, पृष्ठ 898

(2) हमने आप में इस हद तक धैर्य देखा है। मुझे उन सभी संबंधित लोगों डॉ. अम्बेडकर और श्री आलादी कृष्णा स्वामी अय्यर की योग्यता के लिए संविधान के निर्माण में श्री एम.टी. कृष्णमाचारी और श्री संथानम तथा दूसरों के द्वारा दर्शाई गई गहरी रुचि के लिए धन्यवाद के एक शब्द कहने की अनुमति दी जाए - जब मैंने इन कुछेक नामों का उल्लेख किया है, तो उसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि अन्य नाम हैं ही नहीं जिनका उल्लेख किया जाए। प्रत्येक संबंधित व्यक्ति ने बहुत अच्छा कार्य किया है....

**श्री ओ.वी. अलागोसन ( मद्रास : जनरल ) :** सभापति महोदय, प्रारूप समिति और इससे जुड़े सभी लोगों को उनकी मेहनत के लिए बधाई दी गई है और हम लोग निश्चय ही संविधान के उपबंधों के बारे में बिल्कुल स्पष्ट तरीके से स्पष्टीकरण देने वाले डॉ. अम्बेडकर की बुलंद आवाज तथा अपने मित्र श्री टी.टी. कृष्णमाचारी जिनके संविधान बनाने में दिए गए योगदान को सभी स्वीकार करते हैं, की भी तेज आवाज सुनने से वंचित हो जाएँगे....

.....महोदय, दूसरा आरोप यह है कि यह संविधान नियंत्रणों और रक्षाउपायों से भरा पड़ा है और यह व्यक्ति की आजादी तथा राज्य की स्वायत्ता को प्रतिबंधित करता है। मैं इसे इतने हल्के में नहीं लेता। ये रक्षा उपाय केवल बाड़ के रूप में लगाए गए हैं जिसका आशय नवजात आजादी और लोकतंत्र को आवारा पशुओं से बचाया जाए। उदाहरण के लिए एक बात यह नहीं कह सकता कि उन भेड़ों को मारकर ले जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यह मेरा उत्तर है जब यह कहा जाता है कि नागरिक स्वतंत्रता खतरे में है और ये सभी उपबंध उठाए जाने लगते हैं।

महोदय, इस संविधान के अधीन एक पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र की मजबूत और सच्ची नींव रखी गई है और यदि हम स्वयं के प्रति, अपनी परम्पराओं के प्रति और अपने नेता महात्मा गांधी के प्रति सच्चे हैं, जो हम सुरक्षित रूप से आशा कर सकते हैं कि हम प्रगति की राह पर चलते जाएँगे और इस प्राचीन भूमि के लिए इस संविधान को वरदान बना देंगे।

\* \* \* \* \*

**श्री एल. कृष्णस्वामी भारती :** महोदय, भारत के इतिहास के किसी भी काल में इतनी सारी यादगार घटनाएँ नहीं हुई हैं जितनी विगत के तीन वर्षों के काल में

<sup>1</sup> सी.ए.डी. अधिकारिक प्रतिवेदन, खंड X, 23 नवंबर 1949, पृष्ठ 894

<sup>1</sup> वही, पृष्ठ 901

हुई हैं। विगत के तीन वर्षों पर गौर करें जबसे हमने इस संविधान का निर्माण करने का विलक्षण कार्य शुरु किया तो हमारे देश के इतिहास में जो दूरगामी परिवर्तन हुए हैं, उसे देखकर कोई भी चकित हो सकता है।

घटना से भरे इस काल के दौरान पाँच यादगार घटनाएँ हुई हैं जो काफी महत्वपूर्ण और बड़ी घटनाएँ हैं। क्रमवार वे घटनाएँ इस प्रकार हैं। हमारे 1. देश का विभाजन 2. आजादी की प्राप्ति 3. राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी का निधन 4. भारतीय रियासतों का एकीकरण और अंत में जो कि कम महत्वपूर्ण नहीं है, स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण....

\* \* \* \* \*

**श्री सारंगधर दास :** मैं अपने अधिकतर मित्रों विशेषकर हिंदू मित्रों जो सरकार की गणतांत्रिक प्रणाली अर्थात् हमारे प्राचीन हिंदू राज्य में मौजूद गणतंत्रों में विचरण करते रहते हैं, के अस्तित्व के मामले में असहमति व्यक्त करता हूँ। हमारा कहना यह है कि हमारे निचले वर्गों हमारे समाज की निचली जातियों, जिन्हें हम हरिजन कहकर पुकारते हैं, जिन्हें हमेशा ही दबाकर रखा गया है। परिणामतः उस समय लोकतंत्र नहीं था। यदि लोकतंत्र था भी, गणतंत्र था भी, तो वह केवल उच्च वर्गों जिन्हें हम उच्च जाति कहते हैं, के बीच में ही व्याप्त था। यदि आप संविधान को इस दृष्टि से देखें तो, मेरे विचार से छुआछूत समाप्त करना तथा व्यस्क मताधिकार लागू करना दो अति सुंदर तत्व हैं जिन्हें इस संविधान में शामिल किया गया है। महोदय, मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूँ कि अमेरिकी संविधान में मताधिकार केवल स्वतंत्र श्वेत नागरिकों को ही दिया गया था क्योंकि उन दिनों श्वेत लोग भी गुलाम थे, जो वेस्टइंडीज और कैरिबियाई द्वीप समूह गुलामों की तरह कार्यरत थे। उन लोगों को मताधिकार से वंचित किया गया है। काले, बशी लोग तो किसी गिनती में ही नहीं थे। उन लोगों को मताधिकार का अधिकार अब्राहम लिंकन के काल में दिया गया था। अतः मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे संविधान में व्यस्क मताधिकार, महिलाओं का समानता और छुआछूत की समाप्ति को स्वीकार किया गया है, संविधान में ये तीन अति सुंदर चीजें हैं।

\* \* \* \* \*

**श्रीमती अम्मु स्वामीनाथन :** हम डॉ. अम्बेडकर और प्रारूप समिति के सदस्यों और संविधान सभा के सचिवालय को इतने सारे सप्ताहों और महीनों तक

<sup>1</sup> सी.ए.डी. अधिकारिक प्रतिवेदन, खंड X<sub>1</sub> 23 नवंबर 1949, पृष्ठ 901

<sup>2</sup> वही, पृष्ठ 913

अत्यधिक परिश्रम भरे कार्य करने के लिए शुभकामना देने हैं। मैं जानती हूँ कि उनका कार्य आसान नहीं रहा है लेकिन वे लोग सभी कठिनाइयों से उबरने में सफल रहे और इस प्रकार आज हम अपने देश के इस महान संविधान के पारित होने की पूर्व संध्या पर ....

\* \* \* \* \*

<sup>2</sup>श्री एल.एस. भाटकर ( सी.सी. और बरार : जनरल ) : @[सभापति महोदय, मैं डॉ. अम्बेडकर और प्रारूप समिति के अन्य सदस्यों का हमारे देश को आजादी मिलने के बाद इतने अधिक परिश्रम से कार्य करके इस प्रारूप संविधान तैयार करने के लिए बधाई देता हूँ..... अनुच्छेद 17 छुआछूत की समाप्ति का उपबंध करता है जिसके लिए, मैं प्रारूप समिति को बधाई देता हूँ..... + अनुच्छेद 338 अनुसूचित जातियों के लिए न्याय देने का उल्लेख करता है, सभापति महोदय मैं आपको सेवाओं में हरिजनों की स्थिति के बारे में बताना चाहता हूँ, जो नीचे दिया गया है :

@हिंदुस्तानी भाषा में दिए गए भाषण का अनुवाद

<sup>1</sup> सी.ए.डी. अधिकारिक प्रतिवेदन, खंड X, 24 नवंबर 1949, पृष्ठ 914

<sup>2</sup> वही, पृष्ठ 915

सी. पी. बरार

जातियाँ	जनसंख्या	राजपत्रित पद
(1)	(2)	(3)
ब्राह्ममण	5,42,556	448
मराठा और अन्य	18,82,654	17
अनुसूचित जातियाँ	30,51,413	3
मुस्लिम	7,83,697	99
सिक्ख	14,996	13
		580

श्री आर.एम. नलवाडे द्वारा बंबई विधानसभा में पूछे गए प्रश्न को उत्तर देते हुए माननीय श्री बी.जी. खेर ने निम्नलिखित आँकड़े दिए :

समुदाय	१९३१ में जनसंख्या	राजपत्रित अधिकारियों की संख्या	अराजपत्रित अधिकारियों अर्थात् लिपिकों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
शोषित वर्ग	18,55,148	14	8,201
मराठा और			
अन्य	42,07,159	606	43,360
ब्राह्ममण	9,18,120	1370	21,448
मुस्लिम	19,20,368	201	13,797
अन्य	--	886	18,658

यह कुछ उपबंध किए जाने की आवश्यकता को स्पष्टतया दर्शाता है जिसमें यह आश्वासन दिया जाए कि ऐसा अन्याय और आगे नहीं होगा तथा समाप्त करने के लिए त्वरित कार्रवाई की जाएगी। मैं भारत सरकार तथा प्रांतीय सरकारों से हरिजनों के कल्याण के लिए और उन्हें भर्ती करने के लिए उनकी जनसंख्या के अनुसार सेवाओं में भर्ती करने हेतु अनुच्छेद 338 को लागू किया जाए....

\* \* \* \* \*

**श्री राम चंद्र गुप्त ( संयुक्त प्रांत : जनरल ) :** महोदय, मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने के लिए कुछ मिनट का अवसर प्रदान किया गया है, उसके लिए आपका काफी आभारी हूँ। वर्तमान संविधान जिसे इस देश के इतिहास में महान स्वतंत्रता का चार्टर के नाम से जाना जाएगा, जिसे हमारे लोगों में आज लंबे और अंतहीन संघर्ष करके तथा काफी पीड़ा झेलकर प्राप्त किया है। इसलिए हमें इस पर गर्व करने का पूरा अधिकार है और मुझे इसमें कोई संशय नहीं है कि भावी पीढ़ी 26 जनवरी, 1950 को पवित्र दिन के रूप में याद रखेगी जब इस देश में वास्तविक आजादी की सुबह हुई थी।

इस संविधान में लगभग 400 खंड हैं जो 3 वर्षों के लंबे परिश्रम, सुविचारित तरीके से किए गए विचार-विमर्श और बहुत सारे समझौते किए जाने के परिमाणस्वरूप समाने आ पाया है। इसमें कोई संशय नहीं कि देश उन सभी व्यक्तियों का आभार सामने आ पाया है। इसमें कोई संशय नहीं कि देश उन सभी व्यक्तियों का आभार मानेगा जिन्होंने इस संविधान को बनाने में अपना योगदान दिया है। प्रारूप महोदय, आप दोनों में यह दिखा दिया है कि आप लोग दूसरों का सहूलियत प्रदान करने के मामले कितने उदार हो सकते हैं।

संविधान, आज जिस रूप में है, इस सभा के माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत हजारों संशोधनों पर हुई गर्मागर्म चर्चा तथा लंबी बहस का परिणाम है वस्तुतः संविधान में एक भी ऐसा शब्द नहीं है जिस पर किसी न किसी सदस्य का ध्यान नहीं गया हो। मैं तो आपको विस्तार से यह भी बता सकता हूँ कि हमारे मित्र श्री नजरूद्दीन अहमद बड़े सतर्क रहे हैं तथा उन्होंने वाक्य चिह्नों अर्थात् कॉमा विसर्ग, पूर्ण विराम तक का ध्यान रखा है। यह सच है कि प्रत्येक मामले पर आम-सहमति नहीं प्राप्त की जा सकती, लेकिन इसमें कोई संशय नहीं है कि सभा द्वारा पारित सभी खंडों को बहुत बड़े बहुमत का हमेशा समर्थन रहा है। लगभग सभी महत्वपूर्ण विवादस्पद प्रश्नों पर पूरी तरह से विचार करने हेतु कई-कई बार स्थगित रखा गया तथा जहाँ तक संभव हो पाया उन पर आम सहमति प्राप्त की गई।

<sup>1</sup> सी.ए.डी. अधिकारिक प्रतिवेदन, खंड X, 24 नवंबर 1949, पृष्ठ 919-920

मैं एक शब्द में यह कह सकता हूँ कि वर्तमान संविधान लेने-देने की भावना के परिणामस्वरूप किए गए सुखद समझौते के आधार पर तैयार किया है और इस सभा के सदस्यों में इस मामले में काफी उदारता दिखाई है। ऐसी परिस्थितियों में आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि सभी सदस्यों के अंदर संविधान में शामिल किए गए सभी मामलों पर एक समान संतुष्टि होगी। यह विभिन्न वक्ताओं द्वारा संविधान के बारे में दी गई मिश्रित प्रतिक्रिया से पता चलता है जबकि मैं स्वयं ही संविधान में शामिल प्रत्येक चीज से सहमत नहीं हूँ फिर भी मैं किसी भी विरोधाभास की जरा सी भी आशंका नहीं रखते हुए यह कह सकता हूँ कि इसे इस सभा के बहुत बड़े वर्ग का भारी समर्थन प्राप्त है। निःसंदेह यह सच है कि मूल से प्रारूपित संविधान में काफी परिवर्तन किया जा चुका है। यह परिवर्तन देश की बदली दशा के अंतर्गत अवश्य भावी था.....

### भारत सरकार अधिनियम ( संशोधन ) विधेयक

**श्री सभापति :** आज जो हम पहला कार्य विधेयक से शुरू करेंगे जिसकी सूचना डॉ. अम्बेडकर ने दी है।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ( बंबई : जनरल ) :** महोदय, मैं भारत सरकार अधिनियम 1935 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूँ।

**श्री सभापति :** प्रस्ताव है :

भारत सरकार अधिनियम, 1935 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*प्रस्ताव स्वीकार हुआ।*

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** महोदय, मैं विधेयक पुनःस्थापित करता हूँ।

**श्री सभापति :** विधेयक पुनःस्थापित किया जाता है।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि भारत सरकार अधिनियम, 1935 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर सभा द्वारा तत्काल विचार किया जाए।”



**श्री सभापति :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

\* \* \* \* \*

**+माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** महोदय, मुझे लगता है कि मेरे मित्र श्री नजरूद्दीन अहमद के मन में कुछ गलतफहमी है, क्योंकि मैं संविधान सभा द्वारा किए गए विभिन्न अधिनियमों के संदर्भ में यह पाता हूँ कि विधेयक में एक प्रस्ताव है कि इसे चौथा संशोधन अधिनियम कहा जाए, यही समुचित शब्द है। संविधान सभा द्वारा पारित पहले अधिनियम को भारत सरकार (संशोधन), अधिनियम 1949 कहा जाता है। दूसरे को भारत सरकार (दूसरा संशोधन) अधिनियम 1949 कहा जाता है, जो एक इकाई से दूसरी इकाई में कैदियों को हटाने से संबंधित है। तीसरा संशोधन अधिनियम 1949 जो संपत्ति को जब्त करने तथा बंगाल चुनाव से संबंधित है।

**श्री नजरूद्दीन अहमद :** इसे संशोधन अधिनियम बिल्कुल नहीं कहा जाता है। इसका अलग नाम है।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** यदि खंड को देखें तो आप वहाँ पाएँगे,

“इस अधिनियम को भारत सरकार (दूसरा संशोधन) अधिनियम 1949 कहा जाए।”

अगले अधिनियम को तीसरा अधिनियम, 1949 कहा जाता है जो जब्त संपत्ति की अभिरक्षा, प्रबंधन और निस्तारण तथा पश्चिमी बंगाल में चुनाव से संबंधित है।

मेरे विचार से गलतफहमी इस तथ्य के कारण पैदा हुई है कि हमने संविधान सभा में दो अन्य अधिनियम पारित किए हैं, एक तो प्रिंसीपल कौंसिल की अधिकारिता की समाप्ति से संबंधित है, तथा दूसरा केंद्रीय सरकार अधिनियम 1946 का संशोधन करने वाला अधिनियम है। वे अधिनियम भारत सरकार के संशोधन अधिनियम बिल्कुल नहीं हैं। यद्यपि अधिनियमों का भारत सरकार अधिनियम पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन वे संशोधन भारत सरकार अधिनियम से संबंधित नहीं हैं। हम लोग इसलिए इसे चौथे अधिनियम के रूप में वर्गीकृत करने के हकदार हैं क्योंकि जहाँ तक भारत सरकार अधिनियम, 1935 के प्रत्यक्ष संशोधन का संबंध है इस सभा ने केवल तीन अधिनियम

\*सी.ए.डी. आधिकारिक प्रतिवेदन, खंड X 25 नवंबर 1949, पृष्ठ 919-220

+वही, 25 नवंबर, 1949, पृष्ठ 923

पारित किए हैं और कोई दूसरा नहीं।

**श्री नजरुद्दीन** : लेकिन तीसरा संशोधन अधिनियम बिल्कुल नहीं है।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर** : बिल्कुल है। तीसरा अधिनियम जब्त संपत्ति की अभिरक्षा, प्रबंधन और निस्तारण से संबंधित है यहाँ मेरे समक्ष अधिनियम है।

**श्री सभापति** : इस मामले के बारे में थोड़ी गलतफहमी दिखती है। चौथा अधिनियम की संख्या नहीं है। यहाँ अधिनियम का चौथे संशोधन के रूप में वर्णन किया गया है। यह अधिनियम की संख्या नहीं है। अधिनियम की संख्या अलग है।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर** : यह वर्तमान अधिनियम का वर्णन है। यह लघु शीर्षक है।

**श्री सभापति** : यह सिर्फ वर्णन है। इसकी संख्या होगी 1949 का अधिनियम संख्या 6

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर** : ऐसा है। यह एक लघुशीर्षक है।

**श्री सभापति** : संविधान सभा 1949 में अब तक पाँच अधिनियम पारित कर चुकी है और यह छठा अधिनियम होगा। लेकिन जहाँ तक संशोधनों का संबंध है, यह भारत सरकार अधिनियम में चौथा संशोधन है, और इसलिए इसे चौथा अधिनियम कहा जाता है।

**पंडित हृदय नाथ कुँजरु (संयुक्त प्रांत : जनरल)** : यदि हम पाँच अधिनियमों को पहले ही पारित कर चुके हैं .....

**श्री सभापति** : यह छठा है।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर** : हम इस सभा में पाँच अधिनियम पारित कर चुके हैं उनमें से दो का भारत सरकार, अधिनियम के किसी संशोधन से कुछ भी लेना-देना नहीं है।

**पंडित हृदय नाथ कुँजरु** : यदि उनका स्वरूप संवैधानिक नहीं था, तो उन्हें संविधान सभा के समक्ष रखा क्यों गया था,

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर** : लघु शीर्षक अधिनियम के उद्देश्य से बिल्कुल अलग होता है।

**पंडित हृदयनाथ कुँजरु** : लेकिन पहले का अधिनियम जिसका मेरे माननीय

मित्र ने उल्लेख किया है, अर्थात् केंद्रीय विधानमंडल अधिनियम स्वयं ही भारत सरकार अधिनियम का एक संशोधन है।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, संसद द्वारा एक पृथक अधिनियम पारित किया गया था। जिसे भारत (केंद्रीय सरकार और विधानमंडल) अधिनियम, 1946 कहा जाता है। यह संशोधन उस अधिनियम का एक संशोधन है। वह अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाहर है।

**श्री आर. के. सिधवा :** संभवतः डॉ. अम्बेडकर को याद होगा कि कपास के बीज से कपास में अधिनियम संशोधन वास्तव में भारत सरकार अधिनियम का संशोधन था, जिसका उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया है।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** इसका अर्थ निश्चय ही छठे अधिनियम से है लेकिन लघु शीर्षक अधिनियम की संख्या से बिल्कुल अलग है। हम लोग लघु शीर्षकों की चर्चा कर रहे हैं।

**श्री टी.टी. कृष्णामाचारी ( मद्रास : जनरल ) :** यह नामकरण का मामला है और वस्तुतः संसद द्वारा संशोधित पूर्ववर्ती अधिनियम है, उन्होंने अधिनियमों के लिए अलग-अलग नाम दिए हैं जिसका उद्देश्य भारत सरकार अधिनियम 1942 का संशोधन करना था। नामकरण के मामले को तार्किक ढंग से अंत तक पहुँचाने की जरूरत नहीं पड़ती।

**श्री नजरुद्दीन अहमद :** क्या कोई अधिनियम संख्या IV है?

**श्री सभापति :** ऐसा लगता है।

**माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** है।

**श्री नजरुद्दीन अहमद :** मुझे यह नहीं मिला है।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** यदि आपके पास उसकी प्रति नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ।

**श्री सभापति :** आखिरकार, शीर्षक तो नहीं बदलेगा न।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** मैं उन्हें संख्या भी दे सकता हूँ, यदि वे चाहें तो।

1949 का अधिनियम संख्या I “भारत सरकार (संशोधन) अधिनियम 1949

से जाना जाता है।”

1949 का अधिनियम संख्या II “भारत सरकार (दूसरा संशोधन) अधिनियम 1949 से जाना जाता है।”

1949 का अधिनियम संख्या III “भारत सरकार (केंद्रीय सरकार और विधान मंडल) अधिनियम 1949 से जाना जाता है।”

1949 का अधिनियम संख्या IV “भारत सरकार (तीसरा संशोधन) अधिनियम 1949 से जाना जाता है।”

अधिनियम संख्या III और IV का भारत सरकार अधिनियम, 1935 से कुछ भी लेना-देना नहीं है और यही कारण है कि हम इसे भारत सरकार अधिनियम के चौथे अधिनियम के नाम से जानते हैं।

**श्री सभापति** : प्रस्ताव है :

“कि खंड 1 के उपखंड (1) में चौथे संशोधन शब्दों के स्थान पर तीसरा संशोधन शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँ।”

*संशोधन अस्वीकृत हुआ।*

**श्री सभापति** : प्रस्ताव है :

“कि खंड I विधेयक का नाम नहीं है।

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

खंड I विधेयक में जोड़ा गया।

**+श्री नजरुद्दीन अहमद** : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ।

“कि खंड 2 का उपखंड लोप किया जाए।”

महोदय, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ :

+सी.ए.डी. आधिकारिक प्रतिवेदन, खंड XI 25 नवंबर 1949, पृष्ठ 929

+सी.ए.डी. आधिकारिक प्रतिवेदन, खंड XI 25 नवंबर 1949, पृष्ठ 929

“कि खंड 2 में निम्नलिखित सांविधिक संदर्भ जोड़े जाएँ।”

“52 और 53 विक्ट, सी 63

**\*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि यह एक समान खंड हैं जो इस सभा ने भारत सरकार अधिनियम में संशोधन करने वाले अन्य अधिनियमों को पारित किया है इसलिए उसकी एकरूपता बनाए रखने तथा इस विशेष अधिनियम, का निर्वचन करने के लिए खंड 2 विधेयक का बड़ा ही आवश्यक भाग बन गया है।

मेरे मित्र के सुझाव के संबंध में उनका आशय यह है कि 1889 के निर्वचन अधिनियम के अध्याय की संख्या देने वाला एक मार्जिनल नोट होना चाहिए। यह मामला ड्राफ्टसमैन द्वारा विचार करने का है और यदि उसके विचार में ऐसा मार्जिनल नोट आवश्यक है तो निश्चय ही उन्हें इस मामले पर विचार करना होगा। यह खंड आया है, फिर भी मैं यह बताना चाहता हूँ कि अधिनियम संख्या V जैसा कोई खंड नहीं है। मैंने उस गलती की ओर ध्यान दिलाया था, लेकिन मेरे निर्णय को बदल दिया गया।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** वह एक आत्म-केंद्रित अधिनियम था। निर्वचन अधिनियम का उल्लेख करने की बिल्कुल ही जरूरत है।

नजरुद्दीन अहमद के संशोधित अस्वीकृत हुए तथा खंड 2 विधेयक में जोड़ा गया।

\* \* \* \* \*

---

\*वही, पृष्ठ 929

++ सी ए डी अधिकारिक परिवर्तन

### खंड 3

+ श्री एच. वी. पटाशस्कर: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

कि खंड 3 में “किसी प्रांत के नाम बदलने “शब्दों के बाद” उस प्रांत जिसका नाम बदलना प्रस्तावित है कि विधानमंडल के सदस्यों की राय जानने के बाद” शब्द जोड़ा जाए।

\* \* \* \* \*

\*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : महोदय, श्री पटाशस्कर के संशोधन को लेकर मुझे आशंका है कि यह धारा 290 के ढाँचा में सही बैठेगा। मेरे मित्र ने इस बात पर लगता है गौर नहीं किया है कि धारा 290 के खंड (1) के विभिन्न उपखंडों के लिए एक सामान्य परंतुक है, जो सभी उपखंडों (क), (ख), (ग) और (घ) पर लागू होता है। यदि वे उस परंतुक का संदर्भ लें, तो वे पाएँगे कि उनके संशोधन से नए खंड अर्थात् उपखंड (ड) के प्रचालन के लिए दोहरी दशा लागू करेगा। उपखंड (ड) उसके संशोधन अर्थात् उस प्रांत जिसका नाम बदलना प्रस्तावित, के विधानमंडल के सदस्यों की राय जानने के बाद में वह उस दशा का निर्धारण करना उसके अलावा, उपखंड (ड) उस परंतुक अर्थात् गवर्नर जनरल प्रांत की सरकार का विचार मानेगा, से शासित होगा। इसके दृष्टिगत, एक बड़ी कठिन दशा उत्पन्न होगी, उनके संशोधन के अनुसार गवर्नर जनरल विधानमंडल की इच्छाओं का पता लगाने के लिए बाध्य है। धारा 290 के परंतुक के अनुसार, वह प्रांत की सरकार के विचार के लिए बाध्य नहीं होंगे। वह इसलिए स्वयं को इस तथ्य के कारण दोहरी कठिनाई में डाल लेंगे क्योंकि गवर्नर जनरल को दो अलग-अलग निकायों से परामर्श करना पड़ेगा, वह बड़ा आसान मामला नहीं होने जा रहा है। दूसरे वह महसूस करेंगे कि यह बिल्कुल न्यायोचित नहीं है कि उपखंड (क) से (घ) एक ही परंतुक से शासित हो, जबकि नया उपखंड दो उपबंधों द्वारा शासित होना चाहिए।

+श्री एच. वी. पटाशस्कर : ऐसा नहीं है।

\* \* \* \* \*

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मेरा यही कहना है। आप कैसे जानते हैं? इसलिए मुझे लगता है कि वह इस प्रकार का सुझाव देकर स्वयं को तथा गवर्नर

जनरल को कठिन स्थिति में डाल रहे हैं। इसलिए यह नहीं सोचें कि इस चरण में इसे स्वीकार करना तार्किक होगा, भले ही सुझाव कितना अच्छा क्यों न हो।

मेरे मित्र, श्री सिधवा के सुझाव पर आते हैं। मुझे लगता है कि इस अनुच्छेद की मंशा तथा नए संविधान में अंतर्विष्ट उपबंधों को लेकर उनके मन में पूरी तरह से गलतफहमी भरी हुई है। वह संसद के बारे में बोलते हैं तथा इसे जरूरी बनाना चाहते हैं कि गवर्नर जनरल द्वारा दिए आदेश को तीन दिनों के भीतर संसद के समक्ष रखा जाए। लगता है सिधवा इस तथ्य को भूल गए हैं कि जब वे संसद का उल्लेख करते हैं, तो उसका अर्थ उस विधानमंडल से है जो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया।

उस तिथि को गवर्नर जनरल शब्द गायब हो जाएगा और यह धारा 290 तथा उपखंड (ड) जिसे मैं इस तरीके से पुनःस्थापित करने की कोशिश कर रहा हूँ भी समाप्त हो जाएँगे। 26 जनवरी को दूसरी कानूनी पुस्तिका आ जाएगी तथा नए संविधान के अनुच्छेद 3 में अंतर्विष्ट उपबंध प्रचलन में आ जाएँगे। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने इस बात पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ।

**श्री आर.के. सिधवा:** गवर्नर जनरल द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होगा।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** मुझे लगता है कि ये दोनों ही सुझाव अव्यावहारिक हैं सामान्य सिद्धांत के रूप में कि संसद को इसमें लाना चाहिए अथवा नहीं, हमें दो मामलों पर विचार करना होगा।

एक तो यह कि कुछ प्रांतों की यह सामान्य इच्छा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन जिन नामों से उन प्रांतों को बुलाया जाता रहा है, उसे वे लोग पसंद करते हैं और वे लोग संविधान लागू होने की तिथि से अपने प्रांतों के नाम वैसा रखना चाहेंगे जिन्हें वह बहुत अच्छा मानते हैं, जब पिछली बार उस मामले पर चर्चा हो रही थी, तो संविधान सभा में यह महसूस किया कि कुछ प्रांतों के नाम उनकी अपनी राय में अच्छा नहीं हैं, तो उन प्रांतों की सामान्य इच्छा विचार करने हेतु उपयुक्त हैं और इस संविधान के लागू होने से पूर्व गवर्नर जनरल के लिए एक उपबंध बनाकर दिया जाना चाहिए जिसके बारे में वह प्रांतों की इच्छा पूरी करने के लिए जो भी कार्रवाई जरूरी समझें, करें। अतः मुझे लगता है कि ऐसा उपबंध जरूरी है।

कतिपय आशंका व्यक्त की गई है कि कुछ प्रांत गवर्नर जनरल को ऐसे नाम सुझा सकते हैं, जो अन्य प्रांतों की राय में रखा जाना संभव नहीं हो सकता है और परिणामतः जिन नामों को इस सभा द्वारा खारिज किया जा चुका है अथवा निरानुमोदन किया जा

चुका है, इस संविधान सभा की जानकारी के बिना या संबंधित प्रांतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना नए प्रांतों को इन नामों से नवाजा जा सकता है। मुझे लगता है कि इस प्रकार का सुझाव इस विधेयक द्वारा यथासंशोधित धारा 290 को बहुत अधिक तरजीह देने के कारण आया है क्योंकि धारा 290 के अधीन गवर्नर जनरल को इस मामले में पूर्ण विवेकाधिकार है और वह प्रांतीय सरकार द्वारा दिए गए सुझाव या यदि मैं श्री पटाशकर के संशोधन को स्वीकार कर लूँ तो विधानमंडल की राय पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं है। वह कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है और उसे कार्रवाई करने की सलाह देने का प्राधिकार केवल केंद्रीय कैबिनेट को है। धारा 290 के अधीन केवल इतना जरूरी है कि प्रांतीय सरकार के विचार को जाना जाए। उसका अर्थ यह नहीं है कि गवर्नर जनरल सुझाए गए किसी नाम को स्वीकार करने के लिए बाध्य है। मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्रीय कार्यपालिका द्वारा तथा गवर्नर जनरल द्वारा धारा 290 के प्रस्तावित संशोधन के अधीन कोई कार्रवाई करने का निर्णय लिए जाने से पूर्व इस सभा में हुई चर्चा तथा संयुक्त प्रांत के नाम संबंध में प्रो. सक्सेना द्वारा दिए गए सुझाव के संबंध में इस सभा द्वारा व्यक्त की गई राय पर निश्चय ही विचार किया जाएगा।

**श्री सभापति :** मैं अब संशोधनों पर मत लूँगा। श्री नजरुद्दीन अहमद क्या आप अपने संशोधनों को मतदान के लिए रखना चाहते हैं? यह केवल वाक्य चिह्न का मामला है?

**श्री नजरुद्दीन अहमद :** मैं इसे प्रारूप समिति पर छोड़ता हूँ।

**माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** यह एक गलत संशोधन है।

*[खंड 3, प्रस्तावना और शीर्षक स्वीकृत हुए तथा विधेयक में जोड़े गए]*

**+माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सभा द्वारा प्रस्तुत भारत सरकार अधिनियम, 1935 का और संशोधन करने वाले विधेयक पारित किया जाए।

\* \* \* \* \*

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

\* \* \* \* \*



\*श्री फैंक्र एन्थोनी ( सी.पी. और बरार : जनरल ) : सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने सभा की बराबर अध्यक्षता करते हुए हमेशा ही लोगों के प्रति विनम्रता दिखाई है तथा बड़े शालीन तरीके से विचार-विमर्श की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। प्रारूप समिति ने इस कठिन और जिम्मेदारी से भरे कर्तव्य का जिस तरीके से निर्वहन किया है, उसके लिए उसे समुचित शुभकामना पहले ही दी जा चुकी है। मैं अपने माननीय मित्र डॉ. अम्बेडकर जो मेरे दाहिने भाग में बैठे हुए हैं, को बहुत संक्षेप में शुभकामना देना चाहूँगा। मुझे नहीं लगता कि हममें से कोई भी वास्तव में काम की मात्रा का और इस विस्तृत कार्य जो कि किसी भी रूप में आसान दस्तावेज नहीं है, को पूरा करने में कितना ध्यान देना पड़ेगा, के बारे में पहले से अंदाजा लगा सकता है। जहाँ विभिन्न अवसरों पर, मैं उनकी बात से भले ही सहमत नहीं हुआ हूँ। लेकिन मौलिक विषयों पर जो उनकी पकड़ है तथा विस्तार और स्पष्टता के साथ जो वह लगातार मामले को प्रस्तुत करते हैं, उनको सुनने में मुझे काफी आनंद आता था। यह कहा गया है कि इस संविधान के बारे में मिश्रित प्रतिक्रिया मिली है। यह तो अवश्यंभावी है कि इसके बारे में प्रतिक्रिया मिश्रित मिलनी थी क्योंकि यह आवश्यक तौर पर एक मिश्रित संविधान है। इसका चरित्र समन्वय वाला है। मेरा मानना है कि यह एक तरफ आदर्शवाद और दूसरी तरफ यथार्थवाद के बीच मिलन है। मैं जानता हूँ कि मेरे कुछ अति आदर्शवादी मित्रों ने इसकी आलोचना की है। वे लोग चाहते होंगे कि इस समन्वय के स्थान पर बाईबिल के दस नियम या दस आदेशों के स्वरूप वाला कुछ वैसा होना चाहिए था जो पूरी तरह से आदर्शवादी विचारधारा हो जो प्रशासनिक यथार्थों तथा राजनीतिक कठिनाईयों के पहले प्रभाव में ही शिथिल हो जाता तथा दम तोड़ देता। जैसा कि मैं कहा चुका हूँ मेरा मानना है कि हमने संविधान को काफी आकर्षक और आकांक्षापूर्ण दस्तावेज बनाने हेतु पर्याप्त रूप से आदर्शवादी सिद्धांत उधार लिए हैं और दूसरी ओर इसे हमने पूरी तरह से भौतिक और सांसारिक विचारों पर आधारित नहीं रखा ताकि यह बोझिल न हो जाए अथवा किसी तरह से इससे प्रेरणादायी तत्व न निकल जाएँ। महोदय, मैं यह महसूस करता हूँ कि यह एक पूर्ण दस्तावेज नहीं है, पर साथ ही मैं यह भी मानता हूँ कि इसे तैयार करते समय सभी लोकतांत्रिक निर्माण की प्रक्रियाओं का पालन किया है, हमने लोकतांत्रिक कारकों के सम्पूर्ण क्षेत्र को परखा है। इसके अंतर्गत सावधानीपूर्वक विचार किए गए हैं बहुत ही गहरे विश्लेषण हुए हैं: बहस और जवाबी बहस हुई है, बड़े ही तीव्र विवाद हुए हैं और एक बार तो हमने सोचा कि विवाद इतना अधिक तीव्र हो चुका था कि हम उस अवस्था में पहुँच सकते थे जिसे रोमवासी आर्ग्यूमेंट एंड बैक्युलम अर्थात् मामले को वस्तुतः शारीरिक शक्ति के आधार

पर निपटाना लेकिन अंतिम विश्लेषण से एक दूसरे को समायोजित करने की वास्तविक समझ पैदा हो चुकी है और सहनशीलता की वास्तविकता भावना पनपी है।

+ मैं इस टिप्पणी के साथ अपनी बात खत्म करूँगा कि मैं यह मानता हूँ कुल मिलाकर हमने एक अच्छा संविधान तैयार किया है। इसमें दोष होंगे तथा निश्चय ही इसमें गलती भी हुई होगी क्योंकि यह अपूर्ण मानवों की तैयार की हुई चीज है। लेकिन मैं मानता हूँ कि हमने एक अच्छा कार्य किया है और मेरा विश्वास है कि इस संविधान को हमारी शुभकामना ही नहीं हमारे आशीर्वाद भी मिलने चाहिए, मैं यह महसूस करता हूँ कि हमारे सामने स्थाई तौर पर जो प्रमुख मुद्दे विचार के लिए आएँगे वह इस बात से नहीं जुड़े होंगे कि हमने एक विस्तृत और महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किया है; हमने अल्पसंख्यकों को सावधानीपूर्वक विचार करके व्यापक गारंटी दी है, लेकिन अंततः यह संविधान इस आधार पर परखा जाएगा कि यह सफल होता है या असफल, अंतिम कसौटी होगी कि किस मंशा और भावना के साथ इस संविधान का प्रयोग किया जाता है।

++ डॉ. पट्टभि तारम्मैया : अंत में मैं आपसे ही यह जानना चाहता हूँ - आखिरकार संविधान क्या है? यह राजनीति का व्याकरण है, यदि आप इसे पसंद करें, तो यह राजनीतिक समुद्रयात्री के लिए नए कंपास हैं। यह कितना भी अच्छा क्यों न हो, यह स्वयं में निर्जीव, संवेदनविहीन होता है और यह अपने आप कार्य कर सकता है। इसका कितना हम उपयोग करें, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है क्योंकि यह एक आरक्षित ताकत है और प्रत्येक चीज इस पर निर्भर करती है कि हम किस दृष्टि से इसका उपयोग करते हैं। क्या हम इसमें लिखी बातों का ध्यान रखते हैं, और इसकी भावना की उपेक्षा करते हैं या फिर हम शब्द और भावना दोनों का समान रूप से ध्यान रखते हैं। शब्दकोष के शब्द तो वही होते हैं, लेकिन विभिन्न लेखकों की शैली में उन्हीं शब्दों से भिन्नता आती है। धुन और आलाप तो वही होते हैं लेकिन अलग-अलग गायक अलग-अलग किस्त का संगीत पैदा करते हैं। रंग और ब्रश तो वही होते हैं, लेकिन विभिन्न चित्रकार अलग-अलग चित्र बनाते हैं। यही बात संविधान के साथ भी है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका प्रयोग किस प्रकार करते हैं।..

++ जब सब कुछ कहा जा चुका हो और किया जा चुका हो, तो हमें यह महसूस करना चाहिए कि केवल आधे दर्जन व्यक्तियों ने ही इस संविधान को तैयार किया है तथा इसे रूप और आकार दिया है तो उनके प्रति क्या कर्तव्य बनता है। हमारे

+ सी.ए.डी. अधिकारिक प्रतिवेदन, खंड X 25 नवंबर 1949, पृष्ठ 942-943

++ वही, पृष्ठ 945

++वही, पृष्ठ 946-947

मित्र, डॉ. अम्बेडकर जा चुके हैं, अन्यथा मैं उन्हें यह बताना चाहता था कि उन्होंने इस उत्कृष्ट और कठिन कार्य को पूरा करने में अपनी प्रखर बुद्धिमत्ता को झाँक दिया है: इसे प्रतिरोध रहित, अगम्य, अपराजेय बना दिया और लंबे-लंबे ताड़ के वृक्षों और छोटे-छोटे पोस्ते के पौधों को मिलाकर समतल बना दिया है : उन्हें जो सही लगा, वही किया उसके परिणामों की चिंता नहीं की।

फिर सर अलादी का नाम आता है, जिनका सागर की तरह गहरा ज्ञान है और विश्व के संवैधानिक कानून की जानकारी तो उनकी अंगुलियों पर टिकी हुई है। उन्होंने इस संविधान को बनाने में महान योगदान दिया है। उनके द्वारा इसके ऊपर टीका लिखकर इसे पूर्ण बनाने का कार्य करना बाकी है। श्री संधानम ने उनसे अंतिम अनुरोध यही किया है और मुझे आशा है कि वह इसे पूरा करेंगे।

फिर हमारे श्री गोपालस्वामी आर्यंगर जी हैं : किसी बाला की तरह शर्मिले और संकोची स्वभाव के हैं, लेकिन यथार्थ और आदर्श को हमेशा मिलाकर तथा किसी कठोर मुद्दे पर कोमल और दयालु भरे दृष्टिकोण आधारित निर्णय लेकर विभिन्न अवसरों की आवश्यकता के अनुरूप सफलता की पूरी ऊँचाइयों को छूने में वे कामयाब रहे हैं। आपके अगले व्यक्ति है श्री मुंशी उनके जैसे इतने लचीले तथा गहरे ज्ञान वाले व्यक्ति हमें देखने को नहीं मिलते; उनका विस्तृत और विविध ज्ञान; उनकी तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता और उनको तैयार और ताजातरीन जानकारी से हमें काफी सहायता मिली है।

श्री माधवराव अभी यहाँ नहीं हैं। वे मैसूर के दीवान थे उन्होंने हमारी समितियों में काफी मेहनत की थी उन्हें सहायक आयुक्त से लेकर दीवान बनने का विशाल अनुभव है जबकि मैं केवल चिकित्सा के संबंध में ही अध्ययन कर पाया हूँ। उन्होंने भी इस कार्य में अपना अच्छा योगदान दिया है।

फिर एक व्यक्ति का नाम आता है, जिन पर लोगों की नजर नहीं जाती और जिनके नाम की चर्चा मेरे किन्हीं मित्रों ने नहीं की है, उनके बारे में मैं कहूँगा कि वह बड़े ही मृदुभाषी तथा विनम्र व्यक्ति हैं, जिन्होंने इस सभा में विचार-विमर्श के दौरान अपने गहन अनुभव को दर्शाया है।

अंत में नाम आता है दुबले-पतले और लंबे व्यक्ति का जो मेरे सामने बैठे हैं, उन्होंने अपने प्रत्युत्तर और पुनरुत्तर के जोर से तथा तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता के साथ विरोधी पक्षों की हमेशा हवा निकाली है या उनके विरोध को छिन्न-भिन्न कर डाला है। लेकिन वह उस घाव को अपनी प्लास्टिक सर्जरी तथा बीमारी ठीक करने की शक्ति से भरने में भी महारत दिखलाई है और वह व्यक्ति हैं श्री टी.टी. कृष्णामाचारी।

हमने इन सभी व्यक्तियों की सहायता ली, लेकिन महोदय, इन सभी मित्रों के कार्यों का कोई मतलब नहीं रह जाता यदि आप जैसे एक शिष्ट और सम्मानित व्यक्ति का साथ नहीं मिला होता, आप जब किसी व्यक्ति को आगे बोलने से रोकना चाहते थे, तो आप उस व्यक्ति की ओर नजर घुमा देते थे : धैर्य के साथ इंतजार करते थे कि वह व्यक्ति आपको देख ले - ऐसा नहीं था, कि आप उस व्यक्ति को अपनी ओर देखने के लिए नहीं कहते थे ; आप बड़ी ही सज्जनता से वक्ता को अपनी बात समाप्त करने का इशारा कर देते थे और हममें जो कुछ व्यक्ति जब विद्रोही तेवर अपना लेता, अशांत होकर शोरगुल मचाने लगता, तो आप बस मुस्करा पड़ते थे ताकि वह अपने रवैये को शांत कर ले।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमने एक बड़ी चीज हासिल की है, हमने जो हासिल किया है, उसे कम कर आंकना ठीक नहीं है। पर्दे के पीछे बहुत कुछ किया गया है, लेकिन इस सभा के बहुमत दल के लोगों के पार्टी के प्रति अनुशासन और कवायद के कारण इन विचार-विमर्शों की अंतिम परिणति सुखद नहीं रही है।

मैं आप सबका इस बड़े कार्य को पूरा करने के लिए धन्यवाद करता हूँ और इसके लिए बधाई देता हूँ।

मेरे लिए यह कहना शेष रह गया है कि हमारे लिए शुरुआत करने के लिए यह संविधान काफी अच्छा है। इसके अनुरूप कार्य करते रहें, इसके आधार पर कार्य करें, इसका प्रयोग करें आप अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य करते रहें, और जैसे कि 19वीं सदी के सत्तर के दशक में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमंस में जब मताधिकार की व्यवस्था आगे बढ़ रही थी, तो एक महान सांसद ने कहा था कि स्वयं को यह कहते रहे, हमें अपने मालिकों को शिक्षित करते रहना चाहिए।”

+ श्री जगत नारायण लाला : अंत में, मैं सभापति तथा प्रारूप समिति के सदस्यों विशेषकर डॉ. अम्बेकर, श्री मुंशी और कृष्णमाचारी के साथ साथ अन्य लोगों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा व्यक्त करना चाहता हूँ।

\* \* \* \* \*

++ श्री टी.टी. कृष्णमाचारी : सभापति महोदय सबसे पहले मैं प्रारूप समिति की ओर से इस माननीय सभा के सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ इनमें से सभी ने व्यावहारिक तौर पर प्रारूप समिति के कार्य की सराहना की है, भले ही इस संविधान के कतिपय उपबंधों के बारे में उनके विचार कुछ भी रहे हों - और महोदय, उनमें से किसी एक ने नहीं बल्कि सभी मेरे नेताओं ने जिनमें से अधिकतर सत्तर वर्ष से अधिक

आयु के हो चुके हैं, बड़ी ही शिष्टतापूर्वक प्रारूप समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा दी गई सेवाओं को याद किया है तथा उसकी पहचान की है, जो मैं समझता हूँ कि हम लोग मरते दम तक याद रखेंगे।

लेकिन मैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर आना चाहता हूँ कि संविधान की संरचना किस तरीके से बनाई गई है। माननीय सदस्यों को यह महसूस करना चाहिए कि यह संविधान जिसके बारे में मेरे से पूर्व कई वक्ता बता चुके हैं कि समझौते का परिणाम है यहाँ पर जमा हुए 296 लोगों के आर्थिक मामलों पर अलग-अलग मत हैं और हम कोई संविधान इस प्रकार नहीं बना सके कि मैं कहूँ कि मैं कोई बात नहीं होने दूँगा और अन्य लोग उसे मान लेंगे, तो फिर कोई सहमति ही नहीं बन पाएगी। व्यावहारिक तौर पर पूरा संविधान इस संविधान के अति महत्वपूर्ण भाग संबंधित दलों के बीच हुई अंतिम सहमति से बन पाए हैं और कोई भी व्यक्ति अधिकतर प्रतिपादनों से सहमति होने के बाद किसी भी एक प्रतिपादन के बारे में आपत्ति व्यक्त करता है, तो मेरे हिसाब से यह समुचित नहीं कहा जाएगा। यह संविधान हम में से अधिकतर लोगों के बीच हुई सहमति के परिणामस्वरूप पूरा हो पाया है।

**श्री महावीर त्यागी :** महोदय, यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूँ।

महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपने जो मुझे चार या पाँच मिनट का समय दिया है, वह भूत, वर्तमान और भविष्य के जीवन का सबसे मूल्यवान क्षण है और यह बड़ा ही रोमांचक क्षण है, आज अपने अति पुराने सपने और तीस वर्षों की मेरी कठिन मेहनत के फल की तस्वीर मेरे सामने है। मेरे सामने एक मूर्त तस्वीर है डॉ. अम्बेडकर, जो मुख्य कलाकार रहे हैं, ने अपना ब्रश नीचे रख दिया है तथा लोगों को दिखाया ताकि उसके बारे में टिप्पणी करने के लिए उस तस्वीर का अनावरण कर दिया है। सभा इस पर पहले ही उदारतापूर्वक टिप्पणी कर चुकी है। यह तस्वीर हम सबने बनाई है और मैं इसके बारे में आगे कोई और टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ आखिरकार हमारे पास जो कुछ सर्वोत्तम चीजें हैं, हमें पूरी ईमानदारी तथा विनम्रता से अपनी भावी पीढ़ी के लिए छोड़कर जाना चाहिए, हमने इसमें काफी मेहनत की है और सर्वोत्तम तरीके से इस पर विचार किया है, और बहुत सारी चर्चा करने तथा गहन विचार-विमर्श करने के बाद इस तस्वीर को पूरा कर पाए हैं। अब हमें पूरे हृदय से इसे भावी पीढ़ी के लिए इस आशा के साथ छोड़ देना चाहिए कि वे हमारी त्रुटियों यदि कोई होगी तो हमें क्षमा कर देंगी और अपनी बुद्धिमत्ता से उन्हें सही कर लेगी। मैं अपना आँखों के

किनारे से देख रहा हूँ तथा सारी दुनिया भी देखेगी कि इस तस्वीर पर खतरे भी मौजूद हैं।

**+श्री सुरेश चंद्र मजुमदार :** अंत में, मैं डॉ. अम्बेडकर और इस सभा के मेरे वरिष्ठ सहयोगिता को इस महान, कठिन और ऐतिहासिक कार्य के सफलतापूर्वक पूरा करने पर अपना आदरपूर्ण बधाई देना चाहूँगा और मुझे विश्वास है कि यहाँ मौजूद प्रत्येक व्यक्ति की भावना को अभिव्यक्ति प्रदान कर रहा हूँ जब मैं आपको सभापति महोदय, शांत, चित्त, धैर्यपूर्ण, विनम्रता और अनुकरणीय तरीके से इस सभा में विचार-विमर्श को मार्गदर्शन दिया है, धन्यवाद देता हूँ। जयहिन्द! वन्देमारतम्!!

**++श्री राजबहादुर ( राजस्थान ) :** सभापति महोदय, मैं आपके प्रारूप समिति और संविधान सभा के कर्मचारियों पर जो उच्चकोटि तथा समुचित श्रद्धा के भाव अर्पित किए गए हैं, उसके साथ सहबद्ध करने के लिए मुझे जो यह अवसर आपने दिया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। यह महानतम ऐतिहासिक महत्व का अवसर है। मैंने महानतम शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि हमारे इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्र के चुने हुए प्रतिनिधि एक साथ जमा हुए हैं और देश के लिए एक संविधान तैयार किया है। इसका महत्व दुगुना हो जाता है क्योंकि जिन महान और मूल्यवान नेताओं ने हमारे देश को आजादी दिलाई वही लोग हमारे संविधान के निर्माता भी हैं...

+.... अंत में मैं केवल इतना जोड़ना चाहूँगा कि इस संविधान के गुण-दोष क्या हैं, यह प्रत्येक चीज इसके कार्य करने के ऊपर निर्भर करती है। जैसा कि ब्राइस ने कहा है “संविधान बना लेना तो आसान है किंतु संविधान बनाकर ठीक से उपयोग करने के लिए जरूरी स्वभाव को ला पाना आसान नहीं है।

\* \* \* \* \*

**++माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर :** महोदय, संविधान सभा के कार्य पर पीछे नजर डालें, तो इसकी बैठक 9 दिसंबर, 1949 को हुई थी, तब से लेकर इसे अब दो वर्ष, ग्यारह महीने और सत्तर दिन हो चुके हैं। इस अवधि के दौरान संविधान सभा के कुल मिलाकर ग्यारह सत्र हुए हैं। इन ग्यारह सत्रों में से पहले छह सत्र प्रस्तावना संकल्प को पारित करने और मूल अधिकारों, संघीय संविधान, संघ की शक्तियों, प्रांतीय संविधान अल्पसंख्यकों और अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों से बंधी समितियों के प्रतिवेदन पर विचार करने में समाप्त हो गए। सातवें, आठवें, नौवें, दसवें और ग्यारहवें सत्रों के दौरान प्रारूप संविधान पर विचार किया गया। संविधान सभा के इन ग्यारह सत्रों में 165 दिन लगे हैं। इनमें सभा ने प्रारूप संविधान पर विचार करने में 114 दिन लगाए हैं।

प्रारूप समिति का निर्वाचन 29 अगस्त को हुई। 30 अगस्त से लेकर इसकी 141 दिन बैठक हुई। जिसमें प्रारूप संविधान तैयार किया गया। संवैधानिक सलाहकार द्वारा प्रारूप समिति के लिए पुस्तक के रूप में जो प्रारूप संविधान तैयार किया गया था, उसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थीं। संविधान सभा को प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत पहले प्रारूप संविधान में 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। विचारण में अंतिम चरण में प्रारूप समिति ने अनुच्छेदों की संख्या बढ़ाकर 286 कर दी। अंतिम तौर पर, प्रारूप संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ हैं। प्रारूप संविधान में लगभग 7, 635 संशोधन पटल पर रखे गए। उनमें से सभा के अंदर कुल 2473 संशोधन वास्तविक तौर पर प्रस्तुत किए गए।

मैंने इन तथ्यों का उल्लेख इसलिए किया है कि एक चरण में यह कहा जा रहा था और रोम जल रहा था, वाली कहावत चरितार्थ हो गई। क्या इस प्रकार की शिकायत करने का कोई औचित्य है? आइए हम दूसरे देशों द्वारा अपने संविधान तैयार करने में उनकी संविधान सभाओं द्वारा लिए गए समय पर एक नजर डालते हैं। कुछेक उदाहरण इस प्रकार हैं अमेरिकी अभिसमय की बैठक 25 मई, 1787 को हुई और उसने अपना कार्य 17 सितंबर, 1787 अर्थात् चार महीने के अंदर पूरा कर लिया। कनाडा को संवैधानिक अभिसमय की पहली बैठक 10 अक्टूबर, 1869 को हुई तथा मार्च, 1867 को इसके द्वारा कानून पारित किया गया, उसे दो वर्ष और पाँच महीने लगे। आस्ट्रेलियाई संविधान अभिसमय की बैठक 1891 को हुई और संविधान ने कानून का रूप 9 जुलाई, 1900 को लिया। दक्षिण अफ्रीका अभिसमय की बैठक अक्टूबर 1908 को हुई और संविधान ने 20 सितंबर, 1909 को कानून का रूप लिया इसमें एक वर्ष की मेहनत लगी। यह सच है कि हमने अमेरिकी या दक्षिण अफ्रीकी अभिसमय की तुलना में अधिक समय लिया है। अभिसमय से बहुत कम समय लिया है। लगाए गए समय के आधार पर तुलना करने में दो बातें याद रखनी चाहिए। एक तो यह कि अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और आस्ट्रेलिया के संविधान हमारे संविधान की तुलना में बहुत छोटे हैं। हमारे संविधान में जैसा कि मैं बता चुका हूँ, 305 अनुच्छेद हैं जबकि अमेरिकी संविधान में केवल सात अनुच्छेद हैं। जिनमें से पहले चार अनुच्छेद को कुल 21 धाराओं में बाँटा गया है। कनाडा के संविधान में 117, आस्ट्रेलिया के संविधान में 128 और दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 धाराएँ हैं। दूसरी बात यह याद रखनी चाहिए कि अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के संविधान निर्माताओं को संशोधनों की समस्या का समाना नहीं करना पड़ा था। उनके उपबंध प्रस्तुत होते ही पारित कर दिए गए थे। दूसरी ओर संविधान सभा को 2473 संशोधन निपटाने पड़े थे। इन तथ्यों को देखते हुए विलम्ब करने का आरोप मुझे बिल्कुल निराधार लगता है और

इतने कम समय में इतना बड़ा कार्य पूरा कर लेने के लिए सभा को स्वयं को बधाई देनी चाहिए।

प्रारूप-समिति द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता पर चर्चा करें तो श्री नजरुद्दीन ने इसकी पूरी तरह से निंदा करना अपना कर्तव्य समझा। उनकी राय में प्रारूप-समिति द्वारा दिया गया कार्य निंदा करने के ही काबिल है, इसके मानक सामान्य से भी नीचे हैं। प्रारूप-समिति द्वारा किए गए कार्य के बारे में अपनी राय व्यक्त करने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है और श्री नजरुद्दीन की राय का स्वागत है। श्री नजरुद्दीन अहमद की सोच है कि प्रारूप समिति के सदस्यों की अपेक्षा वे कहीं अधिक प्रतिभाव व्यक्ति हैं। प्रारूप-समिति उनके दावे को चुनौती नहीं देना चाहती। दूसरी ओर प्रारूप-समिति अपने बीच उनका स्वागत करती यदि सभा उन्हें उसमें नियुक्त किए जाने को काबिल मानती। यदि संविधान बनाने के कार्य में उन्हें शामिल नहीं किया गया, तो निश्चय ही यह प्रारूप समिति का दोष नहीं है।

श्री नजरुद्दीन अहमद ने प्रारूप समिति के लिए नया नाम दिया है, वस्तुतः वे इसके प्रति तिरस्कार दिखाना चाहते हैं। वे इस समिति को ड्रिफ्टिंग कमेटी कहकर बुलाते हैं। श्री नजरुद्दीन अहमद निःसंदेह अपनी अलोचना से खुश होते होंगे। लेकिन स्पष्टतः वह यह नहीं जानते कि मछली पकड़ने का कार्य निपुणता के साथ करने और बिना निपुणता के साथ करने में अंतर है। यदि प्रारूप-समिति मछली पकड़ने का कार्य कर भी रही थी, तो वह इसे पूरी निपुणता के साथ कर रही थी। वह मछली पकड़ने के लिए अंदाजा से काँटा नहीं लगा रही थी। वह उसी पानी में काँटा डाल रही थी, जहाँ के बारे में उसे पता था कि वहाँ मछली है। किसी बेहतर चीज की तलाश में रहना मछली पकड़ना नहीं है। यद्यपि श्री नजरुद्दीन अहमद ने यह विशेषण प्रारूप-समिति का अभिवादन करने के लिए नहीं दिया था किंतु मैं इसे प्रारूप समिति को अपना कर्तव्य निभाने में लापरवाही बरतने तथा मिथ्या गरिमा का अहसास रखने का दोषी तब माना जाता जब वह त्रुटिपूर्ण संशोधनों को वापस लेने की ईमानदारी और साहस नहीं दिखाती तथा उसके स्थान पर बेहतर संशोधन प्रस्तुत नहीं करती। यदि उससे गलती हुई, तो मुझे खुशी है कि प्रारूप-समिति ने इन गलतियों को मानने तथा उन्हें सही करने में सकुचाहट नहीं दिखाई।

मुझे खुशी है कि एक अकेले सदस्य को छोड़कर संविधान सभा के सदस्यों के बीच प्रारूप-समिति के द्वारा किए गए कार्य की सराहना करने के मामले में आम सहमति रही है। मुझे विश्वास है कि इतने उदारता के साथ सहज भाव से इसके परिश्रम को जो मान्यता मिली है, उससे प्रारूप-समिति को खुशी मिलेगी। सभा के सदस्यों तथा प्रारूप-समिति के अपने सहयोगियों दोनों की ओर से जो मुझ पर अभिवादनों की बरसात



हुई, उससे मैं इतना आह्लादित महसूस कर रहा हूँ उसके लिए अपनी कृतज्ञता पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। मैं संविधान सभा महज यही आकांक्षा लेकर आया था कि अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा कर सकूँ। मुझे इसका दूर-दूर तक आभास नहीं था कि मुझे इससे अधिक जिम्मेदारी संभालने को कहा जाएगा। इसलिए सभा ने जब मुझे प्रारूप समिति में निर्वाचित किया तो मुझे आश्चर्य हुआ। जब मुझे इसका अध्यक्ष बनाया गया तो मुझे और भी अधिक आश्चर्य हुआ। प्रारूप समिति में मेरी तुलना में कहीं बड़े, बेहतर और अधिक सक्षम लोग मौजूद थे। जैसे कि मेरे मित्र सर अलादी कृष्णमाचारी अय्यर। मैं संविधान सभा और प्रारूप समिति का आभारी हूँ कि मुझमें इतना अधिक भरोसा और विश्वास किया तथा अपना साधन चुनकर देश की सेवा करने का यह अवसर प्रदान किया। (हँसी)।

जो श्रेय मुझे दिया गया है, वास्तव में मैं उसका हकदार हूँ ही नहीं। इसका श्रेय अंशतः संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव जिन्होंने प्रारूप-समिति के विचारार्थ संविधान का कच्चा प्रारूप तैयार किया था। थोड़ा श्रेय प्रारूप समिति के सदस्यों को जाना चाहिए जिन्होंने जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि 141 दिनों की बैठक की है तथा जिनकी निपुणता के बिना विभिन्न प्रकार के विचारों को सहने की तथा समायोजित करने का नया सूत्र तलाश पाना और क्षमता विकसित कर पाना तथा संविधान को तैयार कर पाने का कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न नहीं हो पाता। संविधान के मुख्य ड्राफ्ट्समैन का श्रेय श्री एस.एन. मुखर्जी को अधिक मिलना चाहिए। अति जटिल प्रस्तावों को अति सरल और स्पष्ट कानूनी रूप देने की उनकी योग्यता तथा कठिन परिश्रम करने की क्षमता दुर्लभ है। सभा के लिए वह एक संपत्ति रहे हैं। उनकी सहायता के बिना, संविधान को अंतिम रूप देने में इस सभा को और कई वर्ष लगते। मैं यह उल्लेख करना नहीं भूलूँगा कि श्री मुखर्जी के अंदर कार्य करने वाले कर्मचारियों ने कितनी मेहनत की है और कितना अधिक कार्य किया है, कभी-कभी तो वे लोग मध्यरात्रि के बाद तक कार्य करते रहे हैं। मैं उन लोगों का उनके द्वारा किए गए प्रयासों तथा उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ (हँसी)।

प्रारूप-समिति का कार्य काफी कठिन हो जाता यदि यह संविधान सभा लोगों की महज भीड़ होती बिना सीमेंट के पट्टीदार सड़कों की तरह जिसमें काला पत्थर और सफेद पत्थर इधर-उधर बिखर जाते हैं, जिसमें प्रत्येक सदस्य या प्रत्येक समूह मनमानापूर्ण व्यवहार करता। ऐसी स्थिति में अफरा-तफरी का माहोल होता है। इस अफरा-तफरी की संभावना सभा में अंदर कांग्रेस पार्टी के विद्यमान रहने से बिल्कुल क्षीण हो गई, उस पार्टी ने सभा की कार्यवाहियों के दौरान व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखा। कांग्रेस पार्टी के अनुशासन के कारण ही प्रारूप-समिति सभा के अंदर संविधान पारित करवा

सकी क्योंकि उसे इसका पक्का पता था कि प्रत्येक अनुच्छेद और प्रत्येक संशोधन का क्या हश्र होना है। इसलिए, कांग्रेस पार्टी सभा के अंदर प्रारूप संविधान के सुचारु रूप से पारित कराने हेतु सभी श्रेय के हकदार हैं।

इस संविधान सभा की कार्यवाही काफी नीरस हो जाती, यदि सभी सदस्यों में दलीय अनुशासन के नियम का पूरी तरह से पालन किया होता। दलीय अनुशासन पूरी कठोरता के साथ लागू होता, तो यह सभा के बस हाँ में हाँ मिलाने वाले सदस्यों की सभा बनाकर रह जाती। सौभाग्यवश, इसमें विद्रोही सदस्य भी रहे हैं। इनमें श्री कामल, डॉ. पी०एस० देशमुख, श्री सिघवा, प्रो. के.टी. शाह और पंडित हृदय नाथ कुँजूरू के नाम उल्लेखनीय हैं। उन लोगों ने जो मुद्दे उठाए, उनमें से अधिकतर वैचारिक थे। उन लोगों के सुझाव स्वीकार करने के लिए मैं तैयार नहीं हुआ, इससे उनके सुझावों का मुल्य नहीं घट जाता है या फिर सभा की कार्यवाही जीवत बनाने में उन लोगों ने सेवा दी है, वह कम नहीं हो जाती। मैं उन लोगों का आभारी हूँ। उन लोगों के कारण ही मुझे संविधान में अंतर्निहित सिद्धांतों की व्याख्या करने का अवसर मिला जो कि संविधान को पारित किए जाने के महज यांत्रिक कार्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण बात थी।

अंत में, मैं सभापति महोदय आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इस प्रकार से इस सभा की कार्यवाही का संचालन किया है।

संविधान सभा के सदस्यों के प्रति आपने जो शिष्टता दिखाई है तथा उनकी माँग पर जो विचार किया है उसे इस सभा की कार्यवाहियों में भाग लेने वाले सदस्य कभी नहीं भूल पाएँगे। ऐसे अवसर आए नव प्रारूप समिति के संशोधनों को उनके पूर्णतः तकनीकी स्वरूप के आधार पर अस्वीकृत करने की माँग की गई। वे क्षण मेरे लिए काफी चिंता के क्षण थे। इसलिए मैं आपका विशेष तौर पर आभारी हूँ कि आपने संविधान निर्माण के कार्य को कानूनी आधारों पर बाधित करने की अनुमति नहीं देकर उसके उद्देश्य को विफल होने से बचा लिया।

संविधान के पक्ष में मेरे मित्रों सर अलादी कृष्णमाचारी अय्यर और श्री टी. टी. कृष्णमाचारी यथासंभव बहुत कुछ कह चुके हैं। इसलिए मैं संविधान के गुणों के बारे में चर्चा नहीं करूँगा। क्योंकि मेरा मानना है, कि कितना अच्छा भी संविधान क्यों न हो, यदि उसे लागू करने वाले खराब होंगे, तो वह संविधान खराब हो जाएगा। उसी प्रकार कोई संविधान खराब क्यों न हो यदि अच्छे लोगों के हाथ में उसे लागू करने की जिम्मेदारी हो, तो वह अच्छा हो जाएगा। संविधान का सही ढंग से कार्य कर पाना पूरी तरह से संविधान के स्वरूप पर ही निर्भर नहीं करता है। संविधान में तो राज्यों के अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का निर्धारण किया जा सकता है। राज्य

के इन अंगों का कार्य करने के कारक लोग और राजनैतिक दलों पर निर्भर करता है, जो अपनी इच्छाओं और अपनी राजनीति चलाने के लिए उनका अपने साधन के रूप में इस्तेमाल करेंगे। यह कौन बता सकता है कि भारत के लोग तथा उनके दल किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? क्या वे लोग अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संवैधानिक तरीकों का सहारा लेंगे या फिर वे लोग उन्हें प्राप्त करने हेतु क्रांतिकारी तरीके अंगीकार करते हैं, तो कितना भी अच्छा संविधान हो, इसकी विफलता की भविष्यवाणी करने के लिए किसी पैगंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए, लोगों तथा उनके दलों द्वारा निभाई जानी वाली भूमिका का संदर्भ लिए बिना संविधान के बारे में कोई निर्णय देना निरर्थक है।

संविधान की आलोचना मुख्य रूप से दो दलों कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी की ओर से की गई है। वे क्यों संविधान की आलोचना करते हैं? क्या इसलिए आलोचना कर रहे हैं कि यह वास्तव में एक खराब संविधान है? मैं कहता हूँ कि 'नहीं'। कम्युनिस्ट पार्टी यह चाहती है कि संविधान सर्वहारा की तानाशही पर आधारित हो। सोशलिस्ट दो चीजें चाहती है। पहली चीज तो यह कि यदि वे सत्ता में आए तो संविधान में उन्हें इस बात की स्वतंत्रता हो कि वे बिना मुआवजा दिए सभी निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर सकें। दूसरी चीज वह चाहती है कि संविधान में उल्लिखित मूल अधिकार पूर्ण होना चाहिए, उन पर न कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए ताकि उकी पार्टी सत्ता में आने में यदि विफल रहे, तो उन्हें न सिर्फ आलोचना करने की बल्कि राज्य को समाप्त कर देने की निर्बाध स्वतंत्रता हो।

इन्हीं प्रमुख आधारों पर संविधान की निंदा की जा रही है। मैं यह नहीं कहता कि संसदीय लोकतंत्र का सिद्धांत ही एकमात्र आदर्श रूप है। मैं यह नहीं कहता कि मुआवजा दिए बिना निजी संपत्ति का अधिग्रहण कोई इतनी उल्लंघनीय चीज है कि इससे अलग नहीं हटा जा सकता। मैं यह नहीं कहता कि मूल अधिकार कभी भी पूर्ण नहीं हो सकते और उन पर लगाई गई शर्तों को कभी हटाया नहीं जा सकता। मैं यह कहता हूँ कि संविधान में शामिल किए गए सिद्धांत वर्तमान पीढ़ी के विचार हैं या यदि आपको लगता है कि यह अतिवादी वक्तव्य है तो फिर मैं करूँगा कि ये संविधान सभा के सदस्यों के विचार हैं। इन सिद्धांतों को संविधान में शामिल करने के लिए प्रारूप समिति के क्यों दोष दिया जाए? मैं तो यह कहूँगा कि संविधान सभा के सदस्यों को भी क्यों दोषी ठहराया जाए। जेफरसन, महान अमेरिकी राजनेता जिन्होंने अमेरिकी संविधान के निर्माण में इतनी महान भूमिका निभाई थी तथा उन्होंने कुछ इतने महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए हैं, कि संविधान बनाने वाले कभी भी उन विचारों की उपेक्षा नहीं कर सकते। एक स्थान पर उसने कहा है—

“हम प्रत्येक पीढ़ी को एक विशिष्ट राष्ट्र मान सकते हैं, उन्हें बहुमत की इच्छा के अनुरूप ऐसे अधिकार दिए जा सकते हैं जिससे वे लोग बंधे हुए हैं, लेकिन उनसे आने वाली पीढ़ी और किसी दूसरे देश के निवासी नहीं बंधे होते हैं।”

एक अन्य जगह पर उन्होंने कहा है-

“यह विचार कि राष्ट्र के उपयोग के लिए स्थापित की गई संस्थाओं को छुआ नहीं जा सकता या उन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता था अपने उद्देश्यों के बारे में बताने के लिए भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उन्हें ये अधिकार उदारतापूर्वक प्रदान किए गए हैं ताकि जनता का विश्वास उनमें बना रहे, संभवतः राजतंत्र के दुरुपयोग से बचने के लिए एक शुभकामना से भरा उपबंध हो सकता है किंतु यह स्वयं राष्ट्र के लिए सर्वाधिक असंगत उपबंध है, फिर भी हमारे वकील और लोकतंत्र के पुजारी सामान्य तौर पर इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं और यह मानते हैं कि पूर्ववर्ती पीढ़ियाँ इस पृथ्वी पर हमसे अधिक स्वतंत्रतापूर्वक विचरण करती रही होंगी, उन्हें हमारे ऊपर ऐसे कानून थोपने का अधिकार था, जिन्हें हम ही बदल सकते तथा उसी प्रकार से हम ऐसे कानून बना सकते हैं तथा भावी पीढ़ियों पर उन्हें थोप सकते हैं, जोकि वे ढोते रहे, जिन्हें परिवर्तित करने का अधिकार नहीं होगा, तो फिर ठीक है तो यह पृथ्वी केवल मृत व्यक्तियों के लिए ही होगी जीवित व्यक्तियों के लिए नहीं।”

मैं यह मानता हूँ कि जेफरसन ने जो कहा, वह केवल सच ही नहीं, पूर्ण सच है। इसके बारे में कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता। यदि जेफरसन द्वारा निधारित सिद्धांत से संविधान सभा अलग हटती, तो उसके लिए निश्चय उसे दोषी ठहराया जाता या फिर निंदा की जाती। लेकिन मैं पूछता हूँ क्या ऐसा है? इसके बिल्कुल विपरीत होता। संविधान के संशोधन किए जाने से संबंधित उपबंध की जाँच करें। यथा लोगों को इस संविधान में संशोधित करने के अधिकार से वंचित करके इसे अंतिम और अचूक मानने से बची है जैसा कि कनाडा में किया गया है या फिर संविधान को संशोधित करने को इतने असाधारण निबंधन और शर्तों के विषयाधीन नहीं बनाया है, जैसा कि अमेरिका या आस्ट्रेलिया में किया गया है, बल्कि संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया बहुत ही सहज रखी है। मैं संविधान के किसी भी आलोचकों को यह सिद्ध करने की चुनौती देता हूँ कि विश्व की किसी भी संविधान सभा ने इन परिस्थितियों के अधीन जिसमें यह देश रहा है, संविधान के संशोधन के लिए इतनी सहज प्रक्रिया या उपबंध किया हो। जो लोग संविधान से असंतुष्ट हैं, उन्हें सिर्फ 2/3 बहुमत प्राप्त करने की जरूरत है और यदि मताधिकार के आधार पर निर्वाचन के सिद्धांत पर अपने पक्ष में वे संसद के अंदर दो तिहाई बहुमत नहीं जुटा सकते, तो संविधान के प्रति असंतोष को आम जनता का समर्थन हासिल होना नहीं माना जा सकता।

में संवैधानिक मामले से संबंधित केवल एक ही मुद्दे का उल्लेख करना चाहता हूँ। इस आधार पर एक गंभीर शिकायत की गई है कि बहुत अधिक केंद्रीयकरण किया जा चुका है और राज्यों को महज नगरपालिका जैसा बना दिया गया है। यह स्पष्ट है कि यह विचार न सिर्फ अतिशयोक्तिपूर्ण हैं बल्कि यह संविधान के बारे में गलत कहानी पर भी आधारित है केंद्र और राज्यों के बीच संबंध के मामले में इन मूलभूत सिद्धांतों को ध्यान में रखना जरूरी है जिन पर यह संविधान टिका हुआ है। संघवाद का मूलभूत सिद्धांत यह होता है कि राज्यों और केंद्र के बीच विधायी और कार्यपालक कानूनों के आधार पर न होकर संविधान के द्वारा ही होना चाहिए। संविधान में यह किया गया है। हमारे संविधान के अंदर राज्यों को किसी भी रूप में अपने विधायी या कार्यपालक प्राधिकार को लागू करने के लिए व्यापक क्षेत्र प्रदान किए गए हैं जहाँ कि अंत संघवाद आधारित संविधानों की तुलना में अधिक हो। ये विशेषताएँ संघवाद के सार नहीं हैं संघवाद की मुख्य विशेषता जैसा कि मैं बता चुका हूँ संविधान का केंद्र और इकाइयों के बीच विधायी और कार्यपालक प्राधिकार का विभाजन किया जाना है। हमारे संविधान में यह सिद्धांत शामिल है। इसके बारे में कोई गलती नहीं हो सकती। इसलिए यह कहना गलत है कि राज्यों को केंद्र के अधीन रख दिया गया है केंद्र अपनी मर्जी से उस विभाजन की सीमा को नहीं।

“न्यायालय संशोधन कर सकता है, इसे बदल नहीं सकता वे पहले के निर्वाचनों को नये तर्क के रूप में संशोधित कर सकते हैं, नए विचार प्रस्तुत किए जा सकते हैं, वे सीमांत मामलों की विभाजन रेखा को बदल सकते हैं लेकिन उन बाधाओं को पार नहीं कर सकते, शक्ति के निश्चित निर्धारण को वे बदल नहीं सकते। वे विद्यमान शक्तियों को व्यापक अधिकार तो प्रदान कर सकते हैं, लेकिन किसी को स्पष्ट तौर पर दिए गए प्राधिकार किसी दूसरे को नहीं दे सकते।”

अतः केंद्रीयकरण जिससे संघवाद विफल होता है का पहला आरोप वापस लिया जाना चाहिए।

दूसरा आरोप यह है कि केंद्र को राज्यों को अवक्रमित करने की शक्ति दे दी गई है। यह आरोप को स्वीकार किया जाने योग्य नहीं है। लेकिन इन अवक्रमणकारी शक्तियों को शामिल किए जाने हेतु संविधान की निंदा करने से पूर्व कुछ बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। पहली बात तो यह कि ये अवक्रमणकारी शक्तियाँ संविधान

+सी.ए.डी. आधिकारिक प्रतिवेदन, खंड X 25 नवंबर 1949, पृष्ठ 966

+वही, पृष्ठ 970

\*सी.ए.डी. आधिकारिक प्रतिवेदन, खंड X 25 नवंबर 1949, पृष्ठ 972-981

की सामान्य विशेषता नहीं है। उनके प्रयोग और प्रचलन केवल आपात स्थितियों तक ही सीमित हैं। दूसरी बात ऐसी यह है- क्या आपात स्थिति उत्पन्न हो जाने पर केंद्र को अवक्रमणकारी शक्तियाँ देने के औचित्य को नहीं स्वीकारते हैं, उन्हें मामले की जाड़ में मौजूद समस्या के बारे में स्पष्ट समझ नहीं है। एक प्रख्यात पत्रिका 'दि राउंड टेबल' के दिसंबर 1935 के अंक में एक लेखक ने इस समस्या को इतने स्पष्ट ढंग से रखा है, मैं इससे निम्नलिखित वाक्यांशों को उद्धृत करने के लिए क्षमा चाहता हूँ। लेखक ने कहा है :

“राजनीतिक प्रणालियाँ जटिल अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करती हैं, जो अंततः इस बात पर निर्भर करता है किन्हें या कितना प्राधिकार दिया जाए और क्या नागरिकों के अंदर राज्यभक्ति है। सामान्य स्थिति में यह प्रश्न सामने आ ही नहीं पाता है क्योंकि कानून सुचारू रूप से चलता रहता है और व्यक्ति किसी एक मामले में एक प्राधिकार की आज्ञा ले और मामले में किसी दूसरे प्राधिकार की आज्ञा मानते हुए अपना कार्य करता रहता है किंतु संकट के क्षण में, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और तब यह स्पष्ट है कि अंतिम राज्य भक्ति को विभाजित नहीं किया जा सकता। राज्यभक्ति के प्रश्न का निर्धारण कानूनों की व्याख्या के आधार पर नहीं किया जा सकता। कानून को तथ्यों के अनुरूप चलना चाहिए या फिर कानून को स्थगित कर देना चाहिए। जब सभी औपचारिकताएँ पूरी की जा सकें, तो एक मात्र प्रश्न यह रह जाता है कि किस प्राधिकारी में नागरिक की राज्यभक्ति शेष है। यह राज्यभक्ति केंद्र में है अन्यथा इसकी अंगीभूत राज्य में?

इस समस्या का समाधान इस प्रश्न के उत्तर पर निर्भर है कि समस्या के केंद्र में क्या है। इसमें संशय नहीं है कि आपात स्थिति में नागरिकों की राज्यभक्ति केंद्र में शेष रहनी चाहिए न कि उसके अंगीभूत राज्यों में, क्योंकि केवल केंद्र की सामान्य उद्देश्य तथा पूरे देश के सामान्य हितों का ध्यान रख सकता है। आपात स्थिति में प्रयोग करने के लिए केंद्र को कतिपय अवक्रमणकारी शक्तियाँ देने का औचित्य यही है। और आखिरकार इन आपात शक्तियों द्वारा अंगीभूत राज्यों पर क्या बाध्यता डाली गई है? इससे अधिक नहीं कि आपात काल में उन्हें अपने स्थानीय हितों के साथ-साथ राष्ट्र के सम्पूर्ण हितों पर भी विचार करना चाहिए। केवल वहीं लोग इसके विरुद्ध शिकायत करते हैं जो इस समस्या को नहीं समझ पाए हैं।

यहाँ मैं अपनी बात समाप्त कर सकता था लेकिन मन में हमारे देश के भविष्य को लेकर इतनी सारी बातें भरी हुई हैं कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि इस अवसर पर मैं अपने मन में उमड़ रही भावनाओं को व्यक्त करूँ। 26 जनवरी, 1950 को भारत एक

स्वाधीन देश बन जाएगा (सदस्यों ने खुशी प्रकट की) उसकी स्वाधीनता का क्या होगा? वह अपनी स्वतंत्रता बनाए रखेगी अथवा फिर खो देगी? यह पहला विचार मेरे मन में आता है। ऐसा नहीं है कि भारत पहले कभी स्वतंत्र देश रहा ही नहीं है। बात सिर्फ यह है कि उसने अपनी स्वतंत्रता एक बार खो दी थी? क्या वह अपनी स्वतंत्रता दूसरी बार फिर खो देगी? यह विचार मेरे मन में भविष्य के लिए बहुत अधिक चिंता भर देता है, मुझे जिस बात से सबसे अधिक परेशानी होती है, वह इस तथ्य को लेकर है कि भारत ने केवल अपनी स्वतंत्रता ही नहीं खोई थी, बल्कि वह स्वतंत्रता उसने हमारे अपने कुछ लोगों के द्वारा विश्वासघात और देशद्रोह किए जाने के कारण खोई थी। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर आक्रमण किए जाने के समय राजा दाहिर के सेनापति ने मोहम्मद बिन कासिम के एजेंटों से घूस ले ली थी और अपने राजा की ओर से लड़ने से इन्कार कर दिया था। यह जयचंद या जिसने मोहम्मद गोरी को भारत आने तथा पृथ्वीराज के साथ युद्ध करने का न्योता भेजा था तथा अपनी ओर से तथा सोलंकी राजाओं की ओर से सहायता करने का वचन दिया था। जब शिवाजी हिंदुओं की मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो अन्य मराठा सरदार और राजपूत राजा मुगल सम्राटों की तरफ से लड़ रहे थे। जब अंग्रेज सिक्ख शासकों को तहस-नहस करने की कोशिश कर रहे थे उस समय उनका प्रमुख सेनापति गुलाब सिंह चुप-चाप बैठा था और सिक्ख राज्य को बचाने के लिए कोई सहायता नहीं की। 1857 में जब भारत के अधिकतर भागों में अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष शुरू हो चुका था, तो सिक्ख चुपचाप खड़े रहे तथा मौनदर्शक बने रहे।

क्या इतिहास स्वयं को दुहराएगा? इस विचार से मैं चिंता में पड़ जाता हूँ। चिंता इस तथ्य को महसूस करके और गहरा जाति है कि इनको जातियों तथा धर्मों के रूप में मौजूद हमारे पुराने दुश्मनों के अलावा यहाँ बहुत सारे राजनीति दल होने जा रहे हैं जिनके अलग-अलग विचार होंगे और वे राजनीतिक विश्वासों के विरोधी होंगे। क्या भारतीय देश को अपनी जातियों से ऊपर रखेंगे तो हमारी स्वतंत्रता दूसरी बार खतरे में पड़ जाएगी और संभवतः हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हमें इस स्थिति से स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। हमें अपने खून के अंतिम कतरे से भी अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा होना चाहिए। (सदस्यों ने खुशी प्रकट की)।

26 जनवरी, 1950 को भारत इस अर्थ में एक लोकतांत्रिक देश हो जाएगा कि उस दिन लोगों की लोगों के लिए और लोगों के द्वारा सरकार होगी। मेरे मन में वही विचार आता है। उसके लोकतांत्रिक संविधान का क्या होगा? क्या वह उसे संभाल कर रख पाएँगे या वह फिर से खो देगा? मेरे मन में यह दूसरा विचार आता है जो मेरे मन को पहले की तरह चिंतित कर देता है।

ऐसा नहीं है कि भारत को लोकतंत्र के बारे में पता नहीं था। एक समय था कि भारत में कई गणतंत्र हुआ करते थे, जहाँ कहीं राजतंत्र था भी तो वे या तो निर्वाचित होते थे या फिर सीमित अर्थ में थे। वे कभी भी पूर्ण राजतंत्र नहीं थे। ऐसा नहीं है कि भारत को संसद तथा संसदीय प्रक्रिया की जानकारी नहीं थी। बौद्ध भिक्षु संघों के अध्ययन से यह पता चलता है कि न सिर्फ वहाँ संसद हुआ करते थे क्योंकि संघ और कुछ नहीं संसद के ही रूप थे लेकिन साथ ही संघों को संसदीय प्रक्रिया के नियमों की जानकारी भी थी तथा उनका पालन भी किया जाता था, जैसा कि आधुनिक समय में होता है। बैठने की व्यवस्था संबंधी नियम, प्रस्तावों से संबंधित नियम, संकल्पों, गणपूर्ति, हित, विह्व, मतों आदि संबंधी नियम भी बने हुए थे। यद्यपि संसदीय प्रक्रिया के इन नियमों को बुद्ध द्वारा संघों की बैठकों में लागू किया जाता था उन्होंने यह नियम अपने समय में देश में कार्यरत राजनीतिक सभाओं के नियमों से लिए होंगे।

भारत ने उस लोकतांत्रिक प्रणाली का खो दिया। क्या वह दुबारा इसे खो देगी? मैं नहीं जानता, लेकिन भारत जैसे देश में यह बिल्कुल संभव है जहाँ लंबे समय तक लोकतंत्र का प्रयोग नहीं होने के कारण यह बिल्कुल नया लगे, लोकतंत्र के स्थान पर तानाशाही आ जाने का खतरा है। इस नवजात लोकतंत्र के लिए यह संभव है कि उसका सहज रूप बरकरार रहे पर वास्तव में तानाशाही का शासन शुरू हो जाए। यदि भू-स्खलन होता है, तो दूसरी बात की संभावना का खतरा कहीं अधिक हो जाता है। यदि हम चाहते हैं कि लोकतंत्र की केवल खाल बचाकर ही नहीं रखें, बल्कि उसे वास्तव में बनाएँ, तो हमें क्या करना चाहिए। मेरे विचार से पहली चीज हमें यह करनी चाहिए कि हमें अपने सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संवैधानिक तरीकों पर भरोसा रखना चाहिए इसका अर्थ यह हुआ है कि हमें क्रांति के खूनी तरीकों का परित्याग कर देना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें नागरिक अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह का तरीका छोड़ देना चाहिए। आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तब संवैधानिक तरीका अपनाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं हो, तो फिर गैरसंवैधानिक तरीके को सही ठहराया जा सकता है। लेकिन जहाँ संवैधानिक तरीके का विकल्प हो वहाँ इन असंवैधानिक तरीकों अपनाने का कोई औचित्य नहीं है ये तरीके और कुछ नहीं; अराजकता की शुरुआत है। जितना जल्दी उन्हें छोड़ दिया जाए, हमारे लिए उतना ही बेहतर है।

दूसरी चीज हमें सावधानी बरतनी चाहिए जो जॉन स्टुअर्ट मिलने उन सभी के लिए कहा है जिनकी रुचि लोकतंत्र को बचाकर रखने में है अर्थात् अपनी स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी महान क्यों न हो, के चरणों में अर्पित नहीं की तो उसकी शक्ति पर इतना भरोसा मत करो कि वह उन संस्थाओं को ही पराधीन



बनाने में समर्थ हो जाए। देश की जीवनपर्याप्त सेवा करने वाले महान व्यक्तियों के प्रति आभारी रहने में कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन आभार व्यक्त करने की सीमा है। जैसा कि आयरिश राष्ट्रभक्त डेनियल ओ, कर्नल ने ठीक ही कहा है कोई भी व्यक्ति अपने सम्मान की कीमत पर आभार नहीं व्यक्त कर सकता, कोई भी महिला अपनी शुचिता की कीमत पर आभार नहीं व्यक्त कर सकती और कोई भी राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता की कीमत पर आभार व्यक्त नहीं कर सकता। यह सावधानी भारत के मामले में किसी अन्य देश की तुलना में कहीं अधिक आवश्यक है क्योंकि भारत में भक्ति या भक्तिमार्ग या नायक-पूजा को राजनीति में बड़ा स्थान है किसी अन्य देश की तुलना में इनकी भूमिका राजनीति में बहुत अधिक है, धर्म के मामले में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है। लेकिन राजनीति में भक्ति या नायक पूजा गिरावट और तानाशाही लाने का मार्ग है।

तीसरी चीज यह है कि हमें केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए। यदि राजनीतिक लोकतंत्र की जड़ में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो, तो राजनीतिक लोकतंत्र लंबे समय तक नहीं चल सकता। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है जीने का ऐसा तरीका जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को जीवन के सिद्धांतों के रूप में मान्यता दी जाए। स्वतंत्रता समानता और भाईचारे को अलग-अलग नहीं मानना चाहिए। न ही स्वतंत्रता और समानता को भाईचारे से अलग किया जा सकता है। बिना समानता के स्वतंत्रता कुछेक लोगों की बहुत सारे लोगों पर श्रेष्ठता कायम कर देगी। स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्ति की पहल को मार देगी। भाईचारे के बिना, स्वतंत्रता और समानता नैसर्गिक रूप नहीं ले सकती। उन्हें लागू करने के लिए एक सिपाही की जरूरत पड़ेगी। हमें इस तथ्य को स्वीकार करके शुरूआत करनी चाहिए कि भारतीय समाज में दो चीजों का पूरा अभाव है। एक तो समानता। सामाजिक धरातल पर भारत में हमारा समाज खंडित असमानता के सिद्धांत पर आधारित है जिसका अर्थ है कुछ लोगों को ऊपर उठाना कुछ लोगों को नीचे गिराना। आर्थिक धरातल पर हमारे यहाँ ऐसा समाज है जिसमें कुछ लोगों के पास काफी धन है जबकि अधिकतर लोग भीषण गरीबी में जीते हैं। 26 जनवरी, 1950 को हम परस्पर विरोधी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे यहाँ समानता होगी और सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में असमानता व्याप्त होगी। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक मत को सिद्धांत को मान्यता देंगे। हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचना के कारण एक व्यक्ति एक मूल्य का सिद्धांत नकारते रहेंगे। इस विरोधपूर्ण जीवन को हम कब तक जारी रखेंगे? कब तक हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता से लोगों को वंचित रखेंगे?

यदि हम लंबे समय तक इसे जारी रखेंगे, तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को खतरे में डाल देंगे। हमें यथासंभव शीघ्र ही इन अंतरविरोधों को दूर कर लेना चाहिए अन्यथा असमानता का दुख झेल रहे लोग राजनीतिक लोकतंत्र की संरचना को उड़ा डालेंगे जिसे इस सभा में इतनी मेहनत से तैयार किया है।

दूसरी चीज है भाईचारे के सिद्धांत को मान्यता देना। भाईचारे का क्या अर्थ है? भाईचारे का अर्थ है सभी भारतीयों के बीच एवं साथ भाईचारे की भावना-यदि भारतीय होने का अर्थ है एक जैसे लोग। यही सिद्धांत सामाजिक जीवन को एकता और एकजुटता का प्रभाव प्रदान करता है। इसे प्राप्त करना कठिन है, यह कितना कठिन है इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में ऑन अमेरिकन कामनवेल्थ नामक अपनी पुस्तक के खंड में जेम्सब्राइस द्वारा लिखी गई एक कहानी से महसूस किया जा सकता है।

कहानी है - मैं इसे ब्राइस के शब्दों में ही व्यक्त कर रहा हूँ :

“कुछ वर्ष पहले अमेरिकी प्रोटेस्ट एपिसकोपल चर्च में उपासना पद्धति को संशोधित करने को लेकर एक त्रिवर्षीय सभा चल रही थी। सभी लोगों के लिए छोटे-छोटे वाक्यों की प्रार्थना शुरू किए जाने को वांछनीय माना गया और न्यू इंग्लैंड का एक प्रख्यात धर्मविद ने इन शब्दों का प्रस्ताव किया, हे ईश्वर, हमारे राष्ट्र का कल्याण करें। उस क्षण दोपहर को उस वाक्य को स्वीकार कर लिया गया, उस वाक्य पर फिर से विचार करने के लिए अगले दिन फिर बैठक हुई तो बहुत सारे लोगों ने राष्ट्र शब्द के ऊपर आपत्ति करनी शुरू कर दी क्योंकि इसमें राष्ट्रीयता एकता का निश्चित भाव था उस शब्द को छोड़ दिया गया और उसके बदले हे ईश्वर, संयुक्त राज्यों का कल्याण करें वाक्य को अपनाया गया।

जब यह घटना हुई थी, तब संयुक्त राज्य अमेरिका में इतनी कम एकजुटता थी कि अमेरिका के लोग यह सोचते थे कि वे एक राष्ट्र हैं। यदि संयुक्त राज्यों के लोग यह महसूस नहीं कर सकते कि वे एक राष्ट्र के रूप में हैं तो भारतीयों के लिए यह सोच पाना कितना कठिन है कि वे एक राष्ट्र हैं। मुझे वह दिन याद है जब राजनीतिक विचारधारा से ग्रस्त होकर कुछ भारतीयों में भारत के लोगों की अभिव्यक्ति पर आपत्ति की थी। वे लोग भारत राष्ट्र हैं, एक बड़ा भ्रम है। कई हजारों जातियों में बैठे लोग एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं? जितनी जल्दी हो सके हम यह स्वीकार कर लें कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अर्थों में हम एक राष्ट्र नहीं हैं, हमारे लिए बेहतर है। क्योंकि फिर हम राष्ट्र के रूप में होने की जरूरत को महसूस कर सकेंगे और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तरीके ढूँढे जाने पर गंभीरतापूर्वक सोचेंगे। इस लक्ष्य की प्राप्ति करना बहुत कठिन

है - संयुक्त राज्य से भी अधिक कठिन है भारत में जातियाँ हैं, जातियाँ राष्ट्र विरोधी हैं। सबसे पहले तो यह कि उनके कारण सामाजिक जीवन में पृथकता आती है। वे लोग राष्ट्र विरोधी भी है, क्योंकि विभिन्न जातियों के बीच ईर्ष्या और वैमनस्यता का भाव पैदा होता है। लेकिन यदि हम वास्तव में एक राष्ट्र बनने के इच्छुक हैं, तो हमें इन सभी कठिनाइयों से उबरना होगा। राष्ट्र होने पर ही भाईचारा आ सकता है, भाईचारे के बिना, समानता और स्वतंत्रता पैट की क्रीज से अधिक गहरी नहीं मानी जा सकती है।

हमारे सामने जो कार्य बाकी है, उनके बारे में मेरा यह विचार है। यह कहने का कोई लाभ नहीं है कि इस देश में राजनीतिक ताकत लंबे समय तक कुछ लोगों का एकाधिकार रही है और अधिकतर लोग उसके बोझ से दबे ही नहीं रहे हैं बल्कि उसके शिकार भी होते रहे हैं, इस एकाधिकार ने न सिर्फ उन लोगों को अपनी बेहतरी के मौके से वंचित होना पड़ा है, इस कारण उन लोगों की जिंदगी अपना महत्व भी खोती रही है, ये दलित वर्ग शासित होते होते थक चुके हैं, उन लोगों में स्वयं शासन करने की अधीरता व्याप्त है। ... वर्गों में मौजूद इस आत्मभावना को वर्ग संघर्ष या वर्ग युद्ध में बदलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, इससे सभा में विभाजन हो जाएगा। वह वास्तव में विनाश का दिन होगा। जैसा कि अब्राहम लिंकन कह चुके हैं कि स्वयं में विभाजित सभा लंबे समय तक नहीं चल सकती। इसलिए उनकी आकांक्षा को जितनी जल्दी समायोजित किया जा सके यह उन मुट्ठी भर लोगों की बेहतरी, देश की बेहतरी, इसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने की बेहतरी और इसकी लोकतांत्रिक संरचना को जारी रखने की बेहतरी के लिए जरूरी होगा। यह जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और भाईचारा स्थापित करके ही हो सकता है।

मैं सभा को आगे और नहीं थकाना चाहता हूँ। स्वतंत्रता निःसंदेह खुशी की बात है लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए स्वतंत्रता हम लोगों पर भारत जिम्मेदारियाँ भी डालती है। स्वतंत्र होने के बाद, सभी गलत बातों के लिए अंग्रेजों को दोषी ठहराने का बहाना समाप्त हो चुका है। यदि इसके बाद कुछ भी गलत होता है, तो हम स्वयं के द्वारा लोगों के लिए वाली बात पर उदासीन है। यदि हम संविधान को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं तो हमें लोगों का लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन के सिद्धांत को स्वीकार करना चाहिए, हमें संकल्प लेना चाहिए कि हमारे मार्ग में व्याप्त बुराईयों की पहचान जल्दी करेंगे जो लोगों के लिए पर शासन करने की व्यवस्था को प्राथमिकता देते हैं, हमें ऐसे लोगों को निकालने की पहल करने में कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। देश की सेवा करने का यही एक मात्र तरीका है। मुझे और किसी बेहतर तरीके की जानकारी नहीं है।

**श्री सभापति :** सभा कल सुबह म.पू. 10 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है जब हम डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत पर मतदान करेंगे।

तत्पश्चात् सभा शनिवार 26 नवंबर 1949 मं.पू. दस बजे तक के लिए स्थगित हुई।

\* \* \* \* \*

### ( संविधान को अंगीकार किया जाना )

**सभापति ( डॉ. राजेंद्र प्रसाद ) :** ... इसे समाप्त करने से पूर्व मुझे इस महती सभा के सभी सदस्यों जिन्होंने न सिर्फ शिष्ट व्यवहार किया है, बल्कि मैं कहूँ कि जिन्होंने मुझे आदर और प्रेम भी दिया है का धन्यवाद करता हूँ। सभापीठ के आसन पर बैठकर और प्रतिदिन की कार्यवाही का संचालन करते हुए मैंने यह महसूस किया है, जो कि किसी दूसरे ने महसूस नहीं किया होगा कि प्रारूप समिति के सदस्यों, विशेषकर इसके अध्यक्ष डॉ. अम्बेडकर ने अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद जिस उत्साह और समर्पण से कार्य किया है, वह दुर्लभ है (सदस्यों ने खुशी प्रकट की) हमने जब उन्हें प्रारूप-समिति के लिए चुना और उसका अध्यक्ष बनाने का जो निर्णय लिया, उससे और अधिक सही निर्णय और कोई नहीं हो सकता था। उन्होंने न सिर्फ अपने चयन को सही ठहराया है, बल्कि जिस कार्य को पूरा किया है, उसे सरल भी बना दिया है। इस संबंध में समिति के दूसरे सदस्यों के बीच विभेद कर पाना सही नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि उन सभी ने अपने अध्यक्ष की ही भाँति उसी उत्साह और समर्पण के साथ कार्य किया है और वे सभी देश के धन्यवाद के पात्र हैं... सभी लोगों मेरे धन्यवाद के पात्र हैं। मैंने उन सबसे शिष्टाचार, सहयोग और विधायी सेवना प्राप्त की है (बहुत देर तक खुशी तक खुशी उन सबसे शिष्टाचार, सहयोग और विधायी सेवा प्राप्त की है (बहुत देर तक खुशी प्रकट करते रहें।)

डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सभा में मतदान लिया जाना शेष है।

प्रस्ताव है :

“कि सभा द्वारा तैयार किया गया संविधान पारित किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ (बहुत देर तक सदस्य खुशी प्रकट करते रहें।)

(तत्पश्चात् सभापति ने संविधान को अधिप्रमाणित किया। सभा ने सभापति

के ध्वनिमत से जनवरी 1950 में सभा का दूसरा सत्र बुलाने के लिए प्राधिकृत किया। फिर माननीय सदस्यों ने सभापति से एक-एक कर हाथ मिलाया।)

\*            \*            \*            \*            \*

(संविधान सभा ने विधायी कार्य भी निपटाए। इन विधायी कार्यों में विभिन्न कानूनों का संशोधन करने सहित सामान्य संसदीय कार्य शामिल थे। हिंदू कोड विधेयक सहित उन विधानों से संबंधित डॉ. अम्बेडकर का भाषण, जो भारत के संविधान के निर्माण से अलग है, अगले खंड में शामिल है -

प्रारूप संविधान के समान खंड के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेदों तथा उन पर चर्चा और की तारीखों को दर्शाने वाला सारणी विवरण

भारत के संविधान के अनुच्छेद

\*            \*            \*            \*            \*

भारत के संविधान में अनुच्छेद	प्रारूप संविधान में समान खंड	चर्चा और अनुमोद की तारीख
1	2	3
1	2	15 नवंबर, 1948, 17 नवंबर, 1948 17 सितंबर, 1949, 18 सितंबर, 1949
2	2	17 नवंबर, 1948
3	3	17 और 18 नवंबर, 1948, 13 अक्टूबर, 1949
4	4	18 नवंबर, 1948
5	5	10 अगस्त, 1949, 11 अगस्त 1949 17 अगस्त, 1949
6	5अ	10, 11 और 12 अगस्त, 1949
7	5अअ	10, 11 और 12 अगस्त, 1949
8	5ब	10, 11 और 12 अगस्त, 1949
9 {New}	---	29 नवंबर, 1949
10	5 स	10, 11 और 12 अगस्त, 1949
11	6	10, 11 और 12 अगस्त, 1949
12	7	25 नवंबर, 1948
13	8	25, 26 और 29 नवंबर, 1948
14 {New}	---	29 नवंबर, 1948
15	9	29 नवंबर, 1948
16	10	30 नवंबर, 1948
17	11	29 नवंबर, 1948
18	12	30 नवंबर, 1948 और 10 दिसंबर, 1948
19	13	1 और 2 दिसंबर, 1948, 16 अक्टूबर, 1949 और 17 अक्टूबर, 1949
20	14	2, 3 और 6 दिसंबर, 1948
21	15	6 और 13 दिसंबर, 1948
22	15 अ	16 सितंबर, 1949
23	17	3 दिसंबर, 1948
24	18	3 दिसंबर, 1948

भारत के संविधान में अनुच्छेद	प्रारूप संविधान में समान खंड	चर्चा और अनुमोद की तारीख
1	2	3
25	19	3 और 6 दिसंबर, 1948
26	20	7 दिसंबर, 1948
27	21	7 और 8 दिसंबर, 1948
28	22	7 दिसंबर, 1948
29	23	7 दिसंबर, 1948
30	23 अ	7 और 8 दिसंबर, 1948
31	24	10 सितंबर, 1949 और 12 सितंबर, 1949
32	25	9 दिसंबर, 1948
33	26	9 दिसंबर, 1948
34 {New}	---	---
35	27	9 और 16 दिसंबर, 1948 और 16 अक्टूबर, 1949
36	28	19 नवंबर, 1948
37	29	19 नवंबर, 1948
38	30	19 नवंबर, 1948
39	31	22 नवंबर, 1948
40	31अ	22 नवंबर, 1948
41	32	23 नवंबर, 1948
42	33	23 नवंबर, 1948
43	34	23 नवंबर, 1948
44	35	23 नवंबर, 1948
45	36	23 नवंबर, 1948
46	37	23 नवंबर, 1948
48	38अ	24 नवंबर, 1948
49	39	24 नवंबर, 1948
50	39अ	24 नवंबर, 1948 और 25 नवंबर, 1948
51	40	25 नवंबर, 1948

भारत के संविधान में अनुच्छेद	प्रारूप संविधान में समान खंड	चर्चा और अनुमोद की तारीख
1	2	3
52	41	10 दिसंबर, 1948
53	42	10, 16 दिसंबर, 1948 और 16 अक्टूबर, 1949
54	43	10 और 13 दिसंबर, 1948
55	44	13 दिसंबर, 1948
56	45	13 दिसंबर, 1948
57	46	13 दिसंबर, 1948
58	47	27 दिसंबर, 1948 और, 13 अक्टूबर 1949
59	48	27 दिसंबर, 1948 और, 13 अक्टूबर 1949
60	49	27 दिसंबर, 1948
61	50	28 दिसंबर, 1948
62	51	28 दिसंबर, 1948
63	52	28 दिसंबर, 1948
64	53	28 दिसंबर, 1948
65	54	28 दिसंबर, 1948
66	{1}-{4}	28 दिसंबर, 1948, 29 दिसंबर 1948 और 13 अक्टूबर, 1949
67	56	29 दिसंबर, 1948
68	{5}-{6}	28 दिसंबर 1948, 29 दिसंबर, 1948
69 New	--	नवंबर, 1949
70	57	29 दिसंबर, 1948
71	58	29 दिसंबर, 1948
72	59	29 दिसंबर, 1948 और 17 अक्टूबर, 1949
73	60	29 दिसंबर, 1948 और 30 दिसंबर, 1948



भारत के संविधान में अनुच्छेद	प्रारूप संविधान में समान खंड	चर्चा और अनुमोद की तारीख
1	2	3
74	61	30 दिसंबर, 1948
75	62	30 दिसंबर, 1948 14 अक्टूबर, 1949 और 17 अक्टूबर, 1949
76	63	7 जनवरी, 1949
77	64	7 जनवरी, 1949
78	65	6 जनवरी, 1949 और 7 जनवरी, 1949
79	66	3 जनवरी, 1949
80	{1}-{4}	3 और 4 जनवरी, 1949 और 13 और 17 अक्टूबर, 1949
81	{5}-{8}	3 और 4 जनवरी, 1949, 10, 14 और 17 अक्टूबर, 1949
82	67	18 मई, 1949, 23 मई, 1949 13 अक्टूबर, 1949
83	68	18 मई, 1949
84	68	18 मई, 1949
85	69	18 मई, 1949
86	70	18 मई, 1949
87	71	18 मई, 1949
88	72	18 मई, 1949
89	73	19 मई, 1949
90	74	19 मई, 1949
91	75	19 मई, 1949
92	75-अ	19 मई, 1949
93	76	19 मई, 1949
94	77	19 मई, 1949
95	78	19 मई, 1949
96	78	18 मई, 1949 और 19 मई, 1949
97	79	19 मई, 1949

भारत के संविधान में अनुच्छेद	प्रारूप संविधान में समान खंड	चर्चा और अनुमोद की तारीख
1	2	3
98	79-अ	30 जुलाई, 1949
99	81	19 मई, 1949
100	80	19 मई, 1949
101	82	19 मई, 1949
102	83	19 मई, 1949 और 13 अक्टूबर 1949
103	83-अ	1 अगस्त, 1949
104	84	19 मई, 1949
105	85	19 मई, 1949 और 16 अक्टूबर, 1949
106	86	20 मई, 1949
107	87	20 मई, 1949
108	88	20 मई, 1949
109	89	20 मई, 1949
110	90	20 मई, 1949 और 8 जून
111	91	20 मई, 1949
112	92	8 और 10 जून 1949 तथा 13 अक्टूबर, 1949
113	?	?

जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान  
DR. AMBEDKAR FOUNDATION

☎ 23320571  
23320589  
23320576  
FAX : 23320582

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय  
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

निदेशक  
DIRECTOR

15, जनपथ,  
15, JANPATH  
नई दिल्ली - 110001  
NEW DELHI-110001

दिनांक – 31.10.2019

रियायत नीति (Discount Policy)

सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पहले के नियमों के अनुसार CWBA वॉल्यूम के संबंध में रियायत नीति (Discount Policy) जारी रखें। तदनुसार, CWBA इंग्लिश वॉल्यूम (डिलक्स संस्करण-हार्ड बाउंड) के एक पूर्ण सेट की कीमत और CWBA हिंदी वॉल्यूम (लोकप्रिय संस्करण-पेपर बाउंड) के एक पूरे सेट की कीमत निम्नानुसार होगी :

क्र.सं.	सीडब्ल्यूबीए सेट	रियायती मूल्य प्रति सेट
	अंग्रेजी सेट (डिलक्स संस्करण) (वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 17)- 20 पुस्तकें।	रु 2,250/-
	हिंदी सेट (लोकप्रिय संस्करण) (खंड 1 से खंड 40 तक)- 40 पुस्तकें।	रु 1073/-

2. एक से अधिक सेट के खरीदारों को सेट की मूल लागत (Original Rates) यानी रु 3,000/- (अंग्रेजी के लिए) और रु 1,430/- (हिंदी के लिए) पर छूट मिलेगी जो कि निम्नानुसार है।

क्र.सं.	विशेष	मूल लागत पर छूट का प्रतिशत
	रु 1000/- रुपये तक की पुस्तकों की खरीद पर	10%
	रु 1001-10,000/- रुपये तक की पुस्तकों की खरीद पर	25%
	रु 10,001-50,000/- रुपये तक की पुस्तकों की खरीद पर	33.3%
	रु 50,001-2,00,000/- रुपये तक की पुस्तकों की खरीद पर	40%
	रु 2,00,000/- से ऊपर की पुस्तकों की खरीद पर	45%

3. इच्छुक खरीदार प्रतिष्ठान की वेबसाइट : [www.ambedkarfoundation.nic.in](http://www.ambedkarfoundation.nic.in) पर विवरण के लिए जा सकते हैं। संबंधित CWBA अधिकारी / पीआरओ को स्पष्टीकरण के लिए दूरभाष नंबर 011-23320588, पर कार्य दिवसों में पूर्वाह्न 11:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।



( देवेन्द्र प्रसाद माझी )  
निदेशक, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

# बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय (भाग-II)

- खंड 22 बुद्ध और उनका धम्म
- खंड 23 प्राचीन भारतीय वाणिज्य, अस्पृश्य तथा 'पेक्स ब्रिटानिका', ब्रिटिश संविधान भाषण
- खंड 24 सामान्य विधि औपनिवेशिक पद, विनिर्दिष्ट अनुतोशविधि, न्यास-विधि टिप्पणियां
- खंड 25 ब्रिटिश भारत का संविधान, संसदीय प्रक्रिया पर टिप्पणियां, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना-विविध टिप्पणियां
- खंड 26 प्रारूप संविधान : भारत के राजपत्र में प्रकाशित : 26 फरवरी 1948
- खंड 27 प्रारूप संविधान : खंड प्रति खंड चर्चा (9.12.1946 से 31.7.1947)
- खंड 28 प्रारूप संविधान : भाग II (खंड-5) (16.5.1949 से 16.6.1949)
- खंड 29 प्रारूप संविधान : भाग II (खंड-6) (30.7.1949 से 16.9.1949)
- खंड 30 प्रारूप संविधान : भाग II (खंड-7) (17.9.1949 से 16.11.1949)
- खंड 31 डॉ. भीमराव अम्बेडकर और हिंदू संहिता विधेयक (भाग- I)
- खंड 32 डॉ. भीमराव अम्बेडकर और हिंदू संहिता विधेयक (भाग- II)
- खंड 33 डॉ. भीमराव अम्बेडकर : लेख और वक्तव्य (20 नवंबर 1947 से 19 मई 1951)
- खंड 34 डॉ. भीमराव अम्बेडकर : लेख और वक्तव्य (7 अगस्त 1951 से 28 सितंबर 1951)
- खंड 35 डॉ. भीमराव अम्बेडकर और उनकी समतावादी क्रांति : मानवाधिकारों के परिप्रेक्ष्य में
- खंड 36 डॉ. भीमराव अम्बेडकर और उनकी समतावादी क्रांति : सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में
- खंड 37 डॉ. भीमराव अम्बेडकर और उनकी समतावादी क्रांति : भाषण
- खंड 38 डॉ. भीमराव अम्बेडकर : लेख तथा वक्तव्य, भाग-1 (वर्ष 1920 - 1936)
- खंड 39 डॉ. भीमराव अम्बेडकर : लेख तथा वक्तव्य, भाग-2 (वर्ष 1937 - 1945)
- खंड 40 डॉ. भीमराव अम्बेडकर : लेख तथा वक्तव्य, भाग-3 (वर्ष 1946 - 1956)

ISBN (सेट) : 978-93-5109-129-5

रियायत नीति के अनुसार

सामान्य (पेपरबैक) खंड 01-40

के 1 सेट का मूल्य : ₹ 1073/-

प्रकाशक :

**डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान**

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

भारत सरकार

15, जनपथ, नई दिल्ली - 110 001

फोन : 011-23320571

जनसंपर्क अधिकारी फोन : 011-23320588

वेबसाइट : <http://drambedkarwritings.gov.in>

ईमेल : [cwbadaf17@gmail.com](mailto:cwbadaf17@gmail.com)

ISBN 978-93-5109-138-7



9 789351 091387